अंक 42

राजभाषा भारती

जन[illegible]बर 1988

राजभाषा भारती

इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार वितरित करते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा

कलकत्ता में अखिल भारतीय बैंक राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व वित्त मंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 11
अंक : 42

हिंदी दिवस विशेषांक

आषाढ़—आश्विन 1918 शक
जुलाई—सितम्बर 1988

संपादक
डॉ. महेशचन्द्र गुप्त
निदेशक (अनुसंधान)
फोन 617807

☐

उप-संपादक
डॉ. गुरुदयाल बजाज
फोन 690613

☐

सज्जा
डॉ. भगवतीप्रसाद निदारिया

☐

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभ्युक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

☐

निःशुल्क वितरण के लिए

☐

पत्र व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (11 वां तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

विषय सूची

सम्पादकीय
पाठकों के पत्र

o चिन्तन

1. राजभाषा के रूप में हिंदी (छः सौ वर्ष पूर्व-दक्षिण भारत में) — प्रो. जी. सुंदर रेड्डी — 3
2. संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व — डॉ. वि. ए. चेर्निशोव — 6
3. तमिलनाडु में राजभाषा हिंदी — आर. स्वामीनाथन — 8
4. राष्ट्रीय भावात्मक एकता तथा हिंदी — डॉ. पी. वी. नरसारेड्डी — 9
5. बैंकों में हिन्दी में मूल पत्राचार — ए. लक्ष्मीनारायण — 11
6. हिंदी और बंगला : एक भ्रम निवारण — डॉ. सत्येन्द्रनाथ बोस — 13
7. मराठी भाषियों के हिंदी प्रयोग में अशुद्धियां और उनका निराकरण — डॉ. श्रीमती अं. अ. दुनाचे — 18
8. भरतीय साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन : शोध संस्थान की आवश्यकता एवं संभावनाएं — डॉ. के. लीलावती एवं प्रो. जी. सुंदर रेड्डी — 28

o उच्च तकनीकी एवं वैज्ञानिक लेख

9. इंजीनियरी शिक्षा में हिंदी माध्यम — वे. शेषन — 31
10. इस्पात संयंत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार — श्री बी. एन. मुखर्जी एवं श्री एम. पी. ठाकुर — 32
11. रचनात्मक तकनीकी लेखन — डॉ. ओम विकास — 35

o साहित्यिकी

12. सिंधी भाषा भाषियों की हिंदी सेवा — भगवान अटलानी — 38
13. एक भाषा, इक संगीत, एक ही देश — डॉ. जयंत कुमार दास — 40

o पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य

14. भारत की संविधान सभा में प्रथम दिन ही हिंदी भाषा का प्रवेश — पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी — 47

o विश्व हिंदी दर्शन

15. लंदन में अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन — लल्लन प्रसाद व्यास — 51
16. मारीशस में डिप्लोमा इन हिंदी स्टडीज़ — डॉ. मुनीश्वर लाल चिंतामणि — 55

समिति समाचार 56

(क) हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकें

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2. कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 3. रक्षा मंत्रालय 4. रेल मंत्रालय 5. नागर विमानन मंत्रालय 6. योजना मंत्रालय 7. उद्योग मंत्रालय

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

(ग) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

राजभाषा संगोष्ठियां/सम्मेलन 95

1. अर्थव्यवस्था, विज्ञान, शोध और प्रौद्योगिकी से भाषा के सरोकार की तलाश
2. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की में वैज्ञानिक व्याख्यान माला
3. लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला, नई दिल्ली में राजभाषा संगोष्ठी
4. अखिल भारतीय बैंक राजभाषा सम्मेलन, कलकत्ता
5. बैंक आफ बड़ौदा, वाराणसी में राजभाषा गोष्ठी
6. पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली में राजभाषा अधिकारी सामूहिक सम्मेलन —1988
7. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जोधपुर अंचल में राजभाषा संगोष्ठी
8. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम (तमिलनाडु) में तकनीकी संगोष्ठी—हिन्दी माध्यम में

हिन्दी के बढ़ते चरण 104

1. संघ शासित प्रदेश दादरा-नगर हवेली में हिंदी का प्रयोग
2. आर्डनैन्स फैक्टरी, भण्डारा (पं. बंगाल) में हिंदी के बढ़ते चरण
3. इंडियन आयल कार्पोरेशन और राजभाषा हिंदी
4. कार्पोरेशन बैंक (आंचलिक कार्यालय) बम्बई में हिंदी के बढ़ते चरण
5. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि., नई दिल्ली में राजभाषा कार्यान्वयन : कार्यक्रम, प्रयास और प्रगति
6. केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल में वर्ष 1987 के दौरान हिंदी के बढ़ते चरण
7. बालको में हिन्दी की उल्लेखनीय प्रगति
8. आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली में हिंदी का प्रयोग : वर्ष 1987-88
9. भारतीय बैंक संस्थान, द्वारा आयोजित सी. ए. आई. बी. परीक्षा में हिंदी के बढ़ते चरण

हिन्दी दिवस सप्ताह/आयोजन 117

हिन्दी कार्यशालाएं 128

विविधा 138

(क) विभागीय गतिविधियां

1. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
2. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली

(ख) समाचार दर्शन

(ग) पुरस्कार योजनाएं

(घ) पुस्तक समीक्षा

आदेश-अनुदेश 148

सत्यमेव जयते

गृह मंत्री, भारत
नई दिल्ली-110001
HOME MINISTER
INDIA
NEW DELHI-110001

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष में 14 सितम्बर 1988 को हिन्दी दिवस के अवसर पर "राजभाषा भारती" का "हिन्दी दिवस विशेषांक" निकाला जा रहा है। विशेषांक में ऐसे विद्वानों, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, के लेखों को सम्मिलित करने के साथ-साथ खोजपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री भी दी जा रही है। इससे "राजभाषा भारती" पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा।

"राजभाषा भारती" अपने उद्देश्य में सफल हो, यह मेरी हार्दिक कामना है।

बूटा सिंह

हिन्दी दिवस
तथा
ज्योति पर्व
के आलोक में
हिन्दी के प्रति
हमारी आस्था बढ़ती रहे,
इस मंगल कामना के साथ

—राजभाषा भारती परिवार

संपादकीय

हमारे देश में 15 समृद्ध भारतीय भाषाएं

विद्वानों का यह सुनिश्चित मत है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य में विषय वस्तु, व्यंजना और भाव प्रवणता की दृष्टि से गहरी साम्यता है।

यह तो सब जानते ही हैं कि आमतौर पर भारतीय भाषाओं की वर्णमाला के वर्णक्रम, अक्षरों के उच्चारण आदि भी लगभग एक समान हैं।

विश्व के स्वतंत्र देशों की भांति ही भारत के स्वतंत्र होने की कल्पना करके सम्पूर्ण देश के सभी महापुरुषों ने स्वतन्त्रता के बाद देश में जनता की बोल-चाल की भाषा हिन्दी को भारत सरकार के कामकाज की भाषा बनाने का विचार कर लिया था।

स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात संविधान सभा ने भी कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी और गोपाल स्वामी अय्यंगार के सूत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार करके देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया।

देश के जनमानस की भाषा हिन्दी को स्वीकार करके देश के नेताओं ने देश की भावनाओं को वाणी प्रदान की और भावी पीढ़ियों को 14 सितम्बर का दिन हिन्दी दिवस के नाते प्राप्त हुआ।

किसी भी जीवन्त समाज में पूर्वजों के जीवन से प्रेरणा ली जाती है और प्रेरणा के स्रोत महापुरूष समाज को शताब्दियों तक राष्ट्र की उन्नति के लिए और प्रगति के लिए प्रेरित करते हैं। हम इसी पृष्ठभूमि में भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद जी का पावन स्मरण करते हैं।

हिन्दी शताब्दियों से भारत राष्ट्र की एकता का सजीव प्रतीक है। हिन्दी अब भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का सबल माध्यम बन गई है।

हम सभी मिलकर सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करके भारत संघ की राजभाषा को समृद्ध और विकसित करें। इस विश्वास के साथ हम राजभाषा भारती के इस विशेषांक में विविध और खोजपूर्ण सामग्री विनम्रता पूर्वक अर्पित करते हैं।

पाठकों के पत्र

कांसबाहाल—770034 (उत्कल) 14—7 दक्षिण बस्ती (जबन) से श्री ति. कृ. राजामणि एयर का कथन है कि—

'राजभाषा भारती' – अंक 39 की प्रति पाकर प्रसन्नता हुई। पत्रिका पूर्ववत सुन्दर है।

मैं भी श्री एस. ई. राव के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं कि अब हमें कवि-सम्मेलन आदि पर धन, श्रम एवं समय खर्च करने के बजाए, हिन्दी एवं नागरी लिपि के उचित स्थान हेतु ठोस कार्य करने चाहिए; जैसे भर्त्ती/प्रोन्नति परीक्षाओं से अंग्रेजी की अनिवार्यता हटाना, सर्वत्र द्विभाषी संगणकों का ही प्रयोग करना आदि।

□

श्री विकास राय, पंजाब नैशनल बैंक, बेवाशाखा पलाशी पो. फराका जिला मुर्शीदाबाद (पं. बंगाल) ने राय प्रकट की है—

'राजभाषा भारती' अंक 38 किसी मित्र-कृपा से पढ़ने का मौका मिला। मैंने इसे बड़े ध्यान से पढ़ा और राष्ट्रभाषा के प्रचार की माध्यम इस पत्रिका को बार बार पढ़ने की लालसा पैदा होती है। मैं तथा हमारी शाखा के अन्य कर्मचारी 'राजभाषा भारती' की प्रति प्राप्त करने को उत्सुक हैं।

□

श्री जी. वेंकटश्वर राव, फिल्म कथा लखक 27/8बी सेक्टर—4, भिलाई नगर (म.प्र) का कहना है कि —

'राजभाषा भारती, – अंक 37 की प्राप्ति हुई। पत्रिका आशा बंधाती है। सभी प्रकाशित सामग्री स्तरीय है। श्री जगदम्बी प्रसाद यादव का लेख 'राजभाषा हिन्दी राष्ट्रभाषा है' सिद्ध करता है कि राजभाषा वास्तव में राष्ट्रभाषा है।

□

श्री सो. भा. काकड़े, 2/42, प्रगति को-आप. हाउसिंग सोसायटी एस. जी. बर्वे मार्ग (पूर्व) चेंबूर बम्बई-400071 महसूस करते हैं कि—

'राजभाषा भारती' का प्रत्येक अंक विषय चयन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। राजभाषा से सम्बद्ध कर्मचारियों के लिए इस प्रार की सामग्री का चिन्तन एवं मनन करना नितांत आवश्यक है।

□

सिकन्दराबाद—3 की सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखा राष्ट्रपति रोड़ से श्री आर. पी. अग्रवाल की अभिव्यक्ति इस प्रकार है—

'राजभाषा भारती' में प्रकाशित सामग्री बहुत ही ज्ञान-वर्द्धक है। अंक 38 में तेलुगू की राष्ट्रीय कविता जैसा लेख प्रकाशित हुआ, इससे निश्चय ही दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रति उत्साह बढ़ेगा।

लेखकों और संपादक मंडल को हार्दिक बधाई।

□

हिन्दुस्तान कापर लि. पोस्ट बैग —763 कलकत्ता 700017 से डॉ बुद्धिनाथ मिश्र पत्रिका के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि—

'राजभाषा भारती' भारत सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों में राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति को तो दर्शाती ही है, राजभाषा के कार्यान्वियन के क्षेत्र में सरकारी निर्देशों के बारे में भी नवीनतम सूचनाएं देती है। यही कारण है कि केन्द्र सरकार के अधीनस्थ कार्यालय उत्कंठापूर्वक इसके नए अंकों की प्रतीक्षा करते हैं।

अंक–39 में प्रकाशित सांसद श्री जगदम्बी प्रसाद यादव का 'राजभाषा हिन्दी राष्ट्रभाषा है' शीर्षक निबंध सामयिक, सुचिंतित विचारोत्तेजक और उपयोगी है। वस्तुतः यह निबंध उन करोड़ों भारतीयों की आत्मा की आवाज है जो राष्ट्रीयता को धर्म, क्षेत्र, वर्ग और दल से ऊपर मानते हैं। यह अलग बात है कि आज के प्रदूषित वातावरण में राष्ट्रीयता की वह संयत आवाज क्षेत्रीयता आदि की उन्मत्त आवाजों की तुलना में निष्प्रभ लग रही है। इस दृष्टि से वयोवृद्ध लेखक श्री संतराम बी.ए. का प्रेरणादायक निबंध 'हिन्दी सीखने का मेरा प्रेरणास्रोत' भी बहुत सटीक हैं, जिसमें बड़ी तेजस्विता के साथ उस मौन तपस्वी की राष्ट्रभाषा के प्रति अटूट निष्ठा रेखांकित हुई है।

इस बहुमूल्य अंक के सुरुचिपूर्ण सम्पादन के लिए बधाई।

□

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के प्रोफेसर—अध्यक्ष तथा डीन मानविकी संकाय डॉ० हरिश्चन्द्र वर्मा ने लिखा है कि—

'राजभाषा भारती' अंक 39 प्राप्त हुआ। यह राजभाषा हिन्दी के गौरव के अनुरूप अनेक चिंतनपूर्ण लेखों से सम्पन्न है। उच्चस्तरीय सामग्री को बहुत ही कौशल के साथ प्रस्तुत किया किया गया है, इस तरह के सामग्री चयन और संयोजन की दृष्टि से यह अंक संपादन कला का प्रतिमान प्रस्तुत करता है। आप 'राजभाषा भारती' के माध्यम से निश्चय ही हिन्दी भाषा की महत्वपूर्ण एवं श्लाध्य सेवा कर रहे हैं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार 'राजभाषा भारती' के गौरवमय अंकों के प्रकाशन से हिन्दी भाषा और साहित्य की श्रीवृद्धि करते रहेगें।

□

श्री मुकुल चंद पाण्डेय 2/10 त्रिवेणी नगर, लखनऊ. का मत है कि—

'राजभाषा भारती' अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर तेज गति से आगे बढ़ रही है, इसका श्रेय संपादनमंडल को है। भरपूर सामग्री प्राप्त हो रही है और वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धक लेख भी नियमित रूप से पढ़ने को मिल रहे हैं। कार्यान्वियन पक्ष को सबल बनाकर इसके समाचारों की प्रधानता इस बात का परिचायक है कि पत्रिका साहित्यिक नहीं अपितु लक्ष्य सिद्धि और उद्देश्यों की पूर्ति में पूरी सक्षम है।

मेरा सुझाव है कि विशेषांकों की परम्परा आरम्भ की जाए। बेहतर होगा कि मंत्रालयों/विभागों को अकारादि क्रम से लेकर उनकी गति विधियों, विशेष लेख, कार्यान्वियन की सफलताओं तथा सचिव, अधिकारी-मंत्री सहित विस्तृत ब्यौरा दिया जाए। गैर हिन्दी साहित्यकारों, समर्पित हिन्दी सेवियों का विस्तृत जीवन-परिचय भी क्रमशः छापें।

□

सीमासड़क महानिदेशालय, नई दिल्ली के निदेशक (प्रशासन) कर्नल शशिभूषण जोशी लिखते हैं कि —

'राजभाषा भारती के 38वें अंक में डा. गणपति चन्द्र गुप्त का लेख "इंग्लैंड में अंग्रेजी कैसे लागू की गई" बहुत रुचिकर लगा। डा. गुप्त ने अपने लेख में अंग्रेजी के पराभव एवं पुनरुत्थान का ऐसा सजीव एवं अनूठा चित्रण प्रस्तुत किया है जो हिन्दी विरोधी प्रवृत्ति के विचारकों को अपने तर्क पर पुनः विचार करने पर विवश करता है। मेरा विश्वास है कि 'राजभाषा भारती' में इस प्रकार के लेखों का प्रकाशन भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में अवश्य ही सहायक सिद्ध होगा। श्री लल्लन प्रसाद व्यास का लेख "थाईलैंड में हिन्दी" द्वारा थाईलैंड में हिन्दी की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। इस लेख से हिन्दी शब्दों के उच्चारण से मिलते-जुलते कई थाई शब्दों को पढ़कर बहुत अच्छा लगा।

□

श्री सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर, वंदना कुटीर दूजरा, पटना—की 'राजभाषा भारती' के बारे में सम्मति है—

'राजभाषा भारती अंक 38 में लेखों का संकलन बढ़िया है। सर्वश्री शमशेर सिंह, जगन्नाथ एवं डा. विकास गुप्ते के लेख अच्छे लगे। सभी स्तंभों के अवलोकन से विभिन्न राज्यों में हो रही राजभाषा प्रगति की जानकारी मिलती है। आठ आर्ट पृष्ठों पर हिन्दी चित्र समाचार प्रभावकारक हैं।

□

बैंक आफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली से श्री चेतन लाल चांदना, लिखते हैं कि—

'राजभाषा भारती' अंक 38 प्राप्त हुआ। 'सम्पादकीय' 'भारत की राजभाषा हिन्दी ही क्यों?' 'इंग्लैंड में अंग्रेजी कैसे लागू हुई' इत्यादि बहुत ही रोचक व सूचनाप्रद लगे। पत्रिका के बहुआयामी विकास हेतु बधाई।

□

सिंधी भाषी हिन्दी साहित्यकार, श्री भगवानअटलानी, 130—ए, आदर्श नगर, जयपुर का सुझाव हैं कि —

पत्रिका (राजभाषा भारती) में प्रकाशित लेख, स्तम्भ आदि आप की सुस्पष्ट विचारणा का परिचय देते हैं। हिन्दी का प्रयोग औपचारिक प्रचार से आगे बढ़े, इसके लिए ऐसी ही विचारणा की आवश्यकता है। हिन्दी समारोहों, मेलों, आयोजनों आदि से संबंधित रोचक संस्मरण शामिल कर सकें, तो 'राजभाषा भारती' अधिक सरस बन पाएगी।

चिंतन

राजभाषा के रूप में हिन्दी

(छह सौ वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में)

□ प्रो. जी. सुन्दर रेड्डी

निस्संदेह भारत अपनी भाषिक एवं सामाजिक संरचना तथा भौगोलिक विविधता के कारण भाषा एवं सामाजिक शोधार्थियों के लिए अध्ययन का एक समस्यामूलक विषय बना हुआ है। संसार के और किसी दूसरे देश में इतने वैविध्यपूर्ण जातियों, धर्मों एवं संस्कृतियों का संगम नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप भारत में बोली जाने वाली भाषाओं, उप-भाषाओं एवं बोलियों और उनके बोलने वाले समुदायों की विविधता और संख्या को दृष्टि में रखते हुए भारत को संसार का एक छोटा-सा म्यूजियम कहा जा सकता है। वस्तुतः समूचे दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत देश ऐसा एक भाषिक क्षेत्र है जो विविधता में एकता के सूत्र में बंधा हुआ है।

भारतीय भाषाओं के इतिहास में प्राचीन आर्यभाषा संस्कृत के बाद जिन दूसरी अखिल भारतीय भाषाओं का उल्लेख हमें मिलता है और जिनका साहित्य आज उपलब्ध है, वे हैं—पालि, बौद्धों की धर्म भाषा और अर्धमागधी, जैनों की धर्म भाषा। महावीर और बुद्ध के समय से कुछ पूर्व ही प्राचीन वैदिक परम्परा के विरोध में एक नवीन जन-क्रांति का सूत्रपात हो चुका था, जिनका मूल स्वर तो ब्राह्मणवाद से संबंधित कर्मकाण्ड का विरोध था, किन्तु संस्कृत चूंकि मूलतः इन्हीं से जुड़ी हुई थी अतः प्रारंभ से जैनों और बौधों ने संस्कृत का भी विरोध किया। अतएव संस्कृत के विरोध में जैनों द्वारा अर्धमागधी को तथा बौद्धों द्वारा पालि को धर्म प्रचार के लिए स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार 600 ई. पू. के आसपास संस्कृत के साथ-साथ पालि और अर्धमागधी भाषाओं में हमें साहित्य सृजन की परम्परा मिलने लगती है।

यद्यपि मुसलमानों के आगमन के पूर्व भारत में अनेक जातियां प्रविष्ट हुई, किन्तु वे सभी भारतीय समाज एवं संस्कृति में धीरे-धीरे घुल मिल गई। मुसलमानों के भारत में आगमन के बाद जो घटना घटित हुई, वह थी अरबी और फारसी के रूप में दो विदेशी शासकीय भाषाओं का भारत में प्रचार और प्रसार। प्रारंभ में तो मुसलमान शासकों ने भारत में पूर्व प्रचलित भारतीय भाषा का ही प्रशासन में प्रयोग किया। किन्तु बाद में राजभाषा के रूप में पहले अरबी और फारसी का ही सभी मुसलमान शासकों ने प्रयोग किया तथा मुगल शासन के विघटन के बाद उर्दू को भी कहीं कहीं राजकाज के लिए स्वीकार किया गया।

किन्तु बहुत से मुसलमान आक्रामक अलग अलग जातियों के थे और संख्या में कम थे, उनकी भाषा भी एक न थी, इसलिए वे भारत के अग्रसर जातियों के मुकाबले में अपनी जातीयता की रक्षा न कर सके और उन्हीं में घुल मिल गए। आज भी बंगाल का मुसलमान बंगला बोलता है और पंजाब का पंजाबी। केरल का मलयालम बोलता है और तमिलनाडु का तमिल।

कई सौ वर्षों तक फारसी दिल्ली की राजभाषा रही और ईरान के सांस्कृतिक प्रभुत्व के कारण हिन्दी-भाषी मुसलमान फारसी सीखते रहे। उत्तर भारत ईरानी और अरबी संस्कृति से प्रभावित था यही कारण है कि हिन्दी में फारसी के शब्द क्रमशः बढ़ते गए। हम देखते हैं कि चौदहवीं सदी में मुहम्मद तुगलक ने जब देवागिरि को अपनी राजधानी बनाया तब काफी संख्या में दिल्ली और उत्तर भारत के लोग

वहां जाकर बस गए। वहां जिस आयभाषा (हिन्दवी) का विकास हुआ, वही बाद में चलकर दक्खिनी के नाम से विख्यात हुई। उन्हीं दिनों वहां बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। विख्यात इतिहास "तारीखे फरिस्ता" के अनुसार बहमनी बादशाह के राज्य कार्यालयों में हिसाब किताब हिन्दी भाषा में रखा जाता था। ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज सूफी थे। वे सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया के खलीफा ख्वाजा नासिरुद्दीन चिराग देहली के मुख्य शिष्य थे। सन् 1412 ई. के लगभग वह गुलबर्गा चले गए और वहीं रहने लगे। वह साधारण जनता के लिए अपने विचार हिन्दी में प्रकट किया करते थे। सूफी मत के अनन्य प्रचारक शाह मीरानजी थे। उन्होंने अपनी भाषा को हिन्दी कहा है और यह भी लिखा है कि मेरी रचनाएं उन लोगों के लिए हैं जो अरबी फारसी नहीं जानते। शाह मीरानजी की रचनाओं का एक नमूना इस प्रकार है–"ना उस रूप ना उस देह ना उस थान मकान। निरगुन गुनवंता किस मुख कसं बखान। ना मुझ लोभे पाट–पितंबर यह जर जमीं सिंगार। पाटी फूटी कंबली नीकी फटा लिहाफ हमार।"

मुस्लिम साम्राज्य के दक्षिण भारत में विस्तार के साथ हिन्दी का प्रसार आंध्र, कर्नाटक आदि प्रदेशों में भी हुआ। अलाउद्दीन ने 1292 ई. में दक्षिण भारत के देवगिरि पर आक्रमण किया। मुहम्मद तुगलक के समय दक्षिण का अधिकांश भाग उस साम्राज्य के अधीन हो गया, जिसे उसने पांच भागों में विभाजित किया। उसने देवगिरि या दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। उसके साथ बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के मुसलमानों और हिन्दुओं का दक्षिण में जाना हुआ। उनका एक बड़ा समुदाय दक्षिण में स्थायी रूप से बस गया। किन्तु उनके पूर्व ही अलाउद्दीन के राजत्वकाल में खड़ी बोली बोलने वाले हिन्दु और मुस्लिम राजकर्मचारियों, सैनिकों और व्यापारियों के दल दक्षिण भारत में फैल चुके थे। बाद में अहमद नगर, बीजापुर, गोलकुण्डा और बीदर में निजामशाही, आदिल शाही, कुतुबशाही और बरीदशाही वंशों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। परिणाम यह हुआ कि दक्षिण में खड़ी बोली न केवल जड़ पकड़ती गई, बल्कि यह वहां के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों का स्वाभाविक अंग बन गई। वहां "दक्खिनी" के नाम से खड़ी बोली का विपुल साहित्य रचा गया। इसमें न सिर्फ साहित्य लेखन का कार्य हुआ, वरन बीजापुर गोलकुण्डा आदि मुस्लिम रियायतों में राजकाज की भाषा के रूप में इसे प्रतिष्ठा मिली। उल्लेखनीय बात यह है कि जिस खड़ी बोली को भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक महत्व मिला है, उसे लगभग छः सौ वर्ष पूर्व ही दक्षिण में वह महत्व प्राप्त हो चुका था।

आज की खड़ी बोली के इतिहास और उसके वर्तमान स्वरूप के अध्ययन के लिए दक्खिनी का बहुत महत्व है। व्याकरण संरचना की दृष्टि से यह बांगरू के बहुत समीप है। बांगरु की तरह इसमें भी अकारांत पुल्लिग और स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का बहुवचन रूप 'आ' लगाकर बनाया जाता है, जैसे, घर से घरां, कितने से कितावां आदि। इसमें और के लिए होर का प्रयोग होता है और ने का प्रयोग कर्ता कारक के ही प्रसंग में नहीं वरन् कर्म और संप्रदान कारकों के प्रसंग में भी होता है। ये प्रवृत्तियां बांगरू (पंजाबी) में आज भी जीवित हैं। इसमें स से के लिए सं., स्यों और स्यौं, की के बदले कं, कभी के लिए कभु आदि रूप मिलते हैं। जैसे– 1. अरे ऊधौ सुनौ यह दुख हम सूं। 2. "अकल अच्छे तो आपस कूं होर दूसरे कूं पछाने।" उत्तर भारत में 17, 18वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य की जो रचनाएं प्रस्तुत हुई, उनमें भी ये भाषिक विशेषताएं मिलती है। जैसे: कुतुब शतक (1613 ई.) गणेश गोसठ (1658 ई.) आदि में दक्खिनी के प्रसंग में यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उत्तर भारत में लिखित इन गद्य रचनाओं की तरह पंजाबी, राजस्थानी ब्रज और कनौजी आदि के प्रभावों से युक्त होने के बावजूद इसका गद्य आज के खड़ी बोली गद्य से जितनी समीपता रखती है, उतनी समीपता इन रचनाओं के गद्य की भी नहीं।

यद्यपि दक्खिनी का साहित्य अरबी, फारसी में लिखा गया है और इसमें अरबी फारसी शब्दों की संख्या बहुत है, फिर भी उसमें संस्कृत शब्दों की संख्या कम विस्तृत नहीं है। दक्षिण में बस गए हिन्दुओं और मुसलमानों की सम्मिलित जनभाषा होने के कारण दक्खिनी आज की हिन्दी और उर्दू का सम्मिलित पूर्व रूप है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी शब्दावली आधुनिक हिन्दी की शब्दावली से अधिक समीपता रखती है। निजामी के आख्यान काव्य 'मसनवी कदमराव बे पदमराव" की पंक्तियां देखिए:

अकास ऊंचा, पाताल धरती धई।
जहां कुछ न कोई, वहां है तुहीं।।

वास्तव में हिन्दी के आदिकाल का परिचय देने वाली प्रायः सभी कृतियां हिन्दी प्रदेशों से बाहर की लिखी हुई मिलती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक 'नाथ सिद्धों की बानियां" में जिन चौबीस नाथ सिद्धों की रचनाएं संगृहित की हैं उनमें अधिकांश अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के निवासी है तथा उनका समय 14वी शताब्दी से पूर्व ही माना गया है। इससे सिद्ध होता है कि 14वीं शताब्दी से पूर्व ही अहिन्दी भाषी प्रांतों में हिन्दी साहित्य सृजन की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। 13वी शताब्दी से ही पूर्वी भारत में "ब्रजबुलि" साहित्य का परिचय मिलने लगता है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि 13वीं शताब्दी से भारत के अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी साहित्य का लिखा जाना प्रारंभ हो गया था, साथ ही इस समय से पूर्व का भी जो हिन्दी साहित्य आज उपलब्ध है, वह भी जैन एवं बौद्ध संतों द्वारा अहिन्दी भाषी प्रदेशों में ही मुख्य रूप

से लिखा गया है। इतना ही नहीं वरन् सुदुर दक्षिण भारत में भी हिन्दी बहुत पहले पहुंच गई थी। कुछ विद्वानों का मत है कि मुसलमान फकीरों, सैनिकों, हिन्दु संतों तथा राज्य संस्थापकों द्वारा हिन्दी दक्षिण में पहुंच गई थी। परन्तु 'दक्खिनी का पद्य और गद्य के संपादक डा. श्रीराम शर्मा इससे सहमत नहीं हैं कि दक्खिनी विशुद्ध रूप से मुसलमानों द्वारा पैदा की हुई भाषा है, जो सेना और शासन के कार्य के लिए दक्षिण भारत में आए थे। उनका विचार है कि राष्ट्रकूटों (7वीं शताब्दी) तथा यादवों (9वीं शताब्दी) के साथ हजारों लोग उत्तर से दक्षिण भारत में आए थे, उन्हीं के साथ जो उत्तर भारतीय भाषा उस समय दक्षिण भारत में लाई गई थी उसी से आगे चलकर दक्खिनी का विकास हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार दक्षिण भारत में लिखी गई हिन्दी कविता के सर्वप्रथम उदाहरण 11वीं शताब्दी में राजा मुंज के दोहे माने जा सकते हैं जो कल्याण के राजा तेरूप के यहां कैद थे तथा तेलप की बहिन मृणालवती से उनका प्रेम हो गया था। मुसलमानों के दक्षिण भारत प्रवेश से पूर्व हिन्दी वहां स्थापित हो चुकी थी, परन्तु उसका रूप परिष्कृत नहीं था। मुसलमानों के आगमन के पश्चात उसने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक रूप ग्रहण किया। लगभग इसी समय जब साधु संतों की साधना से एक सामान्य भाषा के रूप में सर्वत्र हिन्दी का रूपान्वयन हो रहा था, दक्षिण में हिन्दु मुसलमान दोनों के सम्मिलित प्रयास से दक्खिनी हिन्दी का एक नया रूप उभरने लगा था। इन सब बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि अखिल भारतीय स्तर पर एक सामान्य भाषा की खोज आज कोई नया आविष्कार नहीं बल्कि इसके पीछे कई सौ वर्षों का पुराना इतिहास है जिसमें हिन्दी भूभाग के बाहर के लोग सतत प्रयत्नशील रहे।

मात्रा और महत्ता – दोनों दृष्टियों से हिन्दी भाषा के उद्भव एवं विकास में, हिन्दीतर भाषियों का, खासकर दक्षिण के साहित्यकारों का जो योगदान रहा है उसको सही माने में आंकने के लिए हिन्दी साहित्य के इतिहास का पुनः लेखन एवं मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। आचार्य नागप्पा के शब्दों में– "एक अखिल भारतीय भाषा के रूप में जब हिन्दी दक्खिनी बनकर मलिक काफूर के जमाने में दक्खन आई, तब से वह यहीं टिक गई। दक्खिनी साहित्य गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर राज्यों में पनपा। उसमें तेलगु, मराठी और कन्नड़ के कितने ही शब्द चालू हैं। भाषा शैली के इस रूप के ढलने में आंध्र एवं कर्नाटक का काफी योगदान है क्योंकि पुराने निजाम राज्य में दोनों भाषायी खंड विद्यमान थे।

केरल में इस सांस्कृतिक एवं साहित्यक अनुष्ठान के बीज 19वीं सदी के आरम्भ में ही भक्ति भावना से प्रफुल्लित स्वाति तिरूनाल की सारवती वाणी में पाए जाते हैं: जैसे कि –

ऊधो सुनिए मेरा सनेस
चले जब से पिया परदेस
गौंवा तृण नीर त्याग कीन्हीं
जल जमुना नहिं भावौ
घड़ी भर कुंज कुम्हलावै।

— स्वाति सलिल की सात्विकता और मुक्ताभ मनोहारिता को प्रचारित करने वाले ये पद राष्ट्र भारती के अनुपम रत्न हैं। राष्ट्रभारती के प्रेमियों एवं समर्थकों का कर्त्तव्य है कि भारत के अन्य अहिन्दी भाषी प्रांतों के समान दक्षिण भारत में भी योजनाबद्ध रूप से शोध करें जिससे हिन्दी भाषा के विकास का प्रामाणिक इतिहास प्रकाश में आएगा तथा साथ साथ हिन्दी के अनेकानेक कवियों का भी पता चलेगा।

प्रो. जी. सुंदर रेड्डी
विद्या नगर,
विशाखापट्टणम – 3

सम्पर्क-भाषा के रूप में हिन्दी का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व

□डा. वि. ए. चेर्निशोव
मास्को, यू. एस. एस. आर.

पिछले पच्चीस-तीस वर्षों में विभिन्न देशों के भाषा-विद् भाषा के प्रयोग की समस्याओं में विशेष रूचि लेने लगे हैं। इस प्रसंग में यह इंगित करना समीचीन होगा कि Sociolinguistics यानी सामाजिक-भाषा विज्ञान (रूसी में उसका उच्चारण 'सोत्सिआल्नाया लिन्ग्विस्तिका' या 'सोत्सिओलिन्ग्विस्तिका) जैसे पारिभाषिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विख्यात रूसी भाषाविद् ए. द. पोलिवानोव ने चौथे दशक में किया था।

हमारे देश में हिन्दी प्रदेश की सामाजिक-भाषा विज्ञान सम्बन्धी समस्याओं पर बहुत समय से अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। इसका श्रीगणेश स्वर्गीय व. म. वेरक्रोव्नी ने किया था जिन्होंने उन्नीस सौ इकावन में युद्ध शुरू होने के ठीक पहले, भारतीय राजभाषा क प्रश्न पर एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किया था।

हमारे भाषाविदों का ध्यान हिन्दी के अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं पर केन्द्रित है, जैसे विभिन्न भाषाओं की सामाजिक भूमिका तथा उनके प्रयुक्त होने के क्षेत्र, साहित्यिक भाषा की गठन, साहित्यिक भाषा तथा क्षेत्रीय बोलियों के परस्पर प्रभाव आदि, उन्हीं प्रश्नों में एक है सम्पर्क-भाषा का प्रश्न।

इस सम्बन्ध में हमारे भाषाविदों का यही विचार है कि हर एक बहुभाषीय देश में कभी न कभी सम्पर्क-भाषा का प्रश्न अनिवार्य रूप से उठ खड़ा होता है। सम्पर्क-भाषा की भूमिका विकसित तथा बहुकार्यात्मक (यानी जीवन के सभी मुख्य क्षेत्रों में प्रचलित) भाषा निभा सकती है जो विशाल जन-समूह के लिए सुबोध तथा उनके द्वारा स्वेच्छा-से मान्य भी है। भाषा समस्या का समाधान करने में हमारा मुख्य सिद्धान्त है—सभी भाषाओं की समानता तथा परस्पर सम्मान, भाषा जितनी भी हो—बड़ी या छोटी। हमारे देश का अनुभव यह प्रमाणित करता है कि यदि यह सिद्धान्तपूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाता है तो सम्पर्क-भाषा-सम्बन्धी कोई भी भेदभाव उत्पन्न हो भी नहीं पाता।

भारत जैसे बहुभाषीय देश में सम्पर्क-भाषा की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वाधीनता के साथ भारत को पूर्व युग की बहुत ही भारी और जटिल विरासत मिली है। पहले ही दिनों से सामाजिक विकास के मुख्य प्रश्नों के साथ-साथ स्वाधीन भारत के समक्ष अनेक भाषा सम्बन्धी समस्याएं उठती रही हैं। उनमें से कुछ समस्याएं स्वाधीनता से बहुत दिन पहले ही जन्म ले चुकी थीं और स्वाधीन भारत में ही अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई। वैज्ञानिक-तकनीकी क्रान्ति युग में भाषा-सम्बन्धी समस्याओं का महत्व अपूर्व रूप से बढ़ गया है। आधुनिक उद्योग का निर्माण, विज्ञान का विकास और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों का प्रयोग सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रश्नों में जनता की सक्रिय दिलचस्पी को जगाना जैसे कार्यों के रास्ते में बहुत बाधाएं उठ खड़ी होती हैं और भाषा-सम्बन्धी समस्याओं का समाधान अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाने या जो निर्णय हुआ हो, उसके एक-तरफा निकलने की सूरत में उन्हें बहुत धीरे ही दूर किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में भाषा-सम्बन्धी प्रश्न कभी-कभी राजनैतिक समस्या में बदल जाता है।

सामाजिक और राजनीतिक विकास क्रम में हिन्दी, भारत की राष्ट्रभाषा हो गई और उसके साथ-साथ हिन्दी सम्पर्क-भाषा भी है और उस क्रम विकास के साथ उसकी यह भूमिका बढ़ती ही गई है। आज सम्पर्क-भाषा के रूप में हिन्दी के कम से कम तीन मुख्य पक्ष हैं: अन्त-र्प्रान्तीय, अखिल भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय।

हिन्दी का अन्तर्प्रान्तीय (अर्थात अन्तर्जनपदीय) पक्ष, 'हिन्दी भाषी प्रदेश' की सरहदों के अन्दर हिन्दी तथा अन्य भाषाई इकाइयों (भाषाओं और बोलियों) के परस्पर प्रयोग से सम्बन्धित है। हिन्दी प्रवेश में पाँचवें दशक के दौरान विधान-सभाओं के निर्णयों के आधार पर हिन्दी, इस प्रदेश के राज्यों की राष्ट्रभाषा हो गई है और उन राज्यों में राजकार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सूचना की मुख्य भाषा हो गई है। उसी के साथ-साथ हिन्दी प्रवेश के भीतर अन्य भाषाएं भी प्रचलित हैं जिनमें एक उर्दू भी है। परस्पर प्रभाव डालने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, कहीं-कहीं उर्दू का क्षेत्रीयकरण होता है। इस प्रक्रिया को प्रगतिशील कहा भी जा सकता है यदि किसी भाषा, मसलन उर्दू की समस्या, भाषा (शब्द या व्याकरण) सम्बन्धी तत्वों तक सीमित होती। परन्तु आधुनिक भारत में उर्दू की समस्या कहीं गहरी, व्यापक और बहुतरफा है। यह समस्या मुख्य तौर पर सामाजिक एवं राजनैतिक क्योंकि उर्दू का प्रश्न, उन लोगों के हितों को छूता है, जो उर्दू को अपने सामाजिक अस्तित्व का अटूट हिस्सा समझते हैं।

उर्दू के साथ-साथ हिन्दी प्रदेश की भाषाई परिस्थितियों की एक विशेषता यह है कि इस प्रदेश में अनेक क्षेत्रीय भाषाएं प्रचलित हैं, जो करोड़ों की (मुख्य तौर पर गांवों में) मातृभाषा हैं ।

इस प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं की और हिन्दी से उनके परस्पर सम्बन्ध की समस्या ने स्वाधीन भारत में ही प्रमुखता प्राप्त की । स्वाधीनता प्राप्ति, एक क्रान्तिकारी विक्षोप जैसी थी, जिसने भारत की बहुत-सी भाषाओं को तह से उठाया । उनमें ऐसी भाषाएं भी थीं, जिन्हें 'क्षेत्रीय', 'जनपदीय' या 'लोक-भाषा' कहते हैं ।

क्षेत्रीय भाषाएं यहां हिन्दी और उर्दू के साथ-साथ बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होती हैं और हरेक क्षेत्र में इस प्रक्रिया के रूप और परिणाम भी अलग-अलग हैं । हिन्दी प्रदेश के बाहरी आंचलों में साहित्यिक भाषाओं का तेजी से निर्माण होता जा रहा है—उसके पूरब तथा पश्चिम में भी। अतः आश्चर्य की कोई बात नहीं कि हिन्दी प्रदेश के राज्यों में जिन लोगों ने अपने को हिन्दी भाषी नहीं बताया, वे ही किसी क्षेत्रीय भाषा या उसकी किसी बोली को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं ।

इस विकास-क्रम के फलस्वरूप हिन्दी प्रदश की सब से विकसित लोक-भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है । इस का श्रीगणेश उन्नीस सौ पैंसठ में हुआ, जब साहित्य अकादमी ने मैथिली को मान्यता प्रदान की ।

उन्नीस सौ इकहत्तर में राजस्थानी को भी इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हुई ।

हिन्दी प्रदेश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं (ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि) को भी मान्यता प्राप्त होने लगी है—विधितः (de jure) नहीं, तो तथ्यतः (de facto). जरूर—परन्तु अखिल भारतीय स्तर पर नहीं बल्कि प्रादेशिक स्तर पर ।

क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग क्षेत्रों का शोध करते करते इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्षेत्रीय भाषाओं के विकास-क्रम से हिन्दी को कोई खतरा नहीं है । उस सम्बन्ध में बाबू वृन्दावनदासजी ने इस प्रकार लिखा है :

'हिन्दी तो अब जन-जन मानस सिंहासन पर राष्ट्र-भाषा (और सम्पर्क-भाषा) के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है और उसके इस उच्चासन से अब उसे कोई भी शक्ति अपदस्थ नहीं कर सकती ।[1]

क्षेत्रीय भाषाभाषी, हिन्दी को अपनी सम्मिलित सम्पत्ति समझते हैं, जो कि इस प्रदेश के जन-जन को बराबर प्राप्य है और अन्तप्रान्तीय व्यवहार का स्वीकृत माध्यम है । हिन्दी प्रदेश के सभी रहने वाले यही बात मानते हैं कि इस प्रदेश में हिन्दी को ही राजकार्य की एकमात्र भाषा होने का अधिकार है । क्षेत्रीय भाषाओं की नियति चाहे जो भी हो, बिना हिन्दी के उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । क्षेत्रीय भाषाओं की प्रगति भी हिन्दी से ही सम्बन्धित है क्योंकि हिन्दी के सहारे ही क्षेत्रीय भाषाओं की शब्द-सम्पदा, विशेषकर पारिभाषिक शब्द, तथा अभिव्यक्ति-सामर्थ्य बढ़ती है । विरोध तो उन्हीं असम्भव प्रयत्नों का क्षेत्रीय भाषाओं का कुचल डालनेवाले स्टीम रोलर (Steam Roller) के रूप में हिन्दी का प्रयोग हो ।[2]

हिन्दी और हिन्दी प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं में जो असंगति विद्यमान है उसका साधारण समाधान कार्यात्मक द्विभाषीयता ही है । परन्तु द्विभाषीयता के सम्बन्ध में यही कहना चाहिए कि यह तरीका तो अच्छा है, मगर नगरों के निवासियों तथा 'ग्राम-शिखर' वालों के लिए ही । साधारण जन-समूह के लिए लोक-भाषा ही व्यवहार का एकमात्र साधन बनी हुई है ।

उससे कहीं महत्त्वपूर्ण है हिन्दी का अखिल भारतीय पक्ष । यह पक्ष, सारे भारत में राष्ट्रभाषा एवं सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित है अर्थात भारत की अन्य भाषाई इकाइयों के साथ-साथ वे सजाति या विजाति जो चाहे भी हो हिन्दी के व्यवहार के प्रश्न से ।

दिल्ली मेरठ की बोली के आधार पर जो भाषा पैदा हुई थी वह मध्यकाल से ही उत्तर भारत की बहु-भाषीय जनता के व्यवहार के लिए सम्पर्क-भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही थी । आधुनिक काल में अखिल भारतीय सम्पर्क-भाषा के रूप में उसका महत्व और भी बढ़ गया है । बीस के दशक से लेकर औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में जन साधारण को खींचकर लाने के साधन के रूप में 'हिन्दुस्तानी' बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होती रही थी । उन्नीस सौ पच्चीस में 'राष्ट्रभाषा प्रचार' को भी कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल किया गया ।

[सौजन्य : विवरण पत्रिका' अंक 9]

1. 'बाबू वृन्दावन दास के पत्र' दिल्ली, 1978, पृ० 113
2. 'डा० बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र', दिल्ली, 1971, पृ० 16

तमिलनाडु में राजभाषा हिन्दी

□आर० स्वामीनाथन

भारत एक विशाल देश है। यहां की जनसंख्या अस्सी करोड़ से अधिक है। विश्व में चीन के बाद हमारा भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। हमारे विशाल भारत में भू-खण्ड, वातावरण, प्रदेश, धर्म, जाति, वेश-भूषा तथा भाषा के आधार पर विविधता पाई जाती है, जो इतने विशाल देश के लिए अनिवार्य भी है। लेकिन हमारा भारत एक ऐसा अनुपम देश है जिसकी विविधता में एक अद्भुत एकता पाई जाती है।

हमारा भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। हमारे संविधान के चार प्रमुख स्तम्भ हैं – प्रजातंत्र, धर्म-निरपेक्षता, समता एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किसी भी देश में प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उस देश का राजकाज उसकी जनता की भाषा में हो।

हमारे संविधान में राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में पन्द्रह भाषाओं को मान्यता दी गई है। लेकिन भारत की संविधान सभा द्वारा राजकाज चलाने तथा केन्द्र एवं राज्यों के बीच संपर्क भाषा की भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व हिंदी को ही सौंपा गया क्योंकि यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है।

महात्मा गांधी जी ने कहा कि किसी भी देश की स्वाधीनता स्थिर रखने के लिए उस देश की स्वभाषा का होना परमावश्यक है। राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा है। यदि भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने न माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है। लाखों को अंग्रेजी का ज्ञान कराना उन्हें गुलाम बनाना है। मेकाले ने भारत में जिस शिक्षा की नींव रखी उसने हम सबको गुलाम बना दिया है।

पं. जवाहरलाल नेहरु जी ने कहा कि कोई भी राष्ट्र विदेशी भाषा के आधार पर महान नहीं बन सकता क्योंकि विदेशी भाषा जनता की भाषा नहीं हो सकती। मेरा दृढ़ मत है कि अंग्रेजी के प्रति लोगों का मनोवैज्ञानिक लगाव अब खत्म होना चाहिए।

डा. राजेन्द्र प्रसाद जी ने कहा कि हिंदी की होड़ किसी प्रान्तीय भाषा से नहीं केवल अंग्रेजी के साथ है। राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का एक अंग मानता हूं। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय भावना को विदेशी भाषा द्वारा न तो उन्नत कर सकता है और न ठीक व्यक्त कर सकता है। इसी तरह कई अन्य नेताओं ने राष्ट्रभाषा हिंदी पर प्रकाश डाला।

संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किए जाने के बाद, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, हिंदी प्रचारक संस्थाओं तथा हिंदी सेवियों द्वारा हिंदी के विकास तथा प्रचार-प्रसार के लिए अनेक महत्वपूर्ण तथा प्रभावी कदम उठाए गए।

हिंदी को कार्यान्वित करने के लिए भारत के तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। "क" क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और अण्डमान निकोबार तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र हैं। "ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र तथा "ग" क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम मेघालय, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर आदि सम्मिलित हैं। राजभाषा नियम तमिलनाडु राज्य के अलावा पूरे भारत पर लागू है।

तमिलनाडु के स्कूलों में लगभग छब्बीस साल से हिंदी नही पढ़ाई जाती है। सरकार का काम तमिल और आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के चालीस वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारी राष्ट्रभाषा की समस्या पूर्ण रूप से सुलझ नहीं पाई है। थोड़ी बहुत जो दक्षिण में विरोध की भावना दिखाई देती है, उसमें राजनीतिक स्वार्थ की बू आती है। कुछ लोग अपने राजनैतिक स्वार्थ में लिप्त रह कर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अपार जनमानस की मनोभावनाओं को दबाने की कुचेष्टा करते रहते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि तमिलनाडु की जनता हिंदी पढ़ना चाहती है। छब्बीस साल का नौजवान आज सोचने लग गया है कि हिंदी पढ़ना आवश्यक है।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रचारक दिलचस्पी से राष्ट्रभाषा की सेवा करते आ रहे हैं। हर साल सभा के परीक्षार्थियों की संख्या और प्रचारकों में वृद्धि हो रही है। तमिलनाडु के बड़े-बड़े शहरों और गांवों में प्रचारक, प्रचार करते हैं।

तमिलनाडु के केन्द्रीय कार्यालयों के कर्मचारी भी अपनी इच्छा से सरकार की हिन्दी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। इसमें भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। मद्रास, तिरूचापल्ली, कोयम्बतूर और मदुरै में केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना कार्यालय की स्थापना की गई है। इसमें कई प्रकार से कर्मचारियों को हिंदी सिखाई जाती है। इसके अलावा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से भी लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। सिनेमा उद्योग

शेष पृष्ठ 27 पर

राष्ट्रीय भावात्मक एकता तथा हिन्दी

□डा० पी० वी० नरसा रेड्डी

भारत एक भौगोलिक इकाई है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में सागर से घिरे इस क्षेत्रफल में जो लोग रहते हैं, वे सब भारतीय हैं--फिर चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या भाषा के क्यों न हों। हजारों वर्षों के सह जीवन ने हमें एक शक्तिशाली सांस्कृतिक इकाई के रूप में परिणत किया है। इस उपखंड में एक ही धर्म के अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं के रूप में धार्मिक आंदोलन चल पड़े। समय-समय पर विभिन्न राज्यों में युगांतरकारी महापुरुष उत्पन्न हुए। 12सौ वर्ष पूर्व स्वामी शंकराचार्य ने देश की चार सरहदों में अपने पीठ स्थापित कर भारत की एकता एंव अखंडता का स्मरण दिलाया था--उत्तर में बदरीनाथ, दक्षिण में शृंगेरी, पश्चिम में द्वारका और पूरब में पुरी।

अंग्रेजों के शासन काल में राष्ट्रीय जागरण की भावनाएं पूरे राष्ट्र में जागृत हुई। शोषित और पीड़ित भारतवासियों के मन में राष्ट्रीय भावना के साथ राष्ट्रभाषा की कल्पना भी उभरने लगी। इस दिशा में हिन्दी प्रदेशवासियों से कहीं आगे बढ़कर हिंदीतर क्षेत्रों के मनीषियों ने हिंदी को सार्वदेशिक संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए काफी प्रयत्न किया। 19वीं शती के आरंभ से बंगला भाषी राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, श्यामसुंदर सेन, अमृतलाल चक्रवर्ती, जस्टिस शारदा चरण मित्रा, मराठी भाषी गोविन्द रघुनाथ धत्ते सखाराम देऊस्कर, बाबूराव विष्णु पराड़कर, बालगंगाधर तिलक, लक्ष्मीनारायण गर्दे, गुजराती के स्वामी दयानंद सरस्वती, मुंशी सदासुखलाल, केशवराय भट्ट, महत्मा गांधी आदि अनेक हिन्दीतर भाषी महापुरुषों ने हिन्दी भाषा एव साहित्य के विकास एवं लोकप्रियता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया है।

भाषा केवल विचार-विमर्श का साधन ही नहीं, समूची जाति के धर्म, शिक्षा, संस्कृति का सर्वांगीण भंडार है। भारत के संविधान द्वारा घोषित सभी प्रादेशिक भाषाएं साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अलग-अलग अस्तित्व रखती हैं। इस बहुभाषी भारत को आपस में मिलाने वाले सूत्र के रूप में हिन्दी को संविधान के द्वारा राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ है। भाषावार प्रदेशों के निर्माण के बाद यह और भी स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय-साहित्य का सवाल अकेले किसी एक भाषा के साथ नहीं बल्कि सभी भाषाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान एवं प्रगतिपूर्ण सामूहिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। दक्षिण के गण्यमान्य हिन्दी प्रचारक एवं विद्वान मोटूरि सत्यनारायण जी के शब्दों में--"हिन्दी राजभाषा या राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है कि ह कसी वि खास भू-भाग से संबंधित है बल्कि इसलिए है कि वह सभी प्रादेशिक भाषाओं की राष्ट्रवाणी होगी ताकि वह सभी भाषा-भाषियों की बन सके और वे सब उसके बन सकें।"

इस बात से भी हमें जागरूक रहना चाहिए कि हिन्दी को राष्ट्र या राजभाषा के संवैधानिक रूप देने मात्र से न लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है और न ही उस भाषा के प्रति अकस्मात् प्रेम या द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इस दिशा में सरकार एवं बुद्धिजीवियों का यह परम कर्त्तव्य है कि हिन्दी को संपूर्ण राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक शक्तिशाली, समृद्ध एवं प्रयोजनमूलक बनाकर सभी देश-वासियों को आकृष्ट करें। जब किसी एक भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त होता है तो उसका दायित्व बढ़ जाता है, उसकी परिधि प्रादेशिक से उठकर सार्वदेशिक बन जाती है और उसे हर कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ता है। साथ ही राजभाषा होने के नाते उसके लिए अनेक पहलुओं और कर्तव्यों को सफलतापूर्वक निभाने की क्षमता आवश्यक होती है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय-संस्कृति और राष्ट्रीय एकता उस भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। आधुनिक युग की आवश्यकताओं (प्रशासनिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, साहित्यिक, वैचारिक आदि) को दृष्टि में रखकर राजभाषा को अन्य विकसित राष्ट्रभाषाओं (अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच आदि) के समतुल्य विकासोन्मुख बनाने की भी आवश्यकता होती है।

भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन एवं सुसंपन्न है। फिर भी आज तकनीकी और शैक्षणिक क्षेत्रों की जानकारी के अभाव में हमें पश्चिम की ओर ताकना पड़ रहा है। भारतीय भाषाओं में आधुनिक विज्ञान, तकनीकी एवं समाज-शास्त्रों से संबंधित सामग्री की कमी अब भी बनी हुई है। साथ ही जो कुछ सामग्री उपलब्ध है, उसकी जानकारी के लिए और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम योग्य संदर्भ-ग्रंथों का निर्माण भी नहीं कर सके हैं। कृषि-विज्ञान, सिंचाई, डेरी आदि क्षेत्रों में गणनीय जानकारी प्राप्त होते हुए भी विशेषज्ञ एवं अशिक्षित और अर्ध शिक्षित व्यवसायी (किसान, कारीगर आदि) के बीच में कोई अच्छा संपर्क-सूत्र नहीं है। इस खाई को पाटने के लिए हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को उच्चशिक्षा के माध्यम के रूप में रूपायित करना अनिवार्य है।

आज कुछ विश्वविद्यालय भारतीय भाषाओं के माध्यम से विज्ञान के विषयों में भी स्नातकोत्तर कक्षायें चला रहे हैं। आवश्यक संदर्भ ग्रंथों के अभाव में छात्र एवं शोधार्थियों को अंग्रेजी भाषा पर निर्भर रहना पड़ता है। इस अभाव के कारण

हमारी शिक्षा-प्रणाली पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यह भी एक वजह है कि लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भर्ती करा देते हैं। अतः शिक्षा विभाग का यह परम कर्त्तव्य होना चाहिए कि भारतीय भाषाओं में, खासकर हिन्दी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी आधुनिक विषयों के विशेषज्ञों को अनुवाद एवं मौलिक ग्रंथों के लेखन में विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। विषयवार शब्दकोश, विश्वकोश, जीवनी कोश, डायरेक्टरीज, हेण्ड-बुक्स, विषयवार-ग्रंथ सूचियां, वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाएं आदि कार्य निरंतर एवं नियमित रूप से प्रकाशित कर लेने की आवश्यकता है। उक्त संदर्भ श्रोतों के अभाव में उच्च-शिक्षा एवं शोध-कार्य की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हम पिछड़ जायेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि अपनाकर भारतीय भाषाओं में आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी के अनुरूप संदर्भ ग्रंथ एंव स्रोतों का निर्माण हम जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए।

भारत में प्रकाशित अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं की सामग्री को 'इंडेक्स इंडिया', राजस्थान विश्वविद्यालय, 'इन्सडाक', दिल्ली आदि संस्थाएं वैज्ञानिक ढंग से सूचीबद्ध कर नियमित रूप से उन सूची-पत्रों को प्रकाशित कर रही हैं। लेकिन इस तरह का प्रयत्न देशी भाषाओं में क्यों नहीं कर सकते? केवल हिन्दी में ही करीब 12 हजार पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। विषय की विविधता है, वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आरंभ हुआ है। अतः हिन्दी में प्रकाशित होने वाले पत्र साहित्य को वैज्ञानिक ढंग से और नियमित रूप से प्रकाशित करने की आवश्यकता है, जिससे कम से कम हमारी सामाजिक-समस्याओं के संबंध में अध्ययन एवं शोध करते समय शोधार्थी इस साहित्य का भी पूरा-पूरा लाभ उठा सके। परिणामस्वरूप शोध-कार्य में शीघ्रता, सुलभता और संपूर्णता आ सकती है और साथ ही लोगों के मन में अंग्रेजी भाषा का मोह भंग भी हो सकता है।

राष्ट्रीय विचार-धारा से प्रेरित सभी विद्वान यह मानते हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास में ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के विकास में भी अंग्रेजी भाषा एक अड़चन बनी हुई है। इस देश के शासनकर्ता से लेकर आम आदमी तक यह भली भांति जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत सीमित लोगों को है। फिर भी स्थानीय प्रशासन से लेकर केन्द्र सरकार के सभी कार्यकलाप अंग्रेजी माध्यम से ही चलाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ विद्वान अंग्रेजी को तुरंत राजभाषा के पद से निकाल देने के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन उसके स्थान पर हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के व्यवहार करने का तरीका नहीं बता पा रहे हैं। यह सच है कि राज्यों के शासन के अन्तर्गत प्रादेशिक भाषाओं का संदर्भानुसार प्रयोग में लाने पर अंग्रेजी भाषा का व्यवहार अपने आप कम हो जाता है। इसके लिए राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के साथ-साथ प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए भी राज्य एवं केन्द्र की ओर से समुचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए। साथ ही सत्ताधारी सरकारें अपने-अपने राज्य में विभिन्न भू-भागों में बसे हुए अल्प संख्यक लोगों की भाषाओं को भी प्रशासन में, शिक्षा संस्थाओं में समुचित स्थान देना चाहिए। यह देखा गया है कि अल्प संख्यक वर्ग जब अपनी मातृभाषा को शासन या शिक्षा संस्थाओं में योग्य स्थान न मिलता है तो वे ही लोग अधिक संख्यक भाषाओं को प्रशासन और उच्च-शिक्षा के माध्यम बनाने में अक्सर समस्याएं पैदा करते हैं। भाषावार राज्यों के बंटवारे के बाद भी अनेक आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से विभिन्न भाषा-भाषी अन्य राज्यों में बसे हुए हैं। यह प्रवास जीवन सहज ही नहीं, भारत के सभी नागरिकों का संवैधानिक अधिकार भी है। जब इन अल्प संख्यक भाषा-भाषियों की आवश्यकताएं अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी नहीं होतीं तब ये लोग विवश होकर अंग्रेजी भाषा के पक्ष में आवाज बुलंद करते हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रशासन के कार्यकलापों में अंग्रेजी के स्थान पर तेलुगु और अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। आंध्र प्रदेश की बहु-संख्यक भाषा तेलुगु है। इस राज्य के सीमावर्ती इलाके में चार भिन्न-भिन्न भाषाई राज्य मौजूद हैं। दक्षिण में तमिल और कन्नड़, पश्चिम में मराठी, उत्तर में उड़िया भाषा-भाषी बसे हुए हैं। परिणामस्वरूप इन चारों सरहदों के आस-पास के तालुक एवं जिलों में उक्त चारों भाषाओं के अलावा ऐतिहासिक कारणों से उर्दू भाषा-भाषी भी राज्य के विभिन्न जिलों में गणनीय संख्या में फैले हुए हैं।

अंग्रेजी भाषा के व्यवहार को कम करने की दिशा में आंध्रप्रदेश सरकार का अद्यतन आदेश उत्तम प्रतीत होता है। इस आदेश के अनुसार सन् 1981 की जनगणना के आधार पर जिस क्षेत्र में कम से कम 15% अल्प संख्यक भाषी निवास करते हैं, वे अपनी मातृभाषा के द्वारा सरकार को आवेदन पत्र भेज सकते हैं, जिसका जवाब उसी की भाषा में मिल जाता है, वे लोग अदालतों में अपनी मातृ-भाषा में वाद-विवाद चला सकते हैं, और शिक्षा संस्थाओं में अपनी मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन करने की सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी। 28 जून, 1988 को जारी किए गए अध्यादेश के अनुसार आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक भाषाई क्षेत्रों का निर्धारण भी किया है। इस प्रकार के सरकारी प्रयत्नों से अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग अपने ही देश में परदेशी नहीं समझ सकते। अल्पसंख्यकों की भाषा एवं संस्कृति की सुरक्षा, बहुसंख्यक भाषाई वर्ग के समान अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना हरएक राज्य सरकार का कर्तव्य भी है।

इस प्रकार जब सभी भारतीय भाषाएं गौरवपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकेंगी, तब अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व स्वाभाविक रूप से घट जाता है। तभी सारे राष्ट्र में केंद्र एवं राज्य तथा

शेष पृ० 39 पर

बैंकों में हिन्दी में मूल पत्राचार

□ए० लक्ष्मीनारायण

जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिन्दी में प्राप्त पत्र सूचना आदि के जवाब शत प्रतिशत हिन्दी में देने के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के मूल पत्राचार में हमें हिन्दी का निर्धारित प्रतिशत प्रयोग करना है और समय-समय पर वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है ।

बैंकों और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काफी प्रचलित भाषा अंग्रेजी को बदलने के लिए और हिन्दी को लाने के लिए केन्द्र सरकार ने स्वयं विविध लक्ष्य उन्मुख कार्यक्रम बनाये हैं । हम सब जानते हैं कि जबकि निश्चित लक्ष्यों का निर्धारण नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, भिन्न-भिन्न रास्ता अपनाता है। अतः यह वस्तुतः प्रशंसनीय है कि लक्ष्यों के निर्धारण का कार्य सरकार ने अपने ही हाथ ले लिया । इस प्रकार पहले ही निर्धारित निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करना ही बैंकों का अब कर्तव्य बन गया है । यदि बैंक और सरकारी कार्यालयों से केवल राजभाषा अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन करने के लिए कहा जाए तो सारी स्थिति बिना कोई सुधार के यथापूर्व ही रह जाएगी। निर्धारित ढांचे एवं नियमित शर्तों के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष करना सामान्य रूप से कठिन है और इसके लिए साहस, पहल, शक्ति तथा उत्साह की अति आवश्यकता है। कोई भी नया विचार पहली तौर पर अनावश्यक ही अधिकतर समझा जायेगा, और उसका प्रयोग भी समय का दुरुपयोग और व्यर्थ समझा जायेगा। पहले ही बनाये गये प्रणालीबद्ध ढांचे में कार्य करना आसान है और उस समय कठिनाई महसूस की जाती है जब कभी कोई इस ढांचे को दूसरे दृष्टिकोण में बदलना चाहता । जब हम अपनी शाखाएं/कार्यालयों को हिन्दी में मूल पत्राचार करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में सलाह दें तो निम्नलिखित मुश्किलें पाई जाती हैं ।

1. सबसे पहले, शाखाओं/कार्यालयों को मूल पत्राचार के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है । जब उनसे क्षेत्रवार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है तो सामान्यतः निम्न प्रकार के प्रश्न उठाए जाते या उत्तर दिये जाते हैं।

क. हमें कभी हिन्दी पत्र ही प्राप्त नहीं होते । अतः हमारे यहां हिन्दी में पत्र भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम भेजना भी चाहें तो किसको भेज सकते हैं ?

ख. क्या हमें ऐसे ग्राहक से भी हिन्दी में पत्राचार करना होगा जो अंग्रेजी में लिखता है क्या इस पर ग्राहक आपत्ति नहीं उठायेगा ?

ग. कुछ लोगों का विचार है कि मूल पत्राचार का अर्थ हिन्दी में पत्र प्राप्त करने पर उनका जवाब हिन्दी में देना।

घ. सामान्यता अधिकांश उत्तर यही है कि उनके कर्मचारियों को हिन्दी में पत्र लिखने के लिए प्रवीणता प्राप्त नहीं है। इसके अलावा यद्यपि "क" और "ख" क्षेत्रों के लिपिक हिन्दी में लिखना जानते ही हैं। फिर भी अधिकारी आसानी से उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे अंग्रेजी में लिखने के अभ्यस्त होते हैं । विषय को हिन्दी में आसानी से व्यक्त नहीं कर सकते । वे इस आशंका से लिपिक कर्मचारियों को भी निरुत्साहित कर देते हैं क्योंकि हिन्दी में लिखने से वे कहीं उनसे अधिक प्रभावी न हो जाए। उनको इन पत्रों में हस्ताक्षर करने के लिए भी संकोच है ।

ङ. कई शाखाओं में पत्राचार का कार्य सीमित रखा गया है । ग्रामीण शाखाओं में एक ही व्यक्ति अधिकतर प्रबंधक ही स्वयं पत्राचार करता है । बड़ी शाखाओं में अधिक से अधिक दो/तीन व्यक्ति, या महानगरीय शाखाओं में अधिकारियों का एक छोटा सा समूह पत्राचार का कार्य करते हैं। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि पत्राचार के कार्य करने वाले अधिकारियों को हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त करनी है । चाहे तो अधिकारी हिन्दी में पत्राचार कर सकता है, परन्तु वह हिचकता है क्योंकि उसमें यह विश्वास नहीं है कि वह भी कुशलतापूर्वक हिन्दी में पत्राचार कर सकेगा । शाखाओं में अधिकांश कर्मचारी, लेखाओं को रखना, विवरण तैयार करना, आदि लिपिकीय कार्य में लगाये जाते हैं जिसमें ज्यादातर आंकड़ों का कार्य सम्मिलित है।

च. हिन्दी में बैंकिंग शब्दावली के ज्ञान में कमी, पर्याप्त जानकारी के अभाव में अनुचित शब्दों के प्रयोग हो जाने का डर, नयी प्रणाली को अपनाने में संकोच आदि हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाने में बाधाएं बनती हैं।

छ. यद्यपि "क" क्षेत्र के लिपिक कर्मचारियों में 70 से 80 प्रतिशत कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता रखते हैं या हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं फिर भी अधिकारियों द्वारा ही अधिकतर पत्राचार का कार्य किया जाता है, जिनको अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती की जाती है। यथार्थ में उनके हिन्दी के ज्ञान की कमी के कारण अधिक से अधिक वे अंग्रेजी में ही पत्राचार करना चाहते हैं।

ज. अधिकांश कार्यालयों द्वारा अनुभव की जाने वाली व्यावहारिक मुश्किल मूल पत्राचार के अभिलेखों के रखने से संबंधित है। कई कार्यालय उनके द्वारा विविध क्षेत्रों से किये पत्राचार के बारे में अलग-अलग विवरण के आंकड़े नहीं दे सकते हैं। वे केवल जारी किये पत्रों की कुल संख्या के समेकित आंकड़े ही देते हैं।

झ. कई कार्यालय ऐसे हैं जो हिन्दी में अधिक पत्राचार करने पर भी तिमाही रिपोर्ट के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने में पर्याप्त सावधानी नहीं रखते; क्योंकि उनके लिए हिन्दी में पत्राचार करने से ज्यादा उसके आंकड़ों का लेखा बनाये रखना मुश्किल है। अतः किया गया कार्य तिमाही प्रतिवेदन में उचित रूप से दर्शाया नहीं जाता है। पत्राचार के आंकड़ों के संबंध में अनेक प्रकार के वर्गीकरण किये गये हैं और जब तक उचित अभिलेख नहीं रखे जाते, अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये जा सकते।

मूल पत्राचार के बारे में कई विनिर्देश और उप वर्गीकरण के बदले, हम निम्न प्रकार के केवल 3 वर्ग रख सकते हैं।

1. क्षेत्र "क" द्वारा किया गया पत्राचार—किसी भी क्षेत्र के साथ
2. क्षेत्र "ख" द्वारा किया गया पत्राचार— ,, ,, ,, ,, ,,
3. क्षेत्र "ग" द्वारा किया गया पत्राचार— ,, ,, ,, ,, ,,

यहां हमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को किये पत्राचार के लिए कोई उप लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बदले उपर्युक्तानुसार मुख्य रूप से वर्गीकरण कर सकते हैं। उपर्युक्तानुसार दिये गये आंकड़े निरपेक्षतः सभी क्षेत्रों के लिए हैं। चाहे वे किसी भी क्षेत्र से पत्राचार क्यों न कर। पत्रों की कुल संख्या दी जानी चाहिए। कुछ कार्यालय केवल टंकित पत्रों का ही संकेत करते हैं। लेकिन कई नेमी पत्र जो आवश्यक रिक्तियों के साथ चक्रमुद्रित किये जाते हैं और सामान्य पत्राचार के लिए प्रयोग किये जाते हैं, उनको प्रतिवेदनों में जोड़ा नहीं जाता है। इस प्रकार, किया गया वास्तविक कार्य भी दर्शाया नहीं जाता है। जब राजभाषा अनुभाग विविध उप लक्ष्यों के आशय को समझेगा और अपेक्षित फार्म में अपने अनुभाग के आंकड़े देने का प्रयत्न करेगा तब सभी कार्यालयों, विशेषतः शाखाओं, से इन आंकड़ों को समेकित करना मुश्किल एवं अवास्तविक लगेगा। इन कठिनाईयों के कारण कई बैंक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यद्यपि प्रति वर्ष के लिए एक ही प्रकार के लक्ष्य दोहराए जाते और पुनर्निर्धारित किये जाते हैं।

इसको प्राप्त करने के लिए नेमी पत्राचार के नमूनों को चक्रमुद्रित या मुद्रित कर उपलब्ध कर सकते हैं। इस प्रकार करने में निम्नलिखित प्रक्रिया को ध्यान में रख सकते हैं।

1. एक ही फार्मेट में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों को साथ-साथ द्विभाषिक रूप में उपलब्ध कराना है जो एक हस्ताक्षर के अधीन होगा जैसे हिन्दी पैरा के बाद में अंग्रेजी पैरा। जहां तक हो सके केवल हिन्दी भाग को भरने के लिए कर्मचारियों को उत्साहित कराना है। जब किसी को हिन्दी समझने में कठिनाई होगी तो अंग्रेजी रूप काम आयेगा।

2. हिन्दी और अंग्रेजी रूप को एक ही कागज पर चक्रमुद्रित या मुद्रित करने का और एक माध्यम इस प्रकार है, जिस के सामने वाले पृष्ठ में हिन्दी रूप होगा और पीछे वाले पृष्ठ में अंग्रेजी रूप। यहां पर भी कर्मचारियों को केवल हिन्दी रूप के खाली जगहों को भरने के लिए प्रशिक्षित एवं उत्साहित कराना चाहिए। इस प्रकार करने से फिलहाल राजभाषा अनुभागों द्वारा किये जाने वाला अधिकतर नेमी पत्रों का अनुवाद कार्य कम किया जा सकता है तथा वे राजभाषा के कार्यान्वियन से संबंधित अन्य कार्यों में ध्यान दे सकेंगे।

ऐसे सभी पत्रों की संख्या तिमाही प्रतिवेदन में प्रस्तुत की जानी चाहिए। कई उप लक्ष्यों को उल्लिखित करने के बदले, सिर्फ 3 लक्ष्य, चाहे वे कम ही क्यों न हो, प्रत्येक क्षेत्र के लिए निर्धारित किये जाएं। लक्ष्यों को निर्धारित करते समय पिछले वर्ष प्राप्त लक्ष्य एवं निष्पादन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत ऊंचा लक्ष्य रखने से लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न को निरुत्साहित कर सकते हैं। हमेशा इस प्रकार देखा गया है कि हम निकटस्थ वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते तथा अपने प्रयासों को बढ़ाते हैं तथा उनको प्राप्त करने के लिए भरोसा रखते हैं। अगर हमारे लक्ष्य दूर हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए हमारे मन में कभी-कभी आवश्यक उत्साह भी उत्पन्न नहीं होता। अतः बैंकों को अगले वर्ष के लिए इन लक्ष्यों को निर्धारित करने में स्वयं ही अपनी योजना बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए और पिछले निष्पादन तथा इसमें प्रचलित व्यावहारिक मुश्किलों का भारतीय रिज़र्व बैंक के स्तर पर विचार-विमर्श करके वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग को लक्ष्य प्रस्तुत किये जाएं, जो बैंकों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श कर उचित और अधिक संभाव्य लक्ष्य निर्धारित करेगा। इसमें सभी संबंधित भाग लेते हैं और निर्धारित किये लक्ष्य वर्तमान लक्ष्यों की तुलना में कम ही क्यों न हो, बैंक उन्हें प्राप्त करने में अवश्य ही समर्पित होंगे, जो कि उन्हीं के द्वारा ये लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और किसी अन्य से नहीं।

उप प्रभागीय प्रबंधक, राजभाषा प्रभाग
सिंडिकेट बैंक, प्रधान कार्यालय,
मणिपाल

हिन्दी और बंगला—एक भ्रम निवारण

□डा० सत्येन्द्रनाथ बोस

"राजभाषा भारती' के अंक 35 तथा 37 में उक्त विषय पर दो किस्तें प्रकाशित हो चुकी हैं। भारती के पाठकों ने इस लेखमाला को चाहा और सराहा है, अतः प्रस्तुत है—तीसरी और अंतिम किस्त। विद्वान लेखक ने बंगला भाषियों द्वारा हिन्दी सीखने में उपस्थित कठिनाइयों के निराकरण का सुन्दर प्रयास किया है।—सं०

पूर्व प्रकाशित दो अध्यायों में बंगला में आए उन समस्त विदेशी शब्दों की सूची दी गई थी जिससे पूर्वी भारत विशेषकर बंगाल के निवासी शुद्ध हिन्दी बोल या लिख सकें। वैसे इन सारे विदेशी शब्दों के शुद्ध रूप हिन्दी, उर्दू, अरबी, फारसी शब्दकोश में अवश्य मिलेंगे पर वह कार्य कितना समय सापेक्ष होगा—यह विचारणीय है।

अब हम बंगाली भाइयों को कुछ ऐसे खड़ी बोली हिन्दी के एवं देशज शब्दों से परिचित करायेंगे जिन्हें बंगला में हम तोड़ मरोड़कर व्यवहार करते हैं, जिनके हिज्जे में थोड़ा सा परिवर्तन लाने से ही वे शुद्ध हिन्दी के शब्द बनते हैं, हिन्दी के ये शब्द ज्यों के त्यों हमें अपनाने हैं, क्योंकि उन्हीं की तरह हमें बोलना या लिखना भी है।

बंगाल में बसे बंगला के कुछ हिन्दी भाषी भाइयों की कटु आलोचना के बावजूद बाई ओर "बंगला शब्द" इसलिए लिखा जा रहा है कि कार्यतः वे शुद्ध शब्द नहीं है जिनके हिन्दी रूप का ही व्यवहार होना चाहिए। बंगाली भाइयों से भी मेरा यह निवेदन है कि अवहेलना और उपेक्षा की भावना लेकर कोई दूसरी भाषा सीखना दुष्कर है। खप्पर, चमत्कार, छाति, झक्की, फक्कड़, बस्ति, माथा आदि कुछ ऐसे सौ-डेढ़ सौ हिन्दी बंगला शब्द है अर्थगत भिन्नता के कारण जिन्हें यहां नहीं दिया गया इन पर सविस्तार चर्चा फिर कभी की जायेगी :—

(कोष्ठक की संकेत विवृत्ति अन्त में दी गयी है)

अशुद्ध बंगला शब्द	शुद्ध हिन्दी रूप
आड़ा मोड़ा	अंगड़ाई (स्त्री)
आंधार	अंधेरा (पु.)
आगडुम बागडुम	अड़गम बगड़म (वि.)
आशे पाशे	आस पास (क्रि.वि.)
आगुया	अगुआ (पु.)
आचकान	अचकन (पु.)
आड्डा	अड्डा (पु.)
आड़ाइ	अढ़ाई (वि)
अदल बदल	वही (पु.)
आधला	अधेला (पु.)
अबनिबना	अनबन (स्त्री)
आनमना	अनमना (वि.)
आनाड़ी	अनाड़ी (वि.)
आमचुर	आमचूर (पु.)
अड़हर	अरहर (स्त्री)
आलता	अलता (पु.)
आंच	वही (स्त्री)
आंचल	वही (पु.)
आंधि	आंधी (स्त्री)
आमला	आंवला (पु.)
आरा	वही (पु.)
आड़ाल	आड़ (स्त्री.)
एकतारा	वही या इकतारा (पु)
एकहरा	वही या इकहरा (वि)
उस्काना	उकसाना (क्रि)
उठती	वही (वि)
उल्टो	उल्टा (वि)
उल्टो पाल्टा	उलटा-पुलटा (वि)
उल्लुक	उल्लू (पु)
ऊंचु-नीचु	ऊंच-नीच (पु)
एवड़ो-खेबड़ो	उबड़-खाबड़ (वि)
ओंचा	ओछा (वि)
ओझा	वही (पु)
ओड़ना	ओढ़ना (स्त्री)
होंट	ओठ होट (पु)

2054 HA/88—3

अशुद्ध बंगला शब्द	शुद्ध हिन्दी रूप
काँकर	कंकड़ (पु)
काँकन	कंगन (पु)
कांगाल	कंगाल (वि)
कांचन	कंचन (पु)
कंजुस	कंजूस (वि)
कांथा	कंथा (स्त्री)
कंदमूल	वही (पु)
कांध	कंधा (पु)
कम्बल	वही (पु)
कचुड़ी	कचौड़ी (स्त्री)
काँचा	कच्चा (वि)
कच्छप	कछुआ (पु)
काछा	कछोटा (पु)
काजल	वही या कजली (स्त्री)
काटगड़ा	कटघरा (पु)
कांठाल	कटहल (पु)
काटारि	कटार, कटारी (स्त्री)
काठपुतुल	कठपुतली (स्त्री)
कड़ा	वही (वि)
कड़ाइ	कढ़ाई (स्त्री)
कानकाटा	कनकटा (वि)
कानटुपि	कनटोप (पु)
कापास	कपास (स्त्री)
कर्पुर	कपूर (पु)
काभाइ	कभाई (स्त्री)
करला	करेला (पु.)
कश	कस (पु)
काहार	कहार (पु)
कांच	वही (पु)
कांसा	वही (पु)
काना	वही (वि)
कानाकानि	कानाफूसी (स्त्री)
कोदाल	कुदाल, कुदाली (पु., स्त्री)
कुमोर	कुम्हार (पु)
कनुइ	कुहनी (स्त्री)
कुथाशा	कोहरा (पु)
कुंयो	कुआं (पु)
केंचो	केंचुआ (पु)

अशुद्ध बंगला शब्द	शुद्ध हिन्दी रूप
काँकड़ा	केकड़ा (पु)
कला	केला (पु)
कुठुरी	कोठरी (स्त्री)
कुठी	कोठी (स्त्री)
कोयेल	कोयल (स्त्री)
कयला	कोयला (पु)
कोरा	वही (वि)
कलु	कल्लू (पु)
केयारि	क्यारी (स्त्री)
खेजुर	खजूर (पु)
खाटिया	खटिया (स्त्री)
खाड़ा	खड़ा (वि)
खड़म	खड़ाऊं (स्त्री)
खेदान	खदेड़ना (क्रि)
खद्दर	खद्दर (पु)
खरगोश	वही (पु)
खरल	वही (पु)
खासी	खस्सी (पु)
खांडसारि	वही (स्त्री)
काशि	खांसी (स्त्री)
खाट, खाटिया	वही, खटिया (स्त्री)
खाता	वही (पु)
खादि	खादी (स्त्री)
खार	वही (पु)
खाल	वही (स्त्री)
खिचुड़ि	खिचड़ी (स्त्री)
खिड़की	वही (स्त्री)
खुजली	वही (स्त्री)
खुरपि	खुरपा (पु)
खुंटो, खुंटी	वही (पु, स्त्री)
खेत	वही (पु)
खेप	वही (स्त्री)
खेला	खेल (पु)
खोंज	खोज (स्त्री)
गांओयार	गंवार (वि)
गाँठरी	गठरी (स्त्री)
गदगद	वही (वि)
गला	वही (पु)

अशुद्ध बंगला शब्द	शुद्ध हिन्दी रूप
गहना	वही (पु)
गाजर	वही (स्त्री)
गाड़ी	वही (स्त्री)
गाड़ोयान	गाड़ीवान (पु)
गाभिन	वही (स्त्री)
गाल	वही (पु)
गालि	गाली (स्त्री)
गुण्डा	वही (पु)
गुड़	वही (पु)
गुहा	गुंफा (स्त्री)
गांथा	गुंथना (क्रि)
गूढ़	वही (वि)
गोबर	वही (पु)
गोरा	वही (वि)
गोलमाल	वही (पु)
गुलि	गोली (स्त्री)
गोयाला	ग्वाल (पु)
घंटा	वही (पु)
घटक	वही (पु)
घाटति	घटती (स्त्री)
घाटिया	घटिया (वि)
घड़ा	वही (पु)
घड़ि	घड़ी (स्त्री)
घानि	घानी (स्त्री)
घायेल	घायल (वि)
घा	घाव (पु)
घास	घास (स्त्री)
घेन्ना	घिन (स्त्री)
घुंगुर	घुंगरू (पु)
घुघु	घुग्घू (पु)
घूंट	वही (पु)
घुंसि	घूंसा (स्त्री)
घुष	घूस (स्त्री)
घोड़ा, घोड़ी	वही (पु, स्त्री)
चांगा	चंगा (वि)
चांदा	चन्दा (पु)
चंपट	चपत (वि)
चाँपा	चम्पा (पु)
चांवर	चंवर (पु)

अशुद्ध बंगला शब्द	शुद्ध हिन्दी रूप
चाकति	चकती (स्त्री)
चक्कर	वही (पु)
चाकि	चक्की (स्त्री)
चाखना	चखना (क्रि)
चाटनि	चटनी (स्त्री)
चाटाइ	चटाई (स्त्री)
चाना	चना (पु)
चापाटि	चपाती (स्त्री)
चामड़ा	चमड़ा (पु)
चामार	चमार (पु)
चामेली	चमेली (स्त्री)
चा	चाय (स्त्री)
चारपाइ	चारपाई (स्त्री)
चाल	वही (स्त्री)
चालुनि	चलनी या छलनी (स्त्री)
चिकन	चिकना (वि)
चुगली	वही (स्त्री)
चुटकी	वही (स्त्री)
चुलो	चुल्हा (पु)
चैला	चेला (पु)
चोखा	वही (वि)
चोर	वही (स्त्री)
चुरि	चोरी (स्त्री)
चक	चौक (स्त्री)
टैंकसाल	टकसाल (स्त्री)
टाका	टका या टंका (पु)
टाट्का	टटका (वि)
टाट्टू	टट्टू (पु)
टहल	वही (स्त्री)
टिकलि	टिकली (स्त्री)
टिका	टीका (पु)
टुकड़ो	टुकड़ा (पु)
टैड़ा	टेढ़ा (वि)
टुपि	टोपी (स्त्री)
ठाण्डा	ठंढा (वि)
ठाकरुण	ठकुराइन (स्त्री)
ठग	वही (पु)
ठाट्ट	ठट्ठा (पु)
ठिक	ठीक (वि)

अशुद्ध बंगला शब्द	शुद्ध हिन्दी रूप
ठुरी	ठुमरी (स्त्री)
ठक्कर	ठोकर (स्त्री)
डांटा	डंटल (पु)
डांडा	डंडा (पु)
डाकात	डकैत (पु)
डाक	वही (स्त्री)
देउड़ि	ड्यौढ़ी (स्त्री)
ढाकना	ढक्कन (पु)
ढालु	ढालू (वि)
ढिल, ढिला	ढील (स्त्री)
ढेर	वही (पु)
ढेला, डेला	ढेला (पु)
ढोल	वही (पु)
तांत	वही (स्त्री)
तामा, तांबा	तांबा (पु)
ताक	वही (स्त्री)
ताला	वही (पु)
टिपय	तिपाई (स्त्री)
तेरछा	तिरछा (वि)
थाना	वही (पु)
थाला	थाल (पु)
थालि	थाली (स्त्री)
थुतु	थूंक (पु)
थले, थलि	थैला, थैली (पु, स्त्री)
दखिन, दकिखन	वही (पु)
देड़ेल	दड़ियल (वि)
दापट	दपट (स्त्री)
दाड़ि	दाढ़ी (स्त्री)
दांतन	दतून (स्त्री)
डान	दहिना (वि)
देशलाइ	दियासिलाई (स्त्री)
देउलिया	दिवाला
दिदि	दीदी (स्त्री)
देयाली	दीवाली (स्त्री)
दुध	दूध (पु)
दोहाइ	दुहाई (स्त्री)
दुब्बो, दुर्बा	दूब (स्त्री)
दोना	वही (पु)
दौड़	वही (स्त्री)

अशुद्ध बंगला शब्द	शुद्ध हिन्दी रूप
धांक्का	धक्का (पु)
धड़	वही (पु)
धेत, धुत	धत (अव्य)
धुतरो	धतूरा (पु)
धनुक	धनु, धनुष (पु)
धमक	धमकी (स्त्री)
धर्ना	वही (पु)
धोंया	धूआं (पु)
धुलो	धूल (स्त्री)
धुति	धोती (स्त्री)
धोपा	धोबी (स्त्री)
नागाड़ा	नगाड़ा (पु)
नाक	वही (स्त्री)
नाच	वही (पु)
नाति	नाती (पु)
नाला	वही (पु)
लेबु	नींबू (पु)
नीच	वही (वि)
नलेचे	वही (क्रिवि)
निम	नीम (पु)
नील	नीला (वि)
पाखोयाज	पखावज (स्त्री)
पागड़ी	पगड़ी (स्त्री)
पाटरानी	पटरानी (स्त्री)
पातला	पतला (वि)
पाता	पत्ता (पु)
पापिया	पपीहा (पु)
पसार	वही (पु)
पाहारा	पहरा (पु)
पाहाड़	पहाड़ (पु)
पा	पांव (पु)
पालकि	पालकी (स्त्री)
पिंडी	पीढ़ा (पु)
पिठ	पीठ (स्त्री)
पोखराज	पुखराज (पु)
पुरिया	पुड़िया (पु)
पैंडा	पेड़ा (पु)
पांयताड़ा	पैंतड़ा (पु)

अशुद्ध बंगला शब्द	शुद्ध हिन्दी रूप
पुकुर	पोखर (पु)
पुलिन्दा	वही (पु)
फांद	फंदा (पु)
फ़ाटा	फटा (वि)
फांक	वही (स्त्री)
फांस	वही (स्त्री)
फांसि	फांसी (स्त्री)
फाटक	वही (पु)
फालतु	फालतू (वि)
फोंड़ा	फोड़ा (पु)
बागिचा	बगीचा (पु)
बजरा	वही (पु)
बाटकारा	बटखरा (पु)
बड़	बड़ा (वि)
बड़ाबाड़ि	बड़ाबाड़ी (स्त्री)
बातासा	बताशा (पु)
बाति	बत्ती (स्त्री)
बदलि	बदली (स्त्री)
बांजा	बांझ (वि)
वासि	बासी (वि)
बेड़ी	वही (स्त्री)
बेलुन	बेलन (पु)
बेसन	वही (पु)
भाल्लुक	भालू (पु)
भिक्षे	भीख (स्त्री)
भीड़	वही (स्त्री)
भुल	भूल (स्त्री)
माझ	मंझ, मांझ (क्रि.वि.)
माखन	वही या मक्खन (पु)
माटि	माटी, मिट्टी (स्त्री)
मालाइ	मलाई (स्त्री)
माहुत	महावत (पु)
माड़	मांड़ (पु)
मासी	मौसी (स्त्री)
मिठे, मिष्टि	मीठा (वि)
मिस्त्री	मिस्तरी (पु)
मुठि	मुट्ठी (स्त्री)
मूलो	मूली (स्त्री)
मयना	मैना (स्त्री)
मुचि	मोची (पु)
रुटि	रोटी (स्त्री)
लैंगोट	लंगोट (पु)
लाड्डू	लड्डू (पु)
रसुन	लहसुन (पु)
लाठि	लाठी (स्त्री)

अशुद्ध बंगला शब्द	शुद्ध हिन्दी रूप
लेंइ	लेई (स्त्री)
सामले	सम्हालकर (अ.क्रि.)
सेयाना	सयाना (वि)
सांझ	वही (स्त्री)
षांड	सांड़ (पु)
साप	सांप (पु)
श्वास	सांस (स्त्री)
शाक	साग (पु)
शाला	साला (पु)
शाशुड़ी	सास (स्त्री)
श्रावण, शावन	सावन (पु)
सिंगाड़ा	सिंघाड़ा (पु)
शिं	सींग (पु)
सिड़ि	सीढ़ी (स्त्री)
शुंड	सुंड (पु)
शुयोर	सुअर (पु)
छुंचछुंच, सुंच	सूई (स्त्री)
हुंकार	हुंकार
हांड़ि	हंडी (स्त्री)
हांसि	हंसी (स्त्री)
हातियार	हथियार
हातुड़ि	हथौड़ा (पु)
हलुद	हलदी (स्त्री)
हात	हाथ (पु)
हाति	हाथी पु)
हिजड़े, हिजड़ी	वही (पु., स्त्री)

संकेत विवृत्ति

पु.	पुल्लिग
स्त्री	स्त्रीलिंग
वि.	विशेषण
क्रि.	क्रिया
क्रि.वि.	क्रिया विशेषण
अव्य	अव्यय
अ.क्रि.	असमाप्त क्रिया

सचिव,
पश्चिम बंग राष्ट्रभाषा प्रचार सभा
58 ए सदानन्द रोड, कालीघाट
कलकत्ता–700026

मराठी भाषियों के हिन्दी प्रयोग में अशुद्धियां और उनका निराकरण

☐ डॉ० श्रीमती अं० अ० दुनाचे

मराठी भाषियों की एक आम धारणा यह है कि हिंदी और मराठी बहुत कुछ समान होने के कारण मराठी भाषियों को हिंदी बोलते, लिखते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यह धारणा भ्रान्त है। दोनों भाषाओं में समानता होने पर भी कहीं-कहीं असमानता तो है ही और मराठी भाषियों को वहां सावधानी बरतनी चाहिए। यहां कुछ सामान्य गलतियों की चर्चा की जा रही है।

2. वर्णमाला

2.1 मराठी और हिंदी की वर्णमाला में बहुत कुछ समानता है। मराठी में नुक्ता न होने के कारण ड़ और ढ़ तथा ज़ लिखने का रिवाज नहीं है। उच्चारण में मराठी में भी डमरू और सड़क में अंतर है। सिर्फ नुक्ता देने का रिवाज नहीं है। अतः मराठी भाषी साधारणतया नुक्ता देना भूल जाते हैं। मराठी बोलने वालों के प्रेस में छपी सामग्री में भी सामान्यतया यही गलती पायी जाती है।

2.2 मराठी में ऐ और औ स्वरों के हिंदी की तरह दो उच्चारण नहीं हैं, एक ही है। ऐ—एक (1) अय् (11) अइ औ—(1) आव (2) आऊ। मराठी में दूसरे ही प्रकार का एक मात्र उच्चारण होने के कारण बोलने में तो गलत उच्चारण होता ही है साथ ही बैंक आदि शब्दों के लिखने में भी गलती होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि बैंक शब्द का उच्चारण बइंक है और मराठी की तरह बैंक लिखने की गलती वे कर बैठते हैं।

2.3 मराठी में चंद्र बिंदी न होने के कारण और वह ध्वनिचिह्न अलग उच्चारण के लिए काम आने के कारण मराठी भाषियों की उसके उच्चारण और लेखन में गलती होती है।

2.4 मराठी में ऋ का उच्चारण रू की तरह होता है रि की तरह नहीं। अतः ऋ वाले शब्दों के उच्चारण में या श्रुतलेख लेते समय वर्तनी में गलती हो जाती है उदाहरण ऋण—रिण।

2.5 मराठी में ज्ञ का उच्चारण द्+न्+य से होने के कारण श्रुतलेख लेते समय प्राग्य ज्ञान आदि वर्तनी की गलतियां हो जाती है।

2.6 हिंदी भाषी प्रांतों में छपी किताबों, प्रश्नपत्रों, परिपत्रों आदि में हिंदी के पुराने अ, झ और ण प्रयोग किया जाता है। मराठी भाषियों को उन्हें पढ़ने में अड़चन होती है और प्र, भ आदि वर्णों के सादृश्य से वे संभ्रम में पड़ जाते हैं।

2.7 हिंदी में पुरानी पद्धति से ध और भ लिखने से भी उन्हें पढ़ने में और उसी के कारण लिखते समय वर्तनी में गलती होती है। उदाः घर—धर(घर)।

3. वर्तनी की गलतियां

3.1 हिंदी और मराठी दोनों संस्कृत से विकसित होने के कारण दोनों में तद्भव और तत्सम शब्द बहुत कुछ समान रूप से मिलते हैं। परंतु उन्हें स्वीकार करते समय मराठी में वर्तनी में फर्क आ गया है। उसका प्रभाव हिंदी लिखते समय पड़ता है और वर्तनी की गलतियां हो जाती हैं।

3.2 संस्कृत के ह्रस्व इकारांत शब्द—मति, गति, क्षति आदि संस्कृत की ति से समाप्त होने वाली संज्ञाए हिंदी में जैसी कि तैसी आ गई हैं। मराठी में भी प्रारभ में ये संज्ञाएं इसी रूप में आई थी। धीरे-धीरे मराठी उच्चारण में फर्क पड़ता गया। मति में म पर जोर देने के बदले ति पर जोर दिया जाने लगा। फलस्वरूप उच्चारण दीर्घता आ गई। बीच में स्थिति ऐसी रही कि वर्तनी में ह्रस्व लेखन और उच्चारण दीर्घ होने लगा। बाद में वैयाकरणियों ने मराठी की इस प्रवृत्ति को देखकर "आणि" शब्द को छोडकर सारी संज्ञाएं दीर्घांत (ईकारान्त) कर दीं। इससे मराठी भाषी ऐसे शब्द प्रायः दीर्घांत (ईकारान्त) ही लिखते हैं।

3.3 इ/ई की गलतियां

गति	प्रगति	अधोगति	प्रशस्ति	स्तुति
क्षति	शांति	मति	कृति	भूमि
धुलि	संधि	सृष्टि	वृष्टि	प्रतिनिधि
अवधि	राशि	अग्नि	ऋषि	तिथि
अतिथि	विधि	कृषि	वृत्ति	प्रवृत्ति
शुद्धि	बुद्धि	अंजलि	शशि	पाणि
वालमीकि	सिद्धि	वृद्धि	अति	इति
संस्तुति	समाप्ति	पति	यति	कीर्ति
अपकीर्ति	नीति	अनीति	सारथि	संगति
संतति	सम्पत्ति	संगति	संस्वीकृति	सुरभि

3.4 ह्रस्व उ से समाप्त होने वाले शब्द भी इसी कारण दीर्घान्त लिखे जाते हैं।

भानु	धेनु	साधु	हेतु	केतु
परंतु	किन्तु	श्रद्धालु	कृपालु	दयालु
अणु	वेणु	सेतु	धातु	बिंदु
सिंधु	अस्तु	तथास्तु	बंधु	तन्तु
वकु	चक्षु	हिन्दु	इक्षु	मनु

3.5 वि से समाप्त होने वाले शब्द :

कवि जैसे शब्दों की भी स्थिति इसी तरह हो गयी है—उदाहरण : रवि, कवि, छवि आदि ।

3.6 इत से समाप्त होने वाले शब्द :

इत से समाप्त होने वाले शब्द (कृदन्त) वास्तव में मराठी में भी ह्रस्व इ से ही लिखे जाते हैं। परंतु साधारणतया सारे मराठी भाषी इसमें दीर्घ ई का प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि मराठी के "तो करीत आहे" जैसे प्रयोगों का वह असर हो। उदाहरण संबंधित मुदित अनुमोदित सीमित प्रमाणित, प्रसारित, वांछित, निर्धारित, प्रोत्साहित, उल्लिखित, लिखित, संचालित, संकलित, स्वयंचलित, संपादित, संकरित, प्रचलित, प्रस्तावित, जीवित, आश्रित, अंकित अंकुरित, गृहीत, आदि। इन्हे मराठी भाषी संबंधित मुदीत आदि इस प्रकार लिखते हैं।

3.7 वही बात इक से समाप्त होने वाले शब्दों में भी होती है। अधिक, सर्वाधिक प्रामाणिक, ऐतिहासिक, पौराणिक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जागतिक, पारिभाषिक शारीरिक वैज्ञानिक आदि शब्दों में ह्रस्व के बदले दीर्घ ई लिखने की गलती मराठी भाषी प्रायः करते हैं। इत की तुलना में ये गलितयां कम होती हैं।

3.8 कुछ शब्द दोनों भाषाओं में समानार्थी है फिर भी वर्तनी में फर्क होता है।

उदाहरण : मराठी दुसरी, हिन्दी दूसरी
मराठी तिसरी, हिन्दी तीसरी

3.9 हिंदी के कुछ शब्द जैसे ह्रस्व या चिन्ह मराठी में अलग ढंग से लिखे जाते हैं। उसी प्रभाव से मराठी भाषी हिन्दी में भी उन्हें उसी ढंग से लिखते हैं। ह्रस्व, चिन्ह

2.10 मराठी में प्रत्यय आदि लगते समय शब्द की दीर्घ बनाने की प्रवृत्ति है। "संस्कृति" "परंतु" "संस्कृतीचा" हिंदी में ठीक इसके वितरीत प्रवृत्ति है। लड़की—लड़कियों को, अधिकारी — अधिकारियों ने आदि मराठी भाषी प्रायः यहां दीर्घ ई का प्रयोग करते पाये जाते हैं।

3.11 मराठी में दीर्घान्ति की प्रवृति होने के कारण विशेषण और क्रियारूपों में गलतियां नहीं होनी चाहिएं, फिर भी कभी कभी वहां दीर्घ के बदले ह्रस्व लिखा जाता है।

3.12 कि और की—

मराठी में समुच्चय बोधक "की" दीर्घ होने के कारण मराठी भाषी "उसने कहा की मैं जाऊंगी" इस तरह लिखते हैं। उनसे यह कहा जाय कि हिंदी में ह्रस्व और दीर्घ दोनों कि की, हैं और दोनों के अर्थ अलग हैं तो वे क्रिया के लिए भी ह्रस्व लिख बैठते हैं।

बिंदी की गलतियां

4.1 (1) मराठी में चंद्रबिंदी न होने के कारण गलतियां।

4.2 हंस अंश कंस आदि के उच्चारण में हिन्दी और मराठी में अंतर होने के कारण कभी कभी हन्स लिखने की गलती कोई कर बैठता है।

4.3 मराठी में बहुत सी बिंदियां अब हटाई हैं जिसके फलस्वरूप मराठी भाषी साधारणतया शब्दों पर बिंदी पर देना भूल जाते हैं— जैसी मैं में नहीं उन्हें किन्हें आदि पर वे बिंदी नहीं देते। उसी तरह बहुवचन पर भी बिंदी नहीं देते।

4.4 स्त्रीलिंग बहुवचन संज्ञाओं पर और संज्ञाओं के विकृत रूपों पर बिंदी देना मराठी भाषी साधारणतया भूल जाते हैं।

4.5 क्रिया के विदर्थ बहुवचन के रूपों पर उदाहरण —जाएं, करें सीचे, भेजें—बिंदी देना भूल जाते हैं। वैसे ही "मैं करुं! पर भी चंद्र बिंदी रह जाती है।

4.6 भविष्य काल के एकवचनी तथा तुम के रूपों पर बिंदी नहीं देनी चाहिए वहां बिंदी देते हैं उदाहरण —जैसे वह करेंगे, तुम करोगे आदि।

4.7 संख्या विशेषण—पांचवां, पांचवीं, ग्यारहवां, आदि चंद्रबिंदी या बिंदी के बिना लिखते हैं।

5.1 उर्दू से आये श के बदले ष का प्रयोग :—उर्दू से जो हिंदी और मराठी में शब्द आए हैं, वहां के बदले मराठी के प्रभाव से ष का प्रयोग करने की गलती मराठी भाषी करते हैं जैसे—लश्कर (लष्कर) चश्मा (चष्मा) खुश, खुशी, दुश्मन, रिक्शा, पोशक।

5.2 उर्दू से आने वाले "इश" से समाप्त होने वाले शब्द भी प्रायः "ईश" दीर्घान्त लिखे पाये जाते हैं। उदाहरण— कोशिश, कशिश, ख्वाइश, गुंजाइश, मालिश, नालिश, गर्दिश, नुमाइश आदि।

6. कारक विभक्तियां

6.1 मराठी में भी आठ कारक है परंतु मराठी में करणकारक का प्रत्यन माना जाता है और पहले उस पर बिंदी भी दी जाती थी। जो मराठी भाषी पहले व्याकरण के नियमों के अनुसार पढे हैं वे नें पर बिंदी देते हैं।

6.2 मराठी में प्रत्यय शब्द से जुड़ा हुआ एक ही शिरो-रेखा पर लिखा जाता है। हिंदी में प्रत्यय अलग लिखने की प्रवृत्ति है। मराठी भाषियों को बताने पर भी

आदत से प्रत्यय एक ही शिरो रेखा पर लिखते हैं। मराठी भाषी के मुद्रणालय में छपी हिंदी की पुस्तक में यही गलती पायी जाती है।

7. कारकों के विशेष प्रयोग

7.1 कुछ क्रियाएं अपने प्रयोग के लिए कुछ विशेष प्रत्यय की आवश्यकता रखती हैं। मराठी भाषी अपनी भाषा के प्रभाव के कारण उसमें भूल करते हैं। से कहना मराठी "लासांगणें" का अनुवाद को कहना" से किया जाता है।

से पूछना	मराठी "ला विचारणें"	आ अनुवाद "	को पूछना"	से	किया जाता है।
स शांगना	,, "ला मागणे	,,	कीं मांगना	,,	,,
से मिलना	,, ला भेटणे	,,	को मिलदा	,,	,,
से डरना	,, ला घावरणे	,,	को डरना	,,	,,
से अनुरोध करना	ला विनंती करणे	,,	को अनुरोध करना	,,	,,
से निवेदन करना	,,	,,	,,	,,	,,
से विनती करना	,,	,,	,,	,,	,,
से प्रार्थना करना	,,	,,	,,	,,	,,
से प्रेम करना	वर प्रेम करणे	,,	पर प्रेम करना	,,	,,
से नफरत/तिरस्कार	वा तिरस्कार करणें	,,	का/तिरस्कार/नफरत करना		

से विवाह करना मराठी में "शी लग्न करणे" ही होने के कारण उसका प्रयोग ठीक किया जाता है।

7.2 के का प्रयोग

हिन्दी में शरीर के अंग रिश्ता अथवा अचल संपत्ति दिखाने के लिए के का प्रयोग होता है। जसे—

राम के एक नाक है।

गाय के एक पूंछ है।

राम के एक बेटी है।

सरला के कोई रिश्तेदार नहीं है।

राम के एक घर है।

मराठी में शरीर के अंग और रिश्ता दिखाने के लिए "ला" का प्रयोग होता है। मराठी भाषी उसका अनुवाद "को" से कर ये वाक्य

राम को एक नाक है। (गलत)
गाय को एक पूंछ है। ,,
राम को एक बेटी है। ,,
सरला को कोई नहीं है।"

स्वामित्व भावना के लिए मराठी में तीनों संबंध कारक प्रत्ययों का प्रयोग होता है।

राम की जमीन है। (गलत)

7.3 को का प्रयोग

अपेक्षा, कर्तव्य आदि का बोध कराने के लिए हिंदी में "को चाहिए" का प्रयोग होता है। चाहिए का दूसरा अर्थ इच्छा दर्शक है। मराठी में इच्छा दर्शक अर्थ में हिन्दी के समान प्रयोग होने के कारण वहां प्रायः गलती नहीं होती।

रामला चहा पाहिये (मराठी) राम को चाय चाहिए। (हिन्दी) परंतु पहले अर्थ में मराठी में "ने" का प्रयोग होता है।

प्रत्येकाने देशासाठी काम केले पाहिजे।

इसके प्रभाव से हिंदी में "हर एक ने देश के लिए काम करना चाहिए" इस तरह का प्रयोग मराठी भाषी करते हैं। यहां तक कि मराठी भाषी हिंदी प्राध्यापक भी यह गलती करते पाये जाते हैं। इसी प्रकार की गलती पंजाबी भाषी भी करते हैं।

7.4 ने का प्रयोग

(1) वैसे सकर्मक क्रिया जब भूतकाल, आसन्न भूत, पूर्णभूत या संदिग्ध भूत में होती तो मराठी में कर्ता "ने" प्रत्यय लेता है। हिंदी में इसके लिए अपवाद है—लाना, बोलना, भूलना बकना। इनमें से मराठी भाषी लाना के प्रयोग में मराठी के प्रभाव से गलती करते हैं। बाकी तीनों का प्रयोग दोनों भाषाओं में सामान होने से वहां गलती नहीं होती। उदाहरण राम ने साइकिल लाई। (रामने सायकाल आणली) मां ने लड्डू लाया (आई ने लाडू लाणला)

(2) लग, सक, चुक का प्रयोग दोनों भाषाओं में समान होने से वहां गलतियां प्रायः कम पाई जाती हैं।

(3) नहाना, खासना और छींकना अकर्मक होते हुए भी इनके कर्ता "ने" प्रत्यय लेते हैं। मराठी में इस तरह का नियम न होने के कारण मराठी भाषी इनका प्रयोग करते हुए समय ने का प्रयोग करना भूल जाते हैं। उदा. राम खांसा। राम नहाया आदि

7.5 पर का विशेष प्रयोग

यह हिंदी की विशेषता है। मराठी में न होने के कारण गलती हो जाती है सेठजी दुकान पर मिलेंगे। मां घर पर होगी। राजा के दरवाजे पर हाथी झूलता है। मराठी भाषी यहां में का प्रयोग करते हैं।

7.6 मेरेलू तेरेकु का गलत प्रयोग होता है जब कि मुझे या मुझको, तुझे या तुझको का होना चाहिए।

8. हिंदी और मराठी में कुछ शब्द समान है परंतु उनके लिंग समान नहीं है इस कारण मराठी भाषियों की लिंग की गलती होती है।

	मराठी	हिन्दी
तार	स्त्रीलिंग	पुलिंग
नोट	,,	,,
घंटा	,,	,,
चहा (चाय)	पुलिंग	स्त्रीलिंग
पुस्तक	नं. पु	स्त्री
आत्मा	पु	स्त्री
मेज	नं.पु	स्त्री
व्यक्ति	स्त्री	पु
कमाल	स्त्री	पु
चक्कर	स्त्री	पु
चैन	स्त्री	पु
देवता	स्त्री	पु
नशा	स्त्री	पु
प्रभात	स्त्री	पु
बाग	स्त्री	पु
मजा	स्त्री	पु
शिकार	स्त्री	पु
सफर	स्त्री	पु
सबब	स्त्री	पु
डर	स्त्री	पु
अग्नि	पु	स्त्री
अवधि	पु	स्त्री
आवाज	पु	स्त्री
ऋतु	पु	स्त्री

	मराठी	हिन्दी
गंध	पु	स्त्री
जप	पु	स्त्री
तराजू	पु	स्त्री
तरंग	पु	स्त्री
दुर्गंध	पु	स्त्री
सुगंध	पु	स्त्री
देह	पु	स्त्री
ध्वनि	पु	स्त्री
निधि	पु	स्त्री
पराजय	पु	स्त्री
मणि	पु	स्त्री
महिमा	पु	स्त्री
मार	पु	स्त्री
मीनार	पु	स्त्री
मृत्यु	पु	स्त्री
लगाम	पु	स्त्री
वायु	पु	स्त्री
विजय	पु	स्त्री
विधि (प्रकार)	पु	स्त्री
हीग	पु	स्त्री
बर्फ	पु	स्त्री
सर्कस	स्त्री	पु
बैंक	स्त्री	पु
पार्क	स्त्री	पु
बाग	स्त्री	पु
दुकान	नं.पु	स्त्री
दर	पु	स्त्री

9. वाक्यांश—वाक प्रचार

हिंदी में कुछ वाक्यांश, कुछ क्रियाओं के प्रयोग प्रचलित हैं। मराठी के प्रभाव से गलत प्रयोग होता है।

तो परीक्षेला बसला। वह परीक्षा में बैठा। गलत

वह परीक्षा में सम्मिलित हुआ। उसने परीक्षा दी। सही

नोकर दाराशी उभा होता। नौकर दरवाजे के पास खड़ा था।

नौकर दरवाजे पर खड़ा था।

फाइल काढली। फाइल निकाली। गलत

फाइल खोली सही

हरकत घेतली। आपत्ति ली। गलत

आपत्ति उठाई। सही

कारंवाई घेतली। कारंवाई ली। गलत

कारंवाई की। सही

2054 HA/88—4

फोटो काढला	फोटो निकाला।	गलत
	फोटो खींचा ।	सही
रेघ मारली	लाइन मारी।	गलत
	लाइन खींची।	सही
ताट वाढल	थाली बढ़ाई।	गलत
	थाली सजाई। थाली लगाई।	सही
कुंकू वाढवलं	सिंदूर बढ़ गया।	गलत
	सिंदूर पोंछा गया। सिंदूर मिट गया ।	सही
बांगड़ी वाढवली	कंगन बढ़ाया।	गलत
	कंगन टूट गया।	सही
हांक मारली	आवाज मारी।	गलत
	आवाज दी। आवाज लगाई।	सही
धीर देणें	धीरज देना।	गलत
	धीरज बंधाना।	सही
आकस देणे	अंगड़ाई देना	गलत
	अंगड़ाई लेना	सही
दुकान बद करणें	दुकान बंद करना	गलत
	दुकान बढ़ाना ।	सही
दिवा विझवणें	दीपक बुझाना।	गलत
	दीपक बढ़ाना।	सही
चक्कर मारणे	चक्कर मारना।	गलत
	चक्कर काटना ।	सही
बाजार भरणें	बाजार भरना।	गलत
	बाजार लगना।	सही
तिकिट काढणें	टिकट निकालना।	गलत
	टिकट कटवाना।	सही
रंग जाणे	रंग जाना।	गलत
	रंग छूटता है।	सही
फल वाहणे	फूल बहाना।	गलत
	फूल चढ़ाना (उसी तरह भोग चढ़ाना)	सही
आरती करणे	आरती करना।	गलत
	आरती उतारना।	सही
जाऊन येणे	जाकर आना।	गलत
	होकर आना।	सही
झाडू मारणें	झाड़ू मारना।	गलत
	झाड़ू लगाना।	सही
बिछाना टाकणें	बिस्तर डालना।	गलत
	बिस्तर लगाना।	सही
चादर पांघरणे	चादर पहनना। चादर से ढकना	गलत
	चादर ओढ़ना।	सही
साड़ी नेसणें	साड़ी पहनना	गलत
	साड़ी बांधना	सही

कपड़े घालणें	कपड़े रखना । कपड़े डालना ।	गलत
	कपड़े पहनना ।	सही
अंधार पडला	अंधेरा गिरा ।	गलत
	अंधेरा छाया ।	सही
जोडे काढणे	जूता निकालना ।	गलत
	जूता उतारना ।	सही
हवा घालणें	हवा डालना ।	गलत
	हवा करना ।	सही
चित्र काढणे	चित्र काढना । चित्र निकालना ।	गलत
	चित्र खींचना ।	सही
रांगोली काढणे	रंगोली काढना । रंगोली निकालना ।	गलत
	रंगोली सजाना ।	सही
फोटो काढणे	फोटो काढ़ना ।	गलत
	फोटो खींचना ।	सही
तार करणें	तार करना ।	गलत
	तार देना ।	सही
सिगरेट ओढणें	सिगरेट ओढ़ना ।	गलत
	सिगरेट पीना ।	सही

10. ध्वन्यात्मक शब्द तथा अन्य

झरना कलकल (मराठी झुलझुल) बहता है ।
हवा सनसन् (सुई सुई) चलती है ।
चिड़िया चहचहाती है (किचकिचणे)
गाय रंभाती है । (हंबरणें)
कुत्ता भोंकता है । (भुंकता)
हाथी चिंघाड़ता है । (हत्ती ओरडतो)
शेर दहाड़ता है । (वाघ डरकाली फोडतो)
बकरी मिमियाती है । (मं मं करते)
मुर्गा बांग देता है । (आरवतो)
ऊंट बिलबिलाता है । (ओरडतो)
घोड़ा हिनहिनाता है । (खिंकालतो)
गधा रेंकता है । (ओरडणे)
मेंढ़क टर्राता है । (ड्रांव ड्रांव करणे)

वर्तनी समान परंतु अर्थ अलग

हिंदी और मराठी में कुछ शब्द समान हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न-भिन्न हैं । इससे प्रयोग में गलती होती है ।

	मराठी में अर्थ	हिंदी में अर्थ
प्रमाण	Measurement, Quality	Proof
अभ्यास	Study	Practice
संशोधन	Research	Amendment
स्वास्थ्य	Prosperity	Health
स्वस्थ	Idle	Healthy
संरचना	Form, structure	Pain

	मराठी में अर्थ	हिंदी में अर्थ
निरीक्षण	Observation	Inspection
प्रेक्षण	Perusal/Seeing	Observation
दर्शन	Seeing	Seeing/Philosophy
दर्शक	One who shows	Spectator
प्रेक्षक	Spectactor	Observer
निरीक्षक	Observer	Inspector

	मराठी में अर्थ	हिन्दी में अर्थ
देवता	Goddess	God
व्याख्या	Definition	(With) Explanation
संधि	Opportunity	Treaty
तह	Treaty	Fold
घडी	Fold	Watch
खड़ियाल	Watch	Crocodile
जरूरी	Necessity	Necessary
साक्षात्कार	Seeing God	Interview
संस्थान	Kingdom	Institute
शिक्षा	Punishment	Education
शिक्षण	Education	Teaching
संसार	Family	World
चष्टा	Fun	Effort
प्रत	Dead Body	Ghost
कलेवर	Dead Body	Part
निवेदन	Statement	Request
प्रवास	Travel	Temporary stay at foreign place. Sojourn
उत्तेजना	Encouragement	Excitement
यश	Fame	Success
काढ़ना	To take out	Embroider
ओढ़ना	To drag	To wear
निर्देशक	Director	Indicator/Directive
यात्रा	Pilgrimage	Travel
खस्ता	Taking care Painstakingly	Crisp
हरकत	Objection	Bad deed
साहित्य	Material/literature	Literature
निर्माण	Creation	Works
तमाशा	Erotic folk Presentation	Fun
मोर्चा	Procession	Front
ऊन	Sunlight	Wool
खत	Wound	Letter
तो	He	Them
सहसा	generally	Suddenly
पत्रा	Tin-sheet	Almac
ऊब	Warmth	Boredom
खाऊ	Sweets	Gourmet
उतारु	Traveller	Bent on

	मराठी में	हिन्दी में
ओला	Wet	Hail-stone
चिकित्सा	Diagnosis	Treatment
ताई	Sister	Elder Aunt
तालीम	Gymnasium	Education
तेरा	Thirteen	Your
ही	She	Only
पीठ	Flour	Back
पोर	Child	One part of finge
यातायात	trouble	Traffic
लाट	Wave	Pillar
वर्दी	Announcement of somebody's arrival	Livery
टीका	Criticism/Abuse	Note/Teeka
डगर	Rock near the river	Road
तरी	Even Though	Weight/Shorba
तर्क	Guess	Argument
अर्थात्	Of course	That means
सरदी	Cold	Winter
रूई	Aak	Cotton

11.1 **अपना का प्रयोग :** हिंदी में वह उसका, तुम तुम्हारा कहने का रिवाज नहीं है। मैं अपना, तुम अपना, वह अपना, वे अपना—सबके लिये अपना का ही प्रयोग होता है। मराठी में यह न होने के कारण मराठी भाषी, मैं मेरा, तुम तुम्हारा आदि इस प्रकार की गलती करते हैं।

11.2 मराठी में "आपाल" शब्द है। उसके कारण वह आपने घर गया इस तरह अ को दीर्घ करने की गलती मराठी भाषी करते हैं।

12. वाक्य रचना

12.1 (1) मी येतांच तो घरीं गेला (मराठी)
मेरे आते ही वह घर गया। (हिन्दी)

(2) सरला गेल्यानंतर आपण या (मराठी)
सरला के जाने के बाद आप आइए (हिन्दी)

(3) साहेब आल्यावर धांवपळ सुरु झाली (मराठी)
साहब के आने पर दौड़धूप शुरू हो गई (हिन्दी)

मराठी भाषी 'के' जोड़ना भूल जाते हैं।

12.2. प्रेमचन्द ने उपन्यास लिखा। वह मैंने पढ़ा।
प्रेमचन्द ने लिखा उपन्यास मैंने पढ़ा (मराठी के प्रभाव के कारण गलत)

(प्रेमचंदांनीं लिहिलेली कादंबरी वाचली) मराठी

(प्रेमचंद का लिखा उपन्यास मैंने पढ़ा) हिंदी सही

12.3 मराठी में "नहीं" से वाक्य समाप्त होता है। हिन्दी में क्रिया के पहले "नहीं" शब्द आता है।

वह जाता नहीं। (तो जात नाहीं—मराठी)

वह नहीं जाता (हिन्दी)

वे नहीं जातीं। हिंदी (यहाँ मराठी भाषी बिंदी भूल जाते हैं)

12.4 मैं जाता हूं। का भाषांतर अधिकतर "मी जात आहे" मैं जा रहा हूं, से किया जाता है।

12.5 तुम और आप के प्रयोग में गलती। मराठी में तुम्हीं आदर सूचक होने के कारण मराठी भाषी "तुम" का प्रयोग 'आप' की

12.6 "तुमको क्या मंगता है" इसका गलत प्रयोग "तुमको क्या चाहिए के लिए किया जाता है।

12.7 भाषा का अध्ययन 'यह' एक महत्वपूर्ण बात है। मराठी के प्रभाव से अनावश्यक 'यह' का प्रयोग मराठी भाषी प्रायः करते पाये जाते हैं।

13.1 राजा, पिता, श्रोता, वक्ता, भ्राता, योद्धा, आदि का बहुवचन मराठी में राजे, पिते, श्रोते, वक्ते, भ्राते, योद्धे आदि होता है। अतः मराठी भाषी हिंदी में भी बहुवचन में उन्हीं रूपों का प्रयोग करते हैं।

इस तरह दोनों भाषाओं में जो असमानताएं हैं उनके प्रभाव से गलतियाँ होती हैं।

परिशिष्ट

मराठी भाषी ह्रस्व इकरान्त उकरान्त शब्द प्रायः दीर्घ ईकारान्त और ऊकरान्त लिखते है।

	सही वर्तनी	मराठी भाषियों की गलती
3.3.	अनीति	अनीती
	अधोगति	अधोगती
	अवधि	अवधी
	अग्नि	अग्नी
	अंजलि	अजंली
	अति	अती
	अतिथि	अतिथि

सही वर्तनी	गलत वर्तनी
अपकीर्ति	अपकीर्ती
कृति	कृति
कृषि	कृषी
कीर्ति	कीर्ती
गति	गती
धूलि	धूली
तिथि	तिथी
पाणि	पाणी
पति	पती
प्रगति	प्रगती
प्रशस्ति	प्रशस्ती
प्रतिनिधि	प्रतिनिधी
प्रवृत्ति	प्रवृत्ती
मति	मती
भूमि	भूमी
यति	यती
विधि	विधी
वृत्ति	वृती
वाल्मीकि	वाल्मीकी
वृद्धि	वृद्धी
स्तुति	स्तुती
संधि	संधी
सृष्टि	सृष्टी
सिद्धि	सिद्धी
संस्तुति	संस्तुती
समाप्ति	समाप्ती
सारथि	सारथी
सुरभि	सुरभी
संगति	संगती
संतति	संतती
संस्कृति	संस्कृती
क्षति	क्षती
शांति	शांती
शुद्धि	शुद्धी
शशि	शशी

3.4	सही वर्तनी	गलत वर्तनी
1	2	3
	अणु	अणू
	केतु	केतू
	कितु	कितू
	कृपालु	कृपालू
	धेनु	धेनू
	चक्षु	चक्षू
	तथास्तु	तथास्तू
	तंतु	तंतू
	परंतु	परंतू
	बिंदु	बिंदू
	बंधु	बंधू
	मनु	मनू
	दयालु	दयालू
	धातु	धातू
	वेणु	वेणू
	वपु	वपू
	श्रद्धालु	श्रद्धालू
	हिंदु	हिंदू
	दूसरी	दुसरी
	तीसरी	तिसरी
3.5.1.	कवि	कवी
	छवि	छवी
	रवि	रवि
	आदि	आदी
3.6.	संबंधित	संबंधीत
	मुदित	मुदीत
	अनुमोदित	अनुमोदीत
	सीमित	सीमीत
	प्रमाणित	प्रमाणीत
	प्रसारित	प्रसारीत
	वांछित	वांछीत
	निर्धारित	निर्धारीत
	प्रोत्साहित	प्रोत्साहीत
	उल्लिखित	उल्लेखीत
	लिखित	लिखीत
	संचालित	संचालीत
	संकलित	संकलीत
	स्वयंचलित	स्वयंचलीत
	संचारित	संचारीत
	संकरित	संकरीत

	सही वर्तनी	गलत वर्तनी
1	2	3
	प्रचलित	प्रचलीत
	प्रस्तावित	प्रस्तावीत
	जीवित	जीवीत
	आश्रित	आश्रीत
	अंकित	अंकीत
	अंकुरित	अंकुरीत
	गृहित	गृहीत
3.7.	अधिक	अधीक
	ऐतिहासिक	ऐतिहासीक
	जागतिक	जागतीक
	पारिभाषिक	पारिभाषीक
	पौराणिक	पौराणीक
	प्रामाणित	प्रामाणीत
	राजनीतिक	राजनीतीक
	वैज्ञानिक	वैज्ञानीक
	शारीरिक	शारीरीक
	सर्वाधिक	सर्वाधीक
	सामाजिक	सामाजीक
	सांस्कृतिक	सांस्कृतीक
3.8.	दूसरी	दुसरी
	तीसरी	तिसरी
	मंदिर	मंदीर
	महीना	महिना
	टीका	टिका
	पुर	पूर
3.9.	ह्रस्व	हृस्व
	चिह्न	चिन्ह
	ब्रह्म	ब्रम्ह
	ब्राह्मण	ब्राम्हण
	पूर्वाह्न	पूर्वान्ह
	अपराह्न	अपरान्ह
3.10.	अधिकारियों ने	अधिकारीयों ने
	लड़कियों को	लड़कीयों को
3.11.	अच्छी	अच्छि
	अंशुमती	अंशुमति
	मेधावी	मेधावि
3.12.	कि	की
	की	की/कि
4.1.	बैंक	बँक
	कँपकँपी	कैंमकैम्पी
	बँटना	बंटना/बैंटना

1	2	3
4.2.	कंस	कन्स
	संस्कृत	सन्स्कृत
	हंस	हन्स
	अंश	अन्श
4.3.	में	में
	मैं	मै
	नहीं	नहीं
	उन्हें	उन्हे
	जिन्हें	जिन्हे
	किन्हें	किन्हे
	तुम्हें	तुम्हे
	हमें	हमे
4.4.	पुस्तकें	पुस्तके
	वस्तुएँ	वस्तुए
	चीजें	चीजे
	रातें	राते
	बातें	बाते
4.5.	करूँ	करू
	जाएँ	जाए
4.6.	करेगा	करेंगा
	करोंगे	करोंगे
	जाएँगे	जाएगें
	करेंगे	करेंगे
	पौधा	पौधा
4.7.	पाँचवा	पांचवा
	पांचवीं	पांचवी
	ग्यारहवाँ	ग्यारहवा
	ग्यारहवीं	ग्यारहवी
5.1.	खुश	खूष
	खुशी	खुषी
	चश्मा	चष्मा
	दुश्मन	दुष्मन
	रिक्शा	रीक्षा
	पोशाक	पोषाख
	लश्कर	लष्कर
5.2.	कोशिश	कोशीश
	कशिश	कशीश
	ख्वाइश	खाईश
	गुंजाइश	गुंजाईश
	मालिश	मालीश
	नालिश	नालीश
	गर्दिश	गर्दीश
	नुमाइश	नुमाईश
6.1.	राम ने	रामनें
6.2.	रामको	रामको
	उसने	उस ने

—सहायक निदेशक, हि. शि. यो.
राजभाषा विभाग, भारत सरकार
5, फिनान्स रोड, पुणे-1

पृष्ठ 8 का शेषांश

में लगे हुए सब प्रकार के लोग भी हिंदी भाषा में रुचि लेते हैं। बड़े-बड़े व्यापारी लोग अपने कार्यालय में हिन्दी और अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं।

तमिलनाडु की जनता जानने लग गई है कि हिन्दी देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती है। हमें इस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए। हिन्दी दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा है। हिन्दी जानने वाला आदमी संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है। हिन्दी में काम करना आसान है। हिन्दी के सम्मान से भारत का सम्मान होगा। हिंदी के विरोध का कोई भी आन्दोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। मातृभाषा हमारी माँ है और राष्ट्र-भाषा बड़ी माँ है। हमें इसका आदर करना चाहिए।

स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बराबर कहा था कि अंग्रेजी वाले बहुत थोड़े लोग हैं और अंग्रेजी को प्रश्रय देना न व्यावहारिक है, न ही देश के लिए हितकर है। देश को भाषायी दृष्टि से जोड़ने की हिन्दी ही एक मजबूत कड़ी है। हिंदी को किसी पर थोपने की बात निराधार है। सभी भारतीय भाषाएं उन्नति व प्रगति करें और कड़ी के रूप में हिंदी देश की एकता को मजबूत बनाएं।

मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि अहिन्दीभाषी हिंदी अपनाने में संकोच इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यह डर है कि उनकी रोजी-रोटी खतरे में पड़ जाएगी। परन्तु उनकी यह धारणा निर्मूल है। हिंदी भाषियों को चाहिए कि कोई दक्षिण भारतीय भाषा सीख कर उनकी उक्त आशंका दूर करें।

हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने भी कहा है कि किसी भाषा का विकास तब होता है जब वह जन साधारण के हृदय में स्थान पाती है। हमने अपने संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए हमें देखना है कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक प्रयोग हो।

भारतीय साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन: शोधसंस्थान की आवश्यकता एवं संभावनाएं

□डॉ० के० लीलावती
प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी

भारत अनेक धर्म, जाति, वर्ग तथा भाषाओं का देश है। फिर भी कदाचित यह पार्थक्य आत्मा का नहीं है। जिस प्रकार अनेक धर्मों, विचारधाराओं और जीवन प्रणालियों के रहते हुए भी भारतीय संस्कृति की एकता स्पष्ट है, उसी प्रकार अनेक भाषाओं तथा अभिव्यंजना पद्धतियों के रहते हुए भी, भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता का अनुसंधान भी सहज संभव है। भारतीय साहित्य का प्राचुर्य और वैविध्य तो अपूर्व है ही, उसकी यह मौलिक एकता और भी रमणीय है। यहां इस एकता के आधार तत्वों का विश्लेषण तथा तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उनका समन्वयन आवश्यक है।

एतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत की सभी प्रमुख भाषाओं का अपना समृद्ध साहित्य है जो वैविध्य, गुण एवं परिमाण की दृष्टि से अत्यन्त सक्षम है। इनमें से प्रत्येक साहित्य का अपना स्वतंत्र और प्रखर वैशिष्ट्य है जो अपने प्रदेश के व्यक्तित्व से मुद्रांकित है।

यद्यपि कुछ विद्वानों के अनुसार भारत के भाषा परिवार अलग अलग हैं तथापि उन का साहित्यिक आधार प्रायः समान है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत, संस्कृत का आभिजात्य साहित्य अर्थात् कालिदास, भवभूति, बाण, श्री हर्ष, अमरूक और जयदेव आदि की अमर कृतियां पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश में लिखित बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्मों का साहित्य, भारत की समस्त भाषाओं को उत्तराधिकार में मिला है। वास्तव में आधुनिक भारतीय भाषा साहित्य के लिये ये विभूतियां प्रेरणा स्रोत हैं। इनका प्रभाव निश्चय ही अत्यन्त समन्वयकारी रहा है और इस से प्रभावित साहित्यों में एक प्रकार की मूलभूत एकता एवं समानता स्वतः ही आ गई है। भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विकास क्रम के कारण एक प्रकार की मूलभूत समानता स्वतः ही आ गई है। बीच बीच में व्यवधान होने पर भी भारत में शताब्दियों तक समान राजनीतिक व्यवस्था रही है। मुगलों के शासन काल में भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में घनिष्ठ संपर्क बना रहा। यह संपर्क मुगलों की सत्ता खंडित हो जाने के बाद भी टूटा नहीं। मुगलों के पश्चात् अंग्रेजों ने भी केन्द्रीय शासन व्यवस्था कायम कर, इस एकता को और भी सुदृढ़ बनाया। इन्हीं सब कारणों से भारत के विभिन्न भाषा भाषी प्रदेशों की, राजनीतिक परिस्थितियों में पर्याप्त साम्य परिलक्षित होने लगा।

राजनीतिक परिस्थितियों की अपेक्षा सांस्कृतिक परिस्थितियों का साम्य और भी अधिक रहा है। प्राचीन और मध्यकाल में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक आन्दोलन ऐसे हुए जिनका भारतव्यापी प्रभाव रहा। बौद्ध धर्म के ह्रास के युग में उस की कई शाखाएं हुई और शैव-शाक्त धर्मों के संयोग से नाथ-संप्रदाय उठ खड़ा हुआ जो ईसा के द्वितीय सहस्राब्द के आरंभ में, उत्तर में तिब्बत आदि तक, दक्षिण में पूर्वी घाट के प्रदेशों में, पश्चिम में महाराष्ट्र आदि तक तथा पूर्व में प्रायः सर्वत्र फैला हुआ था। इस के बाद इस उत्तराधिकारी संत संप्रदायों और नवागत मुसलमानों के सूफी मत का प्रसार देश के विभिन्न भागों में होने लगा। संत-संप्रदाय वेदांत दर्शन से प्रभावित थे और निर्गुण भक्ति की साधना में निरन्तर लगे रहते थे। सूफी धर्म में भी निराकार ब्रह्म की ही उपासना थी, किंतु उसका माध्यम था उत्कट प्रेमानुभूति। इस के साथ साथ वैष्णव आंदोलन का आरंभ हुआ जो देश भर में बड़े वेग से व्याप्त हो गया। राम और कृष्ण की भक्ति की अनेक मधुर पद्धतियों का देश भर प्रसार हुआ और समस्त भारतवर्ष सगुण ईश्वर के लीला-गान से गूंज उठा।

अब तक भारतीय वाङ्मय की केवल विषय वस्तुगत अथवा रागात्मक एकता की ओर ही संकेत किया गया है, किन्तु काव्य शैलियों और काव्य रूपों की समानता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत के प्रायः सभी साहित्यों में संस्कृत से प्राप्त काव्य-शैलियां-महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक, कथा, आख्यायिका आदि के अतिरिक्त अपभ्रंश परम्परा की अनेक शैलियां जैसे चरितकाव्य, प्रेमभाषा शैली, रास, पद-शैली आदि प्रायः समान रूप में मिलती हैं। अनेक वर्णिक छंदों के अतिरिक्त अनेक देशी छंद - दोहा, चौपाई आदि भी भारतीय वाङ्मय के लोकप्रिय छंद हैं। आधुनिक युग में पश्चिम के अनेक काव्य रूपों और छंदों का जैसे प्रगीत - काव्य और उसके अनेक भेद, मुक्त छंद, संबोधन गीत, शोक गीत, गद्य गीत आदि का प्रचार भी सभी भाषाओं में हो चुका है। इस प्रकार संपूर्ण भारतीय साहित्य में प्राप्त काव्य रूपों तथा काव्य शैलियों में भी आश्चर्यजनक समानता दृष्टिगोचर होती हैं। यह तथ्य भाषा के संबंध में भी सत्य है। सभी भारतीय भाषाओं पर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राचीन स्वदेशी भाषाओं का ध्वनि, शब्द, रूप तथा वाक्य संरचना की दृष्टि से जो प्रभाव पड़ा है उस में भी पर्याप्त समानता है।

भारत के आधुनिक साहित्य के विकासक्रम में भी नितांत समानता परिलक्षित होती है। विदेशी धर्म प्रचारकों और शासकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति के साथ संपर्क एवं संघर्ष और उस के पुनर्जागरण

युग का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा से साहित्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का उत्कर्ष, साहित्य में नीतिवाद एवं सुधारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया और नई रोमानी सौंदर्य-दृष्टि का उन्मेष, चौथे दशक में साम्यवादी विचारधारा के प्रचार से द्वंदात्मक भौतिकवाद का प्रभाव, इलियट आदि के प्रभाव से नए जीवन की बौद्धिक कुंठाओं और स्वप्नों को शब्द रूप देने के नए प्रयोग, स्वतंत्रता के बाद विश्व-कल्याण की भावना से प्रेरित राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विस्तार और अन्त में व्यापक संत्रास तथा मोहभंग—यही संक्षेप में आधुनिक भारतीय वाङ्मय के विकास की रूपरेखा है जो सभी भाषाओं में समान रूप से लक्षित होती है।

यह विश्वास करना कठिन नहीं है कि भारतीय वाङ्मय, अनेक भाषाओं में एक ही विचारधारा की अभिव्यक्ति है। अनादिकाल से भारत में एक ही विचारधारा, एक ही जीवनदर्शन परिलक्षित होता आ रहा है। यहां पर सांस्कृतिक चेतना पहले उत्पन्न हुई राजनीतिक चेतना बाद को जन्मी हो परन्तु देश का यह दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक विदेशी प्रभाव के कारण विघटनकारी तत्वों को ही बल मिलता रहा है। भाषा साहित्यों के माध्यम से इसकी मूलवर्ती एकता का सम्यक् अनुसंधान अभी होना है। इसके लिये अत्यन्त निस्संग भाव से, सत्यशोध पर दृष्टि केन्द्रित रखते हुए भारत के विभिन्न साहित्यों में विद्यमान समान तत्वों एवं प्रवृत्तियों के विधिवत् अध्ययन की नितांत आवश्यकता है। आज के संदर्भ में यह कार्य हमारे अध्ययन और अनुसंधान की प्रणाली में परिवर्तन की अपेक्षा करता है। किसी भी प्रवृत्ति का अध्ययन केवल एक भाषा के साहित्य तक ही सीमित रखना उचित नहीं है। वास्तव में इस प्रकार का अध्ययन अपूर्ण रहेगा। उदाहरण के लिये माधुर्य भक्ति का अध्येता यदि अपनी परिधि को केवल हिन्दी या बंगला तक ही सीमित कर ले तो वह सत्य शोध की दृष्टि से अपूर्ण रहेगा। उसे अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में प्रवाहित मधुर भक्ति की धाराओं को भी आत्मसात् करना होगा। जैसे गुजराती, उड़िया, असामिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि सभी साहित्यों की भावधाराएं मधुर रस से आप्लावित हैं। भारतीय भाषाओं के रामायण और महाभारत आदि काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन न जाने कितनी समस्याओं को अनायास ही सुलझा कर रख देता है। इस अंतः साहित्यिक शोध - प्रणाली के द्वारा भारतीय साहित्य की अनेक लुप्त कड़ियां अनायास ही मिल जाएंगी, अनगिनत जिज्ञासाओं का सहज ही समाधान हो जायेगा और भारतीय चिंतनधारा एवं रागात्मक चेतना की अखंड एकता का उद्घाटन हो सकेगा।

तुलनात्मक अध्ययन एव शोध-संस्थानों की आवश्यकता

उक्त कार्य जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिनतर भी है। सबसे पहली कठिनाई तो भाषा की है। अभी तक अधिकांश भारतीय अनुसंधाताओं का ज्ञान प्रायः अपनी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी और संस्कृत तक ही सीमित है। अन्य प्रादेशिक भाषाओं से उसका प्रायः परिचय नहीं है। पर यह बाधा दुर्निवार नहीं है। व्यवस्थित प्रयास द्वारा इस का निवारण हो सकता है। कुछ भाषा वर्ग तो ऐसे हैं जिन में अयल्प अभ्यास से काम चल सकता है, जिनमें रूपान्तर, यहां तक कि लिप्यन्तर भी आवश्यक नहीं है। जैसे बंगला और असमियां, या हिन्दी और मराठी, या तेलुगु और कन्नड कि कुछ शब्दों अथवा शब्द रूपों के अर्थ आदि लेकर काम चल सकता है। हिन्दी, उर्दू और पंजाबी में लिप्यन्तर और कठिन शब्दार्थ से समस्या सुलझ सकती है। यही बात हिन्दी और गुजराती तथा तमिल और मलयालम के विषय में प्रायः सत्य हैं। अन्य भाषाओं के लिए अनुवाद का आश्रय लिया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक अनुसंधान, अतः सगोष्ठियां आदि की सम्यक व्यवस्था द्वारा भी परस्पर आदान प्रदान की सुविधा हो सकती है।

यह सत्य है कि जब से हिन्दी राजभाषा बनी है, उसके साथ साथ उसकी समस्यायें भी बढ़ी। प्रशासन की भाषा, विश्वविद्यालय का शिक्षा-माध्यम, न्यायालय की भाषा और पब्लिक सर्विस कमीशन की भाषा कौन-सी हो आदि बातों पर मतैक्य नहीं है। संक्रांति काल में प्रादेशिक भाषाओं को समृद्ध बनाने के लिए साहित्यिक आदान प्रदान की एवं तुलनात्मक अध्ययन की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रादेशिक भाषाओं के उत्तम ज्ञान-भंडार के रूपान्तर द्वारा हिन्दी को सुसम्पन्न कर इसे परिपुष्ट बनाना होगा। इस कार्य को सुसम्पन्न करने के लिए राजभाषा और प्रादेशिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन अनिवार्य है। दोनों साहित्यों की विशेषताओं एवं विशिष्टिताओं से परिचित होने पर ही एक भाषा एवं साहित्य की उत्तम कृतियों को दूसरी भाषा एवं साहित्य में लाने का प्रयत्न किया जा सकता है। अतः दोनों भाषाओं एवं साहित्यों से संबंधित गवेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन अनिवार्य-सा हो गया है। इस दृष्टि से देश की एकता के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं एवं साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। आज देश में इस प्रकार की चेतना प्रबद्ध हो गई है और कतिपय संस्थाएं इस दिशा में कार्यरत हैं। किन्तु अभी तक यह अनुष्ठान आरंभिक अवस्था में ही हैं। इसके लिए जैसे एक व्यापक एवं संगठित प्रयत्न की अपेक्षा है, वैसा आयोजन अभी तक आरंभ नहीं हुआ है।

भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए सांस्कृतिक एकता का आधार अनिवार्य है और सांस्कृतिक एकता का सब से दृढ़ एवं स्थायी आधार है साहित्य। किसी एक अनुसंधाता के लिए यह संभव नहीं है कि वह देश की सभी प्रादेशिक भाषाओं एवं उनके साहित्य का ज्ञान अर्जित कर सके। इस दिशा में प्रथम सोपान होगा कि किन्हीं दो भाषाओं की समान प्रवृत्तियों के अखिल भारतीय स्तर पर अध्ययन के लिए उपयुक्त साधन जुटाने होंगे। इस के साथ हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के विद्वानों के सम्मिलित प्रयास की व्यवस्था समय समय पर निश्चित स्थान पर करना भी आवश्यक है।

2054 HA/88—5

भारतीय साहित्य की इस अवधारणा के लिए विभिन्न भारतीय साहित्यों के बीच आदान प्रदान, तुलनात्मक अध्ययन करने की नितान्त आवश्यकता है। प्रत्येक भारतीय भाषा के साहित्यिक शोधकर्ता को चाहिए कि वह भाषा दीवारों को तोड़कर भारतीय आत्मा में समान रूप से निक्षिप्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक धाराओं से परिचय प्राप्त करें। तभी शोध एवं अनुसंधान के माध्यम से महत्वपूर्ण परिणाम निकल सकते हैं।

उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन एवं शोध संस्थान की स्थापना आवश्यक है।

1 शोध संस्थान के मुख्य उद्देश्य

1. भारतीय साहित्य का निर्माण

जब हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना है तो हमें चाहिए कि संस्थान के द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषा-साहित्यों की प्रमुख रचनाओं को हिन्दी में रूपांतरित करें। साथ ही यह भी आवाश्यक है कि प्राचीन मध्य एवं आधुनिक काल में प्रत्येक भाषा में विकसित विशिष्ट रचनाओं का तत्कालीन प्रादेशिक पृष्ठभूमि के आधार पर हिन्दी में उनका विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाए। इससे भारतीय साहित्य के निर्माण से अध्ययन एवं अनुसंधान की दिशा में समन्वयपूर्ण परिणाम निकल सकते हैं।

सीमित मात्रा में ही सही कुछ राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से आधुनिक भारतीय साहित्य की प्रमुख रचनाओं का आदान प्रदान का कार्य चल रहा है। यह अनुवाद कार्य समग्र एवं सुव्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है। खासकर किसी एक भारतीय भाषा की रचना को पहले अंग्रेजी में अनूदित करवाकर फिर उसे अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित करवाने की प्रथा चल रही है। इससे मौलिक रचनाओं में जो सूक्ष्म भावनाएं होती हैं उन्हें अंग्रेजी के माध्यम से अन्य भाषा में अभिव्यक्त करना कठिन है। इस कारण मौलिक रचनाओं में निक्षिप्त सौन्दर्य का ह्रास हो जाता है, दूसरी तरफ भारत की जो अखंड सांस्कृतिक परम्परा है उसका भिन्न रूप ही अनूदित रचना में पाया जाता है। इसलिए अनिवार्यतः भारतीय साहित्य के आदान-प्रदान के संदर्भ में हिन्दी को ही सशक्त माध्यम के रूप में उपयोग कर लेना चाहिए। आज का समय वैसा नहीं रहा है, जैसा जब प्रेमचन्द जी को अपनी 'हंस' पत्रिका में अन्य भारतीय भाषाओं की साहित्यिक रचनाओं को हिन्दी में रूपान्तरित करवाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज हर एक भाषा के ऐसे अनेक योग्य विद्वान एवं अनुवादक हैं जो किसी भी भारतीय भाषा की रचना को हिन्दी में सफलतापूर्वक अनुवाद कर सकते हैं। उन सभी योग्य विद्वानों का सक्रिय सहयोग लेना भी इस संस्थान का प्रमुख लक्ष्य है।

2. शोध एवं अनुसंधान

आजकल भारत के विश्वविद्यालयों में हिन्दी के साथ अन्य भारतीय भाषा एवं साहित्य के अनेक विषयों पर तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। यह कार्य केवल हिन्दी के माध्यम से ही चल रहा है। आदान-प्रदान की दृष्टि से राष्ट्र भाषा हिन्दी साहित्य के वैशिष्ट्य को, अन्य भारतीय भाषाओं में निहित एकरूपता एवं समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से भी भाषा साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। हिन्दी तथा भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्राप्त तुलनात्मक शोध तथा अनूदित ग्रंथों के साथ साथ उनके उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रथों तथा पत्र-पत्रिकाओं के संकलन युक्त एक बृहद् ग्रंथालय की व्यवस्था अपेक्षित है। इसी प्रकार संपूर्ण भारतीय भाषा एवं साहित्यों को एक ही इकाई के रूप में लेकर उसके सभी अंशों पर गंभीर शोध एवं अनुसंधान कर भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता निरूपित करने के साथ साथ उसके आधार पर समग्र भारतीय साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करना इस संस्थान का दूसरा उद्देश्य है।

3. भारतीय साहित्य का प्रकाशन एवं प्रसार

हिन्दी के माध्यम से सभी प्रादेशिक भाषाओं के उत्तम साहित्य का हिन्दी में रूपान्तरण के द्वारा भारतीय साहित्य का प्रचार करना भी नितांत आवश्यक है। इस दिशा में अभी तक कोई भी संस्था ठीक कार्य नहीं कर पा रही है। साहित्य का प्रचार एवं प्रसार अनेक प्रकार से किया जा सकता है जो इस प्रकार है—

(1) प्रादेशिक साहित्य के रूपान्तरण के द्वारा जो भारतीय साहित्य का निर्माण प्रस्तुत किया जाएगा, उनका प्रकाशन एवं प्रसार आवश्यक है।

(2) ऐसे प्रकाशत ग्रंथों के आधार पर जो तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान किया जाता है उन के आधार पर भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की मूलभूत एकता को प्रतिष्ठित करते हुए भारतीय साहित्य का जो इतिहास प्रस्तुत किया जायेगा, उस का प्रकाशन एवं प्रसार भी आवश्यक है।

3. संस्थान में अनुवाद एवं शोध के परिणामों को समय समय पर सभी के समकक्ष रखने के लिए एक शोध-पत्रिका का प्रकाशन एवं प्रसार आवश्यक है।

उक्त लक्ष्यों की पूर्ति के द्वारा विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि भारतीय भाषा-साहित्यों के शोध-कर्ताओं को अपने कार्य में, दुहरापन से छुटकारा मिल सकेगा और परिणाम की दिशा में प्रगति भी प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही साथ भारतीय कला एवं संस्कृति के मूलभूत तत्वों का उद्घाटन और निरूपण भी संभव है।

फर्स्ट क्रास रोड, विद्यानगर
विशाखापतनम-530003

इंजीनियरी शिक्षा में हिन्दी माध्यम

□ वे शेषन

प्रस्तुत लेख में श्री वे. शेषन ने देश की उच्च तकनीकी शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में मौलिक चिंतन की सामग्री उपलब्ध कराई है। मनीषी और विचारक अब गंभीरता से सोच रहे है कि उच्च तकनीकी शिक्षा का माध्यम हिन्दी बनेगी, उतनी ही देश में विज्ञान के क्षेत्र में हमारी मौलिकता और सृजनात्मकता बढ़ेगी। इसी संदर्भ में आगामी पृष्ठों में प्रस्तुत हैं कुछ मौलिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख जिनसे इस चिंतनधारा की पुष्टि हो सकेगी। यदि उच्चतम तकनीकी शिक्षा का माध्यम भी हिन्दी हो जाए तो वैज्ञानिकों की क्षमता में गुणात्मक वृद्धि की अपेक्षा की जा सकेगी।—सं.)

भारतवर्ष में कई वर्षों से इंजीनियरी शिक्षा, चाहे डिप्लोमा के लिए हो या डिग्री के लिए, अंग्रेजी में ही होती रही है। क्योंकि हमारा देश गुलाम रहा है और हमारे पूर्वजों ने इंजीनियरी क्षेत्र में जो कार्य करके दिखलाया है, उससे उस समय की पीढ़ी बिलकुल, अवगत नहीं थी। हमारे देश में स्थान स्थान पर बहुत पुरानी इंजीनियरिंग की वस्तुएं देखने को मिलती है, चाहे वह बांध हो, उत्पलव या मंदिर या फिर महल, यह सब इंजीनियरी शास्त्र के आधार पर ही बनाए गए हैं। उन दिनों जो इंजीनियरी शास्त्र की पुस्तकें या ताडपत्र थे, वे हमें आज भी देखने को मिल जाएंगे। मेरा यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों के भारतवर्ष में आने से पहले हम लोगों के पूर्वजों में इन विषयों के बहुत से विद्वान हुए हैं, विशेषत: सिविल इंजीनियरिंग और यांत्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें यह पढ़ाया गया है कि यह सब बांध इत्यादि परंपरागत मिस्त्रियों से बनाए गए हैं, सर्वथा गलत है।

अभी हाल ही में भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी चीन गए थे। वहां पर उनको आधुनिक शास्त्र जैसे—कंप्यूटर और अंतरिक्ष विज्ञान की पुस्तकें चीनी भाषा में लिखी हुई देखने को मिलीं। चीन, जापान, रूस में यूरोप और अमेरिका की तुलना में वैज्ञानिक आविष्कारक अपेक्षाकृत कम संख्या में भले ही हों, परन्तु इन देशों को जब भी अमेरिका वगैरह में हुई उन्नति व आविष्कारों के प्रकाशनों के बारे में पता चलता है तो यह देश तुरन्त उनका अनुवाद अपनी भाषा में कर लेते हैं। यहां तक कि न्यूकलियर (नाभिकीय) या कंप्यूटर विज्ञान में जो प्रगति अमेरिका, यूरोप में होती है उनकी जानकारी रूस, जापान, चीन में तुरन्त उपलब्ध हो जाती है। यह सब इसलिए किया जाता है कि ज्यादा से जयादा लोग जो कि सिर्फ देश की भाषा से अवगत हैं, हाल की वैज्ञानिक प्रगतियों की जानकारी से वंचित न रह जाएं।

भारत में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आई. टी. आई. (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) में हिन्दी माध्यम से ही टेक्नीशियनों (मिस्त्रियों) को प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें से कुछ लोग इतने कुशल कारीगर होते हैं कि इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के समान आविष्कार करने में सक्षम होते हैं। भारत सरकार ने सन् 76 में वृहद् पारिभाषिक शब्द संग्रह प्रकाशित किया। जिसमें लगभग सभी तकनीकी शब्दों का हिन्दी अनुवाद मिलता है। जहां पर भी हिंदी अनुवाद को समझने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है वहां पर अंग्रेजी शब्द को ही देवनागरी में लिख दिया गया है।

अगर इंजीनियरी शिक्षा हिंदी में करनी है तो उसके लिए नवीं कक्षा से ही भौतिक तथा रसायन शास्त्र में हिन्दी के प्रामाणिक शब्दों का समावेश होना चाहिए। इससे क विद्यार्थियों को भविष्य में कठिनाई न होगी। प्रत्ये औद्योगिक संस्थान में, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में, वहां पर पत्रों के शब्द और उनके उत्पादन की स्पेसिफिकेशन हिंदी में ही होनी चाहिए। इसी प्रकार पालिटेक्निकों और इंजीनियरिंग कालेजों में ऐसे अध्यापक नियुक्त होने चाहिए जो हिन्दी माध्यम से ही इंजीनियरी पढ़ायें और जो पुस्तकें तैयार की जाएं उनमें पुर्जों और उपकरणों के प्रामाणिक हिंदी शब्द प्रयुक्त होने चाहिएं और सुविधा के लिए हिंदी शब्द के साथ कोष्ठक में अंग्रेजी शब्द देवनागरी में लिखा जाना चाहिए। पालिटेकनिक और इंजीनियरी आदि स्नातक कोर्स की पुस्तकों को हिन्दी में अनुदित करने का अभी से प्रयास आरंभ कर देना चाहिए।

यह सब तभी संभव होगा जब हम शुरू से ही स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखें। जब तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहेगा, शायद को कोई विद्यार्थी हिन्दी में इंजीनियरी शिक्षा प्राप्त करने को तैयार हो। कम से कम "क" क्षेत्र में, चाहे सरकारी स्कूल हो या निजी, आठवीं कक्षा तक पढ़ाई का माध्यम अनिवार्य रूप से हिन्दी में होना चाहिए। नवीं कक्षा से जो इंजीनियरिंग में जाने वाले विद्यार्थी हैं, उनके पास भौतिक, रसायन के अलावा एक इंजीनियरिंग का विषय भी होना चाहिए जिससे वे स्कूल में ही इंजीनियरी के शब्दों से परिचित हो सकें। नवीं से अधिक से अधिक स्कूलों में हिन्दी माध्यम हो होना चाहिए ताकि विद्यार्थी हिन्दी में सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकें और उन्हें इंजीनियरिंग प्रशिक्षण में कठिनाई महसूस न हो।

शेष पृष्ठ 34 पर

इस्पात संयंत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार

□श्री बी० एन० मुखर्जी
श्री एम० पी० ठाकुर

यह आलेख संगठित इस्पात उद्योग की प्रौद्योगिकी अथवा इस्पात उद्योग में व्यवहृत अग्निसह वस्तुओं की प्रौद्योगिकी पर कोई विशेष प्रकाश डालने की चेष्टा के रूप में तो प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है अपितु इसकी रचना का प्रमुख उद्देश्य है इस क्षेत्र में राजभाषा का प्रयोग ।

चूंकि हम अग्निसह उद्योग से संबंधित है अत: इस आलेख में हमने चेष्टा की है कि इस्पात उद्योग में तेजी से विकसित होती हुई प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होने वाले अग्निसह उद्योगों की गुणवत्ता में अपेक्षित परिवर्तनों की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ सके। इस्पात संयंत्रों की प्रौद्योगिकी में पर्याप्त विविधताएं हैं। ऐसी स्थिति में उनमें प्रयुक्त होने वाले अग्निसह उत्पाद तथा उनकी गुणवत्ता भी स्वाभाविक रूप से वैविध्यपूर्ण हो गयी है। अत: इस कृशकाय आलेख में समस्त संभावनाओं को समाहित कर पाना लगभग असम्भव है। ऐसी परिस्थिति में हमने इस्पात उत्पादन की मुख्य प्रक्रियाओं एवं उनसे संलग्न अग्निसह उत्पादों के प्रयोग तक ही इस आलेख को सीमित रखा है ।

इतिहास इस बात का साक्ष्य देता है कि ताम्र-कांस्य-युग अथवा पाषाण -युग से लौहयुग में मानव के संक्रमण विकास को एकाएक समृद्धि के अतिविशिष्ट दहलीज पर खड़ा कर दिया। ई. पू. तीसरी शताब्दी के पूर्व पशुपालन और कृषि उद्योग में लगा मानव अपने कृषि उपकरणों एवं शिकार में प्रयुक्त होने वाले आयुधों को लौह धातु से निर्मित करने लग गया था। ईरानी सभ्यता लोहे के उपयोग से विकास के अपेक्षाकृत कई चरण पार कर चुकी थी और वह जहाज तक बनाने लग गई थी। भारतीय संस्कृति वैदिकोत्तर काल में आगे विकसित होती हुई मौर्य काल तक जब चली आई तब तक कला साहित्य, दर्शन, गणित आदि ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों के अलावा भू-मंडलीय और नक्षत्र विज्ञान का पर्याप्त विकास होने लग गया था। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने धातु शोधन की विविध प्रक्रियाएं विकसित कर ली थीं। आज भी दिल्ली के महरोली का वह लौह स्तंभ एक आश्चर्य का ही विषय बना हुआ है जो लगभग डेढ़ हजार वर्षों से अधिक समय से खुले आसमान के नीचे अवस्थित होने के बावजूद स्वाभाविक प्राकृतिक परिवर्तनों से मुक्त है।

ऊपर के विवरण से हम मात्र इतना ही स्पष्ट करना चाहते हैं कि धात्विक लौह की उपादेयता की जानकारी मानव को बहुत पहले से रही है किन्तु आज इस्पात बनाने की प्रक्रिया विकास के कई चरणों को पार करके अतिविकसित धरातल पर पहुंच गई है।

वर्तमान समय में सामान्यत: इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रियाओं के मार्ग से होता है:

1. लोह अयस्क का धमन भट्ठियों में कोक के संसर्ग से अपचयन करके गरम धातु का उत्पादन करना,
2. चय तथा संविभिन्न घटकों के औसतीकरण के लिए गरम धातु का मिश्रक यंत्र तक परिवहन,
3. खुली भट्ठी या एल-डी-परिवर्तक में इस्पात बनाने के लिए गलनशाला तक खुली बाल्टी में गरम धातु का परिवहन,
4. इस्पात को पिण्ड सांचे (इनगॉट मोल्डस) में डालने के लिए बाल्टी द्वारा इस्पात के ढलाई कक्ष तक परिवहन,
5. अनावरक कक्ष (स्ट्रिपर बे) तक इस्पात से भरे सांचे का परिवहन और सांचे से पिण्ड का बाहर निकालना,
6. गरम स्थिति में संचयन के लिए सिक्तन गर्त (सौकिंग पिट) तक इस्पात के गरम पिण्ड का परिवहन।
7. इस्पात पिण्डों का मिलीयन (मिलिंग) करके पट्टों (स्लैब्स), दण्डों (ब्लूम्स), बेलन खंडों (बिलेट्स), चद्दरों (शीट्स), छड़ों (रॉड्स) एवं तार इत्यादि बनातेहुए विक्रय उत्पादों में रूपांतरण।

कोक भट्ठियां

उपर्युक्त मुख्य प्रक्रियाओं में लौह-अयस्क का अपचयन करने के लिए कोक की आवश्यकता है। वस्तुत: किसी भी संगठित इस्पात संयंत्र के लिए कोक भट्ठी में कोयले का करीब एक हजार डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के बाद कार्बनीकरण द्वारा कोक का उत्पादन किया जाता है जो धमन भट्ठियों में उपचायक तथा मुख्य ईंधन के रूप में व्यवहृत होता है। कार्बनीकरण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में कोक भट्ठी गैस पैदा होती है जिसका उपयोग अपेक्षित भट्ठियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब तक साधारणतया 4.5 से 5 मीटर ऊंची बैटरी वाली 58 भट्ठियों की कोक भट्ठियां बनायी जाती थी परन्तु उत्पादकता में वृद्धि के लिए सात मीटर ऊंची बैटरियों वाली भट्ठियां प्रचलन में आ गई हैं। जहां बैटरियों की ऊंचाई पांच से बढ़ाकर सात मीटर तक कर देने में प्रति इकाई पूंजी की लागत तथा श्रम एवं अनुरक्षण की लागत में लगभग 15 प्रतिशत की बचत होती है वहीं संरचना तथा प्रचालन जनित कतिपय समस्याएं भी उभरी हैं। ऊंचाई बढ़ जाने

से बैटरी की दीवारों की अस्थिरता की आशंका बढ़ी है। इसके साथ ही कार्बन के जमा होने तथा अग्निसह दीवारों में सटे रहने से खतरे में वृद्धि हुई है। परन्तु सर्वांगीन मितव्ययिता को ध्यान में रखकर यह आवश्यक हो गया है कि बैटरियों के निर्माण के लिए उच्चतम कोटि की अत्यधिक संशक्त (डेन्स्ड) सिलिका अग्निसह ईंटों का व्यवहार किया जाए। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी अग्निसह सिलिका ईंटें बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता सम्पन्न क्वार्जाईट अपने देश में, विशेषकर, बिहार के मुंगेर जिले में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जैसा कि सबों को ज्ञात है, हमारे देश में ऐसी ईंटों का निर्माण हो रहा है तथा कुछ तापसह उत्पादक संयंत्रों में विदेशी प्राद्योगिकी का भी आयात किया गया है और हमें आशा है कि सात मीटर ऊंची बैटरियों में लगने वाली यह विशिष्ट सिलिका ईंटें निकट भविष्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगी।

धमन भट्ठियां

धमन–भट्ठियों में कोक के द्वारा लौह-अयस्क का अपचयन कर गर्म धात्विक लौह का उत्पादन होता है। लौह–अयस्क कई श्रेणियों में उपलब्ध है। अयस्क में लौह-धातु की मात्रा न्यूनाधिक होने से कुछ अयस्क समृद्ध प्रकार के होते हैं और कुछ अपेक्षाकृत दुर्बल। समृद्ध अयस्क में धातु की मात्रा 65% तक पाई गई है वहीं दुर्बल अयस्कों में यह मात्रा बहुत ही न्यून, तथा 25% तक ही होती है। पहले तो अयस्क के सिर्फ ढेले ही प्रयोग में लाये जाते थे तथा लौह-अयस्क के चूर्ण को अनुपयुक्त समझकर रद्द कर दिया जाता था। परन्तु रद्दी की मात्रा अत्यधिक होने के कारण तथा अयस्क के चूर्ण की लागत बहुत कम होने की वजह से सिंटरिंग की पद्धति का आविर्भाव हुआ जिससे जहां अयस्क की उपलब्धि में वृद्धि हुई वहीं धमन-भट्ठियों की उत्पादकता में भी सुधार हुआ।

वस्तुतः कोक का कार्य धमन-भट्ठियों में दो प्रकार का है। प्रथमतः कोक से इतना ताप पैदा होता है जितना कार्बन से लोह-आक्साइड का अपचयन करके धात्विक लौह बनाने के लिए आवश्यक है। द्वितीयतः यह कार्बन-मोनोक्साइड पैदा करता है जिससे लौह-आक्साइड का धात्विक लोहे में अपचयन हो जाता है। मैंगनीज का आक्साइड तथा सिलिकन का आक्साइड भी कार्बन मोनोक्साइड से अपचयित होकर धातु में परिवर्तित हो जाते हैं तथा अलग से मिलाये गये चूने और मैगनेशिया के संयोग से गलकर मल में परिवर्तित हो जाते हैं।

यदि क्षरीयता का सही स्तर बनाये रखा जाए तो मल में गंधक के अवशोषण की क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है तथा उत्पादित गर्म लोहे में गंधक की मात्रा का न्यूनीकरण हो सकता है। यह मात्रा 0.05% तक हो सकती है जो परवर्ती इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया में काफी लाभप्रद होता है।

परन्तु गंधक तथा सिलिकन की मात्रा के न्यूनीकरण के लिए गर्म लोहे के पूर्वोपचार की प्रक्रिया का प्रचलन है। गंधक और सिलिकन के न्यूनीकरण से खास कर इस्पात बनाने की एल–डी परिवर्तन की पद्धति में अग्निसह उत्पादों के व्यय में काफी कटौती की जा सकती है। चूंकि एल–डी– परिवर्तन में लगाये जाने वाले अग्निसह उत्पाद बहुत मूल्यवान होते हैं अतः इस्पात उत्पादन में अग्निसह पर वित्तीय लागत काफी कम हो जाती है। इन्हीं कारणों से जहां सिलिकन और गंधक की अधिक मात्रा से धमन भट्ठियों की अग्निसह दीवारों पर अत्यधिक प्रतिकूल असर नहीं पड़ता क्योंकि धमन भट्ठियों का तापक्रम अपेक्षाकृत एल-डी-परिवर्तकों से बहुत ही कम होता है परन्तु एल–डी-परिवर्तकों में अत्यधिक ताप होने की वजह से सिलिकन और गंधक के बढ़े हुए स्तर से अग्निसह अस्तर पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता है। इसीलिए गंधक तथा सिलिकन की न्यूनीकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। उत्पादकता की वृद्धि के लिए तथा पूंजी, प्रचालन एवं श्रम–शक्ति की लागत में कमी करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय इस्पात उद्योग में बहुत ही उच्च क्षमता वाली धमन-भट्ठियों का प्रचलन है। अतः छोटी धमन भट्ठियों का उन्मूलन होता जा रहा है। जाहिर है कि ऐसी उच्च क्षमता वाली धमन-भट्ठियों के लिए विशिष्ट प्रकार के अग्निसह भी प्रयुक्त होते हैं। साधारणतः धमन भट्ठियों में 30 से 40% तक अल्युमिना की मात्रा वाली सिलिकेट समूह के अग्निसह प्रयुक्त होते हैं। ऐसे अग्निसह की गुणवत्ता में विशेषतः निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है:

1. उच्च तापक्रम सहने की क्षमता,
2. सशक्त संरचना,
3. न्यूनतम पारगम्यता,
4. अत्यधिक घर्षण-अवरोध क्षमता,
5. अच्छी ताप परिचालकता इत्यादि।

अल्युमिनो सिलिकेट के अलावा धमन-भट्ठियों में कार्बन अग्निसह का भी प्रयोग होता है।

धमन भट्ठी बाल्टियां

ये बाल्टियां गर्म लोहा धमन भट्ठियों से मिश्रक यंत्र तक ले जाती हैं। इनमें भी अल्युमिनो सिलिकेट समूह के अग्निसह का प्रयोग होता है। अल्युमिनो सिलिकेट समूह के अग्निसह का उत्पादन मुख्यतः फायरक्ले से होता है। फायरक्ले का भी बहुत बड़ा भंडार बिहार के कोयला क्षेत्रों में उपलब्ध है। दुर्भाग्यवश अविवेकपूर्ण उत्खनन के कारण अच्छी किस्म के फायरक्ले की उपलब्धि में कठिनाइयां आ रही हैं।

विदेशों में धमन-भट्ठिया इस्पात गलनशाला से बहुत दूर होती है जिसके परिणामस्वरूप गर्म लोहे का परिवहन तारपिडो बाल्टियों में होता है। इन बाल्टियों में गरम धातु का पूर्वोपचार भी साथ-ही-साथ हो जाता है।

मिश्रक-यंत्र

जैसा पहले कहा जा चुका है कि मिश्रक यंत्र में धातु का संचयन ही नहीं होता बल्कि गर्म धातु के विभिन्न घटनाकों का औसतीकरण भी सम्पन्न होता है। मिश्रक- यंत्र में मुख्यत : अल्युमिनो-सिलिकेट तथा मैगनेसाइड समूह के अग्निसह प्रयुक्त होते हैं।

इस्पात उत्पादन

कुछ वर्षों पहले तक इस्पात का उत्पादन ऐसी खुली भट्ठियों से होता था जिसमें सिलिका ईंटें लगाई जाती थी। बाद में इन खुली भट्ठियों की उत्पादकता में सुधार के लिए सिलिका ईंटों की जगह क्षारीय समूह की ईंटें लगाई जाने लगी। क्षारीय ईंटों वाली ये खुली भट्ठियाँ काफी दिनों तक लोकप्रिय रहीं परन्तु क्षारीय परिवर्तक के आविर्भाव से इनके प्रचलन में भी कमी आने लगी। एल-डी-परिवर्तक के उद्भव से विशुद्ध इस्पात बहुत ही कम लागत पर प्राप्त होने लग गया जिसके कारण विश्वभर में एल-डी-परिवर्तक की लोकप्रियता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अब तक एल-डी-परिवर्तक में भैंगक्रोम तारडोलोमाइट की अग्निसह ईंटें लगाई जाती रही हैं। परन्तु एल-डी-परिवर्तक के लिए मेग्नेशिया कार्बन ईंटों से अस्तर बनाने का काम धड़ल्ले से विश्वभर में चालू हो गया है। इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं :

1. उत्पादकता में वृद्धि,
2. अग्निसह उत्पादों की लागत में कटौती,
3. अग्निसह उत्पादों की कार्यावधि में वृद्धि के कारण परिवर्तकों की आवश्यकताओं में कमी, अत: पूंजी लागतमें भारी बचत।

निस्संदेह आने वाला युग मैग्नेशिया कार्बन ईंटों का युग साबित होगा तथा इसके प्रयोग से इस्पात उद्योग को यथेष्ट लाभ होगा। परन्तु भारतीय संदर्भ में यहां हम इस बात की आवश्यकता पर बल देना चाहते हैं कि मैग्नेशिया कार्बन की ईंटों से यथेष्ट लाभ लेने के लिए गर्म लोहे की शुद्धता यथा सिलिकन फास्फोरस तथा गंधक की मात्रा न्यूनतम रखना तथा मल में क्षारीयता ऊंचे स्तर का बनाये रखना अत्यावश्यक है।

इस्पात-बाल्टी

इस्पात बाल्टियों में पहले तो साधारण अल्युमिनो सिलिकेट समूह के अग्निसह प्रयुक्त होते थे परन्तु बाद में ग्राँग समृद्ध ईंटों के प्रयोग से लागत और उत्पादकता दोनों क्षेत्रों में काफी लाभ हुआ है। अब तो 70% अल्युमिना वाली ईंटों का भी उपयोग करने की बात हो रही है परन्तु इसके प्राद्योगिक लाभ या वित्तीय लाभ अभी तक अभिप्रमाणित नहीं हुए। विदेशों में तो कई जगह बाल्टियों के अस्तर एकीकृत अग्निसह से बनाने की प्रथा चल पड़ी है। इससे अस्तर जल्दी बन जाती है, श्रम-शक्ति बहुत कम लगती है और अस्तर की कार्यावधि लम्बी होती है जिसके परिणामस्वरूप बाल्टी की उपलब्धि में वृद्धि होती है तथा अग्निसह पर व्यय भी कम हो जाता है।

सिक्तन गर्त

यद्यपि सितन गर्त के निर्माण और परिचालन में अग्निसहों पर आवर्ती व्यय भी काफी होता है फिर भी संगठित इस्पात संयंत्रों में इस्पात पिण्डों को तप्त अवस्था में रखने के लिए बड़ी मात्रा में सिक्तन गर्त बनाये गये हैं।

अंततः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि निम्नांकित उठाये गये कदमों से एकीकृत इस्पात संयंत्रों में उत्पादकता इस्पात की गुणवत्ता में काफी सुधार संभव है :–

1. छोटी कोक बैटरियों के स्थान पर बड़ी और ऊंची कोक-बैटरियों का निर्माण,
2. धमन-भट्ठियों में प्रयुक्त कोक, चूना, लौह-अयस्क तथा लौह-अयस्क के सिंटर की गुणवत्ता में सुधार,
3. छोटी धमन-भट्ठियों के स्थान पर उच्च क्षमता वाली धमन-भट्ठियों का निर्माण,
4. सिलिकन और सल्फर के न्यूनीकरण के लिए पूर्वोपचार,
5. खुली भट्ठियों की जगह बड़ी क्षमता वाले एल-डी परिवर्तकों का संस्थापन,
6. इस्पात में घुली गैस तथा अशुद्धि की मात्रा को अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए परवर्ती इस्पात परिष्करण की पद्धति यथा ए. ओ. डी., वी. ए. डी और डी. ओ. डी. इत्यादि का प्रयोग।

अंततः सतत, ढालन विधि की भूमिका से इस्पात सिल्लियों को सांचे में ढालने और सिक्तन गर्त जैसी वर्तमान व्यवस्था का निरसन होगा जिससे आगतों, ऊर्जा और श्रम-शक्ति इत्यादि पर लगने वाली अधिक पूंजी और आवर्ती व्ययों की बचत होगी।

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.,
बोकारो स्टील सिटी,
धनबाद (बिहार)

पृष्ठ 31 का शेष

रूस में 8वीं कक्षा तक प्रान्तीय भाषा में शिक्षा दी जाती है और साथ-साथ रूसी भाषा भी छठी कक्षा से सिखायी जाती है। नवीं कक्षा से जो इंजीनियरिंग महाविद्यालय में जाना चाहते हैं उन्हें रूसी भाषा में ही शिक्षा प्राप्त करनी होती है आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि आधुनिक आविष्कारों के बारे में जानकारी महाविद्यालयों में रूसी भाषा में ही दी जाती है।

जब तक हम राजभाषा को स्कूलों की भाषा नहीं बनाएंगे। तब तक हिन्दी माध्यम से इंजीनियरी शिक्षा स्वप्न ही रहेगी।

उप महाप्रबंधक (अ. से.)
इंजीनियर्स इंडिया लि.,
1, भीकाएजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली—110066

दूसरी किस्त

रचनात्मक तकनीकी लेखन

☐ डॉ० ओम् विकास

[राजभाषा भारती अंक 41 में प्रस्तुत लेख की प्रथम किस्त में रचनात्मक तकनीकी लेखन की प्रस्तावना देकर लेखक ने तकनीकी लेखन में उत्पन्न होने वाली भ्रांतियों पर विशद चर्चा की है।—सं.]

1. तकनीकी लेखन के क्षेत्र

तकनीकी लेखन के क्षेत्रों को 5 भागों में बांट सकते हैं :—

(1) मैन्युअल अर्थात मशीन संचालन नियम-पुस्तिका

(2) रिपोर्ट एवं शोध पत्र

(3) प्रस्ताव (प्रोपोजल)

(4) प्रसार—सामग्री

(5) कंप्यूटर पर शिक्षण सापटवेयर

मन्युअल (मशीन संचालन नियम पुस्तिका)

मशीनों के संचालन की जानकारी के लिए मैन्युअल तैयार करते हैं। मैन्युअल मशीन-संचालन के नियमों की पुस्तिका है। उद्देश्य है कि मैन्युअल समझने में आसान हो, उसके अनुसार मशीन पर काम करने में आसानी हो।

पर्सनल कंप्यूटर जैसी बहुप्रचलित मशीनों के अच्छे मैन्यूअल तैयार करने की आवश्यकता प्रायः महसूस की जाती है।

मैन्युअल को अधिक प्रभावकारी कैसे बनाएं।
अच्छी नियम-पुस्तिका (मैन्युअल) की विशेषताएं है—

(क) **संरचना** — स्पष्ट खंडों में व्यवस्थित हो। विषय सूची और शब्द संकेतिका भी हों।

(ख) **सामग्री** — इसमें मशीन संचालन की संक्षिप्त जानकारी के साथ "करके देखें" अभ्यास और स्पष्ट सरल चित्रों का समावेश हो।

(ग) **भाषा** — पढ़ने में सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग हो जिससे सामान्य प्रयोगकर्ता भी समझ सके। विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग न हो। शब्द सरल हों।

(घ) **प्रस्तुती** — रंगीन और आर्कषक हो। आकार छोटा हो जिसे रखने और ले जाने में आसानी हो। 8.5" × 11" की अपेक्षा 6' × 9" आकार का मैन्युअल प्रायः पसंद किया जाता है।

मैन्युअल का आकार बड़ा न हो इसलिए आपरेटर मैन्युअल और संदर्भ मैन्युअल दो अलग-अलग मैन्युअल बनाते हैं।

विषय-प्रतिपादन में आर्टिस्ट के द्वारा बनाए गए सरल चित्र बहुत उपयोगी होते हैं।

2: रिपोर्ट

2: रिपोर्ट में लेखक अन्य व्यक्ति या संस्था को उपयुक्त सूचना देने का दायित्व निभाता है।

2.1 रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं हैं —

(क) **स्वयंसंपूर्ण** — पाठक को इसे समझने के लिए जानकारी अन्यत्र न खोजनी पड़े।

(ख) **रोचक** — रिपोर्ट व्यस्त निर्णायकों के लिए होती है। इसलिए यह व्यस्त पाठक का ध्यान आकृष्ट करने में सफल हो। उत्पादकता में वृद्धि, समय और लागत में कमी, जैसे लाभकारी परिणाम दिखाकर व्यस्त पाठक में रुचि पैदा की जा सकती है।

(ग) **संतुलित विशद विवेचन** — विषय प्रतिपादन में पक्षों पर विवेचन हो। इसके लिए प्रयाप्त सूचना एकत्र करनी होती है। प्रायः सभी संभावित मुख्य प्रश्नों के उत्तर तकनीकी लेख में मिल जाएं। उदाहरण के लिए एक रिपोर्ट में यह सिद्ध किया जाए कि फसल काटने के बाद ठूंठ खेत में छोड़ देने से मिट्टी का क्षरण रुकेगा, लेकिन उल्लेख न किया जाए कि इससे हानिकारक कीट पैदा होंगे और बढ़ेंगे तो इस रिपोर्ट का विवेचन संकीर्ण माना जाएगा।

जहां एक ओर सभी आवश्यक तथ्यों का समावेश हो, वहां यह भी देखना होगा कि अनावश्यक विवेचन से बचा जाए। लेखक को "कितना कहा जाए" प्रश्न का उत्तर स्वयं जानना चाहिए।

(घ) **निष्पक्ष व विषयतनक** — रिपोर्ट ठोस तथ्यों पर आधारित हो और निष्पक्ष हो। भावनाओं पर प्रहार न किया जाए।

(ङ) **संयम** — लेखन में संयम हो। अतिशयोक्ति के शब्दों का प्रयोग न किया जाए। वाक्य व्यक्तिपरक न हों।

(च) **कालक्रम वर्णन से मुक्त** — रिपोर्ट में सबसे पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी इत्यादि घटनाओं कालक्रम में उल्लेख पाठक को ऊबा देता है।

आवश्यकता है कि रिपोर्ट में सामग्री निम्नलिखित क्रम में हो –

(1) विषय निर्धारण और इससे संबंधित पूर्व विज्ञप्तियां

(2) सार तथ्य

(3) विश्लेषण

(4) निष्कर्ष

2.2 **रिपोर्ट के अंग**

रिपोर्ट के 8 प्रमुख अंग हैं :—

(1) संलग्नक पत्र

(2) मुख्य पृष्ठ

(3) विषय सूची

(4) शीर्षक

(5) सारांश

(6) प्रस्तावना

(7) निष्कर्ष एवं सिफारिशें,

(8) परिशिष्ट

संलग्नक पत्र में रिपोर्ट के सार पर विशेष बल दे सकते हैं, रिपोर्ट तैयार करने में आई कठिनाइयों का उल्लेख कर सकते हैं।

"आपके द्वारा मांगी गई रिपोर्ट संलग्न है।" लिखना मात्र पर्याप्त नहीं है।

मुख पृष्ठ (टाइटिल पेज) पर (1) रिपोर्ट का विषय (2) रिपोर्ट बनाने वालों के नाम और संस्था का नाम व पता, (3) रिपोर्ट की तिथि, (4) रिपोर्ट संख्या का उल्लेख रहता है। इसे आकर्षक ढंग से बनाया जाए।

विषय सूची रिपोर्ट की रूपरेखा बताती है। रिपोर्ट को अनुच्छेदों (सेक्शन्स) में बांटते हैं। अनुच्छेदों को उप-अनुच्छेदों और उन्हें उप उप-अनुच्छेदों में। अनुच्छेदों को निश्चित कालम से लिखें और उप-अनुच्छेदों को थोड़ा दायीं और घटाकर (इंडेंट कर) लिखें। प्रत्येक प्रविष्टि के सामने पृष्ठ संख्या हो। रिपोर्ट में प्रयुक्त चित्रों और तालिकाओं की सूची अंत में दें।

शीर्षकों का चयन ऐसा हो कि इससे सीमित सार विषय के प्रतिपादन का अनुमान लगाने में आसानी हो। इसके बारे में पढ़ने के लिए पाठक में रुचि पैदा हो।

सारांश लगभग 10—15 पंक्तियों का हो। यह रिपोर्ट से अलग होता है। इसमें रिपोर्ट के प्रयोजन, प्रक्रम और निष्कर्षों को संक्षेप में लिखा जाता है।

प्रस्तावना पाठक के विषय–प्रवेश में सहायक होती है। इसमें रिपोर्ट के प्रयोजन और प्रस्तुत सामग्री का संक्षिप्त परिचय होता है जिससे पाठक में रिपोर्ट पढ़ने में अभिरुचि पैदा हो। निष्कर्ष एवं सिफारिशें रिपोर्ट का अंग हो सकती है और अलग हो सकती हैं। यह विषय पर निर्भर करता है। इन्हें रिपोर्ट के मुख्य कलेवर के पहले अथवा अंत में रखा जा सकता है। निष्कर्ष में रिपोर्ट के प्रयोजन, प्रयुक्त सूचना/आंकड़ा, विश्लेषण के मुख्य परिणामों का उल्लेख होता है। सिफारिशों में रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने के लिए सुझाव होते हैं।

परिशिष्ट में सहायक सामग्री होती है जिससे विषय प्रतिपादन में दिए गए तर्कों की पुष्टि हो, और सही आंकड़ों के आधार पर गणना में सहायता मिलती है। इसमें चित्र और तालिकाएं दिए जा सकते हैं। जटिल गणना प्रक्रियाओं को भी परिशिष्ट में दे सकते हैं।

संदर्भिका रिपोर्ट के अंत में होती है। इसे मानक रीति के अनुसार तैयार किया जाता है। लेखकों के नामों को वर्णनुक्रम में व्यवस्थित करते हैं। एक ही लेखक की एक से अधिक रचना को प्रकाशन-वर्ष के अनुसार क्रम में रखते हैं।

शोध पत्र भी रिपोर्ट की भांति होते हैं। शोध पत्र में उद्धृत मान्यताओं के आगे संदर्भ भी देते हैं। शोध पत्र में विषय प्रतिपादन सीमित, संयमित और संतुलित रहता है।

3. **प्रस्ताव (प्रोपोजल)**

किसी कार्य विशेष के लिए सुझाव अथवा प्रार्थना को "प्रस्ताव" के रूप में रखते हैं। अन्य तकनीकी लेखों/रिपोर्टों से "प्रस्ताव" भिन्न होते हैं। तकनीकी रिपोर्ट में उन घटनाओं, प्रक्रियाओं और परियोजनाओं का उल्लेख होता है जो हो चुके होते हैं। प्रस्ताव में भावी परियोजनाओं का उल्लेख होता है जिन्हें करना चाहते हैं। बीती हुई घटनाओं का वर्णन काल-शुद्धता के साथ किया जा सकता है। भविष्य में होने वाली प्रक्रियाओं का सही-सही वर्णन संभव नहीं है। प्रस्ताव कार्य का आधार बनता है।

3.1 **पाठक स्वीकरणीयता**

अपेक्षा की जाती है कि प्रस्ताव पाठक को उपयोगी और स्वीकार्य मालूम पड़े। प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समाहित हों —

(1) क्या प्रस्ताव है ?

(2) किस प्रकार करने का प्रस्ताव है ?

(3) प्रस्तावित तरीकों से अपेक्षित परिणाम मिल सकेंगे, इसके क्या प्रमाण हैं ? और ये अन्य तरीकों से किस प्रकार श्रेष्ठतर हैं ?

(4) प्रस्तावित कार्य को करने की अपनी क्षमता को हम कैसे बता सकते हैं ?

(5) प्रस्तावित बजट और परियोजना-काल उचित ठहराने के लिए हमारे पास क्या प्रमाण है ?

3.2 प्रस्ताव-प्रकार

प्रस्ताव कई प्रकार और कई आकार के हो सकते हैं। इनमें शोध-प्रस्ताव, शोध-विकास प्रस्ताव, विक्रय-प्रस्ताव और योजना-प्रस्ताव प्रमुख हैं।

प्रस्ताव को तीन भागो में बांट सकते हैं— पूर्व सामग्री, कलेवर और मूल्यांकन ।

पूर्व सामग्री में संलग्नक पत्र, मुखपृष्ठ, सारांश, विषय सूची और अनुरोध कथन होते हैं।

कलेवर को 10 अनुच्छेदों में बांट सकते हैं --

(1) समस्या कथन—

इसमें समस्या को परिभाषित करते हैं ।

(2) पृष्ठ भूमि—

इसमें प्रस्ताव की पृष्ठभूमि और अद्यतन शोधकार्य का उल्लेख होता है।

(3) उद्देश्य—

इसमें कार्य की आवश्यकता और सीमाओं का उल्लेख होता है ।

(4) कार्य-विधि—

इसमें बताते हैं कि कार्य कैसे किया जाएगा। नई सृजनात्मक विधियों को पर्याप्त विस्तार से समझाते हैं।

(5) यांत्रिक सुविधाएं --

इसमें कार्य सम्पन्न करने के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची देते हैं ।

(6) कार्मिक—

इसमें प्रस्तावित परियोजना पर कार्य करने वाले कार्मिकों का विवरण होता है। परिशिष्ट में उनकी योग्यता एवं तकनीकी अनुभव के संबध में जानकारी दी जाती है। जिससे निर्णायक पाठक को विश्वास हो सके कि संस्था के पास कार्य पूरा करने के लिए योग्य व्यक्ति हैं।

(7) परियोजना का प्रभाव—

इसमें परियोजना पूरी होने पर संभावित लाभ बताते हैं। यदि कई लाभों के साथ संभावित हानियों का भी उल्लेख हो तो इससे पाठक को निर्णय लेने में आसानी होती है ।

(8) अवधि—

इसमें उल्लेख होता है कि परियोजना पूरी होने में कितना समय लगेगा ? और परियोजना के अतर्गत प्रमुख उपलब्धियां कब–कब मिलेगी ?

(9) बजट—

इसमें परियोजना पर अनुमानित एक मुश्त और प्रतिवर्ष व्यय बताते हैं। सभी व्यय उपकरण, वेतन, मात्रा-व्यय आदि के अतर्गत विस्तार से बताते हैं।

(10) प्रगति समीक्षा रिपोर्ट --

योजना के विभिन्न चरणों में कितनी प्रगति किस समय तक होगी, इसकी रिपोर्ट कब – कब भेजी जाएगी। यह जानकारी इस अनुच्छेद में दी जाती हैं।

4. प्रसारसामग्री

तकनीकी प्रसार सामग्री जन सामान्य के लिए लक्षित होती है, इसलिए आवश्यक है कि जन सामान्य के बीच पाए जाने वाले उदाहरणों के सादृश्य से तकनीकी तथ्यों को समझाया जाए । सामग्री रोचक हो और इसमें आर्थिक एवं सामाजिक लाभों का आकर्षक उल्लेख हो जिससे यह सामग्री जन सामान्य को रोचक लगे । रिपोर्ट, शोधपत्र, प्रस्ताव आदि की अपेक्षा इसका संरूप सरल होता है ।

5. कंप्यूटरशिक्षण साफटवेयर

जिस प्रकार मशीन संचालन की जानकारी देने के लिए मैन्युअल तैयार करते हैं उसी प्रकार शिक्षण प्रशिक्षण के उद्देश्य से किसी तकनीकी विषय पर जानकारी को कंप्यूटर पर सांफ्टवेयर के रूप में भी रख सकते हैं ।

शिक्षण सांफ्टवेयर तैयार करने में विषय बिन्दुओं का निर्धारण, शिक्षण-उद्देश्य और प्रशिक्षण विधि, को सुनिश्चित करना, अभिकल्पन, और विकास प्रमुख प्रक्रम-पद हैं ।

शिक्षण-साफ्टवेयर में निम्नलिखित विशेषताओं में से एकाधिक का समावेश होता है (1) बार-बार अभ्यास (2) वार्तालाप (ट्यूटोरियल), (3) अनुकार (सिमुलेशन) एवं प्रदर्शन, (4) खेल, (5) समस्या-समाधान, (6) खोज से सीखना, (8) सादृश्य से तार्किक सोच (8) कथा और तकनीकी प्रक्रिया का सार-सादृश्य ।

विषय प्रस्तुति में दिशा, प्रस्तुतिक्रम संरूप (फार्मेट), और प्रश्नों का समुचित समावेश हो । आगे क्या करना है । किस दिशा में इसकी जानकारी विद्यार्थी को रहे । विषय-प्रस्तुति क्रम को बदलना विद्यार्थी के नियंत्रण में हो । प्रभावी प्रस्तुति के लिए विषय को छोटे-छोटे खंडों में बांट कर प्रस्तुत किया जाए । अच्छे प्रश्नों से विद्यार्थी में विषय को भली प्रकार समझने की अभिरुचि पैदा होती हैं ।

(अगले अंक में जारी...

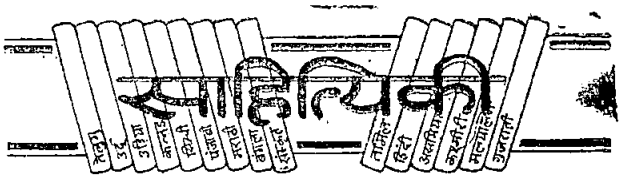

सिन्धी भाषा भाषियों की हिन्दी सेवा

भगवान अटलानी

डा. दयाल आशा के शोध प्रबन्ध 'सिन्धी कवियों की हिन्दी साधना' के अमुख में डा. सी. एल. प्रभात ने लिखा है—"इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि हिन्दी सन्त काव्य के प्रवर्तन का श्रेय मराठीभाषी नामदेव और सिन्धी भाषी सधना को ही है।" असम के शंकर देव, पंजाब के गुरु नानक देव, गुजरात के भालण, केरल के स्वाति-तिरुनाल, आदि ने वस्तुतः अपनी हिन्दी काव्य रचनाओं से नामदेव और सधना की शुरुआत को आगे बढ़ाया।

सधना और नामदेव का आकलन वैचारिक दृष्टि से गोरखनाथ और कबीर के बीच की कड़ी के रूप में किया जा सकता है। दोनों सन्त कवियों ने कभी साहित्य या धर्म की अट्टालिकाओं में कैद होकर रहना स्वीकार नहीं किया। नाथों और वैष्णवों के अतिवादी आग्रहों के मध्य संतुलन स्थापित करके ये सन्त कवि साम्प्रदायिकता विरोधी जिजीविषा के साथ पूरी शक्ति से अंहकार, घृणा और भटकाव की उर्ध्वगामी ताकतों से लड़ते हुए जीवन को अपने सिद्धान्तों के अनुसार खुद ही नहीं जीते रहे, अपितु सामान्य जन को भी इस संघर्ष में शामिल होने के लिये तैयार करते रहे। तात्कालिक परिस्थितियों में यह कर्मठता अपने आप में अत्यन्त साहस की सूचक थी।

कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, जायसी, रसखान, भारतेन्दु, प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद आदि रचनाकारों ने हिन्दी साहित्य को जो रत्न दिए हैं, वे निश्चय ही अनुपम हैं। किन्तु इन रत्नों की आभा को अखिल भारतीय अस्मिता प्रदान करने का काम उन प्रदेशों के लेखकों और कवियों ने किया है जो हिन्दी भाषी नहीं हैं। सन्तों की वाणी के माध्यम से जनमानस में हिन्दी की श्रद्धा मालिका को सम्मानित स्थान दिलाने का जो दुष्कर कार्य अहिन्दी भाषी प्रदेशों के साहित्य मनीषियों ने किया उसके अभाव में साहित्यिक गुणवत्ता के बावजूद संभवतः हिन्दी को उतना व्यापक राष्ट्रीय महत्व नहीं मिलता, जितना आज मिला हुआ है। सच कहा जाय तो अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी के प्रचार प्रसार के उत्तरदायी सन्त कवियों को ही यह श्रेय जाता है कि आज हिन्दी को देश की राजभाषा का गौरवपू स्थान प्राप्त है।

अहिन्दी भाषी प्रदेशों में भी हिन्दी के विकास में सबसे अधिक योगदान देश के पश्चिमी खंड का रहा है जिसके अन्तर्गत महाराष्ट्र, गुजरात और तत्कालीन सिन्ध प्रदेश आते हैं। सिन्धी भाषी सधना ने तो कबीर से भी बहुत पहले हिन्दी में अलख जगाना शुरू कर दिया था। इस सन्त को हिन्दी की महत्ता, सार्वजनीन व्यापकता और ग्राह्यता का अहसास संभवतः देशाटन से हुआ। देश के विभिन्न भागों में घूमते हुए, सन्त समागम के दौरान उन्हें अनुभव हुआ कि हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो सभी स्थानों, क्षेत्रों और भाषाओं के बीच सम्प्रेषण का काम कर सकती है। सिन्ध से निकले सन्त सधना के विस्तृत देशाटन के प्रमाण के रूप में एलोरा की गुफाओं के निकट नामदेव से हुई उनकी भेंट को उद्धृत किया जा सकता है। परस्पर वैचारिक आदान प्रदान का ही परिणाम था कि नामदेव और सधना ने समान रूप से रूढिहीन मूल्यों का समर्थन करते हुए भक्ति, प्रेम और मानवता की अजस्र धाराओं का आह्वान किया। सधना के पदों को सिखों के धर्मग्रन्थ गुरु ग्रन्थसाहिब में सम्मिलित करना उनके काव्य में व्याप्त प्रभाव का जीता-जागता उदाहरण है।

भाषाई अनुशीलन के अतिरिक्त सिन्धी साहित्य विशेषकर सिन्धी काव्य पर हिन्दी का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। हिन्दी के भक्त कवियों की भांति सिन्धी कवियों ने भी राग-रागिनियों के आधार पर काव्य रचना की। हिन्दी के दोहा, सोरठा, कविता, चौपाई, आदि छन्दों को तो सिन्धी कवियों ने अपनाया ही, कतिपय उपमाएं और रूपक भी सिन्धी में हिन्दी के अनुरूप अपनाये गये हैं। कुछ सिन्धी कवियों ने एक दोहे और आधे आधे सोरठे को मिलाकर एक नया छन्द प्रचलित किया है। इस छंद को 'बैंत' कहा जाता है।

इतना ही नहीं, सिन्धी रचनाकर्म पर, विषयगत प्रभाव की दृष्टि से भी हिन्दी ने अपनी छाप छोड़ी है। हिन्दी में वीररस परिपूर्ण काव्य की प्रेरणा से चौदहवीं शताब्दी में 'दोदो चनेसर' की रचना हुई। भुजाएं फड़काने वाले वीररस के ऐसे बिम्बों का प्रयोग 'दोदो चनेसर' में हुआ है इसके उदाहरण के रूप में दो पंक्तियां प्रस्तुत हैं :

सिजु न करे सोझिरो, धाधनि धू-धूकार,
उते अबड़ो इएं वढे, जींए पाणी बोड़े तार।

इन पंक्तियों में दोदो के साथी अबड़ो के शौर्य का वर्णन करते हुए कवि ने घमासान युद्ध के कारण छाए घोर अन्धकार के क्षेपक के साथ लिखा है कि वह दुश्मनों के इतनी

तेज़ी से काट रहा है, जितनी तेजी से बाढ़ का पानी धरती को लीलता चला जाता है ।

वेदान्त एवं हठयोग की तरह सिन्धी काव्य में कबीर, मीराबाई, सूरदास, आदि की विचारधारा की स्पष्ट छाप दिखाई देती है । सिन्धी के प्रतिष्ठित कवियों शाह बुलड़ी अवारो, शाह अब्दुल लतीफ, रोहल, दलपत, सचल, आदि के काव्य पर हिन्दी के भक्तिकालीन कवियों की विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है । सिन्ध के हिन्दू पंडित विद्याध्ययन के लिये वाराणसी जाते थे । इसलिये उन पर पड़े वैचारिक और भाषाई प्रभाव स्वाभाविक रूप से सामान्य जन की चेतना में उतरते चले गये । सिन्धी सन्तों में से सन्त रोहल के ज्ञान और भक्ति की लहरें सिन्ध में ही नहीं, पड़ौसी प्रदेश राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्रों में आज भी पहचानी जा सकती हैं । सिन्ध को भाषाई स्तर पर हिन्दी से जोड़कर हिन्दी को विशुद्ध, मान्य रूप प्रदान करने की दिशा में से इन गतिविधियों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता ।

सचल सरमस्त, शाह अब्दुल लतीफ और सामी को सिन्धी साहित्य की वृहद त्रयी कहा जाता है । सिन्धी में इन तीनों का वही स्थान है जो हिन्दी में कबीर, सूर और तुलसी का है । सन् 1739 में सिन्ध के दराजन गांव में जन्मे सचल सरमस्त को इस त्रयी में विद्रोही कवि के के रूप में पहचाना जाता है । प्रेम के पुजारी किन्तु सड़ी-गली परम्पराओं के विरुद्ध शंखनाद करने वाले सचल सरमस्त ने सौ से अधिक दोहे, सोरठे और पद हिन्दी में लिखे हैं । उनकी रचनाओं की भाषा खड़ी बोली के बहुत निकट है । सचल की निम्नलिखित पंक्तियां इस कथन की पुष्टि करती हैं :

सचल प्याला प्रेम का,
मुझको पिला दिया ।
और
आज खिर मेरे,
विरह बारात लाया है ।

19वीं शताब्दी से तो ऐसे सिन्धी कवियों की एक लम्बी कतार है, जिन्होंने हिन्दी में सृजनकार्य किया । भारवाणी परिवार के चार कवियों, सेठ निहालचन्द, सेठ विश्नदास, सेठ उद्धवदास और सेठ श्रीचन्द ने सिन्धी के साथ-साथ हिन्दी में अनेक भक्ति रचनाएं की । शाह मिसरी, मोहम्मद अब्दुल गनी, सूरतसिंह, संत वलीराम, संत धर्मदास, महाराज बसंत राम, स्वामी कलाचन्द, साई जीवतसिंह, रोशनअली, भाई ईसरलाल, महाराज नयनाराम, महाराज जयकृष्णदास, महाराज जवाहरलाल, महाराज भगवानदास आदि ने भी सिन्धी के साथ-साथ हिन्दी में काव्य सृजन किया ।

सिन्धीभाषी भारत ही नहीं, विश्व की प्रचीनतम सभ्यता की जन्मदाता भूमि से संलग्न होने के बावजूद सांस्कृतिक चेतना की अपनी मूल धरती से बिछुड़ने के लिये अभिशप्त हैं । भौगोलिक दृष्टि से सिन्धीभाषी आज जड़विहीन स्थिति में देश के कोने-कोने में बिखरे हुए हैं । इसके बावजूद हिन्दी में साहित्य सृजन की दिशा में सिन्धीभाषियों ने बहुत योगदान दिया है । हिन्दराज दुखामल, ए.जे. उत्तम, डा. दयाल आशा, लाल पुष्प, डा. मोतीलाल जोतवाणी, ईश्वर चन्दर, भगवान अटलानी और कन्हैया अगनानी मात्र कुछ नाम हैं जिन्होंने सिन्धी के साथ हिन्दी में कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, निबन्ध और फीचर लिखे हैं । देश की सभी प्रतिष्ठित 'हिन्दी' पत्रिकाओं में इन लेखकों की रचनाएं लगातार प्रकाशित होती रही हैं । आकाशवाणी और दूरदर्शन से इन लेखकों के आलेख प्रसारित होते रहे हैं । हिन्दी मातृभाषी लेखकों के मुकाबले सिन्धी लेखकों को कई लब्ध-प्रतिष्ठ पुरस्कार मिले हैं । प्रादेशिक स्तर पर तो अनेक सिन्धी लेखक हिन्दी में साहित्य सृजन कर रहे हैं । वासदेव सिन्धुभारती, राधाकिशन चांडवानी और किशनचन्द टोपणदास जेतली को सिन्धी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य को हिन्दी में अनूदित करने के लिये याद किया जा सकता है ।

सिन्धी भाषा भाषियों की हिन्दी सेवा का वट वृक्ष समय के साथ अधिकाधिक पल्लवित होता रहा है । कुशल-गन्धी की भांति सिन्धी भाषा भाषियों की हिन्दी रचनाएं भाषाई सामन्जस्य और सौहार्द्र स्थापित करते हुए हिन्दी को समृद्ध सर्वमान्य और सर्वग्राह्य बनाकर सुवासित कर रही हैं ।

भगवान भवन,
ए-130, आदर्श नगर,
जयपुर-302004.

पृष्ठ 10 का शेष

राज्य एवं राज्य के बीच राजभाषा के रूप में हिन्दी भाषा अपनी जगह बना सकती है । इसलिए अंग्रेजी के व्यवहार को कम करने के लिए हिन्दी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी समुचित स्थान एवं प्रोत्साहन देने की अत्यंत आवश्यकता है। प्रशासनिक एवं शैक्षिक-माध्यमों के रूप में जब भारतीय भाषाएं अपने कार्य संभालेंगी तभी जन हित एवं राष्ट्र हित संभव हो सकता है ।

देश में राष्ट्रभाषा हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं के प्रचार की दिशा में सरकार कई कदम उठा सकती है। इस संदर्भ में सभी पाठशालाओं में त्रिभाषा सूत्र का पालन अत्यंत मूल्यवान है । फिर भी सभी राज्य सरकारें इस सूत्र को आंशिक या संपूर्ण रूप से निराकरण कर रही हैं । देश हित को दृष्टि में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र के पालन के विषय में प्रति वर्ष सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का अधिवेशन चलाकर कुछ नीतियाँ अपनाने की आवश्यकता है । इसी प्रकार हिन्दी भाषा के अलावा संविधान द्वारा अनुमोदित देशी भाषाओं के विकास का समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा पर्यवेक्षण कराने की आवश्यकता है ।

—एल. आई. जी. 29,
एम. वी. पी. विशाखापट्टनम-530017 (आं. प्र.)

एक ही भाषा : एक ही संगीत : एक ही देश

☐ डा. जयन्त कुमार दास

प्रस्तुत रेडियो नाटक आकाशवाणी कटक (उड़ीसा) से प्रसारित किया गया है। इस नाटक के रचयिता डा. दास की प्रस्तुत कृति उनके हिन्दी प्रेम का एक अनन्य उदाहरण है। -सं०

संगीत—सर्वेषां नो जननी भारत

धरणी कल्प लतेय

जननी वत्सल तनय गणैस्तत्

सम्यक् शर्म विधेयें ध्रुवं ॥

हिमगिरि–सीमन्तित मस्तकमिदम्—

अम्बुधि परिणत पार्श्वम्

अम्सजननद मन्नदनिगं

शौर्य पुरातन मार्गम्

विजनित हर्ष भारत वर्ष

विश्वोकर्षा निदानम्

भारत शर्मणि कृतमम्सरि

निवमिदवमयक विधानम् ॥

(कविवर राधानाथ राय)

पुरुष 1 —भारत है उस देश का नाम जो कई राज्यों का समाहार है।

पुरुष 2 —एक ऐसा देश है भारत जहां अनेक भाषाओं का प्रचलन है।

स्त्री —भारत में बसते हैं कई जाति और कई धर्मों के लोग।

पुरुष —कश्मीर से कन्याकुमारी, कलकत्ता से कालिकट और कटक से कच्छ तक फैला हुआ यह विशाल देश है भारत वर्ष। भिन्नताएं यहां बहुत हैं, साथ फिर ढेर सारे अलगाव। वर्ण, संस्कृति, पहनावे में इन भिन्नताओं का पता लगता है, आचार व्यवहार रीति–रिवाजों में यही अलगाव समस्याएं पैदा करती हैं।

स्त्री —इतनी सारी भिन्नताओं के बावजूद इस देश में है एकता–जिसके कारण वह दूसरों से उत्तम है, अनन्य है। भारत जैसे सार्वभौम, गणतांत्रिक जनतंत्र का व्यक्तित्व ही इस सत्ता का आधार है।

पुरुष 1 —उस भिन्नता का नाम है भारत

पुरुष 2 —उस एकता का भी नाम है भारत।

सम्मिलित स्वर —भारत एक देश का नाम है।

संगीत : —(ओडिआ) अनेक प्रान्त अनेक भाषा धर्म–जाति अनेक
एक मगर सभी का मन सभी है हम सैनिक
हमारे सभी भाई–बहन हीरा–मोती–मर्कत
तुम्हारी रक्षा हेतु सर्वथा प्रहरी हम जाग्रत
जन्म भूमि–मातृभूमि पुण्य भूमि, भारत ॥

पुरुष 1 —एक साथ रहने का शपथ लेकर हम लोगों ने संविधान बनाया है। उसमें भी वही एकता की गाथा, एक दूसरे को एक सूत्र में पिरोने की प्रचेष्ठा। अहिंसा का प्रतीक 'अशोक स्तम्भ है हमारा राष्ट्रीय चिह्न।

स्त्री —सत्य के विजय को हम सम्मान करते आये हैं। 'सत्यमेव जयते, हमारी राष्ट्रीय वाणी है। एक झंडे के बीच नीचे इस देश के सभी इन्सान इकट्ठे खड़े हैं, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है।

पुरुष 1 —आबाल-वृद्ध-बनिता हम सभी ने एक ही संगीत गाया है। अत्यन्त सुमधुर, बिल्कुल अपना–वह है हमारा राष्ट्रीयगान।

राष्ट्रीय गान :

जनगणमन अधिनायक जय हे

भारत भाग्य विधाता

पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा,

द्राविड़ उत्कल बंग

विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा

उच्छल जलधि तरंग

तव शुभ नामे जागे, तव शुभ

आशिश मांगे

गाये तव जय गाथा

जनगण मंगल दायक जय हे

भारत भाग्य विधाता

जय हे जय हे जय हे

जय जय जय जय हे ।

स्त्री —एक दूसरे को समझने के लिए, हम लोगों ने एक भाषा चुन लिया है—राष्ट्रीय भाषा । इसने हमारी दूरी को निकटतर किया है, नजदीक से नजदीक लाया है। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है।

पुरुष 1 —संविधान में हिन्दी को भी सरकारी भाषा होने की स्वीकृति दी गई है।

Eng:— The Offlcial Language of the Union shall be Hindi in Devnagri Script,

पुरुष 2 —संघ की सरकारी भाषा है . देवानागरी लिपि में हिन्दी ।

धुन

पुरुष 1 —हिन्दी भारत के उत्तर खंड में काफी हद तक कही जाती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि कई इलाकों में हिन्दी का प्रयोग, मातृभाषा के नाते दिया जाता है । भाषा एक तो है ही, पर सभी इलाकों में रूप इसका समान नहीं है। क्षेत्र-परिवर्तन के साथ-साथ हिन्दी के स्वरूप का परिवर्तन भी दिखाई पडता है।

स्त्री : —चौदह कोस में भाषा बदल जाती है। तो फिर इतने बड़े भूखंड की एक भाषा कैसे हो सकती है? इस कारण एकही भाषा में भिन्नता स्वाभाविक ही है।

पुरुष 1 —राष्ट्र भाषा होने की स्वीकृति पा लेने के बाद इस भिन्नता को हटाकर हिन्दी के सरल स्वरूप को ही अपना लिया गया है। प्राध्यापक डा. तारिणी चरण दास ने हिन्दी के स्वरूप के बारे में सूचना दी है—

साक्षात्कार —**डा. तारिणी चरण दास** (Chidananda)

हिन्दी में आम तौर पर तीन तरह की भाषाओं में पुस्तकें लिखी गई हैं—ब्रज, अवधि और खडी बोली, अब भी लिखी जा रही है। पर यह जो खडी बोली है, सही मानने में यह मेरठ और दिल्ली इलाके की भाषा है। देहरादून में भी इसी भाषा का प्रचलन होता है तथा वहां किसी दूसरी बोली का प्रचलन न होकर खडी बोली ही प्रचलित है। खडी बोली अत्यन्त प्राचीन है। अमीर खुसरो तथा कबीर की रचनाओं में भी इसका पूर्व रूप पाया जाता है। अगर कोई यह सोचे कि उर्दू के प्रभाव से हिन्दी विकसित हुआ है, तो यह स्वीकार्य नहीं होगा नहीं हो सकता भी। क्योंकि खड़ी बोली का पुर्वरूप हिन्दी में. विद्यमान है और अब की खडी बोली किसी समय की एक बोली का विकासात्मक रूप मात्र ही है। और इसे हम लोगों ने राष्ट्र भाषा के नाते स्वीकारा है।

प्रश्न —अब आप यह बताइए कि हिन्दी और हिन्दुस्तानी में अन्तर क्या है?

उत्तर —हिन्दी और हिन्दुस्तानी के बीच उतना कुछ अन्तर तो नहीं, पर समय और स्थाव के आधार पर उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है। हिन्दी कहने से हिन्द या भारतवर्ष की संपर्क भाषा, वस्तु या व्यक्ति का आभास मिलता है । उस दृष्टि से ओडिआ, बंगला भी एक तरह से हिन्दी शब्द के अंतर्गत आ सकते हैं। फिर भी हिन्दी मध्य प्रदेश, आर्यावर्त या उत्तरांचल की भाषा है । जो भाषा भारत भर में आपसी बातचीत का माध्यम है। जो जावा बोर्णियों, श्याम, रंगून, या वर्मा में बोली जाती हो, वही भाषा अब हिन्दी के रूप में प्रचालित है। इसे कुछ लोग हिन्दुस्तानी मानते हैं, पर हिन्दुस्तानी उसी हिन्दी का ही पर्यायवाची है। जिस समय 1801 में अंग्रेज आये, वे इसे याने इस हिन्दुस्तानी को उर्दू मिश्रित भाषा के नाते स्वीकार किए के लोग इसे हिन्दी नहीं माने। बाद में गांधी जी ने भी चाहा कि हिन्दुस्तानी को इस तरह की भाषा बनानी चाहिए जिसमें कि अरबी, फारसी शब्दों का स्थान ज्यादा न हो और साथ ही हिन्दी के नाम पर इसे पूरा संस्कृतनिष्ठ भाषा बना न दिया जाए । एक बीच की सरल भाषा होनी चाहिए जो हिन्दी और उर्दू को समन्वित कर पाती होगी और वह भाषा बनेगी हन्दुस्तानी।

पुरुष 2 —दोनों हिन्दी और हिन्दुस्तानी भाषाओं की सृष्टि ही जाति के जनक महात्मा गांधीजी के अवदान न थे हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में भी उनका प्रच्छन्न आर्शीवांद था। भारत की आजादी के लिए चल रही लड़ाई के साथ-साथ जन-जीवन के विकास हेतु ढेर सारे रचनात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत उन्होंने करवाई थी। हिन्दी का प्रयोग, प्रचार एवं प्रसार उनका एक अंग था। एकता की धागे में देश बांधे रखने के लिए वह किसी के द्वारा स्वीकृत एक स्थानीय भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने कहा था। वही भाषा है हिन्दी। राष्ट्रीय भाषा के स्वरूप के बारे में उन्होंने लिखा था—

प्रतिध्वनि—यह भाषा सरल हुई होगी तथा देश की अधिकांश जनता इसका प्रयोग कर रहे होंगी । किसी क्षणिक या अल्प अकालिक हित के लिए इस में कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसी तरह से अपनी धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकता की पुर्ति इससे होती होगी। खास तोर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सहज हुई होगी । ये सारे गुण सिर्फ हिन्दी भाषा में ही दिखाई देते हैं।

स्त्री —आजादी के बहुत पहली से ही हिन्दी भाषा के प्रचार हेतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ध्यान दिया था। इसका प्रशिक्षण, प्रसार एवं प्रचार तो राष्ट्र की एकता मानकर देश सेवा के नाते स्वीकार करने के लिए उन्होंने कहा था। कर्मीगण देश के विभिन्न इलाकों में जाकर हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कमर कसे थे। पुत्र देवदास राष्ट्रभाषा प्रचार के लिए मद्रास को भेजे गए थे। उस समय हिन्दी भाषा आज लोगों के दिल वह दिमाग में अनकही उन्मादता जमाने में समर्थ हुई थी। देश सेवा के नाते स्वीकार कर लोगों ने हिन्दी सीखा और उसका प्रयोग भी किया।

धुन

पुरुष 1 —संविधान स्वीकृत होते समय हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया। अब तक हिन्दी राष्ट्रभाषा के नाते आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सैनानियों को प्रेरणा देती आई थी। अब राजभाषा के नाते देश को एक डोरी में बांध रखने का कारण हिन्दी ही बन गया। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के प्रयोग के बारे में संदेह को लगातार अर्द्धशताब्दी तक हिन्दी प्रचार के अपना व्रतमान लेने वाले सेनानी श्री राधानाथ पंडित ने दूर किया।

साक्षात्कार : श्री राधानाथ पंडित

राष्ट्रभाषा है राष्ट्र की भाषा अर्थात राष्ट्रीय भाषा। सारे देश की एक भाषा होनी चाहिए। हर देश की एक भाषा है। इस दृष्टि से हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा का प्रचार पूरे देश में शुरू हुआ। धीरे धीरे प्रचार बढ़ता गया, लेकिन आजादी के बाद देश की एक सरकारी भाषा तो होनी ही चाहिए सभी इस पर सोचने लगे। एक ही भाषा—वह क्या है। वह भाषा है हिन्दी, जिसे राष्ट्रभाषा के नाते सारे देश में आदर प्राप्त है। इसलिए एक भाषा को चुन लिया गया, वह भाषा रही हिन्दी और इसे राजभाषा का खिताब दे दिया गया।

स्त्री —राजभाषा हो जाने के बाद हिन्दी का प्रचार, प्रसार एवं विकास सरकार की जिम्मेदारी बन गई। इस जिम्मेदारी की स्वीकृति संविधान में दी गई हैं और भाग 17 के परिच्छेद के 343 से 351 तक की धाराओं में इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था हेतु संघ की जिम्मेदारी के बारे में संविधान में यह सूचना है कि—

CONSTITUTION

It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi Language to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the demands of the campo-site culture of India and to secure ist enrichment by assimilating without interfering with its genius, the form, style and expression used in Hindustani and other Languages of India specified in the rigrth schedule, and by drawings, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and Secondarily on other Languages.

पुरुष 2— —हिन्दी भाषा का प्रसार करते हुए इससे विकास हेतु ध्यान देना पड़ेगा जिससे यह देश के सभी स्तर पर सहज अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इस कारण यह अपने मूल रूप को अनुबन्ध रख हिन्दुस्तानी या आठवीं अनुसूची में वर्णित दूसरी भारतीय भाषाओं के रूप, शैली व शब्दभंडार की समृद्धि हेतु आवश्यकतानुसार मुख्यतः संस्कृत एवं तत्पश्चात दूसरी भाषाओं से सभी शब्द लिए जा सकते हैं।

स्त्री— इसलिए हिन्दी के विकास हेतु आवश्यकतानुसार संस्कृत के साथ-साथ सभी भारतीय भाषाओं जैसे असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडीआ, पंजाबी, तमिल, तेलगु, उर्दु आदि से पर्याप्त संख्या में शब्द लिए गए है और हिन्दी के शब्दकोश को समृद्ध बनाया गया है। इसलिए हिन्दी सिर्फ पहले की खढ़ीबोली नहीं रही, उसमें आब सभी भारतीय भाषाओं का स्पर्श भरा है जिसमें कि इस देश का इन्सान उसमें से अपने को ढूंढ़ पाने में सफल हो सके।

पुरुष 1— राजभाषा हिन्दी के विकास हेतु देश भर में विभिन्न कदम उठाये गये हैं। संविधान के व्यवस्थानुसार एक राजभाषा आयोग का गठन हुआ है। यह आयोग हिन्दी का सहज प्रचलन, विकास तथा प्रयोग के लिए नीति नियमों का प्रणयन करेगा

क ख ग घ क्षेत्रों का वर्गीकरण क्या है ?

प्रश्न—— हिन्दी सीखने के बारे में कर्मचारियों को या देश के विभिन्न मातृभाषा जानने वाले लोगों को चार श्रेणियों में बांट दिया गया है जो "घ" श्रेणी है, वह केवल दक्षिण भारत के चार ही राज्य आते हैं। मातृ-भाषा के हिसाब से हिन्दी सीखने के लिए उनको "घ" श्रेणी में रखा गया है या "डी" कैटागौरी में रखा गया है।

उत्तर—— राजभाषा शिक्षण दृष्टि से ओडिशा को "ग" क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के रूप में माना जाता है। स्थानीय लोगों का हिन्दी के साथ संबंध अत्यंत ही निबिड है। एक ही मूलस्रोत संस्कृत से निकल कर हिन्दी और ओडिया आपस में बहनें है। लंबी अवधि तक हिन्दी शिक्षा देते आए श्री राधेनाथ पंडित जी अपनी अभिज्ञता का वर्णन बड़े उत्साह के साथ करते हैं।

साक्षात्कार—— श्री राधानाथ पंडित

ओडिआ और हिन्दी के बीच फर्क करीब नहीं है। जैसे ओडिआ में फरअ करते है तो हिन्दी में घर हलन्त उच्चारण का यह फर्क छात्रों को कई बार समझा दिया जाता है। व्याकरण के कई नियम है इतने सालों तक लगातार हिन्दी पढ़ाते हुए मैंने एक सूत्र निकाला है। वह यह कि जब किसी के साथ हिन्दी में बातचीत करते हैं या किसी को हिन्दी कहते सुनते है तो उसके द्वारा कहे गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्द की ओर ध्यान देना चाहिए। इससे कई शब्दों के लिंग के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मने कहा मेरा मकान यहां से दूर है। इसके बाद मकान स्त्रीलिंग है या पुलिंग कहने की जरूरत नहीं है क्यों कि हम मेरा मकान कहते हैं। इसलिए पहले आ– ए– ई नियम की जानकारी चाहिएँ। मैं इसे बार–बार दोहराता हूं इसी के आधार पर रा– रे–री–का–के–की, ना-ने-नी आदि बनते हैं। पर ओडिआ में इन सब के लिए हैं। र और अंग्रेजी में आफोस्टफी एस। जानकारी के लिए 'आ' का नियम है –आ परवर्ती शब्द सर्वदा पुलिंग एकवचन में रखना चाहिए: 'ए' के बाद का शब्द पुलिग बहुवचन में। उसी तरह "ई" के बाद के शब्द स्त्रीलिंग एक वचन तथा बहुवचन में रहेंगे। जैसे सीता का धर होगा सीता के घर नहीं। इसलिए में छात्रों से यही कहता हूं कि का या रा तुम्हारा –मेरा–मेरा घर, मेरे घर नहीं। मेरा नाम आ के बाद का शब्द पुलिग होना चाहिए। रा के बाद का शब्द पुलिंग एकवचन और बहुवचन में। उसी तरह 'ई' के बाद का शब्द स्त्रीलिंग जैसे——राम की बहन होगा, उसी तरह सीता का भाई। बहुवचन होने पर सीता के भाई बन जायेगा। किस प्रकार आप हिन्दी समझ पायेंगे, समझ तो सभी लेंगे। पर कह पायेंगे सीख पायेंगे--इसी को दृष्टि में रखते हुए में आज तक कोशिश करता आ रहा हूं।

पुरुष—— 1 ओडिशा में हिन्दी के प्रति बच्चों में कोई विराग नहीं। भाषा के बारे में उन्हें समझा देने के बाद उनके आग्रह की कोई सीमा नहीं, कोई सानी नहीं।

जहां भी हम सब गए है, हमारे बच्चे दो चार दिनों में ही ऐसे अच्छे नाटक कर दिखाए है कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। उनको यह देख अचरज होता है कि अहिन्दी भाषी इतनी अच्छी हिन्दी कैसे बोल लेते हैं? इतना अच्छा नाटक कैसे कर लेते है। हमें कई जगहों पर पहला पुरस्कार भी मिले हैं।

स्त्री—— सरकारी, कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग व्यापक न होने पर भी आशाजनक है। यहां भी उस भाषा के प्रति कर्मचारियों के दिल में अनुराग है। जरूरत पडने पर वे हिन्दी में सरकारी पत्र लिख सकते हैं मांग किए जाने पर उन्हें अंग्रेजी अनुवाद भी दिया जाएगा।

पुरूष—— 1 केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिए तरह –तरह के प्रोत्साहन दिए जा रहे है। सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना उनका उद्देश्य है। आन्ध्र प्रदेश के श्रीमती बी. अम्बा भी एक हिन्दी अधिकारी है। सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की उपयोगिता पर उनकी दृष्टि टिकी हुई है।

साक्षात्कार—श्रीमति बी० अम्बा

हिन्दी राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाये हैं, इनको कहना चाहिए कि ये त्रिसूत्री कार्यक्रम है । एक तो है उनका प्रशिक्षण, एक है अनुवाद का और एक है कार्यान्वयन। अहिन्दी भाषी सभी कर्मचारियों को हिन्दी सीखने की प्रशिक्षण की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौपी गई है। और गृह मंत्रालय हर वर्ष प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, टाईपिंग और आशुलिपि की बहुत सारी कक्षाएं चलाती है और ये कक्षाएं वर्ष में दो बार होती हैं और इनके पास होने पर बहुत सारे प्रोत्साहन पुरस्कार मिलते हैं।

प्राज्ञ की परीक्षा पास करने पर उन्हें एक एडवान्स इन्क्रीमेन्ट मिलता है । इनको पढ़ाने के लिए जो पुस्तकें दी जाती हैं वे फ्री हैं, और उन्हें जब परीक्षा देना होता है, उस समय उस दिन को डिउटी माना जाता है या स्पेशियल कैजुएल लीव मानी जाती है। इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं है — जिनमें सरकार चाहती है कि जितने अहिन्दी भाषी कर्मचारी है, वे हिन्दी का भरपूर ज्ञान प्राप्त कर सकें। अनुवाद जब तक कि जितनी चीजें है, जैसे कि नियम है, नियमावलियां है, फार्म है, विज्ञापन है, टेंडर है, प्रेसविज्ञप्तियां हैं, मैनूएल कोड आदि जितने भी हैं, इनका जब तक हिन्दी नहीं हो जाएगा तब तक तो आप हिन्दी कार्यान्वयन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने इसके अतर्गत एक केन्द्रीय सचिवालय—हिन्दी परिषद की स्थापना की है । कार्यान्वयन में सरकार में जो अहिन्दी भाषी कर्मचारी हैं, उन्हें हिन्दी शिक्षा तो प्राप्त हो गई है वे पास हो गये हैं प्राज्ञ तक इसके बाद जो कार्यक्रम है, उसे चलाने के लिए या कार्यान्वयन हेतु कार्यशालाओं का गठन किया गया है, याने नोटिंग-ड्राफ्टिंग की कक्षाएं—इनमें जिन्होंने प्राज्ञ कर लिया है या जो हिन्दी माध्यम से पास किए है या जिनका कार्यसाधक ज्ञान है उन लोगों के लिए यह कार्यशाला गठित हुआ है। इसमें उ० कक्षाएं होती हैं और इसमें जो पास करते हैं, उन्हें प्रमाणपत्र मिलता है कि ये लोग नोटिंग ड्राफ्टिंग कर सकते हैं।

स्त्री —विभिन्न अर्ध–सरकारी उद्योग में राजभाषा के विकास के लिए कई तरह के कदम उठाये जा रहे हैं। हिन्दी भाषा का अपने कार्यों में प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों ने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेते आए हैं। उन्हें मिलने वाले विभिन्न पुरस्कारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं एक ओडिआ भाषी—श्री रमेश चन्द्र साहु ।

साक्षात्कार—श्री रमेश चन्द्र शाहु

आम तौर पर सरकारी उद्योगों में, वह एक किसी निर्दिष्ट राज्य में स्थित होने पर भी उसी राज्य के ही लोग तो वहां नौकरी नहीं करते, सारे भारतवर्ष के लोग वहां नौकरी करते। इसलिए एक संपर्क भाषा के नाते हिन्दी को हमें प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। इस दृष्टि से हिन्दी को हम लोगों ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है । कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी की समय सीमा के भीतर अगर विभिन्न प्रकार के भारत सरकार द्वारा प्रचलित पाठ्यक्रमों जैसे–प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ में से किसी एक में पास करने पर उसे एक मुश्त वेतनवृद्धि मिलती है। और साथ ही निश्चित प्रतिशत अंक रखने पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जैसे हमारे ही कार्यालय में इन सब के अलावा हमारी अपनी योजना भी है। जैसे किसी कर्मचारी—सिर्फ उत्तीर्ण मात्र घोषित हुआ हो, पर सरकारी नियमानुसार वह किसी पुरस्कार का हकदार नहीं है, पर उसे उत्साहित करने हेतु तथा दूसरे भी इसे देख कर प्रोत्साहित हों, इस दृष्टि से हम अपनी योजनानुसार भी पुरस्कार देते हैं। साथ ही हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु समय-समय पर हम वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी करते हैं । और फिर निबंध लेखन प्रतियोगिता कभी-कभी आवृत्ति प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। तरह तरह की योजनाओं से कर्मचारियों में आग्रह पैदा करने हेतु हम कोशिश करते हैं।

और फिर यह मेरी अपनी अनुभूति है, मेरा अपना ही तजुर्बा है कि इससे सही मायने में कर्मचारी-गण आग्रह के साथ हिन्दी सीखने-पढ़ने के लिए आगे आते हैं।

स्त्री —राष्ट्रभाषा के विकास एवं प्रचार में देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया है। कोई आन्ध्र प्रदेश से आया है तो कोई ओडिशा का हो है, किसी का घर उत्तर प्रदेश में है तो कोई मध्य प्रदेश से आकर इस काम में हाथ बंटा रहा है। हर किसी के मन में एक ही कामना है एक राजभाषा चाहते हैं। **उस समय जिसनें राष्ट्रभाषा का स्थान लिया था, वहीआज राजभाषा है। हिन्दी ने हमारी उस जगह की पूर्ति की है।**

साक्षात्कार—श्री साहु

प्रश्न —रमेश जी, आप बता सकते हैं कि ओडिशा में हिन्दी का विकास तथा प्रसार के लिए आप क्या आशा करते हैं ?

उत्तर —देखिए, कई संस्थाएं है। जैसे स्कूल। स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्तियां हो रही हैं। वहां हिन्दी पढ़ाने के लिए वे बाध्य हैं और पढ़ा भी रहे हैं। इनके अलावा कुछ और भी संस्थाएं हैं, जो सिर्फ परीक्षा मात्र का आयोजन कर छात्रों को उत्तीर्ण घोषित कर देने के बाद वे सोचते हैं कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन हिन्दी का प्रसार कैसे हो पायगा, उसके लिए रचनात्मक दृष्टिकोण का संपूर्ण अभाव है।

लोगों के मन में आग्रह है। पर उनके भीतर इसका प्रयोग बढ़ाने के लिए हम अधिक सुविधाएं उन्हें कैसे दे पायेंगे, इस ओर कोई चेष्टा नहीं। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ भाषण देने की तरह कुछ हम लोग कह डालें, लोगों ने उसे सुना भी। पर उनका जो आग्रह इससे बढ़ा, परवर्ती समय में उसका सफल प्रयोग करने हेतु योजना बननी चाहिए। जैसे विभिन्न संस्थाओं कि तरफ से अगर हिन्दी में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन नियमित हो सकता है तो फिर जो लोग हिन्दी सीखने के लिए आग्रही है वे इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लिख सकते हैं भी। बार-बार घिसने के फलस्वरूप कोई चीज जिस प्रकार चिकनी बन जाती है, उसी तरह एक आदमी अगर हिन्दी सीख कर उसका प्रयोग कर पाने में असमर्थ होगा, तो फिर उस सीखने का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। वे लोग धीरे-धीरे उसे भूल जाते हैं। इसलिए इस तरह की योजना या रचनात्मक कार्यक्रम हमें अपनाना पड़ेगा, जिससे कि उनकी शिक्षा वे भूलने न पायें। उसका प्रयोग वे समाज के भीतर कर पायें। हम अगर सिर्फ सरकारी नीति–नियमों के चाहरदीवारी में बन्द न रह कर साधारण स्तर पर उसका प्रयोग करने में सफल हो सकते हैं तो फिर हिन्द का विकास सुनिश्चित है।

स्त्री —भाषा के जरिए आदमी अपने को प्रकट करता है। एक इलाके का इन्सान दुसरे इलाके में अपना बन जाता है। अपना सुख-दुख, हंसना-रोना वह दूसरों के सामने उंडेल देता है। वही भाषा सरकार और जनता के बीच सेतु का निर्माण करता है। जनता की हर गुहार जिस प्रकार सरकार की दरबार में पहुंचाती है उसी तरह सरकारी खबरों को आम आदमी तक भी पहुंचा देती है। भाषा ही इन्सान को जानवर से अलग बनाती है।

पुरुष 1 —भारत जैसे विशाल देश में लोग 400 से अधिक बोलियां बोलते हैं 60 भाषाओं में शिक्षा दी जाती हैं उनमें से सिर्फ 15 को संविधान में स्वीकृति दी गई है। भारत में भाषाओं की इस भीड़ में हिन्दी ही ऐसी भाषा है। 40 प्रतिशत लोग जिसका प्रयोग करते हैं। समझते इससे भी ज्यादा है। हिन्दी प्रयोग की इस बहुलता को देखते हुए भाषाविद् ग्रीयर्सन ने एक जगह कहा है—

पुरुष 2 —हिन्दी एक ऐसी भाषा है, जो भारत उप महाद्वीप में हर कहीं बोली जाती है और समझी जाती है।

(प्रतिध्वनि)

पुरुष 2 —हिन्दी के माध्यम से सारे भारत को एकता की धागे में पिरोया जा सकता है।

पुरुष 1 —महर्षि दयानन्द सरस्वती की कही बात है यह। ऋषि अरविन्द कंठ में भी वही वाणी—भले ही भाषा कुछ अलग हो—

पुरुष 2 —भारत के विभिन्न प्रान्तों के बीच हिन्दी प्रचार के द्वारा एकता बनायी रखी जा सकती है।

(प्रतिध्वनि)

पुरुष 1 —देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहा था—

पुरुष 2 —राष्ट्रभाषा के नाते हिन्दी हमारे देश में एकता के लिए सबसे बडा सहायक सिद्ध होगा—
इसमें कोई दो राय नहीं है ।

(प्रतिध्वनि)

स्त्री —इन सारी बातों का सारांश स्वर्गत इन्दिरा गांधी जी की वाणी में संभवतः हुआ है—

स्त्री 2 —देश को एकता के सूत्र में बांध रखने की शक्ति सिर्फ हिन्दी में ही है।

पुरुष 1 —राष्ट्रपित गांधी ने कहा है—

पुरुष 2 —राष्ट्रभाषा का स्थान सिर्फ हिन्दी ही ले सकती है।

(प्रतिध्वनि)

पुरुष 1 —राजा राम मोहन राय—

पुरुष 2 —अखिल भारतीय भाषा बनने की सारी क्षमता सिर्फ हिन्दी की ही है।

(प्रतिध्वनि)

पुरुष 1 —महाकवि शंकर कुरुप—

पुरुष 2 —भारत की अखंडता और व्यक्तित्व को जारी रखने के लिए हिन्दी का प्रचार अत्यन्त आवश्यक है।

पुरुष 1 —चक्रवर्ती राजगोपालाचारी—

पुरुष 2 —हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसके विकास में राष्ट्र के सभी इलाकों के लोगों ने हिस्सा लिया है ।

(प्रतिध्वनि)

पुरुष 1 —महापंडित राहुल सांकृत्यायन—

पुरुष 2 —हिन्दी भाषा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक प्रयोग होने लायक भाषा है।

(प्रतिध्वनि)

पुरुष 1 —हिन्दी को अपना बनाते हुए इस तरह की उद्घोषणाओं की धारा अनंत है। भारत के पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर के इस जुलुस में समाज के हर वर्ग, हर स्तर के लोगों ने हिस्सा लिया है। हर किसी की मन में एक ही भावना, हर किसी के स्वर में एक ही बात, वही कामना उस दिन रुपायित हुई थी स्वर्गत इंदिरा गांधी की रचना में—

स्त्री 2 —सारे देश को एकता की सूत्र में बांध रखने की शक्ति सिर्फ हिन्दी की ही है।

पुरुष 1 —और फिर ढेर सारी भिन्नताओं में से सृष्ट एकता का नाम ही तो भारत है। जाती, धर्म, वर्ण सब कुछ छोड़कर वह विशाल भूखंड एक ही धागे में बंधा पड़ा है। वह है एक देश और उस देश का नाम है भारत ।

स्त्री —उसका एक संगीत है—अत्यन्त मधुर-मनोहर, जो अंतर में झंकार पैदा करता है। वह है हमारी राष्ट्रीयता ज्ञान ।

दोनों —इसी एकता को सुदृढ़ बनाती है एक भाषा, बिल्कुल अपनी, बिल्कुल निजी वह है हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी । उस दिन उसने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी थी, सारे देश को इकट्ठा बांध रखा था। आज वह राजभाषा है, एकता का गोवर्धन पर्वत जिसने हम लोगों को हर किसी को बांध रखा है अपने पास अपने नजदीक ।

कोरस —हिन्द देश के निवासी सभी जब एक हैं
रंग-रूप, वेश-भाषा चाहे अनेक हैं
बेला-गुलाब -जुही-चंपा-चमेली
प्यारे-प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं ।

(कवि—विजय चन्द्र मुदगल)

सहायक केन्द्र निदेशक
आकाशवाणी, कटक (उड़ीसा)

पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य

भारत की संविधान-सभा में प्रथम दिन ही हिन्दी भाषा का प्रवेश

□ पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी

"हिन्दी दिवस विशेषांक" की महत्ता बढ़ाने वाला प्रस्तुत लेख साहित्य जगत् की ख्यातिनामा पत्रिका 'सरस्वती' के लब्ध प्रतिष्ठ संपादक पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी की लेखनी से निसृत है। लेख में चतुर्वेदी जी ने हिन्दी के राष्ट्रभाषा घोषित होने की परिस्थितियों और हिंदीतर भाषियों के योगदान का विश्लेषणपरक रोचक विवरण प्रस्तुत किया है।"—सं.

भारत का संविधान-सभा के बनने के कई महीनों बाद सर्व-सम्मति से हिन्दी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। किन्तु यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि संविधान-सभा ने आरम्भ होने के पहले दिन ही अपने नियम बनाने और कार्यवाही को हिन्दी में करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया था। इस आश्चर्यजनक, महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित उपलब्धि का श्रेय मेरे परम आदरणीय मित्र स्वर्गीय श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर जी को था। वे महाराष्ट्रीय सज्जन थे, उनका परिवार डेढ़-दो शती पहले महाराष्ट्र से आकर झांसी में बस गया था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एम. ए. और एल.-एल० बी. किया था। वे वकील थे और जीवन के आरम्भ ही से लोकमान्य तिलक और बाद में महात्मा गांधी के अनुयायी हो गये। कई बार जेल गये। जब संविधान-सभा बनी तो वे उत्तर प्रदेश से उसके एक सदस्य चुने गये। बड़े विद्वान, धार्मिक, कर्मठ और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। बाद में वे उत्तर प्रदेश विधान-परिषद् के सभापति भी चुने गये थे और उस पद पर कई वर्ष रहे। उन्होंने राजनीति के अतिरिक्त आयुर्वेद, धर्म, साहित्य आदि अनेक क्षेत्रों में बड़ा काम किया। अंग्रेजी और हिन्दी में दर्शन आदि पर अनेक पुस्तकें लिखीं। हिन्दी में पहला 'शब्दकोश' निकाला। उन सबकी चर्चा यहां अनावश्यक है। यहां तो उनके राष्ट्र-प्रेम और हिन्दी-निष्ठा का एक उदाहरण दिया जा रहा है।

संविधान-सभा बन गयी थी। उस समय उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे जो कुछ दिनों तो उसके अधिवेशनों में आते थे, किन्तु बाद में उन्होंने आना छोड़ दिया था। प्रथम दिन, जिस दिन की घटना का वर्णन हम कर रहे हैं, उस दिन वे लोग मौजूद थे।

संविधान-सभा तो बन गयी थी, किन्तु उसके संचालन के नियम नहीं बने थे और न उसका कोई अध्यक्ष ही चुना गया था। गवर्नर-जनरल ने पटना के प्रसिद्ध बैरिस्टर श्री सच्चिदानन्द सिन्हा को उनकी वरिष्ठता और श्रेष्ठता के कारण नियमानुसार इसका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। पं. जवाहरलाल नेहरू ने अधिकृत नियम बन जाने तक कार्य-संचालन के लिए यह प्रस्ताव रखा था कि जब तक संविधान-सभा अपने संचालन की नियमावली स्वयं नहीं बना लेती तब तक सेन्ट्रल एसेम्बली के नियमों के अनुसार यथा-सम्भव कार्य किया जाय। तदनुसार कार्य-प्रणाली की नियमावली बनाने के लिए श्री कृपलानी ने सेण्ट्रल एसेम्बली के नियमों के अनुसार एक लम्बा प्रस्ताव भेजा जिसके अनुसार संविधान-सभा को वह नियम-निर्माण समिति (प्रासीड्योर कमेटी) गठित करना था जो संविधान सभा की कार्य-प्रणाली के नियम और उसके अधिकारों का नियमन करने के प्रारूप बना कर संविधान-सभा में उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती।

श्री कृपालानी का यह नियम निर्माण समिति के गठन का प्रस्ताव संविधान-सभा के सभी सदस्यों को अधिवेशन से कुछ सप्ताह पूर्व भेज दिया गया था कि वे चाहें तो उसमें संशोधन करने का प्रस्ताव लिखकर संविधान-सभा के सचिव के पास एक निश्चित तिथि तक भेज दें। यह संशोधन भी

सब सदस्यों को सूचनार्थ भेज दिये गये थे। इस प्रकार निश्चित तिथि तक जो संशोधन लिखित रूप से संविधान-सभा के सचिव के पास न पहुंचे थे उन पर विचार नहीं हो सकता था।

श्री धुलेकर ने इस प्रस्ताव पर यह संशोधन भेजा कि 'यह कार्य-नियमावली गठन समिति अपने नियम हिन्दुस्तानी में बनावे। वे नियम अंग्रेजी में अनुवाद किये जा सकते हैं। जब कोई सदस्य किसी नियम पर बहस करे तो वह मूल हिन्दुस्तानी का उपयोग करे और उस पर जो निर्णय किया जाये वह भी हिन्दुस्तानी में हो।' मेरे पास दुर्भाग्य से इस संशोधन की मूल प्रति नहीं है किन्तु संविधान-सभा की कार्यवाही में श्री धुलेकर ने अपने संशोधन के स्पष्टीकरण में जो कहा है उसी को मैंने उद्धृत किया है। यह नीचे के विवरण से स्पष्ट हो जाता है।

जब श्री कृपालानी ने मूल प्रस्ताव सदन में रख दिया और श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन ने उसका समर्थन कर दिया तब उस पर आये हुए संशोधनों पर विचार आरम्भ हुआ। कार्यक्रम में श्री धुलेकर जी का संशोधन भी सम्मिलित था और वह नियमानुसार पहले ही सदस्यों के पास भेज दिया गया था। जब धुलेकर जी के संशोधन की बारी आयी तब जो कुछ हुआ वह संविधान-सभा की मंगलवार 10 दिसम्बर 1946 को कार्यवाही के प्रासंगिक अंश का हिन्दी-अनुवाद नीचे उद्धृत किया जाता है। उस समय सेण्ट्रल एसेम्बली की तरह संविधान सभा का सारा काम अंग्रेजी में हो रहा था। अतएव वहां हिन्दी के आशुलिपिक ज्यों का त्यों न लिख सके। उन्होंने उसका केवल सारांश अंग्रेजी में दिया जो कार्यवाही में छपा है। जो कुछ श्री धुलेकर जी ने कहा था वह सब तो नहीं छपा किन्तु जो कुछ अंग्रेजी में छपा है उसकी मूल हिन्दी मैंने धुलेकर जी से पूछी थी और जहां तक हो सका है वहां तक मैंने उन्हीं की शब्दावली रखी है। श्री कृपालानी का मूल प्रस्ताव अंग्रेजी में था इसलिए संशोधन अंग्रेजी में ही जुड़ सकता था। अतएव धुलेकर जी ने अपना संशोधन अंग्रेजी में भेजा था और जब उनसे उसे प्रस्तुत करने को कहा गया तब उन्होंने हिन्दी में यह कहकर कि 'अध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन इस प्रकार है—' अपना संशोधन अंग्रेजी में पढ़ा। आरंभिक हिन्दी शब्दों पर अध्यक्ष ने ध्यान नहीं दिया किन्तु जब उन्होंने अपना भाषण हिन्दी में आरम्भ किया तब उन्होंने धुलेकर जी को टोका। आगे जो कुछ हुआ, कार्यवाही से हिन्दी अनुवाद में उद्धृत किया जा रहा है।

धुलेकर—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है—(यह कहकर उन्होंने संशोधन अंग्रेजी में पढ़ा और हिन्दी में बोलना आरम्भ किया) मेरे संशोधन का आशय इस प्रकार है—

अध्यक्ष (डा. सच्चिदानन्द सिन्हा)—मैं सदस्य से नम्रतापूर्वक जानना चाहूंगा कि क्या वे अंग्रेजी नहीं जानते ?

धुलेकर—मैं अंग्रेजी जानता हूं किन्तु हिन्दी में बोलूंगा।

अध्यक्ष—बहुत से सदस्य, जैसे श्री राजगोपालाचारी, हिन्दुस्तानी नहीं जानते।

धुलेकर—जो हिन्दुस्तानी नहीं जानते, उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जो इस सदन में भारत का संविधान बनाने को उपस्थिति है और हिन्दुस्तानी नहीं जानते, वह यहां से चले जायें।

अध्यक्ष—कृपया बताएं, आप कहना क्या चाहते हैं ?

धुलेकर—मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि नियमावली बनाने वाली समिति सभी नियम हिन्दुस्तानी में बनाएं जिनका अनुवाद अंग्रेजी में किया जावे।

अध्यक्ष—आपको अनुमति नहीं दी जाती कि आप सदन में दो भाषाओं के सम्बन्ध में बोलें और दो भाषाओं की बात कहें। आप बिल्कुल नियम के विरुद्ध बोल रहे हैं। आप आचार्य कृपालानी के प्रस्ताव पर संशोधन रखने आये हैं।

धुलेकर—मेरा संशोधन है कि नियमावली बनाने वाली समिति सब नियम हिन्दुस्तानी में बनाए। बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाय। जब कोई नियम पढ़ें तो वह हिंदुस्तानी में पढ़ें और उस पर हिंदी में ही बहस करके उसका निर्णय हिंदुस्तानी में ही मांगे, अंग्रेजी में न मांगे।

धुलेकर—मैं इस सदन के सदस्य की हैसियत से आचार्य कृपालानी के प्रस्ताव पर संशोधन रख रहा हूं। मुझे इस बात का अधिकार है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम भारतवासी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और स्वतन्त्रता प्राप्त करने जा रहे हैं, हम अपनी ही भाषा में सोचें और काम करें। हम इतने दिनों से अमरीका, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड और हाउस आफ कामंस की बात कर रहे हैं। इससे मेरे सिर में दर्द होने लगा मुझे इस बात की हैरानी है कि भारतवासी अपनी भाषा में क्यों नहीं बोलते। एक भारतवासी की हैसियत से मैं चाहता हूं कि हमारी सारी कार्यवाही हिन्दुस्तानी में हो। हमें संसार के इतिहास से मतलब नहीं। हमारा इतिहास लाखों वर्ष पुराना है।

अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर !

धुलेकर—मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे अपना संशोधन रखने की अनुमति दें।

अध्यक्ष—मैं आपको आगे बोलने की अनुमति नहीं देता। आप नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।

(इसके बाद 'सिट डाउन' आदि की आवाजें आने लगीं और सदन में कुछ देर काफी कोलाहल होने लगा.....)

आ. कृपालानी—मैं निवेदन करता हूं कि जो प्रस्ताव आया है उसे सदन की समस्या हल करने के लिए मैं स्वीकार किये लेता हूं।

श्री धुलेकर के संशोधन ने सदन में काफी उत्तेजना उत्पन्न कर दी थी। आचार्य कृपालानी के उस संशोधन को स्वीकार करने से उस समय की गड़बड़ी समाप्त हो गयी किन्तु उनके स्वीकार करने से संशोधन संविधान सभा द्वारा स्वीकार नहीं हुआ। वह स्वीकार तभी हो सकता था जब सदन उसके पक्ष में अपना मत देकर उसे स्वीकार कर लेता। यह कैसे हुआ ? इसके लिए कुछ अन्तर्कथाओं का जानना आवश्यक है, जो श्री धुलेकर जी के शब्दों में ही दी जा रही हैं। ये बातें न तो उस दिन की संविधान सभा की कार्यावाही में लिखी गयीं और न नियमत: लिखी जा सकती थीं। मैंने धुलेकर जी से एक पत्र में उन्हीं के हाथों से यह सब लिखवाकर मंगवा लिया था। वह पत्र मेरे पास सुरक्षित है। धुलेकर जी लिखते हैं—

"किन्तु जब मैंने संशोधन पढ़ने के बाद हिन्दी में कहा, 'अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का आशय...

उसी समय उन्होंने 'आर्डर' कहना आरंभ किया।

मैं हिन्दी बोलता था और वे अंग्रेजी। चारों ओर से सिट डाउन, सिट डाउन, आर्डर, आर्डर के शब्द सुनाई दिये। किन्तु किसी सदस्य ने खड़े होकर अध्यक्ष को सम्बोधित नहीं किया। मैं कहता ही गया – 'मैं अंग्रेजी न बोलूंगा। मेरी मातृभाषा हिन्दी है, मैं सदस्य हूं। मेरा अधिकार है।' एक अवसर का मुझे स्पष्ट स्मरण है कि जब मैंने कहा, 'मैं 1/500 हूं। मैं संविधान परिषद का घटक हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं न बैठूंगा। आपकी आज्ञा न मानूंगा।'

इतने में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, जो सबसे आगे की लाइन में अन्य मिनिस्टरों के साथ बैठे थे (लगभग पच्चीस कदम रोस्ट्रम पर से) दौड़े और मेरे सामने आकर गुस्से में कहने लगे—"क्या यह झांसी की सभा है जो भाइयो-भाइयो करने लगे !"

उनके सामने लाउडस्पीकर न था। इसलिए यह बात कोई सुन न पाया; केवल उनका मुझपर झपटना देखा ! मेरे सामने लाउडस्पीकर था। मैंने कहा, "आप कौन हो ! जाइये अपनी जगह। प्रेसीडेण्ट से कहिए जो कहना हो। जाइए अपनी जगह बैठिए।" सारा हाल गूंज गया। सन्नाटा छा गया। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू चुप होकर अपनी सीट पर जा बैठे। मैं बोलता ही गया और चेयरमैन "आर्डर-आर्डर" कहते ही गये। मैं बिलकुल न रुका...यह घटना रिपोर्ट में नहीं लिखी गयी। किन्तु उस समय के अखबारों ने, भारत के समस्त हिन्दी व अंग्रेजी के अखबारों ने पूरी रिपोर्ट की। हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा बड़े हैडिंग में : "धुलेकर शैपर्डेड बाई जवाहरलाल टू हिज सीट।" अर्थात् पंडित जवाहरलाल धुलेकर को हांककर उनकी जगह तक ले गये।" वस्तुत: यह बात झूठी थी किन्तु हाल में इतनी गड़बड़ी थी कि लोगों ने घटना को मनगढंत रूप दिया। एक बात सही थी कि समस्त हिन्दी पत्रों ने दूसरे दिन मेरी बड़ी प्रशंसा की। जगह-जगह से बधाई के पत्र आये मेरे पास और कई स्थानों में बधाई प्रस्ताव भी पास हुए।

मैं अपनी बात कहकर अपनी सीट (यू.पी. ग्रुप) पर आकर बैठ गया।

इसके पांच मिनट बाद पं. जवाहरलाल नेहरू अपनी फ्रण्ट सीट से उठकर मेरी सीट के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गये। थोड़ी देर बाद बोले—"धुलेकर··· मैं तना बैठा रहा क्योंकि मैं अपने को अपमानित समझता था और कुछ क्रोध में था। मेरे चारों ओर विश्वंभर दयाल त्रिपाठी (उन्नाव वाले), पं. वेंकटेशनारायण तिवारी, पं. बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि बैठे थे। ये पहले से ही भयभीत थे। अब पंडित जी के आने से समझे कि मेरी (धुलेकर की) डांट-फटकार होगी। मैं जब कुछ न बोला तब पंडित जी ने कहा—

पंडित जी—कुछ सुनोगे भी ?

धुलेकर—कहिए !

पंडित जी—यहां दक्षिण के लोग बैठे हैं।

धुलेकर—जी, फिर ?

पंडित जी—मुस्लिम लीग वाले बैठे हैं।

धुलेकर—मैं वापिस तो लेने का नहीं।

पंडित जी—कौन कहता है कि वापिस लो, किसी की सुनोगे।

धुलेकर—कहिए।

इस तनातनी के वातावरण में चारों ओर के सदस्य कुछ आपस में बातें करने लगे। इन सबका ध्यान बंटा हुआ देखकर पंडित जी ने मेरे कान में कहा, "पास हो जायेगा। अब तुम इण्टरबीन न करना।" उनका इशारा मैं समझ गया।

फिर वे अन्य लोगों से इधर-उधर की बातें करके चले गये।"

अब जो कौतुक हुआ, वह उच्चतम राजनीति का प्रदर्शन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू विशालहृदय पुरुष ही न थे, बड़े दूरदर्शी राजनीतिज्ञ (स्टेट्समैन) भी थे। वे नहीं चाहते थे कि उस अवसर पर भाषा का प्रश्न उठाया जाता। श्री धुलेकर ने उनसे तो क्या, टण्डन जी, सेठ गोविन्ददास जी, नवीन जी, कमलापतिजी त्रिपाठी, पं. वेंकटेशनारायण तिवारी, पं. विश्वभरनाथ जी त्रिपाठी आदि किसी से सलाह किये बिना यह संशोधन भेज दिया था जिसने सदन में विस्फोट का काम किया। यह स्वाभाविक था कि इस नाजुक समस्या के अचानक सामने आ जाने से वे (पंडितजी) झुंझला जाते। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया किन्तु धुलेकरजी जिस मिट्टी के बने थे वह 'न दैन्यं न पलायनं' वाली थी। पंडित जी इसे समझ गये। दूरदर्शी राजनीतिज्ञ होने के कारण वे यह भी जानते थे कि स्वतन्त्र देश की अपनी भाषा होनी चाहिए। यह सिद्धान्त की बात थी और वे सिद्धान्ततः इसे मानते और उचित समझते थे। यह व्यवहार में कितनी और कब तक आ सकती है, यह दूसरी बात थी। अतएव जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न था, उनका विरोध पंडित जी की संचेत्य राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीयता सिद्धान्त के रूप में कभी नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त अपनी उत्तेजना में धुलेकर जी कुछ ऐसी बातें भी कह गये थे जो पंडित जी के समान स्वाभिमानी और संचेत्य राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को छू गयी हो। उनमें से एक ऐसी बात जो संविधान सभा की रिपोर्ट में आयी है, अर्थात् मुझे यह देखकर हैरानी है कि भारतवासी अपनी भाषा में क्यों नहीं बोलता? संयोग से यह नाजुक समस्या श्री धुलेकर ने उनके सामने खड़ी कर ही दी और वह यदि न मानी जाती तो एक बड़े सिद्धान्त को आघात पहुंचता। श्री धुलेकर को चाहिए था कि इस समस्या को रखने के पहले वे पंडित जी से यदि सलाह न भी करते तो उन्हें सूचित तो कर ही देते तथा सदन में प्रचार कर अधिकांश सहानुभूति रखने वाले सदस्यों को अपने पक्ष में कर लेते। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने भाषण में कभी वे 'हिन्दी' का नाम लेते, कभी हिन्दुस्तानी का। अतएव भय यह था कि मुस्लिम लीग तथा कुछ अन्य भाषाभाषी भी इसका विरोध करते। हिन्दी से सहानुभूति रखने वालों के सामने यह प्रश्न सहसा ही आ गया था और वे अपने दल से भी समर्थन लेना तो दूर सलाह भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनका मत भी अनिश्चित था। संभव यही था कि यह संशोधन स्वीकार न किया जाता। किन्तु धुलेकर जी साहसी ही नहीं, दुःसाहसी भी थे और वे इस अंग्रेजी कहावत में विश्वास करते थे कि 'नथिंग वेंचर, नथिंग हैव।" वे एक बड़ा दांव लगा बैठे थे और संयोग की बात, वे सफल हो गये।

ऐसा मालूम होता है कि सदन में झगड़ा समाप्त करने के लिए पंडित जी ने आचार्य कृपालानी को संशोधन को स्वीकार करने की सलाह दी और फिर उसे सदन द्वारा स्वीकार करने की ऐसी तरकीब निकाली कि उस पर अलग मत न लेकर प्रस्ताव और सब संशोधनों को एक साथ पारित कर दिया गया। यह पंडित जी की राय से ही हो सकता था। यह सदन की छपी हुई कार्यवाही से स्पष्ट है जो इस प्रकार है —

अध्यक्ष—मैं यही कह रहा था। अब संशोधनों पर विचार समाप्त हो गया। अब मैं उन पर मत लेने जा रहा हूं। किन्तु मैं इस लम्बे प्रस्ताव को दोबारा नहीं पढ़ रहा। यदि आचार्य कृपालानी चाहें तो वे इसे फिर पढ़ सकते हैं। हमने इस पर पूर्ण विचार कर लिया है। और मैं इसे सब इन संशोधनों के साथ सदन द्वारा स्वीकृत घोषित कर रहा हूं।'

धुलेकर जी ने अपने पत्र में मुझे लिखा, पंडित जी की उदारता को मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने जब देखा, उपस्थिति बिलकुल कम है (क्योंकि ज्यादातर सदस्य उकताकर बाहर चाय पीने व गप्पें मारने चले जाते हैं। मेरे साथी भी यू.पी. के चले गये थे सदन में लगभग 50-60 सदस्य होंगे) चेयरमैन को इशारा कर दिया कि सब संशोधन अलग-अलग न पढ़कर सब पर वोटिंग करा लीजिए। तुरन्त सब पर इकट्ठा वोटिंग हुआ। सदस्यों ने 'यस' कह दिया। इकट्ठे पास हो गये। इस प्रकार मेरा भी पास हो गया।

मैं पंडित जी का ऋणी हूं और भारत भी उनका ऋणी रहेगा। उनके कारण संविधान सभा के पहले ही दिन धुलेकर जी के साहसिक प्रयास और पंडित जवाहरलाल जी की दूरदर्शिता, उदारता, विशालहृदयता तथा राजनयिक पटुता के कारण संविधान सभा के पहले दिन ही उसमें हिन्दी को स्थान मिला जो वास्तव में आगे चलकर उसे भारत की राजभाषा बनाये जाने की सबल भूमिका प्रमाणित हुआ। समझ में नहीं आता कि 'नेहरू कौं सराहौं कि सराहौं धुलेकर कौं!'

इस प्रकरण से पंडित जवाहरलाल जी के उच्च चरित्र का एक पक्ष और उजागर होता है। यद्यपि श्री धुलेकर जी ने सदन में उनकी एक प्रकार से अवमानना ही की थी, तथापि इस कारण वे उनसे नाराज या विरक्त नहीं हुए। उन्हें उत्तर प्रदेश की विधान-सभा के लिए बराबर टिकट देते रहे और उन्होंने उनके विधान-परिषद की अध्यक्षता प्राप्त करने से कोई अप्रसन्नता प्रकट नहीं की। यह उदारता और विशाल-हृदयता आज की राजनीति में नहीं परिलक्षित होती।

यह महत्वपूर्ण घटना आज हिन्दीवाले भूल गये हैं। मैंने उन्हें इसका स्मरण दिलाने के लिए ही इसे नहीं लिखा, प्रत्युत श्री धुलेकर जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि के अभिलेख के रूप में भी लिखा है। गौरव की बात है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का एक स्नातक, जो स्वयं महाराष्ट्रीय था, हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाने की आधारशिला रखने के लिए इतना महान साहस करता और अपने राजनीतिक भविष्य को खतरे में डालता। मित्रवर धुलेकर जी की स्मृति को शत-शत-प्रणाम!

'मानस के सांचे में' से साभार

लंदन में अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन

☐ लल्लनप्रसाद व्यास

[श्री व्यास ने सूचित किया है कि दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन दिनांक 22-23-24 अक्तूबर 1988 को दिनहाग (हालैण्ड) में आयोजित किया जाएगा। इससे पूर्व दिनांक 16-10-88 को ब्रिटेन के स्तर पर लन्दन में एक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। —सं०]

एक अरसे से मेरे मन में एक भावना उमड़-घुमड़ रही थी क्योंकि 24 अक्टूबर 'राष्ट्रसंघ दिवस' को विश्व भर में 'विश्व हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाए, ताकि राष्ट्रसंघ में विश्व की तीसरी बड़ी भाषा हिन्दी को प्रवेश कराने की मांग को स्वतः बल मिले और इसी निमित्त हिन्दी की विभिन्न समस्याओं की चर्चा हो और उसके समाधान सुझाए जाएं। मेरे मन में इसके साथ ही यह भी विचार रहा कि अभी यह कार्यक्रम यूरोपीय देशों तक ही सीमित रखा जाए। उसके बाद यथावश्यकता उसका व्यापक स्वरूप बने। इसीलिए विचार-गोष्ठी का अधिकांश प्रतिनिधित्व यूरोप तक ही सीमित रखने का विचार बना।

देशों की उपस्थिति : भारतीय उच्चायोग का सहयोग

सम्मेलन स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले उन ईलिंग उपनगर के मेयर श्री पाठक और उनकी पत्नी थीं जो भारतवंशी हैं। उन्हें इस आयोजन से विशेष प्रसन्नता थी। भारत, हालैण्ड जर्मनी और इटली के विद्वानों तथा ब्रिटेन के कुछ विशिष्ट जन की उपस्थिति के कारण लोगों में एक विशेष प्रेरणा और उत्साह था। उद्देश्य की श्रेष्ठता और पवित्रता अनेक बाहरी अभावों को ढक देती है। दूसरे दिन रविवार का कार्यक्रम ईलिंग क्षेत्र के ही टाउन हॉल में था जो उपस्थित संख्या की दृष्टि से भी बहुत सन्तोषजनक बन गया था।

भारतीय उच्चायोग ने सम्मेलन को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया तथा सहायक उच्चायुक्त श्री सुलेमान हैदर प्रथम दिन के पहले सत्र में उपस्थित हुए तथा हिन्दी अधिकारी श्रीमती सरोज श्रीवास्तव ने न केवल दोनों दिनों के सभी अधिवेशनों में भाग लिया, बल्कि सम्मेलन के आयोजन में भी अपना यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया। सम्मेलन का शुभारम्भ सरस्वती वन्दना से हुआ और उसके बाद महामंत्री (संगठन) श्री जगदीश मित्र कौशल ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

महामंत्री (अन्तर्राष्ट्रीय) के रूप में मैंने सम्मेलन के उद्देश्य और भावी कार्यक्रमों की चर्चा की और इस बात पर बल दिया कि हिन्दी भारत की मात्र एक भाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा और उससे भी अधिक संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी होने के कारण यह विश्व में भारतीय संस्कृति की सन्देशवाहिका है। हिन्दी का अपना एक श्रेष्ठ दर्शन है और वह है "वसुधैव कुटुम्बम" का जिसका प्रतिपादन पहली बार सशक्त रूप से जनवरी, 1975 में नागपुर के प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन से हुआ और मोरिश्स के दूसरे सम्मेलन में भी उसकी गूंज रही। भारत के सन्तों और मनीषियों ने अपनी चिन्तन धरोहर को केवल भारत तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सम्पूर्ण विश्व को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सहभागी बनाया है। भारत की चिरंतन चिन्तन निधि या विचार दर्शन की यही विशेषता है जो हिन्दी की साहित्य धरोहर में परिलक्षित होती है। इसका अपना विश्व आयाम है और हिन्दी को विश्व की तीसरी बड़ी भाषा और भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में इसी आयाम को उजागर करना।

भावी विश्व व्यवस्था में विचार का महत्व

अध्यक्ष पद से श्री दिनेश सिंह ने इस विचार-बिन्दु का प्रभावी ढंग से समर्थन करते हुए कहा कि भाषा से अधिक विचार का महत्व है। रामायण की अभूतपूर्व लोकप्रियता का आधार यही सत्य है। उन्होंने स्पष्ट यह घोषणा की कि संसार के चिन्तक और मनीषी जिस नई विश्व व्यवस्था की आवश्यकता व्यक्त कर रहे हैं, वह शक्ति पर नहीं बल्कि श्रेष्ठ विचारों पर आधारित होगी। उन्होंने भारत में अंग्रेजी के अत्यधिक मोह पर चिन्ता व्यक्त की और कहा कि राष्ट्रभाषा राजभाषा और सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को उसका पूरा महत्व मिलना चाहिए।

भारत में हिन्दी की कथित उपेक्षा और अंग्रेजी के अत्यधिक मोह पर सबसे अधिक खेद व्यक्त किया। मेयर श्री पाठक ने और कहा कि ऐसे सम्मेलनों से हिन्दी के प्रति अनुकूल वातावरण बनने में सहायता मिलेगी।

श्री सुलेमान हैदर के विचार

सहायक उच्चायुक्त श्री सुलेमान हैदर ने तहेदिल से सम्मेलन का समर्थन करते हुए कहा कि भारतीय संविधान में हिन्दी को मुख्य राजभाषा के रूप में जो मान्यता मिली है, उसे व्यवहार में उतारना हमारा कर्तव्य है उन्होंने भारतीय उच्चायोग द्वारा हिन्दी के प्रचार कार्य की विस्तृत चर्चा करते हुए 30 अक्तूबर से, 1987 को उच्चायोग द्वारा हिन्दी दिवस मनाने की, घोषणा की, जिसका आयोजन बाद में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। भारतीय उच्चायोग ने दो हिन्दी के टाईपराईटर लन्दन की हिन्दी कामकाजी संस्थाओं को प्रदान किए।

भगवान् की प्रेरणा : रामबापा के विचार

सबसे अधिक हृदयस्पर्शी भाषण था श्री मगन भाई भीमजियानी का जो इंग्लैण्ड देश में श्रीराम और रामायण के कार्यों में संलग्न होने के कारण रामबापा के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इस कार्य को भगवान् की प्रेरणा बताया और आशा व्यक्त की कि भविष्य में इसे व्यापक समर्थन प्राप्त होगा।

'अन्तर्राष्ट्रीय श्रीकृष्ण चेतना संघ' के स्वामी कृष्णदास जी ने जो इस संस्था के 11 गुरुओं में पहले भारतवंशी हैं, भारत में हिन्दी की उपेक्षा और अंग्रेजी के मोह पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि भारत की अस्मिता के लिए यह दुःखद स्थिति शीघ्र ही दूर होनी चाहिए।

पश्चिम जर्मनी के हिन्दी विद्वान् श्री हांस बर्नन बेसलर ने भी भारत के अंग्रेजी मोह की आलोचना करते हुए जर्मनी में हिन्दी के अध्ययन के प्रति हुई रुचि की चर्चा की।

हालैण्ड का निमंत्रण

हालैंड के चार सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता श्री रूपलाल बहादुर सिंह ने हालैंड में हिन्दी के प्रचार का विवरण दिया और कहा कि यूरोप के इस समृद्ध देश में लगभग एक लाख सूरीनामी भारतवंशियों के आ जाने से वहां हिन्दी के अध्ययन की सम्भावनाएं और आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। इस संबंध में भारत सरकार को अपना कर्तव्य समझना चाहिए और हिन्दी के प्रचार-प्रसार की विस्तृत योजना बनानी चाहिए। उन्होंने वहां के भारतीय दूतावास के कुछ कर्मचारियों की हिन्दी के प्रति उदासीनता पर गहरा शोक व्यक्त किया और प्रश्न किया कि भारतीय दूतावास के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी क्या भारत का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं? उन्होंने हालैंड के हिन्दी प्रेमी सूरीनामी जनता की ओर निमन्त्रण दिया कि अगला अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन हालैंड में आयोजित किया जाए। इस निमन्त्रण को दूसरे दिन के अधिवेशन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 22, 23 और 24 अक्तूबर, 1988 की तारीखों का भी संकेत कर दिया गया।

दूसरा सत्र : राष्ट्रसंघ में हिन्दी

इस सत्र की अध्यक्षता पटना विश्वविद्यालय के प्रो. सीताराम झा ने की और विचारणीय विषय था—'विश्व में हिन्दी स्थिति और सम्भावनाएं'—विशेष चर्चा "राष्ट्रसंघ में में हिन्दी"। सत्र के प्रथम वक्ता हालैण्ड के डॉ. राममोहन तिवारी थे। उन्होंने भारत के कथित आभिजात्य वर्ग द्वारा पश्चिमी जीवन शैली के अन्धानुकरण, भारतीय दूतावासों द्वारा हिन्दी की उपेक्षा तथा भाषा के प्रश्न पर स्वाभिमान के अभाव पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने भाषा से जुड़े विचार दर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि वेदों में केवल ईश्वर प्राप्ति की ही बात नहीं है बल्कि मानव जीवन को सुखमय बनाने का विधान भी दर्शाया गया है जिसके आधार पर शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने वैदिक गणित पर पूरा ग्रन्थ ही लिखा था। भारत के अधिकांश विद्वान् इससे अपरिचित होंगे किन्तु ब्रिटिश विद्वानों का ध्यान इधर गया है और वे वैदिक गणित को समझने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने भाषा और संस्कृति के कार्य के लिए संगठन शक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही हालैण्ड में प्रस्तावित आगामी वर्ष के अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन के बारे में सबको आश्वस्त किया और कहा कि यह हमारा संकल्प है।

हिन्दी भारत वंशियों के धर्म की भाषा है—स्वामी कृष्णानंद

पिछले दो-तीन दशकों से प्रवासी भारतीयों में कार्यरत स्वामी कृष्णानन्दजी सरस्वती ने बताया कि हिन्दी भारतवंशियों के धर्म की भाषा है और भारत उनके धर्म का देश है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रसंघ में जब हिन्दी से भी कम बोली जाने वाली भाषाओं को प्रवेश मिला है, तो हिन्दी को क्यों नहीं प्राप्त है? हिन्दी को राष्ट्रसंघ में उसका न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार नहीं तो और कौन प्रयास करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि मॉरिशस में संगठन के आधार पर ही हिन्दी को द्वितीय भाषा का स्थान मिला है।

हालैण्ड की श्रीमती कमला सिंह ने बताया कि सूरीनाम आदि देशों में रामायण से ही हिन्दी जीवित रही है। उन्होंने अत्यन्त भावना के साथ जीवन के शेष वर्ष हिन्दी की सेवा में अर्पित करने की तत्परता व्यक्त की।

श्री मोहन सिंह राजावत ने कहा कि राष्ट्रसंघ में हिन्दी को संख्या के बल पर प्रवेश मिलना चाहिए और यह मांग चारों ओर से उठनी चाहिए। साथ ही, नई पीढ़ी को उसकी

संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने के लिए हिन्दी आवश्यक है। यह विश्व की श्रेष्ठ और समर्थ भाषा है तथा विदेश में स्वत्व की रक्षा के लिए स्वभाषा की विशेष उपयोगिता है।

प्रयाग और हरिद्वार के सच्चा बाबा आश्रमों से जुड़े स्वामी राजेन्द्र ने कहा कि यदि विदेशों में भारतीय संस्कृति और भाषा को बढ़ाना है तो बच्चों की ओर विशेष ध्यान देना होगा और उन्हें स्वभाषा और संस्कृति से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि जो भारत के विकारों और कमियों की ओर ध्यान देते हैं, उन्होंने भारत की वैचारिक सम्पदा को नहीं समझा है।

राष्ट्रसंघ में हिन्दी : भारत सरकार पहल करे

लन्दन के विख्यात हिन्दी सेवी तथा लेखक-पत्रकार श्री धर्मेन्द्र गौतम ने कहा कि हिन्दी सीखने का गांधी जी का व्रत आज और भी अधिक प्रासंगिक है। राष्ट्रसंघ में हिन्दी की बात सरकार द्वारा ही आगे बढ़ाई जानी चाहिए। आर्यसमाज के कार्यकर्ता श्री धर्मबीर पुरी ने कहा कि हमें भाषा का गर्व होना चाहिए तथा हिन्दी को प्रेम और सद्भाव से आगे बढ़ाना चाहिए। अन्त में डॉ. सीताराम झा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिन्दी के प्रश्न पर निराशा नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिन्दी का आकर्षण भी बढ़ रहा है। प्रशासनिक सेवाओं में अब अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रह गई है। हिन्दी भी अपना स्थान बना रही है। आशा है निकट भविष्य में स्वभाषा संबंधी कुछ और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रसंघ में हिन्दी को प्रवेश दिलाने के लिए भारतीय राजनेता अधिकारीगण तथा भारतवंशी हिन्दी को अपनाएं। तभी विश्व उसे स्वीकार करेगा। इस कार्य में साधन साधन का कथित अभाव बाधक न बने। राष्ट्र के सम्मान और आवश्यकता दोनों ही दृष्टि से राष्ट्रसंघ में हिन्दी को स्थान मिलना चाहिए। यदि तीसरी बड़ी भाषा के रूप में इसे विश्व मंच पर स्थान न मिले तो यह विश्व जनमत की अवहेलना होगी।

अंतराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन

24 अक्तूबर को ही सायंकाल एक अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भारत के प्रो. सीताराम झा और डॉ. राज बुद्धिराजा, हालैण्ड की श्रीमती कमला सिंह और सुधवा जी तथा ब्रिटेन के सर्वश्री रमेश वैश्य, जगदीश मित्र कौशल, चमन लाल 'चमन' हकीम गुलाम अली शाह, गुलशन खन्ना, मोहन सिंह राजावत, महेश चन्द्र अवस्थी, महावीर सिंह गौतम, केशवकृष्ण आत्रेय, श्रीमती सुमन भार्गव आदि कवियों ने भाग लिया। कवियों और श्रोताओं के शुरू से आखिर तक उत्साह को देखते हुए सम्मेलन सफल कहा जा सकता है।

दूसरे दिन का सत्र : यूरोपीय देशों में हिन्दी

दूसरे दिन का प्रातःकालीन अधिवेशन ईलिंग ब्राडवे में स्थित टाउनहॉल भवन में हुआ। अध्यक्षता की नेपल्स (इटली) विश्वविद्यालय के डॉ. श्याम मनोहर पाण्डेय ने। विषय था यूरोपीय देशों में हिन्दी की स्थिति--विशेष सन्दर्भ ब्रिटेन। यार्क विश्वविद्यालय (ब्रिटेन) के डॉ. महेन्द्र वर्मा ने जो पिछले दो दशकों से वहां हिन्दी शिक्षण से संबंधित हैं, कहा कि हिन्दी अध्ययन की परिस्थितियां बदल गई हैं। पहले वे लोग हिन्दी सीखते थे, जिनका संबंध भारत में प्रशासन के संचालन से होता था, किन्तु अब पाकिस्तान, बंगलादेश सहित अनेक देशों के छात्र हिन्दी सीखने आते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में प्रकाशित हिन्दी पुस्तकें हिंदी शिक्षा के लिए पूरी तरह प्रासंगिक नहीं हैं। कुछ नवीन पुस्तकों का प्रकाशन तो हुआ है, किन्तु वे भी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हैं।

स्वभाषा का गौरव जगे

पिछले दो-तीन दशकों से हिन्दी के कार्य से जुड़े श्री नारायण स्वरुप शर्मा ने अपने प्रभावी भाषण में ब्रिटेन में हिन्दी की स्थिति और समस्याओं की अनेक विडम्बनाओं पर प्रकाश डाला तथा प्रवासी भारतीयों की स्वभाषा के प्रति आस्थाहीनता पर खेद प्रकट किया।

श्री अशोक प्रियदर्शी ने भी अपने व्यापक ज्ञान और अनुभवों के आधार पर हिन्दी के विकास की दृष्टि से अनेक सुझाव दिए और इस बात पर बल दिया कि हमारे लोगों में स्वभाषा और स्वसंस्कृति का अभिमान होना चाहिए।

गुजराती अकादमी के मंत्री डॉ. जगदीश दवे ने कहा कि इंग्लैण्ड में गुजराती अकादमी की तरह हिन्दी अकादमी भी होनी चाहिए जिससे यहां हिन्दी साहित्य के सृजन और विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सम्यक विचार हो सके।

अंग्रेज सरकार का रवैया

श्री रंजीत धीर, काउन्सेलर ने, जो लन्दन के ईलिंग क्षेत्र की जाति समता इकाई के अध्यक्ष हैं, कहा कि हम ऐसे कार्यों में अपना कर्तव्य समझकर सहयोग करते हैं। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि अंग्रेजों का सदैव परोक्ष रूप से यह प्रयास रहता है कि भारत की भाषा और संस्कृति सही ढंग से न पनप सके। ब्रिटिश समाज की इच्छा भी यही हीं है कि इंग्लैण्ड में बहुजातीय या बहुभाषीय स्वरुप बने, भले हीं वे संसद में इसके लिए बराबर घोषणाएं करते रहें। डॉ. महेश चन्द अवस्थी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

अन्त में डॉ. श्याम मनोहर पाण्डेय ने कहा कि हमें हिन्दी से संबंधित मिशन और ऐम्बीशन (महत्वाकांक्षा) में अन्तर करना चाहिए। हिन्दी भले ही अनेक देशों में रोटी-रोजी या पद-प्रतिष्ठा को प्रदान करने वाली न बन सके, तो भी वह हमारा मिशन है और हमारी स्वभाषा और संस्कृति की महान धरोहर से जुड़ी है।

राष्ट्रसंघ में हिन्दी की मांग

दोपहर के भोजन के बाद सत्र की अध्यक्षता की ब्रिटेन के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता राजनेता श्री विद्यासागर आनन्द ने। सत्र के विचार-विमर्श का शुभारम्भ किया। भारतीय उच्चायोग की हिन्दी अधिकारी श्रीमती सरोज श्रीवास्तव ने। उन्होंने उच्चायोग द्वारा किए जा रहे हिन्दी संबंधी कार्यों का विवरण दिया तथा अन्य समस्याओं की ओर भी संकेत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय उच्चायोग की ओर से हिन्दी टाइपराइटर उन संस्थाओं को दिए जाते हैं जो हिन्दी का कार्य कर रहे हैं, किन्तु इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हिन्दी टाइपिंग सीखने की सुविधा हो।

श्री लाल चन्द पुंज ने कहा कि हमें स्वभाषा और स्वसंस्कृति के लिए अपने विचारों का आक्रामक स्वरूप अपनाना चाहिए जो निश्चय और अटल हो। साथ ही, उसमें गति हो। यह तभी सम्भव होगा, जब हमारा मिशनरी भाव जगेगा।

श्री जगन्नाथ खरबन्दा ने सांस्कृतिक अभिरुचि के साथ पाठ्य पुस्तकें तैयार करने पर बल दिया। साथ ही कहा कि हिन्दी के विकास के लिए विद्वानों और सेवकों का मिलाप होना चाहिए। यहां के हिन्दी कवि श्री 'चमन' ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि भारतवंशियों के द्वारा विदेश में हिन्दी को मां नहीं, बल्कि सौतेली मां समझकर व्यवहार किया है। इसीलए वे और उनकी सन्तानें पूरी तरह स्वभाषा से जुड़ नहीं पातीं। ब्रिटिश टेलीविजन के कार्यक्रमों से हिन्दी का कार्यक्रम हटाए जाने का विरोध किया गया।

श्री वीरेन्द्र शर्मा, काउन्सलर ने हिन्दी के प्रचार कार्य में माता-पिता का दायित्व विशेष बताया और इस बात पर खेद व्यक्त किया कि हिन्दू या हिन्दुस्तानियों की कोई लॉबी नहीं है। इसलिए हम अपनी न्यायपूर्ण मांगों का भी उचित समर्थन नहीं जुटा पाते और इसका दुष्परिणाम यह भी होता है कि जो अनुकूलता या सुविधा पहले से प्राप्त है, वह भी धीरे-धीरे चली जाती है। ब्रिटिश टेलीविजन से हिन्दी का कार्यक्रम जाना इस बात का प्रमाण है।

सर्वसम्मत प्रस्ताव : छः देशों के हस्ताक्षर

मोरिशस के ब्रिटेन स्थित उच्चायुक्त श्री ज्ञाननाथ के आने से विचार-विमर्श में प्रखरता आई और महामंत्री के रूप में इन पंक्तियों के लेखक ने उन्हें स्मरण दिलाया कि कैसे जनवरी, 1975 में नागपुर के प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन में मोरिशस के हिन्दीप्रेमी प्रधानमंत्री डॉ. शिवसागर रामगुलाम की अध्यक्षता में पहली बार एक विश्वमंच से राष्ट्रसंघ में हिन्दी के प्रवेश की मांग उठी थी। अतएव यही मांग अब लन्दन के इस अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी मंच से उठानी है। जिस समय सम्मेलन में ही यह भावना पूरी तरह व्याप्त थी, उसी समय राष्ट्रसंघ में विश्व की तीसरी बड़ी भाषा हिन्दी के प्रवेश की मांग एक प्रस्ताव के रूप में उठाई गई। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। श्री ज्ञान नाथ के अतिरिक्त पाँच और देशों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार यह मांग छः देशों के प्रतिनिधियों द्वारा फिर से प्रभावी ढंग से उठाई गई।

24 अक्टूबर : संसार में "विश्व हिन्दी दिवस"

इसके साथ ही एक और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ जिसमें संसार भर की हिन्दी संस्थाओं को आह्वान किया गया कि वे 24 अक्तूबर, जो राष्ट्रसंघ दिवस के रूप में संसार भर में मनाया जाता है, 'विश्व हिन्दी दिवस' के रूप में भी मनाया जाए। इससे राष्ट्रसंघ में हिन्दी की मांग स्वतः बल प्राप्त करेगी और अन्ततः उसे विश्व मंच पर स्थान प्राप्त होगा।

श्री विद्यासागर आनन्द के अध्यक्षीय भाषण से पूर्व श्री जगदीश असर, एम. पुराणिक और हालैण्ड के सुधवा जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। श्री आनन्द ने इस बात पर सन्तोष और प्रसन्नता व्यक्त की कि जैसे वीर सावरकर, लाला हरदयाल आदि क्रान्तिकारियों के समय हिन्दी की सम्पर्क भाषा के रूप में मांग उठी थी, वैसे ही 'विश्व हिन्दी दिवस' मनाए जाने की मांग भी लन्दन से उठी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा की उपेक्षा से समस्याएं पैदा होती हैं, जब तक हम अपने बच्चों के साथ भाषा और संस्कृति की बात नहीं करेंगे, तब तक उनका उचित मानसिक विकास नहीं हो सकता। इस संबंध में उन्होंने यहूदियों का उदाहरण दिया जिनका कुछ समय पहले अपना देश या राष्ट्र न होने पर भी उन्होंने स्वराष्ट्र और स्वभाषा का स्वप्न नहीं छोड़ा था और अन्ततः उन्हें प्राप्त हुआ।

हालैंड में पुनः मिलन की योजना

अन्त में सम्मेलन ने हालैण्ड के प्रतिनिधियों का यह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया कि आगामी वर्ष 24 अक्तूबर, 1988 को अगला अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन हालैण्ड में हो। श्रीमती कमला सिंह ने अपने भाषण में इस बात पर हर्ष और संतोष व्यक्त किया। इस पर एक वर्ष बाद पुनः हालैण्ड में मिलने की योजना और इच्छा के साथ किसी पश्चिमी देश आयोजित होने वाला यह पहला अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन में हुआ। सभी ने ऐसे आयोजन के साकार होने पर हर्ष व्यक्त किया और इसे ब्रिटेन में हिन्दी की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर बताया। सम्मेलन की सफलता में श्री जगदीश मित्र कौशल के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा की गई।

—सौजन्य : विश्व हिन्दी दर्शन

मारीशस में डिप्लोमा इन हिन्दी स्टडीज

□प्रस्तुतिः डा० मुनीश्वर लाल चिंतामणि

26-5-88 ई. को मारीशस के महात्मा गांधी सस्थान के सुब्रमानियम भारतीय हॉल में डिप्लोमा इन हिंदी स्टडीज कोर्स का उद्घाटन सम्पन्न हुआ।

उक्त समारोह में मारीशस के शिक्षा एवं कला मंत्री माननीय आरमुगम परशुरामनजी, महात्मा गांधी संस्थान के निदेशक श्री उत्तम विष्णुदयाल जी मॉरीशस शिक्षा संस्थान के निदेशक श्री रमेश रामदयाल जी, भारतीय उच्चायुक्त के हिंदी अधिकारी तथा द्वितीय सचिव डा. राजेंद्रसिंह कुशवाहा, महात्मा गांधी संस्थान के अधिकारी गण तथा डिप्लोमा इन हिन्दी स्टडीज के सभी छात्र उपस्थित थे।

मारीशस के शिक्षा, कला और संस्कृति मंत्री श्री अरमुगम परशुरामन

समारोह का आरंभ महात्मा गांधी संस्थान के निदेशक श्री उत्तम विष्णुदयाल जी के स्वागत भाषण से हुआ। अपने भाषण में श्री उत्तम विष्णुदयाल जी ने भारतीय भाषाओं से संबंधित गतिविधियों की चर्चा करते हुआ बताया कि संख्या की दृष्टि से हिंदी अन्य भाषाओं से अधिक भाग्यशाली है। यही कारण है कि हिंदी में ही सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स चलाया जा रहा है। अपने भाषण में उन्होने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि अभी हाल ही में सरकार ने महात्मा गांधी संस्थान में स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। साथ ही साथ शिक्षा कला एवं संस्कृति मंत्री के सहयोग की भी सराहना की। उन्होंने यह भी बताया कि जो छात्र अभी यह कोर्स ले रहेहैं वे इस डिप्लोमा को प्राप्त कर के अपने-अपने विद्यालयों में अपने अन्य विषय पढ़नेवाले साथियों के बराबर सम्मानित होंगे और भविष्य में वे डिग्री क्लास के द्वितीय सूत्र में प्रवेश पा सकते हैं। महात्मा गांधी संस्थान इस क्षेत्र में भारत के दिल्ली विश्व-विद्यालय के साथ संपर्क स्थापित कर रहा है उन्होंने यह भी बताया कि अन्य पूर्वीय भाषाओं के लिये कई योजनाएं बनाई हैं जिन में तमिल, तेलगु और मराठी पढ़ने वालों के लिए बेसिक कोर्स तथा कैंब्रिज एस. सी० और ए. एल. की पढाई होगी। जिसमें इन भारतीय भाषाओं में भी आगे चलकर डिप्लोमा कोर्स चलया जा सके। शिक्षा मंत्री परशुरामेन ने भारतीय भाषाओं पर बोलते हुए कहा कि सरकार इन भाषाओं के प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए पूरा-पूरा सहयोग देगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय महात्मा गांधी संस्थान के बजट को बढ़ाने की सम्भावना पर विचार कर रहा है। शिक्षा मंत्री को संस्थान के कामों से संतोष है। संस्थान के कार्यों के प्रति मंत्री ने अपनी सद्-भावनाएं व्यक्त कीं। उक्त अवसर पर उपस्थित छात्रों को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि वे अत्यन्त ही भाग्यशाली हैं कि वे प्रथम लोग हैं जो हिन्दी में डिप्लोमा कर रहे हैं। उनको अपनी योग्यता बढ़ाने का एक सुनहरी मौका है। इस कोर्स को पूरा करके वे अपने अन्य साथियों के समान ही सम्मानित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यह कोर्स स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज की पहली गतिविधि है, संस्थान अब विश्व विद्यालयी यस्तर पर कोर्स का आयोजन कर रहा है। संस्था इस कोर्स से सभी छात्रों तथा प्रवक्ताओं के लिए अपने आपको अधिक से अधिकसक्षम बनाने का अवसर है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कैंब्रिज ने मॉरीशस के छात्रों के लिए जनवरी एवं जून में एल. एल. (GCE Advanced Level) की स्वीकृति दे दी है। और सारे छात्र एक विषय या एक से अधिक विषय ले सकते हैं। मंत्री महोदय ने डिप्लोमा इन हिंदी स्टडीज कोर्स की सफलता की कामना की।

—अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,
महात्मा गांधी संस्थान, मोका (मॉरीशस)

समिति समाचार

(क) हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की छठी बैठक 28 अप्रैल, 1988 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में हुई। बैठक के प्रारम्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सितम्बर, 1987 में हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए।

माननीय मंत्री जी ने पुरस्कार पाने वाले कर्मचारियों को बधाई देते हुए सभी क्षेत्रों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया।

1. अर्ध चिकित्सा शिक्षा का माध्यम

अर्द्ध चिकित्सा शिक्षा के बारे में गठित समिति की सिफारिशों पर चर्चा करते हुए समिति के सदस्यों का कहना था कि इस समिति द्वारा अर्ध चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं तथा मौजूदा सरकारी नीति को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस पर अधिक व्यापक रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए यह सिफारिश की गई है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए ऐसी उप समिति बनाई जाए जिसमें मंत्रालय, संबंधित संस्थाओं तथा राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रतिनिधि और हिन्दी सलाहकार समिति के एक दो गैर सरकारी सदस्य शामिल हों।

2. बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के प्रश्न पत्रों को द्विभाषी बनाया जाए

समिति के सदस्यों ने इस विषय पर दी गई जानकारी से असंतोष व्यक्त करते हुए इस बात पर बल दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा द्विभाषी प्रश्न पत्रों की व्यवस्था आरम्भ कराने के लिए यथावश्यक कार्रवाई की जाए।

3. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में हिन्दी के पद शीघ्र भरे जाए

सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में स्वीकृत हिंदी पदों के न भरे जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इन पदों को भरने में आ रही अड़चनों को शीघ्र दूर किया जाए और ये पद शीघ्र भर लिए जाएं।

4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित विषय पर हिन्दी माध्यम की राष्ट्रीय संगोष्ठी

इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी बैठक में दी गई कि देश में मौजूदा आर्थिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इसके वित्तीय पक्ष की जांच की जा रही है। साथ ही, जिन विभागों ने इस प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित की हैं उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए उनसे विस्तृत ब्यौरे मंगाए जा रहे हैं।

5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी आधार भूत पारिभाषिक शब्दावली का संलकन

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष का कहना था कि शब्दावली संकलन का कार्य मूलतः उनके आयोग से संबंधित है। इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अलग से शब्दावली संकलन का कार्य उचित नहीं होगा। इससे शब्दावली में कई विसंगतियां हो सकती हैं। अतः ऐसा किए जाने की स्थिति में आयोग से विचार-विमर्श अवश्य कर लिया जाए।

6. हिन्दी पुस्तकों की खरीद

समिति को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय में हिन्दी पुस्तकों की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। सदस्यों ने मंत्रालय के सभी कार्यालयों में निर्धारित प्रतिशत में हिंदी पुस्तकों की खरीद किए जाने पर भी बल दिया। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को भी कार्यालयों में उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

7. हिन्दी की विभिन्न परीक्षाए पास करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार के रूपा में दी जाने वाली राशि बढ़ा दी जाए

समिति को सूचित किया गया कि इस विषय पर राजभाषा विभाग को लिखा जाएगा।

8. राजभाषा अधिकारियों का सम्मेलन

समिति को सूचित किया गया कि आगामी राजभाषा निरीक्षणों में इस प्रकार का सम्मेलन आयोजित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

9. हिन्दीभाषी प्रदेशों के मेडिकल कालेजों में हिन्दी के अध्ययन के लिए हिन्दी की पुस्तकें उपलब्ध कराने तथा हिन्दी को एक विषय के रुप में पढ़ाने की व्यवस्था

उप सचिव (एम)/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में समिति को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया।

10. जवाहरलाल स्नातकोत्तर संस्थान पांडिचेरी तथा केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान चेंगलपट्ट में हिन्दी का प्रयोग

जवाहरलाल स्नातकोत्तर संस्थान में हिंदी के प्रयोग की स्थिति पर विचार करते हुए सदस्यों ने आमतौर पर संतोष व्यक्त किया और आशा प्रकट की कि दोनों संस्थानों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार हिंदी के पद शीघ्र बनाने तथा भरने पर बल दिया।

11. देवनागरी टाइपराइटर तथा हिन्दी आशुलिपि के अनुपात की पूर्ति

सदस्यों ने इस बात पर बल दिया कि क, ख, और ग क्षेत्रों के लिए देवनागरी टाइपराइटरों और हिन्दी आशुलिपिकों के निर्धारित अनुपात क्रमशः 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पूरे कर लिये जाएं।

12. विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग

सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया कि केन्द्रीय सरकार की सेवा में अथवा पदों पर प्रोन्नति के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में जिनमें अखिल भारतीय स्तर पर ली जाने वाली परीक्षाएं भी शामिल हैं, अभ्यर्थियों को इस बात की छूट दी जाए कि वे प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में दे सकते हैं। इन परीक्षाओं के सभी प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराए जाएं और जहां साक्षात्कार लिया जाना अपेक्षित हो वहां अभ्यर्थियों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देने की छूट हो। सदस्यों को बताया गया कि इस संबंध में राजभाषा विभाग ग्रह मंत्रालय के आदेश सितंबर, 87 में प्राप्त हुए थे जो हमने अक्तुबर, 87 में अपने सभी कार्यालयों को भेज दिये थे। परीक्षाओं में हिंदी के विकल्प की सुविधाओं के बारे में सदस्यों को अगली बैठक में सूचित करने का निर्णय लिया गया।

13. हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में काम करना

समिति को यह सूचित किया गया कि राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालयों में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मचारियों को 1-4-88 से पत्रादि के प्रारूप हिन्दी में प्रस्तुत करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सदस्यों ने इन अनुदेशों के कारगर ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्हें बताया गया कि मंत्रालय में अनुभागों का आकस्मिक निरीक्षण करके इन आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा।

14. एम. बी. बी. एस में प्रवेश परीक्षा के हिन्दी माध्यम

एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम का माध्यम अंग्रेजी ही रखे जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया गया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में प्रवेश परीक्षा के माध्यम की बात कही गई है या पाठ्यक्रम के माध्यम की बात कही गई है—यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक श्री पी. चिदम्बरम, राज्य मंत्री (कार्मिक) की अध्यक्षता में 10 जून 1988 को सम्पन्न हुई।

2. समिति की 8-10-1987 को हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध में चर्चा में भाग लेते हुए डा० बापु कालदाते, संसद सदस्य ने धारा 3(3) के उल्लंघनों पर आपत्ति प्रकट की। उनका कहना था कि दिल्ली स्थित कार्यालयों में धारा 3(3) के अनुपात की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सदस्य सचिव ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि धारा 3(3) के उल्लंघन के जो आंकड़े दिए गए हैं, भूल से वे अधिक दिखा दिए गए हैं और वस्तुतः ऐसे उल्लंघनों की संख्या बहुत कम है। अध्यक्ष ने कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि धारा 3(3) के अधीन आने वाले सामान्य आदेश, परिपत्र आदि अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।

3. जहां एक ओर सचिव (राजभाषा) श्री बी. बी. महाजन ने इस बात की प्रशंसा की कि कार्मिक विभाग ने 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुई तिमाही के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वहां मूल नियमों/अनुपूरक नियमों के द्विभाषी प्रकाशन के बारे में यह आग्रह किया कि यह नियम शीघ्र द्विभाषी

रूप में प्रकाशित किये जाने चाहिए। सदस्य सचिव ने विश्वास दिलाया कि इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। सेवा संबंधी महत्वपूर्ण नियमों/विनियमों के द्विभाषी प्रकाशन के संदर्भ में सचिव (राजभाषा) ने यह आग्रह किया कि जिन नियमों/विनियमों का हिंदी अनुवाद हो चुका है और जिनके संबंध में यह कहा गया है कि वे द्विभाषी प्रकाशन के लिए भेजे जा रहे हैं, उन्हें यथाशीघ्र प्रकाशन के लिए भेजा जाए। सदस्य सचिव ने यह सुचित किया कि केवल एक ही नियम/विनियम ऐसा है जो कि अभी तक वस्तुतः प्रकाशन के लिए नहीं भेजा गया और उसे भी जल्दी ही प्रकाशन के लिए भेज दिया जाएगा।

4. डा. कालदाते ने कहा कि कम्प्यटरों को द्विभाषी बनाएं जाने के बारे में जो स्थिति बताई गई है वह अस्पष्ट है। इस पर सदस्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राजभाषा विभाग के निदेशक (तकनीकी) ने अभी 4-5 दिन पहले ही प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में स्थित कंप्यूटर सेंटर का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट पर विचार कर आगे की कार्रवाई की जायेगी।

5. डा. कालदाते ने कहा कि यदि "ग" क्षेत्र में हिंदी को नहीं थोपा जाना है तो यह भी समान रूप से जरूरी है कि "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों पर अंग्रेजी न थोपी जाए और इसलिए इस बात के पूरे प्रयास किए जायें कि "क" और "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्रों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाय। उन्होंने कहा कि "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों तथा गैरसरकारी व्यक्तियों को भेजे गये पत्रों में से बहुत कम पत्र (18 प्रतिशत और 31 प्रतिशत) हिंदी में भेजे गए हैं जबकि वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार शत-प्रतिशत पत्र हिंदी में भेजे जाने चाहिए। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जाएं।

6. श्री बंधु महतो, संसद सदस्य ने यह भी कहा कि इस मंत्रालय में हिंदी में प्राप्त 4534 पत्रों में से 547 का जवाब अंग्रेजी में दिया गया। स्थिति स्पष्ट करते हुए सदस्य सचिव ने यह बताया कि इसका मुख्य कारण यह था कि 484 पत्र कंप्यूटर बेस्ड थे। कंप्यूटर द्विभाषी हो जाने पर स्थिति में निश्चित सुधार होगा।

7. श्री बंधु महतो ने कहा कि यद्यपि हमारे यहां अनेक कार्यालय नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किये जा चुके हैं किंतु नियम 8(4) के अधीन किसी भी कार्यालय को पूरा काम हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस पर सदस्य सचिव ने सूचित किया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है कतिपय कार्य केवल हिंदी में करने के लिए आदेश दे दिए हैं और इस प्रकार नियम 8(4) के उपबंधों की पूर्ति हो गई है।

8. डा. चन्द्रशेखर ने प्रोत्साहन योजना के अधीन प्रथम पुरस्कार की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1000/- रुपये करने का आग्रह किया। स्थिति स्पष्ट करते हुए सचिव (राजभाषा) श्री महाजन ने कहा कि हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन की मौजूदा योजना को पहले की तुलना में काफी उदार बना दिया गया है। फिर भी डा० चन्द्रशेकर के कहने पर सचिव राजभाषा ने कहा कि पुरस्कार की राशि बढ़ाने के संबंध में वित मंत्रालय से अनुरोध करेंगे।

10. सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान के निदेशक श्री बी. एस. बासवान ने बताया कि उनके यहां प्रक्षशिकों को हिन्दी में प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। जहां तक प्रशिक्षण के माध्यम का संबंध है, उन्होंने बताया कि आवश्यकता अनुसार हिन्दी और अंग्रेजी दोनों के मिले-जुले रूप का प्रयोग किया जाता है। समुचित स्टाफ की कमी के कारण संस्थान के लिए बुनियादी प्रशिक्षण सामग्री का हिन्दी अनुवाद करना संभव नहीं है किन्तु यदि राजभाषा विभाग इस सम्बन्ध में उनकी मदद करे तो उसका स्वागत होगा। इस पर सचिव (राजभाषा) श्री महाजन ने समुचित सहायता देने का आश्वासन दिया। इसी प्रसंग में पुस्तकों की खरीद पर चर्चा में भाग लेते हुए अध्यक्ष ने कहा कि केवल हिन्दी में स्टैण्डर्ड पुस्तक ही खरीदी जानी चाहिए और यदि ऐसी पुस्तक उपलब्ध न हों तो अंग्रेजी की स्टैण्डर्ड पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद करने पर विचार कियाजाए।

11. यह प्रश्न भी उठाया गया कि मंत्रालय में हिन्दी में प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या तो काफी है लेकिन हिन्दी में काम करने वालों की संख्या कम। इस बात पर सचिव (राजभाषा) ने बताया कि इस सम्बन्ध में इस मन्त्रालय की स्थिति और मन्त्रालयों से बेहतर है।

12. [illegible] गीय पदोन्नति परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को हिन्दी का विकल्प देने से सम्बन्धित विवरणी पर टिप्पणी करते हुए सचिव (राजभाषा) ने अनुरोध किया कि संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में से जिन प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प नहीं है उनमें ऐसा विकल्प देने पर विचार किया जाना चाहिए।

मंत्रालय/विभाग, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, निगमों, उपक्रमों आदि में सेवाकालीन विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं के बारे में अद्यतन स्थिति।

क्रम सं.	विभाग/कार्यालय/उपक्रम का नाम	विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षा का नाम	क्या उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी में देने की छूट दी गई है।	क्या प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते हैं।	क्या साक्षात्कार के लिए भेजे पत्र में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि हिन्दी में उत्तर देने की छूट होगी।	टिप्पणी यदि कोई हो।
1	2		3	4	5	6
1.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	.....		कोई नहीं	.....	
2.	प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग	.....		वही	.....	
3.	आई.एस.टी.एम.	.....		वही	.....	
4.	ला.ब.शा.रा.प्र. अकादमी	.....		वही	.....	
5.	के. सतर्कता आयोग	.....		वही	.....	
6.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (मुख्यालय)	पदोन्नति हेतु विभागीय प्रतियोगी परीक्षा				
		I. अवर श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक	हां	हां	लागू नहीं होता।	—
		II. उच्च श्रेणी लिपिक से मुख्य लिपिक	हां	हां	लागू नहीं होता।	—
		III. प्रधान सिपाही से सहायक पुलिस उप निरीक्षक।	हां	हां	ऐसा कोई विशेष उल्लेख तो नहीं होता परन्तु हिन्दी में उत्तर दिए जाने की छूट दी जाती है।	—
7.	कर्मचारी चयन आयोग	उच्च श्रेणी लिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा	हां, तीन प्रश्न पत्रों में से एक प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी में देना होता है।	हां	विभागीय परीक्षाओं की योजना में साक्षात्कार निर्धारित नहीं है।	—
		ग्रेड "ग" आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा।	हां, सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र को छोड़कर	हां	—वही—	—
		ग्रेड "घ" आशुलिपिक द्विमासिक परीक्षा।	हां	हां	—वही—	—
		लिपिक ग्रेड परीक्षा (समूह "घ" कर्मचारियों के लिए)	हां, सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को छोड़कर।	हां	—वही—	—

1	2	3	4	5	6
8. संघ लोक सेवा आयोग	1. अनुभाग अधिकारी आशुलिपिक (ग्रेड-ख)/ (ग्रेड-1) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा।	यह सम्मिलित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 8 विभिन्न सेवाओं (वर्ग 1 से 8) में चयन के लिए होती है। इसमें कुल 5 प्रश्न-पत्र होते हैं।	—	इस परीक्षा की योजना में साक्षात्कार नहीं होता है।	वर्ग और प्रश्न पत्रों से संबंधित सूचना संलग्न है।
		वर्ग 1 से 7 के प्रतियोगियों के लिए प्रश्न पत्र 2 व 3 के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी में देने का विकल्प है। प्रश्न पत्र 1 व 4 के उत्तर अंग्रेजी में दिये जाने का प्रावधान है।	प्रश्न पत्र 2, तथा 5 हिन्दी और अंग्रेजी में होते हैं तथा प्रश्न पत्र 1 व 4 केवल अंग्रेजी में होते हैं।	—	—
		वर्ग 8 की परीक्षा में प्रश्न-पत्र 3 का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दिया जा जा सकता है। प्रश्न-पत्र 1, 2 और 4 के उत्तर केवल अंग्रेजी में देने का प्रावधान है। सभी वर्गों के लिए प्रश्न-पत्र 5 (सामान्य अध्ययन) वस्तुपरक परीक्षण के के प्रकार का होता है जिसमें उम्मीदवारों को कई सुझाये गये उत्तरों में से एक चुन कर अंकित करना होता है।	प्रश्न पत्र 3 व 5 हिन्दी और अंग्रेजी में होते हैं तथा प्रश्न पत्र 1, 2 तथा 4 केवल अंग्रेजी में होते हैं।		
	ग्रेड-1 (अवर सचिव) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए)।	हां	हां	साक्षात्कार के लिए भेजे जाने वाले पत्र में भाषा संबंधी कोई प्रावधान नहीं होता। परन्तु साक्षात्कार के माध्यम के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा संबंधी कोई रोक नहीं है।	—

चित्र समाचार-I

श्री कृष्णचन्द्र पंत, रक्षा मंत्री से ट्राफी प्राप्त करते हुए तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय के निदेशक, डा. एस. ए. हुसैनी।

एस.टी.सी. में राजभाषा संगोष्ठी में स्वागत भाषण करते हुए डा. टी. प्रकाश, साथ में (बाएं से) भारत सरकार के हिंदी सलाहकार श्री बी.बी महाजन, श्री राजेन्द्र अवस्थी, तथा श्री आर कुक्कुस्वामी

मैंगनीज ओर (इ) लि. नागपुर में हिंदी सप्ताह का एक दृश्य

श्री बिपिन पण्डा, मुख्य प्रशासन अधिकारी श्री ऊमाकान्त परेडा को हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार प्रदान करते हुए।

परमाणु अनुसंधान केन्द्र कल्पाकंम (तमिलनाडु) में "नाभिकीय शक्ति के विकास" विषय पर चर्चा करते हुए बाएं से सर्वश्री शैलेन्द्र पांडे, श्री सी. बी. सुन्दरम निदेशक, श्री वी रंगाराजन, श्री के एस. एन. मूर्ति तथा श्री एम. पी. मिश्र

अग्निगुण्डाला सासा परियोजना बन्डुलभोट्ट में हिंदी दिवस समारोह की एक झलक

कलकत्ता—नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को संबोधित करते हुए अध्यक्ष—श्री पदमानाभन

राइफल फैक्टरी, ईशापुर (प० बंगाल) में हिंदी दिवस की एक झलक

सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शंभुदयाल

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. बम्बई कार्यालय में आयोजित हिंदी दिवस समारोह को संबोधित करते हुए संसद-सदस्य श्री सुनीलदत्त

पारागा टूल्स लि. सिकन्दराबाद में उद्घाटन भाषण देते हुए श्री आद्यनाथ पाण्डेय तथा साथ में दाएं से उप महाप्रबंधक श्री के बी सुब्बारायुडू तथा श्रीमती एस. लक्ष्मी कुमारी

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड हैदराबाद के महाप्रबंधक हिंदी प्रवीण परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त महिला कर्मचारी श्रीमती रामतुलसम्मा को ट्राफी प्रदान करते हुए

नागपुर मण्डल में संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समापन समारोह का एक दृश्य

खनिज एवं धातु व्यापार निगम गोवा में हिंदी टंकण कक्षा का उद्घाटन करते हुए प्रभारी प्रबन्धक श्री चन्द्रन डेनियल

3. रक्षा मंत्रालय

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 16वीं बैठक दिनांक 28–6–88 को साउथ ब्लाक में रक्षा मन्त्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

रक्षा मन्त्री श्री पन्त ने माननीय सदस्यों का स्वागत करने के बाद अपने संक्षिप्त भाषण में रक्षा संगठन में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी दी और साथ ही उन उपायों का उल्लेख किया जिनसे रक्षा संगठन में सभी स्तरों पर सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। उन्होंने बताया कि राजभाषा नियमों और आदेशों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तगत हर वर्ष काफी बड़ी संख्या में कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। यह निरीक्षण रक्षा मंत्रालय, राजभाषा विभाग और संबंधित सेना मुख्यालयों के प्रतिनिधियों के संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा किया जाता है। उन्होंने माननीय सदस्यों को सूचित किया कि इस वर्ष 135 कार्यालयों के निरीक्षण का कार्यक्रम बनाया गया है। जिनमें से 36 कार्यालयों का निरीक्षण अब तक किया जा चुका है।

रक्षा मन्त्री जी ने आगे बताया कि रक्षा मन्त्रालय में अब दो अलग-अलग सलाहकार समितियां होंगी—एक समिति रक्षा विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए और दूसरी रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और उनके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए है।

इसके बाद रक्षा मन्त्री जी ने मन्त्रालय के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए जिन्होंने वर्ष 1987–88 के दौरान आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए थे और जिन्होंने वर्ष में अपना अधिकतम काम हिन्दी में किया था।

(2) राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियम का अनुपालन

31 दिसम्बर, 1987 तथा 31 मार्च, 1988 को समाप्त तिमाहियों के दौरान विभिन्न रक्षा संगठनों द्वारा हिन्दी में किए गए काम के तुलनात्मक आंकड़ों पर चर्चा हुई। सदस्यों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि सेना मुख्यालयों आदि द्वारा राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का अभी भी उल्लंघन किया जा रहा है। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि श्री पन्ना लाल शर्मा ने कहा कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त तिमाही के दौरान वायुसेना मुख्यालय ने 15,466 सामान्य आदेश केवल अंग्रेजी में जारी किए, थलसेना मुख्यालय ने 137, राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय ने 6, जनसम्पर्क निदेशालय ने 151 और आयुध निर्माणी बोर्ड ने 646 सामान्य आदेश केवल अंग्रेजी में जारी किए। वायुसेना मुख्यालय के प्रतिनिधि ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि इस विवरण में जो आंकड़े दिए गए हैं उनकी फिर से जांच करने पर यह पाया गया है कि सामान्य आदेश की परिभाषा के अन्तगत केवल 548 आदेश आते हैं और शेष पत्र आदि की कोटि में आते हैं। उन्होंने कहा कि 548 सामान्य आदेशों में से केवल 291 द्विभाषी जारी किए गए और बाकी अंग्रेजी में ही जारी हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में इस बात का हर संभव प्रयास किया जाएगा कि सभी सामान्य आदेश द्विभाषी रूप में ही जारी हों।

रक्षा सचिव ने बताया कि अभी तक हिन्दी संबंधी पदों के सृजन से संबंधित प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के लिए भेजना होता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। नए आदेश के अनुसार हिन्दी पदों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूर करने की शक्तियां मंत्रालय/विभागों के सचिवों को दे दी गई हैं। उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि विभिन्न रक्षा स्थापनाओं में हिन्दी पदों के सृजन से संबंधित जो भी प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं, उन्हें शीघ्र निपटाया जाएगा।

(3) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी की प्रवेश परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग

श्री पन्नालाल शर्मा का कहना था कि प्रशिक्षण स्थापनाओं में प्रशिक्षण का माध्यम और प्रवेश परीक्षाओं में परीक्षा का माध्यम दो अलग-अलग विषय हैं और उन पर अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए। श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी भी उनके इस मत से सहमत थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सम्मिलित सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों की तरह इन प्रवेश-परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र भी द्विभाषी तैयार किए जाने चाहिए उनका कहना था कि प्रशिक्षार्थियों को अपनी इच्छानुसार हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी एक भाषा में उत्तर देने की छूट होनी चाहिए। रक्षा सचिव ने बताया कि सम्मिलित सिविल सेवा परीक्षाओं में भी जहां न केवल हिन्दी बल्कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को भी परीक्षा का वैकल्पिक माध्यम बनाया गया है, कुछ कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए उस विषय पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, कार्यसूची के साथ भेजी गई इस टिप्पणी से अप्रसन्न थे कि कैडेटों को बी.एस.सी. डिग्री देने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबद्ध है और वहां शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी ही हो सकता है। उनका कहना था कि सभी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए नियमों और विनियमों से शासित हैं। इस पर उपसेनाध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मित्र देशों के कैडेटों को भी प्रशिक्षण देती है और ऐसे कैडेटों की संख्या भी काफी होती है। इसलिए उस दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी रखा जाए। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी ने कहा कि रक्षा प्रशिक्षण संस्थान मूलतः भारतीय नागरिकों के लिए है और इसलिए दूसरों की सुविधा को देखते हुए उनके हितों को नजर-अन्दाज नहीं किया जाना चाहिए। इस पर रक्षा सचिव ने कहा कि सभी प्रशिक्षण स्थापनाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग क्रमिक रूप से विभिन्न चरणों में किया जाना चाहिए।

रक्षा मन्त्री जी ने कहा कि इस समस्या का सही समाधान निकालने के लिए अच्छा यह होगा कि एक समिति शीघ्र गठित की जाए और विशेषकर राजभाषा विभाग द्वारा सभी प्रशिक्षण स्थापनाओं में 1 जनवरी, 1989 से हिन्दी को प्रशिक्षण का माध्यम बनाने के बारे में जारी किए गए आदेशों के सदर्भ में, सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करे।

(4) तीनों सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले तकनीकी प्रकाशनों का अनुवाद

माननीय सदस्य इस संबन्ध में अब तक हुई प्रगति से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि 750 प्रकाशनों में से केवल 73 का अनुवाद किया गया है लेकिन पुनरीक्षण अधिकारी न होने के कारण उनमें से केवल 1 को ही अन्तिम रूप दिया जा सका है। सदस्यों ने इस बात पर भी चिन्ता व्यक्त की कि जिन प्रशिक्षण मैनुअलों का अनुवाद हो चुका है उनका पुनरीक्षण और मुद्रण का काम इसलिए रुका हुआ है कि स्टाफ की कमी है। रक्षा सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि साधनों की कमी के कारण हिन्दी का काम रुकने नहीं दिया जायेगा और शीघ्र ही संबंधित स्थापनाओं को अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध किया जाएगा।

(5) तीनों सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले प्रशिक्षण मैनुअलों का हिन्दी अनुवाद

माननीय सदस्यों ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 1,553 प्रशिक्ष मैनुअलों और नोटों में से 937 का अनुवाद कर लिया गया है। परन्तु वे उनके साइक्लोस्टाइल कराने या छपवाने के काम की प्रगति से सन्तुष्ट नहीं थे। माननीय सदस्यों को बताया गया कि अनुवाद किए गए कुल 937 प्रकाशनों में से केवल 273 को ही मुद्रित/साइक्लोस्टाइल किया जा सका है। इस पर तीनों सेना मुख्यालयों के प्रतिनिधियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि जिस सामग्री का अभी अनुवाद हो चुका है उसका मुद्रण/साइक्लोस्टाइल कराने से पहले पुनरीक्षण किया जाना है। इस सामग्री के मुद्रण/साइक्लोस्टाइल में देरी का कारण पुनरीक्षण अधिकारियों की कमी है। इस काम को पूरा करने के लिए स्टाफ बढ़ाना होगा।

(6) रक्षा संगठनों की विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग

कुमारी सईदा खातून ने कहा कि नौसेना और वायुसेना में अन्य रैंकों के लिए आयोजित विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में से अधिकांश में प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी में होते हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में प्रश्नपत्र द्विभाषी रूप में तैयार किए जाने चाहिएं।

(7) हिन्दी जानने वाले अधिकारियों से कहा जाए कि वे हिन्दी में डिक्टेशन देने के लिए हिन्दी आशुलिपिकों की सेवाओं का उपयोग कर

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि ने बताया कि मंत्रालय में 157 आशुलिपिकों में से केवल 51 को हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया गया है और उनमें से भी केवल 12 आशुलिपिकों की सेवाओं का हिन्दी के काम के लिए उपयोग किया जा रहा है। उनका सुझाव था कि हिन्दी आशुलिपि जानने वाले सभी आशुलिपिकों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। हिन्दी टाइपराइटरों के संबध में सदस्यों ने इस कमी की ओर ध्यान दिलाया कि मंत्रालय में 594 रोमन टाइपराइटर हैं और देवनागरी के केवल 52 टाइपराइटर। मंत्रालय की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी ताकि इस मामले में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

(8) "क" तथा "ख" क्षेत्र में राज्य सरकारों को मूल पत्रादि हिन्दी में जारी किए जाएं

श्री एम.पी. यादव ने इस ओर ध्यान दिलाया कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाली तिमाही में मंत्रालय ने "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों को केवल 18 प्रतिशत पत्रादि हिन्दी में जारी किए जबकि उन्हें शत-प्रतिशत हिन्दी में जारी किया जाना चाहिए था। मंत्रालय की ओर से माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाएंगे।

(9) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए द्विभाषी यांत्रिक उपकरणों की खरीद

सरकारी कामकाज के लिए द्विभाषी यांत्रिक उपकरणों की खरीद के बारे में चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों का कहना था कि मंत्रालय में टेलीप्रिंटर/न्यूज स्कैनर/टलेक्स मशीनें केवल अंग्रेजी में हैं जबकि राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार ये सभी उपकरण द्विभाषी होने चाहिएं। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए रक्षा सचिव ने बताया कि ये उपकरण पहले के खरीदे हुए हैं लेकिन भविष्य में जब भी नए यांत्रिक उपकरण खरीदे जाएंगे वे द्विभाषी होंगे।

4. रेल मंत्रालय

रेल राज्य मंत्री, श्री माधवराव सिन्धिया की अध्यक्षता में रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की 32वीं बैठक 26 अप्रैल, 1988 को मुख्यमंत्री सचिवालय, भुवनेश्वर के सभा भवन में सम्पन्न हुई। रेल राज्य मंत्री ने उड़ीसा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि रेल लाइनें और हिन्दी दोनों ही देश को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए रेल मंत्रालय इन दोनों के विस्तार और प्रयोग के प्रति सजग और तत्पर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समिति इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त ठोस सुझाव देगी। मंत्री जी ने यह भी कहा कि जब तक अधिकारी और कर्मचारी मूल रूप से हिन्दी में काम करना आरम्भ नहीं करते, तब तक सच्चे अर्थों में हिन्दी की प्रगति सम्भव नहीं है। कर्मचारियों में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है, इससे रेलों में हिन्दी का प्रयोग-प्रसार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

समिति के सदस्य सचिव, निदेशक, राजभाषा, रेलवे बोर्ड, श्री शिवसागर मिश्र ने रपट के महत्वपूर्ण अंशों का उल्लेख करते हुए सदस्यों को बताया कि :—

1. बोर्ड कार्यालय द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के फलस्वरूप अधिसूचित कार्यालयों की संख्या 1023 हो गई है और इन सब में नियम 8(4) भी लागू कर दिया गया है।

2. बोर्ड कार्यालय में पिछली 7 तिमाहियों से लगातार हिन्दी पत्रों के शत-प्रतिशत उत्तर हिन्दी में दिए जा रहे हैं। "क" और "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को दिसम्बर, 87 की तिमाही में 84 प्रतिशत मूल पत्र हिन्दी में भेजे गये हैं। लेकिन "क" क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में मूल पत्राचार की स्थिति अच्छी नहीं है। इस मद में दिसम्बर, 87 की तिमाही में 43.5% पत्राचार हिन्दी में हुआ है। 100% का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में एक न्यूनतम कार्यक्रम बनाया गया है। इस संदर्भ में अनुभाग अधिकारियों और कार्यकारी निदेशकों की बैठकें आयोजित की जायेंगी, जिनमें प्रत्येक निदेशालय की स्थिति की अनुभागवार नियमित समीक्षा की जायेगी और परिणामों को अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के ध्यान में लाया जायेगा।

3. क्षेत्रीय रेलों में पिछले 3 वर्ष से लगातार हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जा रहे हैं। "क" और "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों और गैर सरकारी व्यक्तियों को आलोच्य तिमाही में 81.1% पत्र मूलतः हिन्दी में लिखे गये हैं। "क" क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को इस तिमाही में 76.6% पत्र मूलतः हिंदी में भेजे गये हैं। इस मद में निर्धारित 100% के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रेल प्रशासनों को कारगर कार्वाई करने की हिदायत दी गयी है।

4. क्षेत्रीय रेलों में धारा 3(3) का 92% अनुपालन हो रहा है।

5. रेलवे भर्ती बोर्डों और प्रधान कार्यालयों से कहा गया है कि भर्ती परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के प्रयोग को विशेष प्रोत्साहन दिया जाये। इन आदेशों के अनुपालन पर नजर रखने के लिए तिमाही रपट मंगाई जा रही है।

2. सदस्य सचिव की रपट पर चर्चा करते हुए बाबू गंगाशरण सिंह ने सुझाव दिया कि संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर रेल मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की है, इसका उल्लेख रपट में किया जाना चाहिए।

1. बाबू गंगाशरण सिंह ने यह प्रश्न भी उठाया कि रेलवे स्टाफ कालेज और रेलवे की अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को निर्धारित अवधि में हिंदी में भी तैयार करने की दिशा में जो कार्रवाई हुई है, उससे भी अवगत कराया जाना चाहिए। इस पर मंत्री जी ने सूचना दी कि सभी प्रशिक्षण संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक सदस्य, कार्मिक ने बुलायी है। संसदीय समिति की सिफारिश के अनुरूप अधिकारियों को समुचित निर्देश दिये जायेंगे।

2. बाबू गंगाशरण सिंह ने यह सुझाव भी दिया कि इन प्रशिक्षण संस्थाओं में जो अधिकारी अध्यापन का कार्य करते हैं, उन्हें हिंदी माध्यम से पढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए वर्कशाप का आयोजन किया जाना चाहिए।

3. श्री बालकवि बैरागी, संसद सदस्य और श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का कहना था कि कम्प्यूटर जैसे इलैक्ट्रानिक उपकरणों में अंग्रेजी के प्रयोग को वरीयता मिल रही है और हिन्दी पिछड़ रही है। इस पर मंत्री जी ने कहा कि 4 साफ्टवेयर पैकेज प्रयोग के तौर पर शुरू किये गये हैं। साफ्टवेयर पैकेज के विकास के प्रयत्न किये जा रहे हैं। आरक्षण व्यवस्था में हिंदी का प्रयोग सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। इसे बढ़ाने की पूरी चेष्टा की जा रही है।

इसके अलावा, द्विभाषी साफ्टवेयर के आधार पर 4 पायलट प्रोजेक्ट उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे और रेलवे बोर्ड में शुरू किये गये हैं। साथ ही, आशा है लोटस 1, 2, 3 और डी बेस-III के उपयुक्त हिन्दी साफ्टवेयर भी बाजार में उपलब्ध हो जायेंगे। इनके उपलब्ध होते ही इन्हें रेल कार्यालयों के पर्सनल कम्प्यूटरों में लगाया जायेगा।

4. देवनागरी टेलीपिटर्स पर काम करने वाले ऑपरेटरों को डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के अनुरूप पारिश्रमिक अथवा वेतन वृद्धि अथवा मानदेय देने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। इस पर मंत्री जी ने कहा कि जो ऑपरेटर अंग्रेजी का मोह त्याग कर देवनागरी लीपिटर पर काम करें, उन्हें हिन्दी सप्ताह के अवसर पर पुरस्कृत किया जा सकता है।

5. रेलों को इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जो भी समारोह आयोजित हों, उनमें रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाये।

6. ज्ञात हुआ है कि हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स के पास द्विभाषी टेलीप्रिंटर उपलब्ध हो गये हैं। अतः रेलों को द्विभाषी टेलीप्रिंटर खरीदने के लिए अपनी मांग इस फर्म को भिजवाने के लिए कहा जा रहा है। श्री रामकुमार चतुर्वेदी ने कहा कि नये ही नहीं रोमन के पुराने टेलीप्रिंटरों के बदले द्विभाषी टेलीप्रिंटर खरीदने के आदेश भी दिये जायें।

7. हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हिन्दी में किये जाने के बारे में सभी रेलों से जनवरी से मार्च, 1988 तक की अवधि की जानकारी मंगायी गयी है।

8. रेलवे संबंधी तकनीकी पुस्तकें लिखने के लिए अनुदान देने और खरीद के समय इन पुस्तकों को वरीयता दिये जाने के संदर्भ में बताया गया कि तकनीकी मौलिक हिन्दी लेखन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत कृतियों को हिन्दी पुस्तकालयों के लिए खरीदने के आदेश पहले से हैं। इन आदेशों पर सख्ती अमल करने के लिए रेल प्रशासनों से कहा जा रहा है।

9. डा. राममूर्ति त्रिपाठी ने सुझाव दिया कि निरीक्षणों के अवसर पर तिमाही प्रगति रपट में दिये गये आंकड़ों की सत्यता विश्वसनीय ढंग से सुनिश्चित होनी चाहिए। इस पर सदस्यों को सूचना दी गयी कि इस आशय के आदेश पहले से हैं कि हिन्दी में किये गये मदवार कार्य का रिकार्ड अलग से रजिस्टर में रखा जाये जिससे कि आंकड़ों की सत्यता सुनिश्चित हो सके। रेलों से कहा गया है कि पास/पी.टी.ओ./नकदी रसीदों/रेलवे रसीदों/पार्सल-बे-बिल आदि में हिन्दी के प्रयोग के आंकड़ों को भी हिसाब में लिया जाये।

10. डा. बलदेव वंशी ने प्रस्ताव रखा कि रेलों पर नियम पुस्तकों, संहिताओं आदि के हिन्दी मुद्रण के लिए रेलवे प्रेसों में क्षमता बढ़ायी जानी चाहिए। इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि रेलवे प्रेसों में मुद्रण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 9 फोटो टाइप सैटर और 18 ऑफसेट मशीनें स्वीकृत की गयी हैं। श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी के आग्रह पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि रेलवे प्रेसों में हिन्दी मुद्रण की क्षमता बढ़ायी जायेगी।

11. श्री ललित सुरजन ने सुझाव दिया कि रेलवे के हिन्दी पुस्तकालयों में हिन्दी के लेखकों की भारतीय भाषाओं में अनुदित पुस्तकें भी होनी चाहिएं। हिन्दी में मूल रूप से उपलब्ध पुस्तकों का चयन सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह सुझाव भी दिया गया कि पुस्तक चयन उप समिति की बैठक में कुछ सदस्यों को प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाये। बाबू गंगाशरण सिंह ने सुझाव दिया कि इस उप समिति के एक-तिहाई सदस्य हर वर्ष बदले जा सकते हैं।

12. डा. रामकुमार चतुर्वेदी "चंचल" के प्रस्ताव पर सूचित किया गया कि अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन के अति तकनीकी प्रलेखों के हिन्दी अनुवाद आदि के लिए निर्धारित मानदेय की दरों में वृद्धि कर दी गयी है।

5. नागर विमानन मंत्रालय

नागर विमानन हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक दिनांक 17 जून, 1988 को नागर विमानन मंत्री श्री मोतीलाल वोरा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई।

समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रत्येक देश अपनी भाषा में काम करता है। इस देश की भाषा हिन्दी है और यह खेद की बात है कि 40 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम हिन्दी को वह स्थान नहीं दे सके हैं जो देश की राजभाषा को मिलना चाहिए। हमारा यह प्रयास है कि हिन्दी को उसका उचित स्थान मिले। तदुपरान्त मंत्री जी ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के बारे में अपने सुझाव देने की कृपा करें।

श्री सुरेन्द्र शर्मा ने कहा कि विदेशों में हिन्दी के कार्यक्रम आयोजित करके एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जहां एक ओर विदेशों में हिन्दी का प्रचार करेंगे वहीं साथ ही साथ अपना व्यापारिक हित भी सिद्ध करेंगे। डा. शशि शेखर तिवारी ने श्री सुरेन्द्र शर्मा की बात को और आगे

बढ़ाते हुए कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि व्यापार से संस्कृति और संस्कृति से व्यापार का विकास होता है। इसलिए इस प्रकार के आयोजन विदेशों में किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प दिया जाये और राजभाषा निरीक्षण अधिक संख्या में किए जाएं क्योंकि इनसे संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी संबंधी नियमों की जानकारी मिलती है।

डा. चन्द्रशेखर नायर ने कहा कि इंडियन एयरलाइंस द्वारा त्रिवेन्द्रम में हिन्दी शिक्षण के लिए कोई विभागीय व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि इस प्रकार की व्यवस्था एअर इंडिया द्वारा की गई है। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि इंडियन एयरलाइंस त्रिवेन्द्रम में हिन्दी शिक्षण के लिए तुरंत ही कोई विभागीय व्यवस्था करे।

डा. श्याम सोनारे ने कहा कि "स्वागत" और "नमस्कार" का स्वरूप अंग्रेजी-हिन्दी मिश्रित न होकर हिन्दी भाषी स्वरूप होना चाहिए।

माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए विचारों और अध्यक्ष महोदय द्वारा उन पर की गई टिप्पणियों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की गई :—

(1) "स्वागत" और "नमस्कार" में प्रकाशित हिन्दी लेखों के लेखकों को अंग्रेजी लेखों के लेखकों के बराबर पारिश्रमिक दिया जाए।

(2) मंत्रालय और इसके अधीनवर्ती सभी कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाये और इस कानूनी अपेक्षा की अवहेलना किसी भी सूरत में न होने दी जाए।

(3) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस विदेश स्थित ऐसे कुछ स्टेशनों पर जहां भारतीयों की संख्या पर्याप्त हो, कवि सम्मेलन/सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करें।

(4) नागर विमानन मंत्रालय और इसके अधीनवर्ती कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों में प्रत्येक मंगलवार को सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करें।

(5) इंडियन एयरलाइंस, एअर इंडिया और वायुदूत के विमानों में उड़ान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनमें हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार-पत्र मंत्रालय द्वारा निर्धारित संख्या में उपलब्ध हों।

(6) देश में चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर क्लोज सर्किट टेलीविजनों में उड़ान संबंधी सूचनाएं हिन्दी में भी दी जाएं।

(7) हिन्दी संबंधी पदों के जो प्रस्ताव विभिन्न कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों में बनाए गए हैं उन्हें शीघ्र कार्यरूप में परिणित किया जाए।

(8) यह देखने के लिए कि विभिन्न निगमों/उपक्रमों के प्रशिक्षण संस्थानों में किस सीमा तक हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा सकता है, समिति के सदस्यों को इन संस्थानों में जाकर स्थिति का अध्ययन करने की सुविधा दी जाए।

(9) एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत की उड़ान समयावलियां सभी स्टेशनों पर हिन्दी में भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई जाएं।

6. योजना मंत्रालय

योजना मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक योजना राज्य मंत्री श्री बी. एस. ऐंती की अध्यक्षता में 6 अप्रैल 1988 को योजना भवन में हुई। बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष ने सदस्यों का स्वागत किया। सदस्यों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने समिति की पिछली बैठक के बाद योजना मंत्रालय की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों और इस सम्बन्ध में उठाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावित कदमों की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने सूचना दी कि योजना मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग को राजभाषा विभाग द्वारा संचालित "इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना" के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के लिए भारत सरकार के सभी विभागों में से तीसरा पुरस्कार मिला और उन्हें "इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड" दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि योजना सम्बन्धी विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा जो "कौटिल्य पुरस्कार योजना" चलाई जा रही है, उसके अन्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। अध्यक्ष ने समिति को यह सूचित भी किया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के सिलसिले में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के बारे में योजना तैयार करने के लिए पहली बार एक कार्यदल (वर्किंग ग्रुप) का गठन किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दल की रिपोर्ट से हिन्दी के प्रयोग के बारे में योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

डा० लक्ष्मी नारायण दुबे ने समिति की बैठक आयोजित करने के लिए अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि अहिन्दी भाषी होते हुए भी उन्होंने हिन्दी में बोलने का स्तुत्य प्रयास किया है जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं।

श्रीमती केसरबाई क्षीरसागर और राजभाषा विभाग के सचिव, श्री बी. बी. महाजन तथा कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि योजना आयोग द्वारा हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या बहुत कम है और राजभाषा नियमों के प्रावधानों तथा वार्षिक कार्यक्रम से निर्धारित लक्ष्यों को देखते हुए स्थिति असन्तोषजनक है। श्री के. के. श्रीवास्तव ने कहा कि वे योजना आयोग में काम कर चुके हैं और योजना आयोग की कठिनाइयों को जानते हैं, फिर भी जो छोटी-छोटी चिट्ठियां बाहर भेजी जाती हैं, उनको तो हिन्दी में भेजा ही जा सकता है।

अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाया कि हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या में और कुल पत्रों की तुलना में उनकी प्रतिशतता में स्पष्टतः वृद्धि हुई है। इससे यह जाहिर होता है कि हमें अपनी कोशिश में कुछ सफलता प्राप्त हुई है सचिव, योजना आयोग ने कहा कि यह सही है कि हिन्दी का काम जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए और जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी तेजी से और उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है। हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने समिति का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया कि आयोग के काम का स्वरूप अन्य मंत्रालयों की अपेक्षा कुछ भिन्न है। इसके बावजूद आंकड़ों को देखने से पता चलेगा कि हिन्दी पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, और हमारा प्रयास है कि हिन्दी पत्राचार में और वृद्धि की जाए ताकि वह वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुरूप हो जाए।

राजभाषा विभाग के सचिव, श्री बी. बी. महाजन ने कहा कि आयोग में हिन्दी में पत्राचार की प्रतिशतता कम होने का कारण सम्भवतः यह है कि यहां पर हिन्दी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षित टाइपिस्ट बहुत कम हैं और हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या भी कम है। अतः, अधिक से अधिक टाइपिस्टों को हिन्दी टाइप में प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए आर हिन्दी के टाइपराइटर आर द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर और खरीदे जाने चाहिएं। उन्होंने यह मत भी व्यक्त किया कि आयोग के उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, एक-दो साल में प्रशिक्षित कर लेना चाहिए।

सचिव योजना आयोग ने कहा कि अगले सत्र से और टाइपिस्टों के हिन्दी टाइपिंग के लिए तथा कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण के लिए नामित किया जा रहा है और मौजूदा बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत और आवश्यकता के अनुसार और टाइपराइटर खरीदे जाएंगे।

श्री के. के. श्रीवास्तव ने बताया कि योजना आयोग के स्वागत कार्यालय द्वारा अनुरोध करने पर भी हिन्दी में पास नहीं बनाए जाते। अतः उन्हें इस बारे में उचित हिदायतें दी जाएं। सचिव, योजना आयोग ने कहा कि यह सुझाव नोट कर लिया गया है और इस बारे में कार्रवाई की जाएगी।

डा. दुबे के इस सुझाव के प्रत्युत्तर में कि 14 सितम्बर को "योजना" पत्रिका का राजभाषा अंक प्रकाशित किया जाए। सचिव, योजना आयोग ने यह कहा कि यह पत्रिका योजना मंत्रालय की नहीं है, फिर भी, "योजना" पत्रिका (हिन्दी) के सम्पादक से यह अनुरोध कर दिया जाएगा कि 14 सितम्बर के समीप निकलने वाले अंक में राजभाषा से संबंधित लेखादि प्रकाशित किए जाएं।

डा. वीरेन्द्र कुमार दुबे और श्री के. के. श्रीवास्तव ने पूछा कि राजभाषा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित वर्ष 1988 के कार्यक्रम को लागू किए जाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। निदेशक (प्रशासन) ने समिति को सूचित किया कि वर्ष 1988-89 का कार्यक्रम हाल ही में राजभाषा विभाग से प्राप्त हुआ है और सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उसकी जानकारी देने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

7. उद्योग मंत्रालय

उद्योग मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 30 मार्च, 1988 को उद्योग राज्य मंत्री (औद्योगिक विकास) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। मंत्री जी द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करने के बाद कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

श्री सुधाकर पाण्डेय तथा श्री विजय कुमार यादव ने ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री, बम्बई द्वारा मंत्रालय का आदेश न मानकर वहां कार्यरत वरिष्ठ अनुवादक को तदर्थ आधार पर हिन्दी अधिकारी नियुक्त न करने की कटु आलोचना की तथा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि इस प्रकार के हिन्दी विरोधी रुख के लिए तथा समिति के निर्णय एवं मंत्रालय के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी के खिलाफ कारवाई की जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय ने समिति को आश्वासन दिया कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कारवाई की जाएगी।

समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय में निदेशक (हिन्दी) तथा विकास आयुक्त (ल. उ.) के कार्यालय में उप निदेशक (हिन्दी) का पद सृजन करने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभावी कारवाई की जाए।

पत्राचार के सम्बन्ध में सदस्यों ने खासतौर से "क" व "ख" क्षेत्रों को हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रों का निर्धारित प्रतिशत प्राप्त करने पर जोर दिया तथा इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों की स्थिति सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा स्पष्ट की गई। सदस्यों ने जोर दिया कि "क" और "ख"

क्षेत्रों के साथ पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जाये तथा राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का पालन सख्ती से किया जाए। सदस्यों ने औद्योगिक विकास विभाग के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा शत प्रतिशत काम हिन्दी में किए जाने की सराहना की तथा विभाग में सप्ताह में एक दिन केवल हिन्दी में काम करने तथा हिन्दी टाइपिस्टों व आशुलिपिकों का पूल बनाए जाने सम्बन्धी प्रस्तावों को व्यावहारिक बताया तथा कहा कि मंत्रालय के अन्य विभागों द्वारा भी इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। सदस्यों ने शत प्रतिशत चैक हिन्दी में ही जारी करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस दिशा में शीघ्र कारवाई की जायेगी।

यांत्रिक सुविधाओं को द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराये जाने पर भी सदस्यों ने जोर दिया। पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने के सम्बन्ध में राजभाषा विभाग के उप सचिव श्री गोविन्द दास बेलिया ने बताया कि वह विभाग ऐसा परिपत्र जारी करने जा रहा है कि हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी अपना सारा सरकारी कार्य हिन्दी में करें।

रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में सदस्यों ने चैक प्वाइंट्स प्रभावी बनाने तथा संयुक्त सचिव को इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार बनाये जाने की सिफारिश की।

कम्पनी कार्य विभाग द्वारा बताया गया कि कुल 32 फार्मों में से 9 फार्मों का अनुवाद अब तक किया गया है तथा बाकी 23 फार्मों का अगले 2 या 3 महीनों में अनुवाद कर लिया जायेगा। कम्पनी कार्य विभाग के अपर सचिव श्री अशोक चन्द्र ने समिति को सूचित किया कि हिन्दी में पत्राचार के सम्बन्ध में विभाग अभी 25 प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाया है, पर इनको अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि उनके विभाग द्वारा मैनेजीरियल रेम्यूनिरेशन के बारे में अब तक सभी पत्र अंग्रेजी में जारी होते थे। अब "क" और "ख" क्षेत्र में अंग्रेजी के साथ-साथ उस विभाग ने हिन्दी में भी पत्र जारी करने शुरु कर दिए हैं। श्री सुधाकर पाण्डेय द्वारा पूछे जाने पर कि इस समय तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है उन्होंने बताया कि मैनेजीरियल रेम्यूनिरेशन के सभी पत्र "क" तथा "ख" क्षेत्र में दोनों भाषाओं में जा रहे हैं।

मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा अपने उत्पादन पर विवरण मोनोग्राम द्विभाषी रूप में न देने के सम्बन्ध में सदस्यों ने जानना चाहा। संयुक्त सचिव श्री के. एस. बेन्स ने सूचित किया कि कम्पनी से एक मोनोग्राम बनाने के लिए कहा गया है और उसको सही जगह लगाने के लिए भी कहा गया है। स्टियरिंग आदि पर लगाये जाने वाले स्टीकर्स पर हिन्दी में मारूति लिखा होता है, इसे उन्होंने सदस्यों को दिखाया।

द्विभाषी टेलीप्रिंटर खरीदने के बारे में उन्होंने समिति को सूचित किया कि जरूरी होने पर इसे खरीद लिया जायेगा। इस पर सदस्यों ने आपत्ति की कि यह कानूनी बाध्यता है, अतः इसके लिए अगले वित्त वर्ष में द्विभाषी टेलीप्रिंटर व टाइपराइटर के लिए आवश्यक बजट प्रावधान कर लिया जाये।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

तिरुअनन्तपुरम

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अर्धवार्षिक बैठक ता. 27-6-88 को तिरुअनंतपुरम राज्य सहकारी बैंक के सम्मेलन कक्ष में समिति के अध्यक्ष एवं केरल डाक परिमंडल के महा डाकपाल श्री सी. जे. मैथ्यू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। डाक सेवा निदेशक श्री मोहन कुमार ने अनुरोध किया कि सभी उपस्थित अधिकारी राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को आगे ले जाने के लिए सुधारात्मक सुझाव देकर संयोजकों की सहायता करें। तदनंतर श्री सीतू जे. मैथ्यू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में समिति के अब तक के कार्यकलापों का संक्षिप्त परिचय दिया।

समिति के सदस्य सचिव श्री पी. के. के. मेनन ने अपनी रिपोर्ट में सदस्य कार्यालयों द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु की गई कारवाई का संक्षिप्त परिचय दिया।

तिरुअनंतपुरम रेल मंडल के राजभाषा अधिकारी ने दक्षिण रेलवे की रिपोर्ट पेश की। जिसके अनुसार वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य से ज्यादा काम हिंदी में हो रहा है। आयकर विभाग के प्रतिनिधि के अनुसार उनके यहां भी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय के प्रतिनिधि ने भी अपनी निष्पादन रिपोर्ट पेश की। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केरल सर्कल आफीस के प्रतिनिधि ने अपने यहां हो रहे हिंदी कार्यान्वयन कार्य का ब्यौरा देते हुए साबित किया कि वहां भी वार्षिक कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। राष्ट्रीय बचत संगठन के प्रतिनिधि ने हिंदी के कार्यान्वयन में हो रही कठिनाइयों का भी ब्यौरा दिया।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री डी. कृष्णपणिकर सहायक निदेशक ने सदस्य कार्यालयों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा और बैठक की कार्यवाही की पुनरीक्षा करते हुए अनुरोध किया कि इस बैठक के बाद सदस्य

कार्यालयों में हो रहे हिंदी के प्रगामी प्रयोग में कुछ न कुछ प्रगति अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि केरल जैसे अहिंदी प्रदेशों के मैट्रिक परीक्षा पास कर्मचारियों को भी हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर वित्तीय प्रोत्साहन पाने के लिए राजभाषा विभाग ने इसे समकक्ष मान लिया। ऐसे सभी कर्मचारी भी अब प्राज्ञ परीक्षा देकर लाभान्वित हो सकते हैं। सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे इस अद्यतन आदेश के तहत ज्यादातर कमचारियों को प्राज्ञ परीक्षा पास करने के लिए नामित करें।

अद्यतन वार्षिक कार्यक्रम को मदों पर चर्चा करते हुए श्री डी. कृष्णपणिकर ने अनुरोध किया कि सभी सदस्य कार्यालयों में यथासंभव अधिकाधिक हिंदी कार्यशालाएं चलाकर वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य की पूर्ति करें और हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें।

कोच्चिन

देश के पश्चिमी समुद्र तट पर बसे सुरम्य नगर कोच्चिन में बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 21-6-88 को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री पी. के. अल्वा, उप महाप्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक ने की। श्री वीर अभिमन्यु कोहली, उप सचिव राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार मुख्य अतिथि थे। श्री रा. वे. मिश्र, उपनिदेशक (का) तथा श्री डी. के. पणिक्कर, सहायक निदेशक (का) राजभाषा विभाग, दक्षिणी क्षेत्र बेंगलूर ने भी बैठक में भाग लिया।

राजभाषा अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार धर के अनुरोध पर श्री कोहली ने मंगलदीप प्रज्जवलित करके बैठक का उद्घाटन किया। कार्पोरेशन बैंक के उप महा प्रबंधक श्री पी. के. आल्वा ने स्वागत करते हुए कहा कि हिन्दी भाषा का, किसी भी भाषा से विरोध नहीं है। इसलिए एकजुट होकर भारत सरकार की राजभाषा नीति लागू करने के प्रयास करें।

श्री कोहली ने राजभाषा अधिनियम और नियमों पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन 100 % किया जाना चाहिए। यदि ऐसा न किया तो अधिनियम का उल्लंघन होगा। सामान्य आदेशों की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि सभी "स्थाई आदेश" इसके अंतर्गत आते हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाने हैं, इसमें कोई भी छूट नहीं है। केन्द्रीय सरकार की राजभाषा हिन्दी है तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारी होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हिन्दी को क्रियान्वित कर। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है वे इसे शीघ्र अर्जित करें।

सिंडिकेट बैंक के प्रतिनिधि ने जानना चाहा कि वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितम्बर को ही मनाए जाने में व्यावहारिक कठिनाई है। श्री कोहली ने इसे 14 सितम्बर को ही मनाए जाने की अनुरोध किया।

भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि ने जानना चाहा कि हिन्दी के शब्दों के सर्वाधिक प्रयोग पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं वे हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए भी है या अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए। श्री कोहली ने आंध्र बैंक के प्रतिनिधि के एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि यह तय करने के लिए बैंकों में 3 (3) के अन्तर्गत कौन से दस्तावेज आते हैं। बैंकिंग प्रभाग ने एक उप समिति गठित की है जिसे निर्णय से सभी को अवगत करवाया जाएगा। एक और प्रश्न के उत्तर में श्री कोहली ने कहा कि जून 1988 की तिमाही से हिन्दी प्रगति रिपोर्ट को प्रोफार्मा में परिवर्तन किया गया है। अब कार्यालयों को केवल जारीकृत कुल पत्रों की संख्या अंग्रेजी तथा हिंदी में जारी पत्रों के ही आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे।

श्री कोहली ने सब के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

इसके बाद बेंगलूर कार्यालय राजभाषा विभाग के उप निदेशक श्री रामचन्द्र मिश्र ने अपना वक्तव्य देते हुए कार्पोरेशन बैंक के प्रबंध तन्त्र को इस बैठक के प्रभावी रूप से संचालन के लिए बधाई दी।

श्री एन. आर. बीलिगा प्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चिन ने सभी का धन्यवाद देते हुए राजभाषा विभाग को यह विश्वास दिलाया कि यदि उन्हें हिन्दी संबंधी कोई भी दायित्व सौंपा जाता है तो वे पीछे नहीं हटेंगे।

हुबली

हुबली नगर राजभाषा कार्यान्वित समिति की 1988-89 की पहली बैठक दि. 31-5-1988 श्री एस. ए. मलिक, मंडल रेल प्रबंधक, की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में दक्षिण क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अनुसंधान अधिकारी श्री ओ. आर. के. मूर्ति ने भाग लिया। बैठक में उपस्थिति अत्यंत संतोषजनक रही।

स्वागत करते हुए अध्यक्ष श्री मलिक ने स्पष्ट किया कि हिंदी को अपना स्थान हासिल करने में कोई कुछ बाधा डाल सके, लेकिन उसे रोक नहीं सकेगा। उन्होंने सदस्यों

ने निष्ठापूर्वक राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम और सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने का अनुरोध किया।

प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर सदस्य सचिव ने अपनी समीक्षा प्रस्तुत की। केवल 55% कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण उन्होंने सदस्य कार्यालयों से भविष्य में समय पर रिपोर्ट भिजवाने का आग्रह किया। प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर कार्यान्वयन में सदस्यों की निष्ठा और श्रद्धा स्पष्ट होती है। विभागीय प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि सरकार के निर्देश हैं कि प्रशिक्षण कार्य (हिंदी, हिंदी टंकण व आशुलिपि) सन् 1990 तक पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने सदस्यों से यह भी अनुरोध किया कि राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार तिमाही प्रगति रिपोर्ट, तिमाही बठक की सूचना और तिमाही बैठक का कार्यवृत्त नियमित रूप से दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को भेजें।

सदस्यों ने हिंदी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण की असुविधा का जिक्र करते हुए हिंदी शिक्षण योजना की तरफ से केन्द्र खुलवाने का अनुरोध किया। विभागीय प्रतिनिधि ने कहा कि वे अपने-अपने दफ्तर में प्रशिक्षणार्थ बचे (हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि) कर्मचारियों के आंकड़े सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना, हुबली को भेजें, जो अपनी टिप्पणी के साथ इस मांग की पूर्ति के लिए एक-एक प्रति उप निदेशक (टंकण व आशुलिपि) मयूर भवन, नई दिल्ली, उप निदेशक (पश्चिम), हिंदी शिक्षण योजना, कामर्स भवन, बंबई को भेज सकते हैं और उसकी एक प्रति हमारे कार्यालय को भी भेजें। अध्यक्ष महोदय ने भी इस पर ज़ोर दिया। तदनंतर सदस्य सचिव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

गोवा

गोवा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दसवीं बैठक, दिनांक 8 अप्रैल, 88 को, केन्द्रीय सीमा तथा उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, पणजी में, अपर समाहर्ता श्रीमती जे. के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक में, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना के उपनिदेशक (पश्चिम) बम्बई, श्री उधोरामसिंह तथा राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई के सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) श्री जयप्रकाश उपस्थित थे।

सदस्य-सचिव श्री तुराब त्रवाडी ने, सभी का स्वागत किया। दिनांक 19 अक्तूबर, 88 को हुई, नौंवी बैठक का कार्यवृत्त पढ़ा गया और सर्वसम्मति से उसकी पुष्टि की गई। निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श हुआ :—

1 गोवा में हिंदी टंकण एवं आशुलिपि का प्रशिक्षण

हिन्दी टंकण के अंशकालिक प्रशिक्षण के लिए एक छोटे कमरे की व्यवस्था कर देने का आश्वासन, सीमा शुल्क समाहर्तालय के अपर समाहर्ता श्रीमती जे. के. श्रीवास्तवा ने दिया। प्रशिक्षण के लिए, अनुदेशक के रूप में मात्स्यकी तकनोलोजी के केन्द्रीय संस्थान, पणजी के प्रभारी वैज्ञानिक ने अपने हिन्दी टंकण श्री सुरेश धावर्डे की सेवा देने का प्रस्ताव भेजा। टाइपराइटरों की व्यवस्था करने के बारे में यह तय किया गया कि गोवा के केन्द्रीय सरकार के कार्यालय, इस प्रशिक्षण के लिए, कुछ समय के लिए, अपने कार्यालय के हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध करा दें तो, प्रशिक्षण की व्यवस्था शीघ्र शुरू की जा सकेगी। अतः गोवा स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालय अध्यक्षों से अनुरोध किया गया कि यदि वे अपने कार्यालय के हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध करा सकते हैं तो उपलब्ध कराने की अवधि की जानकारी के साथ, इसकी सूचना, सर्वकार्यप्रभारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना, कस्टम हाऊस, पणजी-गोवा को अविलंब भेजें।

वास्को-द-गामा स्थित सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए हिन्दी टंकण के प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में भी विचार-विमर्श हुआ। वहां के मुरगांव पत्तन न्यास, एम. एम. टी. सी. तथा गोवा शीपयार्ड के संबंधित अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने अपने-अपने कार्यालय के कर्मचारियों को, हिन्दी टंकण का अंशकालिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, स्वयं अपने कार्यालय में कर रखी है।

2. हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

"ग" क्षेत्र में स्थित गोवा के लिए वार्षिक कार्यक्रम के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) श्री जयप्रकाश ने वार्षिक कार्यक्रम, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा नियम 1976 की विभिन्न धाराओं का समुचित रूप से पालन करने का अनुरोध किया।

3 कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण

समिति के सचिव श्री तुराब त्रवाडी ने, पणजी में, हिन्दी प्रशिक्षण की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए, कार्यालय अध्यक्षों से, नये सत्र से, हिन्दी प्रशिक्षण के लिए अधिकतम कर्मचारियों को नामित करने का अनुरोध किया।

वास्को में हिन्दी प्रशिक्षण की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में वास्को के सर्व कार्यभारी अधिकारी एवं मुरगांव पत्तन न्यास के उप सचिव श्री गाडगील तथा उप निदेशक (पश्चिम) श्री ऊधोरामसिंह के साथ विचार-विमर्श हुआ। श्री गाडगिल ने सूचित किया कि, प्रयत्न करने के बावजूद, हिन्दी प्राध्यापक के पद के लिए स्थानीय उम्मी-

दवार नहीं मिल रहा है। सर्व कार्यभारी अधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट भेजने पर, अन्य स्थान से हिन्दी प्राध्यापक, वास्को में भेजने का श्री ऊधोरामसिंह ने आश्वासन दिया

तृश्शूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तृश्शूर की तीसरी बैठक श्री नरेंद्र नाथ, निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान की अध्यक्षता में दि. 21-3-1988 को आयोजित हुई। बैठक में राजभाषा विभाग की ओर से क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण क्षेत्र) बेंगलूर के उप निदेशक श्री रामचंद्र मिश्र ने भाग लिया। सर्वप्रथम अध्यक्ष ने स्वागत किया। सचिव श्री केशव पिल्ला, सहायक-निदेशक (प्रशासन) ने पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढ़कर सदस्यों से पुष्टि कराई।

उप निदेशक (कार्या.), श्री मिश्र ने दुःख प्रकट किया कि जो जानकारी समिति द्वारा विभिन्न कार्यालयों से मांगी गई थी वह भी केवल 9-10 कार्यालयों से प्राप्त हुई। उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे इस बारे में समिति का महत्व बताते हुए कार्यालयों के अध्यक्षों को अर्ध-सरकारी पत्र भेजें, जिसमें रिपोर्ट भिजवाने के साथ-साथ या तो स्वयं उपस्थित हों अथवा अपने से निचले स्तर के अधिकारी को प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरे अधिकार देकर भेजें। इस पत्र की प्रतिलिपि नियंत्रक अधिकारी/संबंधित मंत्रालय को भी भेजी जाए। उप निदेशक ने इस अवसर पर कुछ कार्यालयों का निरीक्षण भी किया तथा रिपोर्ट भी देखी जिनके आधार पर राज्य कर्मचारी बीमा निगम के निदेशक श्री नायर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय के समाहर्ता लघु उद्योग सेवा संस्थान के निदेशक द्वारा किए गए प्रयत्नों की सराहना की। श्री मिश्र ने सभी से अनुरोध किया कि अन्य कार्यालय भी अपने यहां हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास करें। सदस्यों ने इस बात को पुनः दोहराया कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा में कुछ शिथिलता लाई जाए अर्थात् जिन्होंने हिंदी दूसरी भाषा या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ी है उनको प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षाएं दिलाना अनिवार्य किया जाए और उन्हें सभी प्रोत्साहन पुरस्कार आदि प्रदान किए जाए। श्री मिश्र ने कहा कि इस बारे में उप सचिव, हिंदी शिक्षण योजना को समिति द्वारा प्रस्ताव भेजा जाए। इसी प्रकार यदि टाइपिंग प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित किए जाने वाले कर्मचारियों के आंकड़े सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी द्वारा भेजे जाएं तो बहुत संभव है कि हिंदी टाइपिंग का केंद्र विभाग द्वारा खोला जाए।

श्री मिश्र ने सदस्यों से अपील की कि यद्यपि मंत्रालय से निर्देश भेजे जा चुके है तथापि न तो तिमाही रिपोर्ट बेंगलूर कार्यालय को भेजी जाती है और न बैठकों की सूचना तथा कार्यवृत्त भी। यह अब से नियमित रूप से भेजी जाएं। उन्होंने सदस्यों से यह भी अनुरोध किया कि अनुवाद ब्यूरो द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रम में अपेक्षित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को भेजा जाए।

हैदराबाद

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति हैदराबाद की बैठक दि. 19-4-88 को श्री चेरियन महा प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। राजभाषा विभाग की ओर से श्री रामचंद्र मिश्र, उप निदेशक (का.) (दक्षिण क्षेत्र) उपस्थित हुए। बैठक का संचालन श्री सुदर्शन खन्ना, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी द्वारा किया गया।

श्री चेरियन ने स्वागत किया। पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सदस्य सचिव द्वारा कराई गई और पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कारवाई से अवगत कराया। श्री सुब्बाराव सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ने हिंदी शिक्षण के केन्द्रों कक्षाओं में आने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक श्री रामचंद्र मिश्र ने वार्षिक कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण 1990 तक पूरा हो इसके लिए चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए ताकि जिन कर्मचारियों व अधिकारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उन्हें हिंदी कार्यसाधक ज्ञान दिलाने का कार्य 1990 तक पूरा हो सके।

श्री मिश्र ने सदस्यों को यह भी बताया कि दक्षिण में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोचीन में सितंबर-अक्तूबर में राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को प्रशस्ति पत्र, शील्ड आदि प्रदान की जाएगी। अपेक्षित सूचना ठीक प्रकार से दी जाए, सही आंकड़े दिए जाएं जिससे कि मूल्यांकन सही हो सकें।

श्री मिश्र ने यह भी जानकारी दी कि विस्फोट विभाग के नियंत्रक श्री प्रे० च० क़टारिया, सो०आर०पी०एफ० महा डाकपाल टेलीफोन, भारत डायनमिक्स, मिश्र धातु, निगम सर्वे आफ डिया, हिन्दुस्तान केबिल लि०, आदि द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की।

समिति के सदस्य सचिव श्री खन्ना ने समिति के बढ़ते हुए कार्य को ध्यान में रखते हुए लिपिक वर्गीय स्टाफ के लिए प्रस्ताव रखा, जिस पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई। राजभाषा विभाग को समिति की ओर से इस बारे में लिखा जाएगा। सदस्य सचिव ने केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा विभिन्न स्थानों पर चलाए जा रहे पांच दिवसीय अनुवाद पाठ्यक्रम की जानकारी दी।

इसी प्रकार छोटे-छोटे कार्यालय के लिए संयुक्त हिंदी कार्यशाला के आयोजन की सूचना दी तथा अनुरोध किया कि इसके लिए भी सूचना प्राप्त होने पर नाम भेजे जाएं।

श्री मिश्र ने टेलीफोन विभाग द्वारा हिन्दी में प्रकाशित टेलीफोन डाइरेक्टरी के बारे में जानकारी देते हुए सभी सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि हर कार्यालय से कम से कम एक डाइरेक्टरी और जो बड़े कार्यालय है उनके मुख्य-मुख्य अधिकारियों के पास हिन्दी की डाइरेक्टरी उपलब्ध होनी चाहिए। ताकि इस मद पर नियमों के अनुसार जो व्यय सरकार कर रही है, उसका सदुपयोग हो सके। टेलीफोन विभाग द्वारा किया गया यह कार्य सराहनीय है, क्योंकि दक्षिण के किसी भी राज्य में हिन्दी में टेली. डाइरेक्टरी नहीं है।

बेंगलूर (बैंक)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) बेंगलूर की बैठक सिंडीकेट बैंक द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 1988 को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री यू. एन. पैंडियार, उप महाप्रबंधक, सिंडीकेट बैंक ने की। इस बैठक के मुख्य अतिथि थे—आकाशवाणी के निदेशक श्री रामचंद्र राव। उपस्थित सदस्यों का स्वागत सिंडीकेट बैंक की राजभाषा अधिकारी श्रीमती निशात ने किया और बैठक का संचालन समिति के सचिव डॉ. ओमप्रकाश शर्मा ने किया। रिजर्व बैंक के सहायक मुख्य अधिकारी श्री वैद्य, राजभाषा विभाग से उप निदेशक (का.) श्री रामचंद्र मिश्र, सिंडीकेट बैंक के कार्मिक प्रबंधक श्री रमेश कामत, आन्ध्र बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री हनुमन्त राव, यूनियन बैंक प्रशिक्षण महाविद्यालय, के प्रधानाचार्य श्री रामदुरै, सिंडीकेट बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य गौड़ा, केनरा बैंक के मंडल प्रबंधक (रा. भा.) श्री आर. एस. एल. प्रभू, लखनऊ से उपेन्द्र नारायण सेवक पाण्डेय, राजभाषा अधिकारी और नई दिल्ली से श्रीमती जीवन लता जैन, प्रबंधक (रा. भा.) की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

मुख्य अतिथि श्री राव ने अपने भाषण में मातृभाषा, राज्यभाषा और संघ की राजभाषा को सीखने पर बल दिया और तीनों को मानवजीवन में महत्वपूर्ण बताया। तत्पश्चात अध्यक्ष श्री पैंडियार ने हिंदी में भाषण देते हुए सरल हिंदी के प्रयोग और अपनी भाषा को ही अपनाने पर बल दिया। इसके पश्चात् बैठक में मदवार चर्चा हुई। सर्वप्रथम पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। उसके बाद हिंदी, हिंदी टाइप व आशुलिपि प्रशिक्षण की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक विकल्प रखे गए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव श्री राजेश्वर सिंह, उप प्रबंधक, एच. एम. टी. ने प्रस्ताव रखा कि यदि प्रशिक्षण के बारे में आंकड़े दिए जाएं तो वे यह प्रस्ताव संयुक्त रूप से संयुक्त-सचिव, राजभाषा विभाग के पास विचारार्थ भेजेंगे। बेंगलूर में एक सप्ताह का केन्द्रीय अनुवाद पाठ्यक्रम के आयोजन का प्रस्ताव सिंडीकेट बैंक के कार्मिक प्रबंधक श्री रमेश कामत ने दिया। केनरा बैंक की श्रीमती जीवन लता जैन ने बताया कि अभी हाल में 18 तारीख से 21 दिवसीय पाठ्यक्रम (जो केवल बैंक के अधिकारियों के लिए ही है) दिल्ली में आयोजित किया गया है उसकी प्रतिक्रिया मालूम होने पर आगे और कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार होगा। उप निदेशक श्री मिश्र ने सरकार की इस पाठ्यक्रम के आयोजन की नीति की विस्तार से जानकारी देते हुए यह आश्वासन दिया कि यदि सदस्यों को इच्छा है कि यहां एक सप्ताह का आयोजन हो तो प्रस्ताव समिति द्वारा भिजवाना उचित होगा। उन्होंने सदस्यों द्वारा उठाई गई इस आपत्ति पर कि परीक्षा परिणाम निकलने में देर होती है, संबंधित अधिकारियों को लिखने के लिए आश्वासन दिया। अन्त में बैठक समापन से पूर्व निम्नलिखित कार्यालयों को समिति के अध्यक्ष श्री पैंडियार द्वारा प्रशस्ति पत्र व राजभाषा कप प्रदान किए गए।

कार्यालय का नाम	कार्यालय-विभाग प्रमुख	रा. भा. अधिकारी
1. यूनियन बैंक, कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय	श्री राम दुरै, प्रधानाचार्य	श्रीमती नीराप्रसाद (सदस्य-संकाय)
2. सिंडीकेट बैंक, कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय	श्री एम.एल. गौडा, प्रधानाचार्य	श्री एच.वी.एस. यादव (सदस्य-संकाय)
3. आन्ध्रा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय	श्री बी.वी. हनुमंतराव, क्षेत्रीय प्रबंधक	श्री शख जाफर साहिब
4. सिंडीकेट बैंक, अंचल कार्यालय	श्री यू.एन. पैंडियार, उप महा प्रबंधक	श्री डॉ. ओम प्रकाश शर्मा
5. केनरा बैंक, अंचल कार्यालय	श्री आर.एस.एल. प्रभु, मंडल प्रबंधक	श्री आ.ना. शेट्टी
6. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, प्रधान कार्यालय	श्री सी.के.मेहरोत्रा, मुख्य महा प्रबंधक	श्री डा. मृत्युंजय
7. भारतीय स्टेट बैंक, प्रधान कार्यालय	श्री कुलकर्णी, प्रबंधक	श्रीमती उन्नीसा
8. सेन्ट्रल बैंक क्षेत्रीय, कार्यालय	श्री एन. नागनाथन	श्री पी.के. गुप्ता

मंगलूर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मंगलूर की चौथी बैठक श्री वाई. एस. हेग्डे अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कार्पोरेशन बैंक, मंगलूर की अध्यक्षता में दिनांक 20 जनवरी, 1988 को संपन्न हुई।

श्री हेग्ड़े ने इस बात पर हर्ष व संतोष व्यक्त किया कि बैठक में अधिकारी अधिक संख्या में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि सदस्यों के सहयोग से इस दिशा में और अच्छी प्रगति हासिल कर सकेंगे।

सवप्रथम बैठक में पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए समिति के सचिव श्री नरसिंह प्रसाद यादव ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि यद्यपि कुछेक संस्थाओं—यूनियन बैंक नेशनल इन्श्योरेंस, यूनाइटेड इन्श्योरेंस, सेन्ट्रल बैंक, सिंडिकेट बैंक, प्रवर अधीक्षक (डाक) से प्रगति विवरण प्राप्त हुए तथापि अच्छा होता कि सदस्यों द्वारा 10—12 दिन पूर्व प्रगति विवरण भेज दिए होते तो वे समीक्षा भी प्रस्तुत कर सकते। उन्होंने यह भी बताया कि पिछली बार अनुवाद पाठ्यक्रम के चलाए जाने तथा संयुक्त हिन्दी कार्यशाला चलाने के बारे में जो निर्णय लिए गए थे, वह समिति द्वारा सदस्यों के सहयोग से चलाए गए। हिन्दी सप्ताह का आयोजन भी किया गया।

हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खुल सका है। यद्यपि उन्होंने फरवरी 1987 में ही राजभाषा विभाग को प्रस्ताव भेजा था। राजभाषा के प्रयोग में श्रेष्ठ कार्य करने वाले कुछ कार्यालयों को इस बार भी समिति की ओर से प्रशस्ति पत्र दिये गये।

बैठक में केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिंडीकेट बैंक, प्रवर अधीक्षक (डाक) पंजाब सिंध बैंक, नेशनल इन्श्योरेंस, सेन्ट्रल बैंक, यूनाइटेड इन्श्योरेंस आदि के अधिकारियों द्वारा न केवल प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत की गई अपितु बहुमूल्य सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

इसी सप्ताह बैठक के साथ-साथ कार्पोरेशन बैंक के सौजन्य से 18 जनवरी 1988 से 22 जनवरी 1988 तक पांच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन कार्पोरेशन बैंक के उप महा प्रबंधक श्री आल्वा द्वारा और समापन श्री डी. जी. शेणै द्वारा किया गया।

बैठक वाले सप्ताह में उप निदेशक (का.) श्री रामचन्द्र मिश्र द्वारा आन्ध्र बैंक, सेन्ट्रल बैंक, प्रवर अधीक्षक (डाकघर) यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इन्श्योरेंस, सिंडीकेट बैंक के अंचल कार्यालय, प्रधान कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया और बैठक समापन से पूर्व निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा किए गए प्रशासनीय कार्य की अध्यक्ष द्वारा कार्यालयों द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य की अध्यक्ष द्वारा प्रशस्ति-पत्र देकर सराहना की गई।

(1) प्रवर अधीक्षक (डाक) मंगलूर,

(2) सिंडीकेट बक, अंचल कार्यालय, मंगलूर,

(3) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शाखा) मंगलूर,

(4) नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी मंडल कार्यालय, मंगलूर।

वर्णपुर-आसनसौल

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्त वर्ष 1988-89 की पहली बैठक 27-5-88 को इस्को, वर्णपुर में हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री एम. एफ. मेहता, प्रबंध निदेशक इस्को ने की। बैठक में कुल 12 कार्यालयों के 21 प्रमुखों/प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

प्रारम्भ में समिति के सदस्य सचिव श्री पौहारी शरण सिन्हा, उप प्रबंधक (हिन्दी) समेकित ने सदस्य कार्यालयों से प्राप्त समेकित तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह देखा गया कि कुछ कार्यालयों में तो काफी उत्साह के साथ हिन्दी कार्यान्वयन कार्य हो रहा है लेकिन कुछ कार्यालयों में साधनों की कमी है, अतः हिन्दी में काम नहीं हो रहा है। अध्यक्ष ने सभी सम्बद्ध लोगों से कहा कि राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुपालन पर समुचित ध्यान दिया जाए तथा उसके निमित्त आवश्यक साधन भी जुटाए जाएं। हर कार्यालय में कम से कम एक हिन्दी टाइपराइटर का होना निहायत जरूरी है। उन्होंने बताया कि अगर वे चाहें तो इस्को में उपलब्ध हिन्दी शिक्षण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ताकि उनके कर्मी भी हिन्दी में प्रशिक्षित हो जाएं।

सदस्य कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रतियोगिता की भावना पैदा करने के लिए उन्होंने अपनी ओर से एक चल वैजयंती भी देने की घोषणा की जो हिन्दी का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले कार्यालय को प्रदान की जाएगी। इसका निर्णय तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दी गई जानकारी के आधार पर लिया जाएगा। सभी सदस्य कार्यालयों ने उनके निर्णय का स्वागत किया सदस्य कार्यालयों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया। उस अवसर पर प्रतियोगिताएं भी हों ताकि सभी कार्यक्रमों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोग हिन्दी से जुड़ जाएं।

श्रीमती फूलकुमारी राय, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कलकत्ता ने राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमावली के विभिन्न उपबंधों आदि का जिक्र किया तथा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि., बर्नपुर के श्री अलोकनाथ चक्रवर्ती, कार्मिक प्रबंधक ने अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन दिया।

कलकत्ता

कलकत्ता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 10वीं बैठक दिनांक 15-1-88 को श्री ना. कृ. पदमनाभन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्री बी. बी. महाजन, सचिव (राजभाषा) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने मुख्य अतिथि के रूप में पधारकर महासभा की शोभा बढ़ाई। समिति के 170 सदस्य-कार्यालयों ने महासभा में भाग लिया। श्री ए. के. दाम, सदस्य (कार्मिक) आ. नि० बोर्ड एवं उपाध्यक्ष समन्वय (कलटालिक) ने महासभा को संबोधित किया तथा राजभाषा संबंधी नीतियों के कार्यान्वयन में इस समिति की गतिविधियों का उल्लेख किया।

श्रीमती एल. रामसुब्रमनियम, मुख्य आयुक्त एवं उपाध्यक्ष, न. रा. का. स. क्षेत्र-1 ने समिति के सदस्य कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की विस्तृत संवीक्षा प्रस्तुत की, जिसके आधार पर राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन करने वाले 14 कार्यालयों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए। तत्पश्चात् सदस्य-कार्यालयों के अधिकारियों ने अपने-अपने विचार महा सभा के समक्ष प्रस्तुत किए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति हिन्दी टंकण प्रतियोगिताएं आयोजित करती है, जो हिन्दी भाषी ग्रुप एवं अहिन्दी भाषी ग्रुप में बंटी होती हैं। प्रत्येक ग्रुप में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस वर्ष हिन्दी एकांकी मंचन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 'केन्द्रीय तार" कार्यालय, कलकत्ता को रनिंग शील्ड दी गई। महासभा के अन्त में उक्त कार्यालय द्वारा एकांकी नाटक "अभिनय" किया गया, जिसका आनन्द श्री बी. बी. महाजन ने भी लिया। कलकत्ता दूरदर्शन ने भी उक्त कार्यक्रम का प्रसारण किया।

अन्त में श्री एस. पी. ओझा, अपर महाडाकपाल एवं उपाध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

दुर्गापुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दुर्गापुर की बैठक 22 मार्च 1988 को एम. ए. एम. सी., दुर्गापुर में सम्पन्न हुई। श्री देवव्रत मुखर्जी, प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष टालिक, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर की अनुपस्थिति में ब्रिगेडियर मनमोहन कुमार, प्रबंध निदेशक, भारत औषधालिमक ग्लास फैक्ट्री, दुर्गापुर ने सभा की अध्यक्षता की।

1. पिछले सभा की सिफारिशों की पुष्टि की गई।

2. हिन्दी टंकण के प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा के बीच ये बात हुई कि न.रा.का.स स्तर पर ये प्रशिक्षण आरंभ किया जाना चाहिए। इस पर राजभाषा अधिकारी ने बताया कि प्रबंध निदेशक, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने इस संबंध में कुछ टाइप मशीनें, स्थान एवं प्रशिक्षण के लिए स्टाफ देने के लिए राजी थी, परन्तु खेद है कि इस संबंध में पहले कुछ नाम मांगे गए थे, उसका उत्तर आज तक नहीं दिया गया।

जो सदस्य कार्यालय चाहते हैं कि उनके कार्यालयों के लिए हिन्दी टंकण के प्रशिक्षण को व्यवस्था की जाए तो वे अपने-अपने विभाग से कम से कम दो दो नाम उनको शीघ्र भेजने की व्यवस्था करें ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया जा सके।

3. एम. ए. एम. सी. के वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी ने कहा कि सभी संयंत्रों/उपक्रमों आदि में बाकी लोगों ने हिन्दी सीख ली है पर सरकारी काम-काज करने में हिचकिचाहट है। उनका प्रस्ताव था कि हिन्दी की कार्यशाला केन्द्रीय रूप से नगर स्तर पर चलाई जाए। सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

4. ब्रिगेडियर कुमार प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी अध्यक्ष, बी. ओ. जी. एल. ने कहा कि जिन उपक्रमों का निरीक्षण, निरीक्षण दल द्वारा नहीं हुआ है वह अपना निरीक्षण शीघ्र समाप्त कर लें।

राजभाषा अधिकारी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र न. रा. का. स. के सभी सदस्यों का ध्यान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 20034/13/88-रा. भा. (पत्रिका द्वकक), ता: 15 फरवरी 88 की ओर ध्यान दिलाया और अनुरोध किया कि जिन संयंत्रों/उपक्रमों/यूनिटों के द्वारा गृह पत्रिकाएं छपती हैं उनमें साहित्यिक लेख, सृजनात्मक साहित्य जैसे कहानियां, चुटकुले, कविताएं आदि की बहुलता रहती है। उन्होंने कहा सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ऐसी पत्रिकाओं में राजभाषा संबंधी सामग्री को प्रमुखता दी जानी चाहिए।

वडोदरा

वडोदरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 12वीं बैठक दिनांक 17-3-88 को श्रीमती वरलक्ष्मी राजमणिक्कम, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क वडोदरा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बम्बई स्थित क्षेत्रीय निरीक्षण कार्यालय के अनुसंधान अधिकारी श्री एम.सी. पुरोहित उक्त बैठक में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए।

अध्यक्ष ने कहा कि हिन्दी के प्रयोग की कानूनी व्यवस्थाओं के बारे में कार्मिकों में सतत जागरूकता पैदा करने के लिए कार्य-सत्र, संगोष्ठियां आदि सतत आधार पर आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम उस मानसिक बाधा को हटाने में मददगार साबित होंगे। अध्यक्षा ने वडोदरा के सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने पेट्रोफिल्स को.ओ.लि. द्वारा आयोजित उस राजभाषा सेमिनार का विशेष रूप से उल्लेख किया जिससे वडोदरा में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कार्मिकों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालय भी इस प्रकार के आयोजन कर सकते हैं।

औद्योगिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण

भारी पानी योजना के प्रशासन अधिकारी श्री पी.आर. राजगोपालन, यह जानना चाहते थे कि क्या हिन्दी प्रशिक्षण उनके कार्यालय के औद्योगिक कर्मचारियों को भी दिया जाना है। श्री पुरोहित ने कहा कि इस तरह के कार्मिकों को हिन्दी प्रशिक्षण से छूट है। फिर भी भारी पानी संयंत्र वडोदरा अपने बम्बई स्थित केन्द्रय कार्यालय से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

गुजरात सरकार के साथ पत्राचार

ओ.एन.जी.सी., भारी पानी संयंत्र जैसे अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि गुजरात सरकार वडोदरा के केन्द्रीय सरकारी संगठनों के साथ पत्र व्यवहार में हिन्दी या अंग्रेजी का प्रयोग नहीं कर रही है।

श्री पुरोहित ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि इस मामले पर प्रशासन के उच्चतम स्तर पर विचार हुआ है और गुजरात सरकार के सचिव, सामान्य प्रशासन ने राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को इस आशय के निर्देश जारी कर दिये है कि वे केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करें।

श्री पुरोहित ने कहा कि सरकार के विद्यमान निर्देशों के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में विभागाध्यक्ष या अध्यक्ष के व्यस्त होने पर इनसे अलग वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहने चाहिए ताकि ठोस व सार्थक निर्णय लिये जा सके। हिन्दी के काम पर उचित ढंग से निगरानी रखने के लिए वडोदरा के सभी केन्द्रीय सरकारी संगठन हिन्दी के प्रयोग से संबंधित अपनी अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्टें राजभाषा विभाग के बम्बई स्थित कार्यालय को प्रेषित करें।

लुधियाना

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 14वीं बैठक 22-3-88 को केन्द्रीय राजस्व भवन में श्री आर.के. मल्होत्रा, आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में लुधियाना स्थित विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों/बैंकों इत्यादि के कार्यालयाध्यक्ष/ प्रतिनिधि तथा राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री शमशेर अहमदखान भी शामिल हुए।

पिछली बैठक में लिए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा के बाद कार्यवृत की पुष्टि की गई।

(1) हिन्दी टाइप प्रशिक्षण

सह-सदस्य सचिव ने बताया कि आयकर आयुक्त कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे हिन्दी टाइप प्रशिक्षण केन्द्र में अब तक 25 निम्नलिखित कर्मचारियों को हिन्दी टाइप में प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 8 कर्मचारियों को अप्रैल, 1988 से प्रारंभ होने वाले सत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा।

1. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	3
2. पंजाब नेशनल बैंक	2
3. तार परिमाप मण्डल	2
4. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क	1
5. दूर संचार जिला प्रबन्धक कार्यालय	1
6. कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय	1
7. आयकर विभाग के विभिन्न कार्यालय	13

(2) हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया है कि समिति की गत बैठक में लिए गए निर्णयानुसार, आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति स्तर पर 18-1-88 से 21-1-88 तक लुधियाना में एक संयुक्त हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई।

(3) हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता

समिति को बताया गया कि गत बैठक में लिए निर्णयानुसार 12 जनवरी, 1988 को लुधियाना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए एक "हिन्दी निबन्ध" प्रतियोगिता आयोजित की गई।

इस प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान पाने वाले निम्नलिखित कर्मचारियों को अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्मानित किया गया :—

प्रथम	श्री अशोक कुमार गर्ग	नि.स.आ.आ.रेंज-II कार्यालय
द्वितीय	श्री पवन कुमार गर्ग	पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय
तृतीय	श्री रमन कुमार आनंद	केन्द्रीय तारघर लुधियाना
तृतीय	श्री नपिन्दर कुमार	आयकर आयुक्त (कें), कार्यालय

(1) पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग

वर्ष 1988-89 के लिए "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों से "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में पत्राचार के लिए 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से कहा कि वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करें। रिपोर्टानुसार प्राप्त 31-12-1987 को समाप्त तिमाही में समिति के विभिन्न सदस्य कार्यालयों में हिन्दी में पत्राचार की स्थिति इस प्रकार थी :—

	प्रत्राचार की स्थिति	
	अंग्रेजी में	हिन्दी में
लघु उद्योग सेवा संस्थान	1075	39
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	786	120
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क प्रमंडल	5477	5590
कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय	6047	5268
भारतीय अनाज संचयन संस्थान	60	87
ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी	—	—
बैंक आफ इंडिया	325	6
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	372	415
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी	3840	97
इलाहाबाद बैंक	240	350
खाद्य एवं पोषाहार विस्तार केन्द्र	—	—
आ.आ. (केन्द्रीय) कार्यालय	1439	635
नि.स.आ.आ. (के) रेंज I	1171	325
नि.स.आ.आ. (के) रेंज-II	1051	300
नि.स.आ.आ. रेंज-I लुधियाना	5167	512
नि.स.आ.आ. रेंज-II, लुधियाना	संख्या नहीं बताई गई है	

3. तार देवनागरी में भेजना

वार्षिक कार्यक्रम 1988-89 के अनुसार "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से भेजे जाने वाले तारों का कम से कम 25 प्रतिशत देवनागरी में होना चाहिए। कुछ सदस्यों का कहना था कि डाकतार विभाग हिन्दी में दिए गए तारों को अंग्रेजी में भेजता है। क्योंकि छोटे-छोटे स्थानों में हिन्दी में टेली-प्रिन्टर की व्यवस्था नहीं है। कुछ सदस्यों का कहना था कि सभी जिला मुख्यालयों में देवनागरी टेलीप्रिंटर की सुविधा है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम सब के कार्यालय जिला मुख्यालय में ही हैं अतः हमें अधिकतर तार देवनागरी में ही भेजने के प्रयास करने चाहिए।

श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए शील्ड की व्यवस्था

बैठक में सदस्यों ने सुझाव दिया कि विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, समिति के उस सदस्य कार्यालय को शील्ड दी जाए, जो वर्ष में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में श्रेष्ठ कार्य निष्पादित करे। अध्यक्ष ने कहा कि शील्ड की योजना 1-4-88 से शुरु होगी तथा वर्ष 1988-89 में श्रेष्ठ कार्य निष्पादित करने वाले कार्यालय को शील्ड दी जाएगी। शील्ड देने के लिए वही मानदण्ड होंगे जो राजभाषा विभाग द्वारा शील्ड प्रदान करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में विभिन्न कार्यालयों द्वारा किए गए कार्य की जांच करने के लिए एक उप-समिति अलग से गठित की जाएगी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुए आशा व्यक्त की कि सदस्य पहले की तरह अपना सहयोग देते रहेंगे। उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे उनके कार्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें, ताकि लुधियाना नगर में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/बैंकों/निगमों इत्यादि में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग हो।

जालंधर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जालन्धर की 14वीं बैठक दिनांक 21 मार्च, 1988 को आयकर आयुक्त के कार्यालय, में की गई। अध्यक्षता श्री जी.एस. सिद्धू, आयकर आयुक्त जालन्धर प्रभार ने की।

गत बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

कार्यसूची (एजेंडा) पर मदवार विचार-विमर्श हुआ। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के वर्ष 1987-88 के वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को अधिकांशतः प्राप्त कर लिए जाने की सूचनाएं विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त हुई एवं तदनुसार उप समिति द्वारा संबंधित कार्यालयों का आवश्यक निरीक्षण कर लिया जाए तथा पुरस्कारों के वितरण हेतु समारोह का आयोजन मई/जून 1988 में करने के प्रयास किए जाएं।

सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना, जालंधर श्री दलीप सिंह ने अनुरोध किया कि हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत मार्च 1988 को समाप्त अवधि की अर्धवार्षिक रिपोर्ट उनके पास तुरन्त भेज दी जाए। श्री सिंह ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कई कार्यालयों की ओर से हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन चलाई जा रही कक्षाओं में प्रशिक्षा-

क्षार्थियों को नामित तो कर दिया जाता है परन्तु वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते। इस संबंध में स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

आगामी वर्ष 1988-89 के वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को कारगर ढंग से प्राप्त करने के लिए वर्ष के आरम्भ से ही सघन प्रयास किए जाएं।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा 2 फरवरी, 1988 को जम्मू में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में जालन्धर नगर से यूनियन बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय को वर्ष 1986-87 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के श्रेष्ठ निष्पादन के उपलक्ष्य में विशेष राजभाषा ट्राफी से सम्मानित किया गया था। सभी उपस्थित सदस्यों ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए करतल ध्वनि से श्री एस.पी.एस. वालिया, क्षेत्रीय प्रबंधक का हार्दिक अभिनंदन किया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से एक विशेष प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए, अध्यक्ष महोदय श्री जी. एस. सिद्धू ने श्री वालिया को बधाई दी तथा कहा कि उन्होंने जालंधर नगर का गौरव बढ़ाया है। इसी क्रम में सदस्यों के अनुरोध पर नगर स्तर पर प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि जालंधर में स्थित केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के लिए पुरस्कार दिए जाने के प्रावधान की संभावनाओं की समीक्षा की जाए। इस विषय में पुरस्कार संबंधी मापदंड का निर्धारण राजभाषा विभाग से प्राप्त करने के पश्चात आगामी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में अध्यक्ष श्री सिद्धू ने एक उप समिति का गठन किया जिसमें निम्नलिखित सदस्यों के नाम दिए गए :—

1. श्री दलीप सिंह, नि. सहा. आयकर आयुक्त नि., सर्वकार्यभारी अधि., हिन्दी शिक्षण योजना, जालंधर।	अध्यक्ष
2. श्री एस.पी.एस. वालिया, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, जालंधर।	सदस्य
3. श्री एच.आर. भगत, मण्डल अभियंता, दूर संचार, जिला प्रबंधक, जालंधर।	सदस्य
4. श्री विश्व मित्र धीर, हिन्दी अधिकारी, दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर।	सदस्य
5. श्रीमती वीना शर्मा, प्राध्यापक, भारत सरकार, हिन्दी शिक्षण योजना, जालंधर।	सदस्य

श्री डी.के. अग्निहोत्री, सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जालंधर उक्त उप समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। इस संबंध में आगे चलकर यह निर्णय लिया गया कि 30 अप्रैल, 1988 तक प्रतिभागी कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों का मूल्यांकन एवं तदनुसार उप-समिति द्वारा संबंधित कार्यालयों का आवश्यक निरीक्षण कर लिया जाए तथा पुरस्कारों के वितरण हेतु समारोह का आयोजन मई/जून 1988 में करने के प्रयास किए जाएं।

संयुक्त हिन्दी कार्यशाला के आयोजन के विषय में सुझाव आमंत्रित किए गए। सर्वसम्मिति से यह तय हुआ कि जून 1988 को समाप्त होने वाली आगामी तिमाही में एक संयुक्त हिन्दी कार्यशाला अवश्य चलाई जाए। इसके संयोजन एवं संचालन का दायित्व हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारी को दिया गया तथा विभिन्न कार्यालयों द्वारा कार्यशाला में प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों को यथावश्यक भेजने के लिए भी कहा गया।

अन्त में, समिति-अध्यक्ष श्री सिद्धू ने अपने उद्बोधन में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस बार बैठक में अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी आए हैं जो कि निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हैं, फलस्वरूप लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किए जा रहे पत्रों/आलेखों में भी अधिकांश गलतियां देखने में आती हैं तो हम हिन्दी में लिखे गए पत्रों आदि में अशुद्धियों से क्यों घबराएं? उन्होंने यह भी कहा कि जब हमने विदेशी भाषा अंग्रेजी सीख ली है तो हमें हिन्दी सीखने में भी किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। श्री सिद्धू ने हिन्दी में काम करने में आड़े आने वाले मानसिक अवरोध (मेंटल ब्लॉक) को दूर करने एवं धैर्य से हिन्दी सीखने के लिए अनुरोध किया तथा आशा व्यक्त की कि अगली बैठक में हम आगे बढ़े हुए होंगे।

भोपाल (बैंक)

"बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भोपाल की 6वीं बैठक सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के आंचलिक प्रबंधक डी.एच. अम्बवानी की अध्यक्षता में 15 अप्रैल, 1988 को आयोजित की गई। इस अवसर पर भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उप निदेशक श्री हरिओम श्रीवास्तव की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। इस बैठक में सभी बैंकों के कार्यालयाध्यक्षों, सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के राजभाषा विभाग के मुख्य प्रबन्धक श्री रा.वि.

तिवारी, स्टेट बैंक आफ इंदौर के केन्द्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग के प्रभारी श्री ठाकरे तथा न्यू बैंक आफ इंडिया के केन्द्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग के प्रभारी श्री एस.एल. चिटकारा ने भाग लिया। बैठक में यह पाया गया कि भोपाल में सभी बैंकों में हिन्दी का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। बैंक में हिन्दी प्रयोग के वातावरण बनाने में अन्तर-बैंक प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। समिति ने सिंडिकेट बैंक द्वारा आयोजित बैंकिंग प्रश्नावली प्रतियोगिता की सराहना की।

हिन्दी प्रयोग का वातावरण बनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन तथा अन्तर-बैंक प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए एक कार्यान्वयन उपसमिति का भी गठन किया गया। इस समिति में सभी बैंकों के राजभाषा अधिकारी सदस्य रहेंगे तथा समिति के सदस्य सचिव इसका संयोजन करेंगे।

समिति ने बैंकों द्वारा आयोजित सामूहिक हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन का भी निश्चय किया। विगत वर्ष भोपाल में सभी बैंकों के प्रशिक्षण अधिकारियों की एक गोष्ठी आयोजित की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण केन्द्र में हिन्दी के प्रयोग में तेजी से विकास हुआ है। विगत गोष्ठी के परिणामों को देखते हुए पुनः एक गोष्ठी के आयोजन का निश्चय किया गया है, जिसमें भारत सरकार के वर्तमान प्रशिक्षण लक्ष्यों के आधार पर कार्यक्रम आयोजित करने पर चर्चा की जाएगी।

मेरठ

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मेरठ की 11वीं बैठक ता. 11 मार्च, 1988 को श्री ओकांर नाथ मेहरोत्रा, आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में आयकर भवन, मेरठ में संपन्न हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सह-आयकर आयुक्त श्री ओंकार नाथ मेहरोत्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश "क" क्षेत्र में होने के कारण यहां शत प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो सकते हैं। इसके लिए अधिकारीगण स्वयं प्रेरणास्रोत बनें। उन्होंने समिति को बताया कि मेरठ में हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए राजभाषा विभाग के सचिव को पत्र लिखा गया है। राजभाषा विभाग इस संबंध में कार्रवाई कर रहा है। प्रशिक्षण केन्द्र खुल जाने पर हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने में सुविधा होगी।

सदस्य सचिव श्री हरि शंकर सिंह ने समिति के सदस्य कार्यालयों से प्राप्त ता. 31-12-87 को समाप्त तिमाही की केन्द्र सरकार के काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति रिपोर्ट की ब्यौरेवार समीक्षा प्रस्तुत की।

समिति को बताया गया कि आयकर प्रभार, मेरठ में हिन्दी सप्ताह के अवसर पर (1) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता तथा (2) हिन्दी वाद विवाद, प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, बैनर लगाए गए थे तथा लिफाफों पर विशेष मोहरें लगाई गई थी। इस विभाग में छः हिन्दी कार्यशालाएं चलाई गई तथा 10 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। मूल हिन्दी टिप्पण व आलेखन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 1986 के कामकाज के आधार पर 21 व्यक्तियों को नकद पुरस्कार दिए गए। वर्ष 1987 के कामकाज के आधार पर अब तक 23 व्यक्तियों को पुरस्कार स्वीकृत किए गए हैं। आयकर आयुक्त कार्यालय के तीन अनुभागों को संपूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। इन प्रयासों से सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को काफी बढ़ावा मिला है।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री शमशेर अहमद खां, अनु. अधि. (का.) ने मौलिक लेखन हिन्दी में करने पर जोर दिया तथा पुरस्कार योजनाओं और शील्ड योजना की जानकारी दी।

ता. 31-12-1987 को समाप्त तिमाही की केन्द्रीय सरकार के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की तिमाही प्रगति रिपोर्ट का सारांश।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कर्मचारियों का हिन्दी ज्ञान				टाइपिस्ट		आशुलिपिक		टाइपराइटर		भेजे गए पत्रादि		
		अधिकारी	कर्मचारी	25% काम हिन्दी में करने वाले	कुल	हिन्दी जानने वाले	कुल	हिन्दी जानने वाले	कुल	हिन्दी	कुल	हिंदी में	अंग्रजी में	
1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	4(क)	4(ख)	5(क)	(ख)	6(क)	(ख)	7(क)	(ख)	(ग)	
1.	आयकर प्रभार मेरठ	70	494	564	170	35	72	10	127	29	6406	3825	2501	
2.	के.उ.शु. समाहर्ता मेरठ	26	620	620	71	38	13	9	93	15	3728	1733	1995	

2054 HA88—11

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	4(क)	4(ख)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	7(क)	7(ख)	7(ग)
3.	र.ले.सं.नि.	75	368	383	6	2	1	—	1	—	34735	5590	29145
4.	र.ले.नि. (अ.)	62	1842	20	40	11	1	—	60	11	24013	4044	19969
5.	र.ले.नि. (प्रशि.)	4	21	—	2	—	1	—	6	2	768	363	405
6.	सं. नि. ले. परीक्षा र.ले. (मध्यकमान)	20	51	70	6	2	1	—	8	1	1645	538	1107
7.	र. संपदा कार्यालय	2	26	28	9	5	1	—	6	2	788	218	570
8.	केन्द्रीय तारघर	1	1	2	—	—	—	—	2	1	845	345	500
9.	क्षे. भ. निधि आयुक्त	5	168	173	39	5	—	—	8	2	10801	8284	2517
10.	क्षे. का. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	21	22	38	6	4	3	1	9	5	10902	9429	1473
11.	क्षे. का. भा. स्टेट बैंक	101	129	230	80	14	2	—	62	7	33450	28390	6060
12.	मं. का. इलाहबाद बैंक	28	6	34	4	3	1	—	6	1	7026	5254	1772
13.	क्षे. का. इलाहबाद बैंक	108	220	317	8	7	—	—	10	1	6181	4393	1788
14.	मं. का. केनरा बैंक	99	207	242	7	1	—	—	19	1	16910	6370	10450
15.	अं. का. पं. ने. बैंक	55	34	86	22	7	10	2	22	4	15850	9810	6140
16.	क्षे. का. पं. ने. बैंक	27	17	43	11	5	6	4	13	1	35014	32411	2603
17.	अं. का. बैंक आफ बड़ौदा	602	861	1463	56	11	5	2	66	16	10923	7484	3429
18.	इं. ओवरसीज बैंक	8	39	26	1	1	—	—	1	1	1480	1279	201
19.	क्षे.का.से. बैंक आफ इं.	217	362	579	26	8	1	—	39	8	3912	3371	541
20.	मं. का. सिंडीकेट बैंक	21	25	11	4	3	3	—	9	2	2451	950	1501
21.	क्षे.का.पं.एण्डसिंध बैंक	16	6	7	1	—	—	—	3	—	1947	233	1714
22.	भा. स्टेट बैंक प्र. केन्द्र	5	2	7	1	—	—	—	—	—	17	14	3
23.	न्यू बैंक ऑफ इंडिया	—	41	35	5	2	1	—	7	1	—	—	—
24.	रक्षा लेखा नियंत्रक (मध्यकमान)	82	2080	—	87	3	3	—	44	2	11299	11214	85

जबलपुर (म.प्र.)

जबलपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ग्यारवी बैठक दिनांक 24-3-1988 को श्री वे. पलनि पाण्डि महा प्रबन्धक तोपगाड़ी फैक्टरी जी. सी. एफ. क्लब हाल में सम्पन्न हुई। सर्व प्रथम समिति के सचिव एवं तोपगाड़ी फेक्टरी के उप महा प्रबन्धक (प्रशा) श्री शशिधर डिमरी, ने सभी उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सचिव श्री डिमरी ने सदस्य कार्यालयों से प्राप्त प्रगति विवरण के आधार पर तैयार की गई समेकित प्रगति विवरण का वाचन किया और नगर में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डाला। विवरण निम्नानुसार है :—

कर्मचारियों/अधिकारियों का कार्यसाधक ज्ञान

46 कार्यालयों से प्राप्त प्रगति विवरण के आधार पर राजपत्रित अधिकारियों की संख्या 926 तथा कर्मचारियों की संख्या 24814 (वर्ग घ के कर्मचारियों को छोड़कर) है। इसमें से 883 अधिकारियों तथा 24252 कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। शेष 405 कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आपने अनुरोध किया कि इन्हें हिन्दी शिक्षण योजना के माध्यम से प्रशिक्षित कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण की स्थिति

प्राप्त सूचना के अनुसार 1514 टंककों में से 1050 हिन्दी टंकण जानने वाले हैं। कुछ कार्यालयों में टाइपिस्टों

की कुल संख्या के अनुपात में हिन्दी टंकण जानने वालों की संख्या कम से कम है । इस तरह लगभग 70% हिन्दी टंकक हैं । आपने अनुरोध किया कि जो अवर श्रेणी लिपिक हिन्दी टाइपराइटिंग प्रशिक्षण के लिए शेष रह गये हैं उन्हें हिन्दी शिक्षण योजना के हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से शीघ्र प्रशिक्षित कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या

हिन्दी टाइपराइटरों की तुलना में अंग्रेजी के टाइपराइटर अधिक हैं । 46 कार्यालयों में कुल टाइपराइटरों की संख्या 1383 है इनमें से हिन्दी के 372 टाइप राइटर हैं । सभी कार्यालय अध्यक्ष नये खरीदे जाने वाले टाइपराइटरों का 50 प्रतिशत हिन्दी टाइपराइटर खरीदें जैसा कि वार्षिक कार्यक्रम में निहित है ।

सामान्य आदेशों आदि का जारी किया जाना

सचिव ने बताया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार सभी सामान्य आदेश ज्ञापन, परिपत्र, प्रतिवेदन, विज्ञप्तियां, टेंडर, नोटिस आदि को द्विभाषी रूप में जारी किया जाना चाहिए । प्राप्त सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त तिमाही में कुल 28976 सामान्य आदेश आदि जारी किए गये, इनमें से 23636 हिन्दी/द्विभाषी रूप में तथा शेष 5340 केवल अंग्रेजी में । इस तरह लगभग 80% सामान्य आदेश द्विभाषी अथवा हिन्दी में जारी किए गये शेष 20% केवल अंग्रेजी में । आपने सभी कार्यालयाध्यक्षों से अनुरोध किया कि इस अनिवार्य प्रावधान के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठायें ।

हिन्दी के प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना

श्री डिमरी ने बताया कि हिन्दी में प्राप्त कुल पत्र/आवेदन/अपीलों की संख्या 71,314 है इनमें से 52,427 का उत्तर हिन्दी में दिया गया तथा 4,074 का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया । शेष का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था अतः इन्हें फाइल किया गया । इस तरह लगभग 73% पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया जबकि प्रावधान शतप्रतिशत पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने का है । आपसे अनुरोध है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुपालन के लिए शतप्रतिशत हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दें ।

कार्यालयों द्वारा मूल रूप से भेजे गये पत्रों की स्थिति

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3(1) के अनुसार "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों आदि के बीच पत्र व्यवहार केवल हिन्दी में ही किया जाना चाहिए । प्राप्त विवरण के अनुसार "क" "ख" एवं "ग" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों द्वारा मूल रूप से जारी किए गये पत्रों की संख्या 1,89,637 है । इनमें से 1,03871 हिन्दी में तथा 93,534 अंग्रेजी में हैं । इस तरह कुल जारी पत्रों का लगभग 54% हिन्दी में तथा शेष अंग्रेजी में हैं । इस दिशा में और अधिक तेजी लाने की आवश्यकता है ।

मूल रूप से जारी किए गये तारों की स्थिति

प्राप्त जानकारी के अनुसार 46 कार्यालयों में कुल 18,566 तार जारी किए गये इनमें से 5,910 हिन्दी के तथा शेष अंग्रेजी के हैं । इस तरह कुल जारी तारों का 31% हिन्दी में है । इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

कार्यालयों को अधिसूचित किया जाना

46 कार्यालयों में से 22 कार्यालयों को अधिसूचित किए जाने की जानकारी समिति को प्राप्त हुई है । शेष कार्यालयों ने इस सम्बन्ध में अपनी प्रगति विवरण में उल्लेख नहीं किया है ।

सचिव ने कहा कि उपरोक्त प्रगति विवरण के आंकड़ों में कुछ विशिष्ट कार्यालयों का योगदान अत्यन्त सराहनीय है । परन्तु कुछ कार्यालयों में राजभाषा नियमों के अनुपालन के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है । यदि राजभाषा नियमों के अनुपालन में तेजी नहीं लाई गई तो लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी समय लग जाएगा । उन्होंने कहा कि आज की बैठक में हमारे बीच राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई, से अनुसंधान अधिकारी श्री पुरोहित उपस्थित है । विचार विमर्श के दौरान हमें आपसे उपयोगी मार्गदर्शन मिलेगा ।

समिति के अध्यक्ष एवं तोपगाडी फेक्टरी, जबलपुर के महाप्रबन्धक श्री वे. पलनि पाण्डि ने कहा कि सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से राजभाषा सम्बन्धी महत्वपूर्ण आदेशों/अनुदेशों के साथ साथ नगर में राजभाषा की प्रगति जानकारी मिली । हिन्दी में सरकारी काम करने के लिए आदेशों तथा प्रोत्साहनों की कमी नहीं है । केवल सहज इच्छाशक्ति के अभाव में हम हिन्दी की अपेक्षित प्रगति नहीं कर पा रहे हैं । अक्सर यह देखने में आता है कि जिन कर्मचारियों को हिन्दी आती है या जिन्होंने हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है वे भी संकोचवस हिन्दी में काम करने से कतराते हैं । मेरी समझ में इसका कारण उनका अंग्रेजी में काम करने का अभ्यास है जिससे उन्हें हिन्दी में काम करना कठिन मालूम होता है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए कार्यशालायें अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई हैं । कार्यशाला में नोटिंग ड्राफ्टिंग का समुचित अभ्यास हो जाने के बाद कर्मचारी के मन में जो संकोच या झिझक है वह दूर हो जाती है तथा वे अपने सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रयोग करने लग जाते हैं ।

इन्दौर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इन्दौर की आठवीं बैठक लघु उद्योग सेवा संस्थान, इन्दौर के सभागृह में दिनांक 28 मार्च 1988 को प्रारम्भ हुई। समिति के अध्यक्ष श्री ना. राजा, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमाशुल्क मध्य-प्रदेश ने बैठक की अध्यक्षता की।

आरम्भ में समिति के सचिव श्री राजकुमार केसरवानी ने, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आठवीं बैठक में पधारे सभी अधिकारियों का हार्दिक स्वागत किया।

मेजबान कार्यालय लघु उद्योग सेवा संस्थान के निदेशक श्री रा. ब. पाण्डे ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि आज नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक उनके कार्यालय में हो रही है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राज्य के साथ समन्वय करके उनकी मदद के लिए लघु उद्योगों के विकास के लिए हर प्रकार का कार्य करते हैं यह संस्थान एक तकनीकी संस्थान है। हम शिक्षित लोगों को ही नहीं वरन् अशिक्षितों को भी प्रशिक्षण आदि दे रहे हैं। इसलिए हमें हिन्दी में ही अपना कामकाज करना होता है और हम हिंदी में पूरा पुरा काम करने का प्रयास करते हैं।

नगर के केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति

समिति को बताया गया कि इन्दौर नगर में वर्ष 1987 के दौरान सर्वाधिक कार्य—सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर द्वारा किया गया। इनके द्वारा किए गए प्रमुख-कार्य निम्नानुसार हैं :—

(1) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हिन्दी पत्राचार —82%

(2) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी हिन्दी तार—59%

(3) सभी हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाना।

(4) धारा 3(3) के अधीन सभी 229 कागजात द्विभाषिक रूप में जारी किए जाना।

(5) नियम 11 के अनुसार अपेक्षित सभी सुचनापट्ट/नामपट्ट/रबर मुहरें, कुल संख्या-125, द्विभाषिक रूप में रखी जाना।

(6) क्षेत्रीय कार्यालय सहित सभी शाखाओं का नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित होना।

(7) ग्रामीण क्षेत्र की 10 शाखाएं अपना सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए नियम 8(4) के अंतर्गत काम करने के लिए विनिर्दिष्ट। ये सभी शाखाएं अपना कार्य और पत्राचार हिन्दी में कर रही हैं।

(8) कार्यालय के ग्रामीण विभाग और समान्य प्रशासन विभाग द्वारा शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा शेष विभागों द्वारा भी 80 से 90% तक पत्राचार हिन्दी में किया जा रहा है।

(9) वर्ष 1987 में इन्दौर क्षेत्र में हिन्दी माध्यम से बैठकों, शिविर, गोष्ठियां कुल संख्या 15 सम्पन्न।

(10) हिन्दी के व्यापक प्रसार को गति प्रदान करने के उद्देश्य से शाखाओं को प्रेरक रंगीन पोस्टर तथा विविध प्रकार के उपयोगी सहायक साहित्य छपवाकर वितरित किया।

नगर समिति के अध्यक्ष श्री ना० राजा, समाहर्ता, द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय को चल बैजयन्ति (रनिंग शील्ड) प्रदान की गई जिसे सेंट्रल बैंक अंचल कार्यालय भोपाल के उप महाप्रबंधक श्री डी०एच० अम्बवानी तथा क्षेत्रीय प्रबंधक इंदौर श्री के०के० मन्नन ने ग्रहण किया।

समिति के अध्यक्ष श्री ना० राजा ने समिति को संबोधित करते हुए कहा की जो कार्यालय, जो अधिकारी और कर्मचारी अपना अधिकतम कामकाज हिन्दी में कर रहे हैं, वे सभी बधाई के पात्र हैं, हम तहेदिल से उनकी सराहना करते हैं। मैं अपील करता हूं कि आप अपने कार्यालय में सरकार की राजभाषा-नीति का पालन करायें, वार्षिक-कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी संभव उपाय करें। हिन्दी की सभी प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करें, इससे जहां एक ओर कर्मचारी लाभान्वित होंगें, वहीं दूसरी ओर हिन्दी की प्रगति होगी।

समिति को बताया गया कि नगर के कार्यालयों द्वारा वर्ष 1987 में पत्राचार की स्थिति इस प्रकार रही :—

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	हिन्दी पत्राचार (प्रतिशत)	हिन्दी तार (प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय किला, इंदौर।	85 प्रतिशत	98 प्रतिशत
2.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर।	82 प्रतिशत	59 प्रतिशत
3.	आयकर अपीलिय अधिकरण इंदौर	80 प्रतिशत	.0 प्रतिशत
4.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इंदौर	80 प्रतिशत (केवल दिसम्बर	100 प्रतिशत 87 तिमाही)
5.	यूनियन बैंक आफ इंडिया, इंदौर	77 प्रतिशत	22 प्रतिशत

1	2	3	4
6.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	76 प्रतिशत	26 प्रतिशत
7.	निदेशक, डाक सेवाएं, इंदौर	75 प्रतिशत	47 प्रतिशत
8.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, इंदौर	74 प्रतिशत (केवल दिसम्बर	— 87 तिमाही)
9.	यूको बैंक, मंडल कार्यालय, इंदौर	70 प्रतिशत	40 प्रतिशत
10.	आकाशवाणी, इंदौर	64 प्रतिशत	57 प्रतिशत
11.	लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंदौर	57 प्रतिशत	19 प्रतिशत
12.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्या०, इंदौर	55 प्रतिशत	27 प्रतिशत
13.	जिला प्रबंधक, दूरभाष, इंदौर	54 प्रतिशत	0 प्रतिशत
14.	भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, इंदौर	38 प्रतिशत	56 प्रतिशत
15.	दि काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया, इंदौर	33 प्रतिशत	18 प्रतिशत
16.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंदौर	10 प्रतिशत	0 प्रतिशत
17.	परियोजना मूल्यांकन संगठन, इंदौर	4 प्रतिशत	0 प्रतिशत
18.	बुनकर सेवा केन्द्र, इंदौर	3 प्रतिशत	0 प्रतिशत
19.	दूर संचार निर्माण मंडल, इंदौर	2 प्रतिशत	0 प्रतिशत

अलीगढ़

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की तेरहवीं बैठक आकाशवाणी केन्द्र के समुदाम भवन में दिनांक 4-2-88 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता श्रीमती बलजीत भटियानी, निरीक्षीय सहायक आयुक्त, आयकर ने की।

सर्वप्रथम समिति सचिव श्री युवराज बजाज ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि मेरी अध्यक्षता में यह दूसरी बैठक है। पहली बैठक की अपेक्षा इस बैठक में उपस्थिति कुछ अधिक है। राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार कार्यालयाध्यक्षों का भाग लेना बहुत जरूरी है।

उन्होंने अन्त में कहा कि थोड़ा सा प्रयास करने पर हम अपना दैनिक कार्य बड़ी आसानी से हिन्दी में कर सकते हैं। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि हिन्दी को बढ़ावा देने के सतत प्रयास करें ताकि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके।

तत्पश्चात् सचिव महोदय ने वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वियन में आई कठिनाई से अवगत कराने का अनुरोध किया

केनरा बैंक के हिन्दी अधिकारी श्री शुक्ल ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बैंक में काफी पत्राचार हिन्दी में हो रहा है। मंडल कार्यालय में 41 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में हो रहा है। ग्रामीण शाखाएं पर्चियां भी हिन्दी में भर रही हैं तथा कार्यशालाओं का आयोजन भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी टंकक यदि हिन्दी टंकण सीखना चाहें तो उनके यहां कोई उचित प्रबंध नहीं है। निजी प्रयत्नों से सीखना संभव नहीं हो पा रहा है।

सचिव ने कहा कि इस संबंध में पिछली बैठकों में चर्चा हुई थी जिनमें सदस्यों से अनुरोध किया गया था कि प्रत्येक कार्यालय हिन्दी टंकण सीखने के इच्छुक कर्मचारियों के नाम समिति को भेज दें, ताकि प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के संबंध में कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि चूंकि इस नगर में कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है अतः अपने कर्मचारियों को निजी प्रयत्नों से ही हिन्दी टंकण सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। श्री शुक्ल ने यह भी बताया कि हम जिस तार को हिन्दी में भेजते हैं वह रोमन लिपि में छपकर जाता है। सचिव महोदय ने कहा कि ऐसी ही घटना इंदौर में हुई थी। इसके लिए राजभाषा विभाग को लिखा जा सकता है।

आगरा

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति आगरा की 13वीं बैठक दिनांक 2 मार्च, 1988 को सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के सौजन्य से उनके संजय प्लैस स्थित आंचलिक कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता श्री रवि कान्त, आयुक्त आय-कर ने की।

सेंट्रल बैंक के आंचलिक प्रबंधक श्री चौबे जी ने अपने स्वागत भाषण में आह्वान किया कि हम सभी को अपनी मानसिक संवेदनाओं, कार्यकलापों में हिन्दी की अभिव्यक्ति क्षमता का पूर्ण उपयोग करना चाहिए जिससे न केवल हम राजभाषा को सम्मानित करेंगे अपितु अपने आप को भी गौरवन्वित अनुभव करेंगे।

तत्पश्चात कार्यसूची के द्वितीय मद 'राजभाषा कार्यान्वियन में प्रगति' के संबंध में बैठक में उपस्थित सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक श्री गुप्ता ने बताया कि उनके बैंक में कुल 60 टंकक हैं जिनमें से 29 को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त है। कुल 7 आशुलिपिकों में से दो हिन्दी के आशुलिपिक हैं। उन्होंने बताया कि उनके यहां विभागीय परीक्षायें एवं साक्षात्कार केवल हिन्दी में ही होता है।

5हिन्दी पुस्तकालय हैं। 59 कार्यालयों में हिन्दी दिवस मनाया गया जिसमें 905 कर्मचारियों ने भाग लिया। हिन्दी में कार्य करने के लिये निबंध, भाषण, वाद-विवाद, पत्रलेखन एवं प्रारूप लेखन संबंधी 10 प्रतियोगितायें आयोजित की गयीं जिनमें 362 कर्मचारियों ने भाग लिया।

बैंक आफ इंडिया से पधारे रा.भा.अ. श्री चन्द्रमणि शर्मा ने बताया कि उनके यहां कुल 40 कार्यालय/शाखाएं हैं जिनमें से 11 में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है। इसके अतिरिक्त 14 शाखाओं में 80 प्रतिशत कार्य हिन्दी में होता है एवं शेष शाखाओं में 70 प्रतिशत हिन्दी में कार्य होता है। 40 टंककों में से 32 को हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण दिलाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी शाखाओं में हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर पूर्णतः हिन्दी में ही दिया जाता है।

हिन्दी में कार्य करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट केवल हिन्दी में ही तैयार की जाती हैं एवं चयनित शाखाओं में 80 प्रतिशत से अधिक कार्य हिन्दी में ही होता है। सभी कार्यालय 8 (4) के अन्तर्गत हिन्दी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट किये गए हैं।

सिण्डीकेट बैंक के डा. रामानुज भारद्वाज ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि गत वर्ष हिन्दी पत्राचार प्रोत्साहन योजना के नाम से प्रचलित है। इसके अतिरिक्त अनुदेश, पुस्तिकाएं हिन्दी में अनूदित करके मुद्रण हेतु भेज दिया गया है। कुल 40 शाखाओं में से गत वर्ष तक 9 शाखाओं को हिन्दी में कार्य करने के लिये विनिर्दिष्ट किया गया था। इस वर्ष यह संख्या 21 हो गई है। कुल 47 शाखाओं में से 41 शाखाएं अधिसूचित हैं एवं शेष 6 शाखाओं को अधिसूचित करने के लिये प्रस्ताव भेज दिया गया है।

कैनरा बैंक के हिन्दी सम्पर्क अधिकारी श्री आई. एल. एम. ख्यानी ने सूचित किया कि सभी 43 शाखाएं अधिसूचित कर दी गई हैं। जिसमें 73 कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये। प्रत्येक शाखा में हिन्दी कार्य की जानकारी के लिये एक हिन्दी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके यहां से इस वर्ष कुल 87176 पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 60464 का उत्तर हिन्दी में दिया गया, जो लगभग 80 प्रतिशत होता है।

केन्द्रीय तार घर के श्री वी.एस. वर्मा, मुख्य अधीक्षक ने बताया कि उनके यहाँ प्राप्त हिन्दी पत्रों का उत्तर आवश्यक रूप से हिन्दी में ही दिया जाता है। तार घर में उपस्थिति पंजिका/चरित्र पंजिका/सेवा पुस्तिकायें हिन्दी में ही रखी जाती हैं। इस क्रम में उत्तर प्रदेश को 20 द्विभाषी हिन्दी टेलीप्रिंटर प्राप्त हुए है जिनमें से 3 केवल आगरा के लिए है। उनके यहाँ इस पर कर्मचारी प्रशिक्षित किये जा रहें हैं और शीघ्र ही हिन्दी में तार प्रेषण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया जावेगा।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री रविकांत ने कहा कि जिस प्रकार कोहरा सूर्य की प्रखरता से स्वयं विलीन हो जाता है, उसे डंडे से पीटकर नहीं हटाया जा सकता। उसी प्रकार हम सबको चाहिए कि हम अपने हिन्दी के कार्य को प्रखरता से करें ताकि भाषायी विवाद का कोहरा घट सके। उन्होंने कहा कि हमारे मध्य यह एक भ्रमपूर्ण धारणा बन गयी है कि अंग्रेजी का विरोध करना ही हिन्दी प्रेम है स्वस्थ चिन्तन नहीं है और इस प्रकार हम हिन्दी का कोई हित साधन न कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सह अस्तित्व की भावना को सम्बल बनाकर ही हम हिन्दी के प्रयोग को व्यापक बना सकेंगे।

वाराणसी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, वाराणसी की वर्ष 1987-88 की द्वितीय छः माही बैठक, 27 अप्रैल 1988 को युनियन बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के तत्वाधान में उपायुक्त आयकर, वाराणसी रेन्ज श्री रामजी सिन्हा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर राजभाषा विभाग, के प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के उप निदेशक श्री नाहर सिंह वर्मा भी उपस्थित थे।

युनियन बैंक आफ इन्डिया के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री आर. पट्टाभिरमन ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि वाराणसी प्रवास में मैंने काफी हिन्दी सीख ली है और क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ अधीनस्थ सभी शाखाओं में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील हूं। उन्होंने यह सूचित किया कि कुछ शहरी शाखाओं को छोड़कर सभी ग्रामीण शाखाएं शतप्रतिशत कार्य हिन्दी में ही कर रही है।

समिति के अध्यक्ष एवं आयकर उपायुक्त श्री रामजी सिन्हा ने बताया कि पिछली बैठक के पश्चात पिछले 5 माह में समिति ने केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के सहयोग से दो बार संक्षिप्त 5 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 30 से अधिक कार्यालयों के 75 कर्मचारियों ने अनुवाद कला प्रशिक्षण प्राप्त किया। अध्यक्ष ने बताया कि हमारे सम्पर्क एवं सर्वेक्षण दल के सदस्य बड़ी सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं और हर कठिनाई के बावजूद नगर के 90% कार्यालयों में जाकर बैठक में उपस्थित होने तथा हिन्दी में काम-काज करने हेतु अनुरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण के अनुसार नगर के कई कार्यालय हिन्दी में बहुत अच्छा कार्य कर है।

राजभाषा विभाग के उपनिदेशक श्री नाहर सिंह वर्मा ने कार्यालयों में हिन्दी टाइपिस्ट/आशुलिपिक एवं हिन्दी अनुवादक नियुक्त करने के राजभाषा विभाग के मापदंड सम्बन्धी आदेश का उल्लेख किया और उनकी नियुक्ति हेतु जोर दिया। श्री वर्मा ने हिन्दी / हिन्दी टाइपिंग / आशुलिपि न रखने वाले कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि सिखाने हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार तथा अन्य सुविधा प्रदान करने हेतु की नई व्यवस्था की भी जानकारी दी। श्री वर्मा जी ने कहा कि बैंकों आदि में जिन्हें हिन्दी सम्बन्धी आदेश बहुत बाद में दिये गये हिन्दी के प्रयोग की प्रगति काफी संतोषजनक है। श्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि जब कार्यालय प्रमुख किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते तो बैठक के पूर्व सूचित कर दें और अपने नेक्स्ट बिलो (कनिष्ठ) अधिकारी को बैठक में अवश्य भेजें।

इस अवसर पर राजभाषा आदेशों के क्रियान्वयन में तथा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में सर्वोत्कृष्ट/उत्कृष्ट प्रयास करने वाले कार्यालय प्रमुखों को सम्मानित करने की समिति की योजनानुसार वर्ष 1987 हेतु निम्नलिखित कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

सर्वोत्कृष्ट

1– क्षेत्रीय प्रबन्धक, युनियन बैंक
2– मंडल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम
3– अधीक्षक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे संगठन

उत्कृष्ट

1– उप महा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक
2– क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक
3– महा प्रबन्धक (राजभाषा) डीजल रेल कारखाना
4– केन्द्र अभियन्ता, आकाशवाणी
5– केन्द्र अभियन्ता, दूरदर्शन
6– अधिशासी अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग, मध्य गंगा मंडल
7– जिला प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम
8– अधीक्षक, केन्द्रीय तार घर
9– उप निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र
10– आयुक्त, उप क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय
11– आयकर उप आयुक्त (केन्द्रीय वृत्त)।

इसके अतिरिक्त सम्पर्क दल के 10 सदस्यों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

(घ) अन्य राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

दक्षिण रेलवे : ईरोड यांत्रिक मंडल

दिनांक 21.3.1988 को रेलवे मिश्रित हाई स्कूल में राजभाषा कार्यान्वयन समिति/ईरोड की 28 वीं बैठक श्री वी. नटराजन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

चर्चित विषय :–

1 (क) सभी कर्मचारियों को, चालू लाइन कर्मचारी सहित, एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी में प्रशिक्षण :–

1-12-1987 से क्रमश : 49 और 18 कमचारियों के साथ जिसमें चालू लाइन कर्मचारी भी शामिल हैं प्रबोध और प्रवीण के लिए नयी हिन्दी कक्षाएं शुरू की गयी हैं।

सांख्यिकीय आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	संवर्ग			पिछली तिमाही की स्थिति		
	ग	ख	क	ग	ख	क
कर्मचारियों की कुल संख्या	1251	8	2	1253	8	2
हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	178	2	1	178	2	1
पत्राचार पाठ्यक्रम सहित प्रशिक्षणाधीन कर्मचारियों की संख्या						
प्रबोध	42	1				
प्रवीण	15					
हिन्दी में प्रशिक्षणाधीन कर्मचारियों की संख्या	1073	7	1	1075	7	1

नवम्बर 87 में चलायी गयी हिन्दी प्रबोध परीक्षा में उपस्थित 5 कर्मचारियों में से 3 कर्मचारी नकद पुरस्कार की पात्रता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं।

हिन्दी शिक्षक द्वारा प्रस्तुत अनुपस्थिति विवरण से संबन्धित रिपोर्ट पर चर्चा की गयी। अध्यक्ष ने हिन्दी कक्षाओं से कर्मचारियों की लगातार अनुपस्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की। लाफो/डी/ईरोड ने बैठक में कहा कि पारी ड्यूटी के कारण कुछ कर्मचारी कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकते। तिसपर भी पारी ड्यूटी में भी, यथासंभव कक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को अनुदेश दिया गया है।

(ख) स्टेशन कर्मचारियों का वार्तालाप प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि 108 स्टेशन कर्मचारियों में से अभी तक 77 को प्रशिक्षित किया गया हैं। चूंकि समीक्षाधीन अवधि में प्रशिक्षार्थियों का मौखिक परीक्षा के लिए प्रधान कार्यालय द्वारा कोई प्रबन्ध नहीं किया गया हैं इसलिए इस तिमाही में कोई प्रगति नहीं हुई हैं।

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि हिन्दी वार्तालाप पाठयक्रम तथा चालू लाइन कर्मचारियों और वाणिज्य कर्मचारियों के लाभार्थ अनियमित कक्षाओं को चलाने के लिए एक सुविधाजनक स्थान उपलब्ध नहीं हुआ हैं। समिति की यह राय थी कि मंडल कार्यालय द्वारा देरी के बिना रेलवे स्टेशन में ही उचित स्थान का प्रबन्ध किया जाए।

4. स्टेशनों में प्रदर्शित चार्टों में तथा स्टेशन कार्यालयों में प्रयुक्त फाइल कवरों और रजिस्टरों में अंग्रेजी के साथहिन्दी का प्रयोग

अध्यक्ष ने समिति को सूचित किया कि हम ने इस संबंध में बोर्ड के लक्ष्य को साधित किया है। फिर भी उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि जब एक नया फाइल या रजिस्टर खोला जाता है, अंग्रेजी के साथ हिन्दी पाठ को भी अनिवार्यतः लिखा जाये। सांख्यिकीय विवरण निम्न प्रकार हैं :—

1. फाइल कवरों/रजिस्टरों की कुल संख्या	1243
2. ऐसे फाइलों/रजिस्टरों की संख्या जिनमें विषय आदि हिन्दी में लिखा गया हैं	1200
3. ऐसे फाइलों की संख्या जिनमें हिन्दी में लिखना है	43
4. समीक्षाधीन तिमाही में हिन्दी में लिखी गई फाइलों की संख्या	67

दिनांक 30-3-88 को पोनमलै कर्मशाला की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में श्री. पी. शंकरन, मुख्य कर्मशाला, प्रबंधक/का. ने अध्यक्षासन ग्रहण किया।

श्री टी. कुप्पन, कर्मशाला प्रबंधक/डीजल व रा. भा. का. स. के सचिव ने अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का स्वागत किया।

1. मातृभाषा "तमिल" के द्वारा हिन्दी सीखना।

राष्ट्रभाषा संस्थान, नई दिल्ली ने मार्च, 1988 से मिल द्वारा हिन्दी प्रबोध सिखाने के लिए पत्राचार पाठयक्रम शुरू किया। सभी शाप अधीक्षकों व सभी कार्यालयों को एक परिपत्र जारी किया गया। तदनुसार उन्नीस कर्मचारियों ने शुल्क अदा करके अपना आवेदन पत्र भेजा। (शुल्क रु. 95/– या रु. 50+50 दो किशतों पर) उन्होंने भी अपनी पावती भेजी और वाह वाह किया।

2. सभी नामपट्ट, सूचना पट्टों पर हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखना।

अध्यक्ष ने कहा कि सभी शाप के दरवाजे पर त्रिभाषी रूप में याने, तमिल ऊपर, हिन्दी व अंग्रेजी बाद में पेंटर की सहायता से लिखना शुरू करें। सभी शाप के अधीक्षक हिन्दी रूपान्तर हिन्दी अनुभाग से मांगें।

3. हिन्दी प्रशिक्षण/हिन्दी टाइपलेखन/आशुलिपि में होने वाली प्रगति पर चर्चा।

श्रेणी III वर्ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दी प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ वर्ग वाले अधि/क व भं./पोनमलै के पास चल रहे हैं।

नवम्बर 87 में संपन्न परीक्षाओं का परिणाम निम्न प्रकार है :—

	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
फार्म भरे कर्मचारी की संख्या	47	22	24
परीक्षा में बैठे कर्मचारी की सं.	38	17	21
नकद पुरस्कार पाने योग्य कर्मचारी की संख्या	20	—	4
पास हुए कर्मचारी की संख्या	32	6	12
मई 88 सत्र के लिए नामित कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार हैं :—			
व. ले. अधि (क व भंडार) पोनमलै	14	13	4
उप भंडार नियंत्रक	9	12	6
मु क प्र	20	17	12
कुल	43	42	22

2. टीपीजे टाइपलेखन प्रशिक्षण केन्द्र में श्री विश्वन वरिष्ठ टंकक, नवीकरण प्रशिक्षण पा रहे हैं।

3. अक्तूबर 87 से प्रधान कार्यालय, मद्रास में स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण हो रहा है, पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा। उसमें टीपीजे के पांच स्टेनोग्राफर प्रशिक्षण पा रहे हैं। उचित पाठ भी उनको मिला है। अध्यक्ष ने कहा कि इसके संबंध में सभी आशुलिपिकों को एक परिपत्र जारी करें।

अन्य सूचनाएं

1. द्विभाषी रूप में जारी किये गये पत्रों की संख्या	20
2. उत्तर भारत में स्थित राज्यों को भेजे गये अंग्रेजी पत्रों की संख्या (मूल पत्र व पत्रों के उत्तर)	974
3. द्विभाषी रूप में जारी किए गए रबड़ मुहरों की संख्या	201
4. द्विभाषी रूप में उपलब्ध अधिकारियों के नामपट्ट (पूरा हुआ)	33
5. हिन्दी में प्रशिक्षण देने योग्य कर्मचारियों की कुल संख्या	1943
अ. हिन्दी में (अब तक) प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	327
आ. हिन्दी में अभी प्रशिक्षित होने वाले कर्मचारियों की सं.	1616
6. हिन्दी अधिकारियों की संख्या	कुछ नहीं

1. बोर्ड के वर्तमान आदेशानुसार खलासी, कर्मचारियों के चयन, पदोन्नति आदि देते समय उनको हिन्दी में प्रश्न पूछ कर उनका हिन्दी ज्ञान जानने के लिए, बोर्ड से अनुरोध करते हैं कि एक वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी और एक हिन्दी कार्यालय अधीक्षक आदि को पोनमलै कर्मशाला के लिए तैनात करें।

7. कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने का विवरण	टंकक	आशु-लिपिक
1. टाइपलेखन/आशुलिपि	29	15
2. प्रशिक्षित कर्मचारियों की सख्या	7	1
3. प्रशिक्षणाधीन कर्मचारियों की सं.	1	—
4. अभी प्रशिक्षित होने वाले	21	14

8. नवम्बर 87 में संपन्न परीक्षा में, प्रबोध में बीस कर्मचारी प्राज्ञ में 4 नकद पुरस्कार पाने व प्राज्ञ में 12 वैयक्तिक वेतन पाने के योग्य हैं।

9. सामूहिक नकद पुरस्कार योजना में निम्नलिखित दोनों कर्मचारियों को हरेक को 100 रुपये मात्र नकद पुरस्कार देने के लिए प्रधान कार्यालय से मंजूरी दी गई है। दिनांक 30-3-88 संपन्न होने वाले हिन्दी सप्ताह समारोह में ये पुरस्कार दिये जायेंगे।

1. श्री एस मुत्तुकुमार प्रधान लिपिक, क का अधि, का, पोनमलै।

2. श्री वी आर गोविंदराज, प्रधान लिपिक।

10. दिनांक 24-3-88 में संपन्न छः प्रतियोगिताओं में 20 कर्मचारी पुरस्कार पाने योग्य निकले हैं और सरस्वती नियम में 30-3-88 को होने वाले हिन्दी सप्ताह समारोह में ये पुरस्कार वितरित होंगे।

भारतीय रेल सिगनल, इंजीनियरी और दूर संचार संस्थान के सभागृह में 22-4-1988 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 27वीं बैठक की श्री ए. विस्वनाथन, उप प्रधानाचार्य और मुख्य राजभाषा अधिकारी ने अध्यक्षता की।

बैठक के आरंभ में अध्यक्ष ने स्वागत भाषण में सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा अधिनियम की सांविधिक अनिवार्यताओं के अनुपालन के लिए अपना अधिक से अधिक सहयोग दें।

(क) सचिव ने सूचित किया कि एक देवनागरी टाइप-राइटर को अनुपयोगी घोषित करने के लिए कारवाई की जा रही है, आचार्य दूर संचार – 1 ने यह इच्छा व्यक्त की कि मामले को शीघ्र निपटाने और नई मशीन खरीदने के लिए यह मामला उन्हें प्रस्तुत किया जाए।

(ख) प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों का हिन्दी प्रशिक्षण

पिछली बैठक में निदेशक द्वारा व्यक्त की गई इच्छा के अनुसार महीने के हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को हिन्दी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। कक्षाएं हिन्दी अनुभाग के कर्मचारी ले रहे है। फिर भी इस संबंध में हिन्दी अधीक्षक ने इन कक्षाओं को चलाते रहने में अपनी कठिनाई व्यक्त की और अनुरोध किया कि एक नियमित अध्यापक तैनात किया जाए। अध्यक्ष ने चाहा कि इस संबंध में रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा जाए।

हिन्दी अधीक्षक ने सूचित किया कि इस संस्थान में प्रयुक्त 75 प्रपत्रों आदि में से केवल 25 द्विभाषिक बना दिए गए हैं। आचार्य दूर संचार–1 ने सुझाव दिया कि जिन प्रपत्रों का उपयोग अत्यधिक संख्या में होता है उन्हें द्विभाषिक रूप में छपवा लिया जाए ताकि बार-बार स्टेन्सिल करने और चक्रमुद्रण (साइक्लोस्टाइल) की आवश्यकता न हो

पिछली तिमाही में की गई प्रगति पर चर्चा की गई। समिति ने प्रगति पर अपना संतोष व्यक्त किया।

सचिव ने सूचित किया कि दो कर्मचारी प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए नियमित कक्षाओं में उपस्थित हो रहे हैं। इनके अलावा चार कर्मचारियों ने, जिनमें तीन समूह (ख) अधिकारी भी शामिल है, मई 88 की परीक्षाओं में बैठने के लिए अपने फार्म भरे हैं। इस संस्थान में आरंभिक प्रशिक्षण लेने वाले दो परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भी हिन्दी परीक्षाओं के फार्म भरे हैं। हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए आलोच्य तिमाही में किसी भी कर्मचारी को नामित नहीं किया गया था। सचिव ने सूचित किया कि वर्तमान नियमों के अनुसार हिन्दी प्रशिक्षण के लिए 20 प्रतिशत अप्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रत्येक सत्र में नामित किया जाना चाहिए। किन्तु प्रभारी अधिकारी इतने कमचारियों को भारमुक्त करने की स्थिति में नहीं है। अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि इस संबंध में बैठक के बाद विस्तार से पुनः परीक्षा की जाए। हिन्दी अधीक्षक ने सूचित किया कि वरिष्ठ टंकक श्री आर. गोपालाकृष्णा, अंग्रेजी टंकक के रूप में अपनी सामान्य डयूटी करने के अलावा हिन्दी टंकण का कार्य भी कर रहे हैं और उन्हें निर्धारित मानदेय भी दिया जा रहा है। दूसरा टंकक भी जो हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित है अभ्यास बनाये रखने का प्रयास कर रहा है

(वार्षिक कार्यक्रम)

(क) हिन्दी में मूल प्रत्राचार

इस संस्थान से "क" "ख" और "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को कुल 1354 पत्र भेजे गए थे, जिनमें से 386 पत्र हिन्दी/हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में थे। इस प्रकार 29 प्रतिशत पत्र हिन्दी/हिन्दी-अंग्रेजी में भेजे गए जबकि निर्धारित लक्ष्य 10 प्रतिशत ही है।

(ख) यह सुझाव दिया गया कि हिन्दी पुस्तकालय में हिन्दी पत्रिकाओं की भी व्यवस्था की जाए। लम्बी चर्चा के बाद यह विनिश्चय किया गया कि इस मामले पर आगे और चर्चा की जाए और अगली बैठक में इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाए।

(ग) हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण

प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में संयुक्त निदेशक प्रबंध सेवा के पत्र सं. हिन्दी/87/ओ. एल/1/12/6 पर चर्चा की गई। सचिव ने सूचना दी कि इस संबंध में आवश्यक कारवाई की गई है।

चेक पाइन्टों के कार्य पर चर्चा की गई। समिति ने चैक पाइन्टों के कार्य के संबंध में संतोष व्यक्त किया

पास/पी.टी.ओ. रजिस्टर/डाइरियों, फाइलों आदि में हिन्दी का प्रयोग

पिछली तिमाही में उत्तर की ओर जाने वाले प्रशिक्षार्थियों के 30 पास हिन्दी में जारी किए गए। हिन्दी अधीक्षक ने बताया कि एक अधिकारी और 4 पर्यवेक्षक अपना काम हिन्दी में कर रहे हैं। कुछ अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों ने भी कभीकभार हिन्दी में काम करना आरंभ कर दिया है

सचिव द्वारा आभार व्यक्त करने के साथ बैठक का समापन हुआ।

दक्षिण पूर्व रेलवे : बोकारो सिटी

आज दिनांक 25-3-87 को क्षेत्र अधीक्षक, कार्यालय, बोकारो स्टील सिटी में श्री जी. के. महन्ती, क्षेत्र अधीक्षक की अध्यक्षता में स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक सम्पन्न हुई।

(2) बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बोकारो स्टेशन में यात्रियों के लिए आरक्षण चार्ट हिन्दी में टाइप करने के लिए श्री द्वारका राम, प्रधान टंकक, जिला अभियन्ता (निर्माण) कार्यालय, बोकारो को नामांकित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की तरफ से भेजा जायेगा एवं अनुमति प्राप्त होने पर उचित माध्यम द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

(3) सहायक यांत्रिक अभियंता ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी में दिये गये चार्जशीट का जवाब यथा सम्भव हिन्दी में दिया जाना चाहिए।

उन्होंने यह खेद प्रकट किया कि गत बैठक में यह निर्णय लिये जाने के बावजूद भी सभी छुटी के आवेदन पत्र हिन्दी में नहीं प्राप्त हो रहे हैं। इन्हें पूर्णरूप हिन्दी में आवेदन पत्र आना चाहिए।

(4) क्षेत्र अधीक्षक-कार्यालय में अधिकांश आरोप पत्र हिन्दी में जारी किये जाते हैं और उनका प्रतिवेदन भी हिन्दी में लिये जाते हैं। यहां जो भी पत्र हिन्दी में प्राप्त होते हैं, उनका जवाब हिन्दी में ही जाता है।

(5) कैरिज अधीक्षक के कार्यालय में आंशिक रूप से आवेदन पत्र हिन्दी में प्राप्त होते हैं एवं कार्यालय में सभी फाइलों के कवर उपस्थिति पुस्तिकाओं एवं रबर की मुहरों का द्विभाषीकरण किया जा चुका है। हिन्दी के पत्रों का जवाब भी यथा संभव हिन्दी में ही दिये जाते हैं।

(6) बोकारो में हिन्दी प्रशिक्षण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। गत नवम्बर सत्र 86 में प्राज्ञ में 5 एवं प्रवीण में 11 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए एवं प्राज्ञ में 5 एवं प्रवीण में 7 उत्तीर्ण हुए।

आगामी सत्र मई 87 के लिए प्रवीण कक्षा में 68 बोकारो से तथा 3 मुरी से एवं प्राज्ञ में 4 बोकारो से एवं 1 मुरी से नामांकित हुए।

7. हिन्दी पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 452 एवं सदस्यों की संख्या 283 हैं।

सचिव ने सुझाव दिया कि आगामी माह में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जायेगा।

(8) प्रत्येक बैठक में कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति पर सदस्य सचिव ने खेद प्रकट किया एवं आग्रह किया कि अगली बैठक से प्रत्येक सदस्य को अपनी उपस्थिति निश्चित करनी चाहिए।

(9) मुख्य यार्ड मास्टर से आग्रह किया गया कि टी एच एफ (34) एवं काल बुक में हिन्दी का प्रयोग किया जाय। इस आशय का आदेश पुस्तिका में दे दिया जाय।

रेडियो कश्मीर, श्रीनगर

दिनांक 29 मार्च, 1988 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री लस्सा कौल, निदेशक की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

श्री एम. के. भट्ट ने जानना चाहा कि किन-किन कर्मचारियों को इसके लिए नामांकित किया जाना आवश्यक है। हि. शि. यो. प्रतिनिधि ने इस पर सूचित किया कि हिन्दी का प्रशिक्षण सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए अनिवार्य है। लिपिक ग्रेड के समस्त कर्मचारियों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है, तथा प्रत्येक अधिकारी, जिसने प्राज्ञ या मैट्रिक स्तर की हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न की हो उसे हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।

पत्राचार से ही जुड़े हुए विषय हिन्दी पारिभाषिकी शब्दावली की भी चर्चा हुई। कुछ आम प्रयुक्त होने वाले शब्दों का हिन्दी रूपान्तर अगर उपलब्ध कराया जाये तो सुविधाजनक रहेगा। श्री भट्ट जानना चाहते थे कि अभियान्त्रिकी से संबंधित पुस्तकें कहां से मिल सकती है, जो सामान्य काम में सहायक हो। उन्हें बताया गया कि इस प्रकार की एक सूची पहले से ही श्री मेहता को दी गई है तथा इस संबंध में उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इसी के साथ श्री पी. एन. कौल, समाचार सम्पादक द्वारा भी राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के प्रति जिज्ञासा व्यक्त की गई। श्री रफीक मसूदी ने सूचित किया कि इस प्रकार की पारिभाषिकी शब्दावलियां उपलब्ध है और कार्यालयीन प्रयोग के लिए विशेष उपयोगी है। सर्व सम्मति से यह भी तय पाया गया कि फिलहाल कुछ अति उपयोगी एवं दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्दों की एक सूची भी जारी की जाये।

हिन्दी में कुछ नामपट्टों को शुद्ध रूप से लिखने का पुनः हिन्दी अनुवादक द्वारा अनुस्मरण कराया गया। इस पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रधान लिपिक ने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड

दिनांक 15 फरवरी, 1988 को गोवा शिपयार्ड लि. की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक रियर एडमिरल व. ल. कोप्पीकर, प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि बैठक के दौरान हिन्दी में वार्तालाप किया जाये। उन्होंने मुरगांव पत्तन न्यास के हिन्दी अधिकारी श्री एस. ई. राव का स्वागत किया।

3. **हिन्दी शिक्षण कार्यक्रम :** संसदीय समिति ने निदेश दिया है कि हिन्दी शिक्षण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाये। प्रबन्धक (का एवं प्र) श्री शेख ने समिति को सूचित किया कि हिन्दी प्रशिक्षण पाने हेतु आवश्यक कर्मचारियों का रोस्टर तैयार करने हेतु विभिन्न विभागों से जानकारी एकत्र की जा रही है एवं उक्त मार्च 88 तक पूर्ण होगी तथा अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

4. **टंकक एवं आशुलिपिकों के लिए प्रशिक्षण :** प्रबंधक (का एवं प्रशा) ने कहा कि गोवा में आशुलिपिकों के लिए हिन्दी में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुरगांव पत्तन न्यास के श्री एस. ई. राव के सामने पत्राचार द्वारा आशुलिपिक पाठ्यक्रम की जानकारी भेजने का प्रस्ताव रखा।

5. **प्रशिक्षु प्रशिक्षण :** संसदीय समिति ने निदेश दिया है कि प्रशिक्षण विद्यमान में प्रशिक्षण हिन्दी में देने हेतु प्रोत्साहन दिया जाए। यह निर्णय हुआ है कि सभी कर्मचारी वर्ग को हिन्दी में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये एवं सभी जांच एवं परीक्षाओं के प्रश्नपत्र द्विभाषा में तैयार किये जाये तथा प्रशिक्षु को हिन्दी में उत्तर लिखने का विकल्प दिया जाये।

6. **प्रतिवेदन एवं विवरण :** यह निश्चय किया गया है कि मंत्रालय को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन एवं विवरण जहां तक संभव हो हिन्दी में भेजे जायें। हर हालत में प्रतिवेदन एवं विवरण के हर आवरण पत्र हिन्दी में हो। इसके लिए जांच बिन्दु अर्थात कार्यान्वयन का पालन कम्पनी सचिव करें।

7. कार्यसूची/संसदीय समिति का प्रतिवेदन/कार्यप्रणाली के विचारणीय बिन्दुओं संबंधी बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया कि :

क. **हिन्दी वार्तालाप दिन :** प्रत्येक शनिवार हिन्दी बातचीत का दिन एवं समस्त कर्मचारियों को हिन्दी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना।

ख. **हिन्दी तार :** "क" क्षेत्र को तार हिन्दी में भेजना।

ग. **हिन्दी में प्रशिक्षण उपकरण :** हिन्दी में प्रशिक्षण सहायक विडीओ टेप्स प्राप्त करने का प्रयास।

रसायनी महाराष्ट्र : केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई दिनांक 14-4-88 को श्री जे. बी. कौशिक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

इस इकाई में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित तिमाही रिपोर्ट का पूर्ण निरीक्षण एवम् इस इकाई में 31-3-88 को समाप्त होने वाली तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा।

(क) हिन्दी में प्राप्त पत्र/आवेदनों की संख्या	144
(ख) कितनों का उत्तर हिन्दी में दिया गया	55
(ग) कितनों का उत्तर अपेक्षित नहीं था	89

कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र आदि :—

	कुल	हिन्दी में	अंग्रेजी में	लक्ष्य	उपलब्धि
(क) 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालय को भेजे गए पत्र आदि	295	143	152	50%	47%
(ख) 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालय को भेजे गए पत्र आदि	650	315	335	50%	48.46%
(ग) 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालय को भेजे गए पत्र आदि	65	25	40	10%	38.46%
	1010	483	527		

"क" "ख" "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालय को इस प्रकार कुल 1010 पत्र भेजे गए जिसमें हिन्दी में 483 पत्र भेजे गए जो कि लक्ष्य से थोड़ा कम है, इस कमी को पूरा करने के लिए हिन्दी में काम-काज और बढ़ाने हेतु निर्देश दिया तथा बताया कि हिन्दी के काम-काज में और तेजी लाना है जिससे कि हम लक्ष्य को पूरा कर सकें। कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को सख्ती से आदेश दिया कि आने वाले तिमाही के अन्दर हमें लक्ष्य से अधिक काम हिन्दी में करना है अगर 50% से कम काम हिन्दी में हुआ तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

3. फाईलों पर हिन्दी नोटिंग की प्रगति

	कितने प्रतिशत फाईलों पर नोटिंग हिन्दी में की गई है।
1. स्थापना विभाग के सभी फाईलों पर	100%
2. लेखा विभाग के सभी फाईलों पर	100%
3. प्रशासनिक विभाग के सभी फाईलों पर	100%

पिछली तिमाही राजभाषा समिति की प्रगति को अवलोकन कर हिन्दी में और सुधार हेतु प्रोत्साहन दिया और बताया कि अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए हिन्दी में काम-काज और बढ़ाना है जिससे हम निकट भविष्य में हिन्दी पर आत्म निर्भर हो सकें।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई एच. ओ. सी. रसायनी से सम्बन्धित सभी बल सदस्यों को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान है, फिर भी पूर्ण निराकरण के लिए इकाई में अनेकानेक उपाय किए जा रहे हैं। इकाई मनोरंजन कक्ष में हिन्दी सम्बन्धी पुस्तकें और समाचार पत्रों का भी बन्दोबस्त किया गया है। कार्यालय में हिन्दी की टाइपराइटर मशीन उपलब्ध होने के कारण हिन्दी पत्राचार में वृद्धि एवं कार्य प्रणाली में सुधार हुआ है।

मध्य रेल : नागपुर मण्डल

दिनांक 17-3-88 को मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर की बैठक मंडल रेल प्रबन्धक श्री श्यामशरण कपूर की अध्यक्षता में हुई।

अध्यक्ष की अनुमति से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए सचिव महोदय ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

हिन्दी/हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण--(31-12-1987 के अनुसार)

क्रम सं.	विवरण	कुल कमचारी	प्रशिक्षित	प्रतिशत	प्रशिक्षण के लिए शेष
(1)	हिन्दी	9335	9062	97%	273
(2)	टंकण	32	31	96.8	1
(3)	आशुलिपि	28	1	3.5%	27

आरक्षण चार्ट

आरक्षण चार्ट हिन्दी-अंग्रेजी में लगाकर प्रदर्शित किये जाते हैं। फिर भी नियमों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाये। मंडल वाणिज्य अधीक्षक से अनुरोध है कि वे अपने वाणिज्य निरीक्षक को निदेश दें कि वे अपने निरीक्षणों में आरक्षण चार्टों पर भी टिप्पणी दें तथा आवश्यक कार्रवाई भी करायें।

हिन्दी कार्यशाला

इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है जिसमें 112 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

स्टेशन संचालन नियम

कुल बोर्ड पैटर्न पर प्राप्त	हिन्दी में अनुवाद किए हैं	हिन्दी-अंग्रेजी में जारी	अनुवाद के लिए शेष
99	99	99	

इस तिमाही में पुनः संशोधित 5 स्टेशन संचालन नियमों का अनुवाद कर द्विभाषी में जारी कराये गये। यह संशोधन निर्माण कार्यों के कारण कार्य प्रणाली में परिवर्तन/परिवर्धन के कारण हुए।

हिन्दी कार्य की जांच

प्रतिदिन प्रेषण अनुभाग की जांच की जाती है। 31-12-87 को समाप्त तिमाही में धारा 8(4) के अन्तर्गत 2225 अंग्रेजी पत्र हिन्दी में लिखने के लिए संबंधित विभाग को लौटाये गये। जांच सक्रिय की गई है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में कटे स्टेन्सिलों को भी गेस्टेटनर मशीन आपरेटर के पास से लौटाया जाता है। मासिक रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाता है। हिन्दी सहायकों को विभाग बांट दिये गये हैं जो संबंधित विभाग के प्रेषण अनुभाग में जाकर प्रतिदिन जांच करते हैं। विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इन रजिस्टरों को अद्यतन भरवाने में दिलचस्पी लें ताकि रिकार्ड ठीक रखा जा सके।

राजभाषा संबंधी प्रगति का निरीक्षण

दिसम्बर '87 को समाप्त तिमाही में 77 स्टेशनों/कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नोटिस बोर्ड, साईन बोर्ड, रबर की मोहरों आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

देवनागरी रोमन टाइपराइटरों की स्थिति

(1) देवनागरी टाइपराइटर	32
(2) रोमन टाइपराइटर	63

मूल पत्राचार

राजभाषा वर्ष 1987-88 में निर्धारित लक्ष्य 60% था जबकि 31-12-87 को समाप्त तिमाही में मूल पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग 91.3% हुआ। अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के आगे बढ़कर 31.3% कार्य हुआ।

धारा 3 (3) का अनुपालन

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर

31-12-87 को समाप्त तिमाही में हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये। अनुपालन शत प्रतिशत रहा।

विवरण	हिन्दी-अंग्रेजी में जारी	केवल अंग्रेजी में जारी	प्रतिशत	हिन्दी-अंग्रेजी में जारी	केवल अंग्रेजी में जारी	प्रतिशत	अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
(1) सामान्य आदेश	636	81	88%	676	—	100%	12%+
(2) प्रेस विज्ञप्ति	24	—	100%	21	—	100%	-

1	2	3	4	5	6	7	8
(3) संविदा/करार	42	—	100%	95	—	100%	—
(4) टेंडर नोटिस टेंडर फार्म	593	—	100%	749	—	100%	—
कुल	1295	81	94%	1541	—	100%	5%(+)

इस तिमाही में धारा 3(3) का अनुपालन शत प्रतिशत रहा।

मण्डल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सोलापुर

मण्डल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सोलापुर की राजभाषा के प्रयोग प्रगति की समीक्षा के लिए दिनांक: 28-3-1988 को श्री के. एम. भार्गव की अध्यक्षता में मण्डल कार्यालय, सोलापुर के सम्मेलन कक्ष में बैठक हुई।

अध्यक्ष ने बैठक का स्वयं संचालन करते हुए आरंभ में मुख्यालय, बंबई से पधारे मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री कवि प्रकाश मंगला तथा बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों का स्वागत किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सोलापुर मण्डल "ख" और "ग" क्षेत्र में आता है और हमारी यह कोशिश है कि हम पहले मध्य रेलवे के "ख" क्षेत्र में स्थित अन्य मण्डलों से आगे आएं। उन्होंने सभी शाखा अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे कार्यालय के कामकाज में स्वयं अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करें।

पिछली बैठक में अध्यक्ष ने शाखा कार्यालयों में हिन्दी में शत-प्रतिशत काम करने के लिए नामित अनुभागों में पूरा काम हिन्दी में करने तथा राजभाषा अधिनियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालयों में विनिर्दिष्ट विषयों का काम हिन्दी में ही करने पर बल दिया था।

मुख्य राजभाषा अधिकारी ने इस बारे में हुई प्रगति जाननी चाही। इस पर वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर ने बताया कि उनके विभाग में हिन्दी में काम करने के लिए नामित अनुभाग में शत-प्रतिशत काम हिन्दी में हो रहा है। चिकित्सा अधीक्षक के प्रतिनिधि ने भी बताया कि उनकी शाखा में भंडार से संबंधित पूरा काम हिन्दी में ही किया जाता है।

31-12-87 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा

1 हिन्दी प्रशिक्षण

सोलापुर मण्डल पर कुल 70 अधिकारी और 7769 तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं। इनमें से सभी अधिकारी और 7275 तृतीय श्रेणी कर्मचारी हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान रखते हैं। अतः प्रशिक्षण के लिए अब केवल 494 कर्मचारी शेष हैं। ये सभी कर्मचारी परिचालन कोटि के हैं अतः उन्हें मई, 1988 में होने वाली हिन्दी परीक्षाओं में निजी प्रयास से बैठने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

मुख्य राजभाषा अधिकारी ने इस संबंध में कहा कि सोलापुर मण्डल राजभाषा के प्रयोग के बारे में इसी क्षेत्र में पीछे है और हमें हिन्दी प्रशिक्षण पूरा करने के उपाय ढूंढने चाहिएं।

2 हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण

मण्डल पर कार्यरत 35 टाइपिस्टों में से 33 टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के लिए शेष 2 टाइपिस्ट सोलापुर से बाहर तैनात हैं। उन्हें निजी प्रयास से परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कहा गया है।

3. हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण

सोलापुर मण्डल पर 23 आशुलिपिक हैं। इनमें से केवल एक (1) आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपिक में प्रशिक्षित है। शेष आशुलिपिकों के लिए 1 जुलाई, 1987 से मण्डल कार्यालय सोलापुर में विभागीय कक्षा चलाई जा रही है।

4. हिन्दी पत्राचार

इस तिमाही में कुल 7169 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए जिनमें से 4344 पत्रों का उत्तर देना आवश्यक था। इन सभी के उत्तर हिन्दी में दिये गये। शेष 2825 पत्रों के उत्तर देना आवश्यक नहीं था।

5. मूल पत्र व्यवहार

आलोच्य तिमाही के दौरान मूल रूप से कुल 21307 पत्र लिखे गये जिनमें से 13338 पत्र हिन्दी में थे। अतः इस मद में हमने 62.5% का लक्ष्य प्राप्त किया है। पिछली तिमाही में इसका प्राप्त लक्ष्य 62.2% था।

मुख्य राजभाषा अधिकारी ने बैठक का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सोलापुर मण्डल पर हिन्दी का बहुत अधिक व अच्छा काम हो रहा है, इस पर उन्हें गर्व है। मूल पत्राचार का प्रतिशत भी अच्छा है। यह देखकर उन्हें विशेष खुशी हुई कि यथासंभव गाड़ियों के आरक्षण चार्ट भी हिन्दी में तैयार किये जाते हैं। सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए अधि-

कारी यदि पहल करें तो काफी काम हिन्दी में होने लगेगा। पहले चरण में सभी कागजात पर हिन्दी में हस्ताक्षर करना शुरू कर दें। दूसरे चरण में आदेश देते समय अनुमोदित, स्वीकृत, मंजूर आदि शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी में लिखकर जैसे अप्रूवल के लिए, सैंक्शन आदि किया जा सकता है। तीसरे चरण में छोटी-छोटी टिप्पणियां, वाक्यांश हिन्दी में लिखना शुरू कर दें। इससे कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी और काफी काम हिन्दी में होने लगेगा। टिप्पणियां लिखते समय बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने की पूरी छूट है। अन्त में उन्होंने सभी से अपील की कि जिन-जिन कामों में हिन्दी का आसानी से प्रयोग किया जा सकता ह वहां हमेशा हिन्दी का ही प्रयोग करें।

केन्द्रीय आयकर प्रभार, लुधियाना

लुधियाना केन्द्रीय प्रभार राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 23/3/1988 को केन्द्रीय राजस्व भवन में श्री आर. के. मलहोत्रा आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) लुधियाना की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

समिति को बताया गया कि लुधियाना स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/बैंकों/निगमों इत्यादि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप लुधियाना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के नाते आयकर आयुक्त महोदय को राजभाशा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशंसा पत्र और राजभाषा ट्राफी प्रदान की गई है। सभी सदस्यों ने इस पर अध्यक्ष महोदय को बधाई दी।

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने केन्द्रीय प्रभार लुधियाना के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों की 31-12-87 को समाप्य प्रगति रिपोर्टों में दर्शाए गए पत्राचार की स्थिति से सदस्यों को अवगत करवाया।

	कुल भेजे पत्र	हिन्दी में भेजे पत्र	प्रतिशत 30-9-87	प्रतिशत 31-12-87
1. आयकर आयुक्त (के) कार्यालय	2074	635	30.4	30.6
2. नि.स. आ.आ. (के)रे.—I लुधियाना	1496	325	19.5	21.7
3. नि.स.आ.आ. (के)रे.—II लुधियाना	1351	300	18.9	22.2
4. नि०स०आ०आ० (के) अमृतसर	797	174	22.3	21.8
5. आ. अधि. के. मं. जालन्धर	865	115	21.0	13.2
6. आ०अधि०के०मं०पटियाला	571	107	7.3	18.7
7. आ. अधि. के. मं. करनाल	569	195	21.4	34.2
8. आ. अधि. के. मं. चडीगढ़	393	86	16.3	21.8
9. आ. अधिश्व के. मं. श्रीनगर	— रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। —			

अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिन्दी में किए जा रहे कार्य पर संतोष व्यक्त किया। तथापि उन्होंने निदेश दिया कि आयकर अधिकारी जालन्धर को हिन्दी में और अधिक कार्य करने के लिए कहा जाए।

2. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा

समिति को सूचित किया गया कि:—

(1) केन्द्रीय प्रभार के सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे वर्ष 1987-88 के लिए गोपनीय रिपोर्टें लिखते समय उन कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों में प्रशंसात्मक टिप्पणियां लिखें जिन्होंने अपना अधिकांश कार्य हिन्दी में किया है।

(2) आयकर आयुक्त कार्यालय द्वारा जनवरी 1986 में शुरू किए गए विभागीय हिन्दी टाईपिंग प्रशिक्षण केन्द्र में अब तक 23 कर्मचारियों को हिन्दी टाईपिंग में प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 13 कर्मचारी आयकर विभाग के और 10 कर्मचारी अन्य विभागों के हैं।

3. वार्षिक कार्यक्रम

वर्ष 1988-89 के लिए राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम वही लक्ष्य दिए गए हैं जो कि वर्ष 1987-88 के लिए रखे गए थे। अध्यक्ष महोदय के निदेश अनुसार इस कार्यक्रम की बैठक में पढ़कर सुनाया गया।

पश्चिमी रेलवे चित्तौड़गढ़ परियोजना, कोटा

दिनांक 12 मई, 1988 को कार्यान्वयन समिति (स. व. नि.) कोटा के राजभाषा अध्यक्ष एवं उपमुख्य इन्जीनियर (के. सी. पी.) कोटा श्री जे. एल. माथुर ने बैठक के आरम्भ में सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की अध्यक्षता की तथा सदस्यों की अत्याधिक उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की।

पिछली बैठक के निर्णयों/सिफारिशों पर की गई कार्यवाही कार्यवाही की रपट पर विचार:—अध्यक्ष एवं उपमुख्य इंजीनियर ने जोर दिया कि अधिकारी जब अपने निरीक्षण पर जाएं तो हिन्दी के प्रयोग का भी जायजा लें। इस तिमाही में अधिकारियों ने हिन्दी सहायक को साथ में लेकर निरीक्षण किए हैं। लेकिन इस ओर अधिक प्रयास की आवश्यकता है। पूर्व में हिन्दी कार्यशालाएं मं. कार्यालय के साथ चलाने का निर्णय लिया था वह सम्पन्न हो चुकी है।

हिन्दी के प्रयोग के संबंध में पिछली तिमाही की प्रगति रपट पर विचार :—वर्तमान में उपमुख्य इंजीनियर (के सी पी) कोटा के कार्यालय में मूल पत्र व्यवहार 87.8 प्रतिशत रहा है जबकि पिछली बार 87 प्रतिशत रहा था। उपयुख्य इन्जी. (स. व. नि.) कोटा के कार्यालय में वर्तमान में और गत तिमाही में 100 प्रतिशत रहा है इसी तरह व. ले. अधि. (नि.) कोटा के यहां पिछली एवं वर्तमान में 100 प्रतिशत रहा है। मं. सं. एवं दूर संचार इन्जी. (सूक्ष्म तंरग) एवं उपमुख्य संकेत एवं दूर संचार इन्जीनियर (नि.) के कार्यालय में वर्तमान तिमाही एवं पिछली तिमाही दोनों में लक्ष्य से काफी नीचे रहा। जिस पर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं।

अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रागामी प्रयोग की तिमाही प्रगति की समीक्षा :—अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी का काय प्रशंसनीय है। सभी कार्यालयों में पास, पी. टी. ओ. हिन्दी में बनाए जा रहे हैं। रजिस्टर हिन्दी में भरे जा रहे हैं। निर्माण निरीक्षक एवं रेल पथ निरीक्षक अपनी डायरियां हिन्दी में भरने लगे हैं। पत्राचार, मूल पत्राचार, धारा 3(3) में हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है जो कि उत्तरोत्तर विकासोन्मुख है।

हिन्दी/हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि का प्रशिक्षण

(क) हिन्दी भाषा :—इस समय सभी अधिकारी—32 एवं कर्मचारी 324 प्रशिक्षित हैं।

(ख) हिन्दी टाइपिंग:—यूनिट से संबंधित कार्यालयों में कुल 10 टाइपिस्ट हैं जिनमें से 4 को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 6 में से 2 को इस वर्ष जुलाई में परीक्षा में बैठाया जा रहा है। तत्पश्चात 4 को भी आगामी परीक्षा में बैठने को कहा जायेगा।

(ग) हिन्दी आशुलिपि;—यूनिट में कुल 5 आशुलिपिक कार्यरत हैं। जो कि सभी अप्रशिक्षित हैं। अतः इन को मण्डल कार्यालय में चलाई जा रही प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत भेजा जा रहा है। अभी बीच में कक्षाएं बन्द होने की वजह से वे स्वयं तैयारी कर रहे हैं ताकि परीक्षा पास कर सकें। हिन्दी में प्रशिक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी, टाइपिस्ट हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं।

पास/पी. टी. ओ./रजिस्टर/डायरियों/फाइलों आदि में हिन्दी प्रयोग की स्थिति:—केवल दक्षिण भारत के स्टेशनों को छोड़कर शेष सभी के लिए पास/पी. टी. ओ. हिन्दी में ही बनाए जा रहे हैं। डायरियों एवं रजिस्टर तथा फाइलों पर नोटिंग आदि हिन्दी में ही किया जा रहा है।

आरेखों/ड्राइंग चार्टों आदि में हिन्दी प्रयोग की स्थिति :—समस्त आरेखों ड्राइंग आदि में हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है।

नामित अनुभागों में हिन्दी के शतप्रतिशत प्रयोग तथा अधिसूचित कार्यालयों में नियम 8(4) का अनुपालन इस यूनिट से संबंधित सभी कार्यालयों में स्थापना अनुभाग का हिन्दी में शतप्रतिशत कार्य करने के लिए नामित किया गया है तथा वहां पर कार्यान्वयन का पालन भी किया जा रहा है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ पत्र व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग :—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार का पत्राचार हिन्दी में ही किया जा रहा है।

अनुशासनात्मक कार्यवाई में हिन्दी प्रयोग की स्थिति :—इस विषय में अधिकांश कार्य हिन्दी में किया जा रहा है फिर भी इसे और अधिक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड

कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 18वीं बैठक डा के. के. एस. चौहान, प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 2-5-1988 को आयोजित की गई।

सर्वश्री डा. एस. एन. पांडे, महाप्रबन्धक (विपणन), एच. सी. मल्होत्रा, महाप्रबन्धक (का. एवं प्र.) वाई. पी पासी, सलाहकार और टी. सी. परमेश्वरन उप-प्रबन्धक (का. एवं प्रशा.) विपणन, विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में बैठक में उपस्थित हुए।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 14 जनवरी, 1988 की 17वीं बैठक की पुष्टि की गई। समिति ने पिछली तिमाही के दौरान हुई प्रगति की सराहना की और सुझाव दिया

कि जिन राज्य कार्यालयों से कृषि संबंधी तकनीकी पुस्तकों की सूची प्राप्त नहीं हुई है उनसे सूची भेजने के लिए अनुरोध किया जाए।

निदेशक (राजभाषा) डा. महेशचन्द्र गुप्त ने बताया कि उनके पास भी पुस्तकों की एक ऐसी सूची उपलब्धी है और यह सूची वहां से भी मंगवा ली जाए। पंजाब कार्यालय, पंत नगर विश्वविद्यालय तथा निदेशक राजभाषा) से प्राप्त सूचियों के आधार पर कार्यालय से सम्बद्ध पुस्तकों की व्यवस्था कर ली जाए। यह सूची महाप्रबन्धक (विपणन) एवं सं. महाप्रबन्धक (विपणन) के विचारार्थ प्रस्तुत की जाए।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि हमें हिंन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। इसके लिए हमें किसी शब्द विशेष के लिए अंग्रेजी शब्दकोश देखने की आवश्यकता नहीं है बल्कि तकनीकी शब्दों को ज्यों का त्यों देवनागरी लिपि में लिख देना चाहिए। सुझाव दिया गया कि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को नोटिंग और पत्र लिखने में हिंन्दी के प्रयोग के लिए जानकारी दी जाए तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने-अपने विभाग में मूल पत्राचार व टिप्पणी आदि हिंन्दी में लिखें।

निर्णय लिया गया कि सभी हिंन्दी भाषी प्रांतों में स्थित राज्य विपणन कार्यालयों में एक-एक देवनागरी टाइपराइटर और एक-एक द्विभाषी टाइपिस्ट की नियुक्ति के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

निर्णय लिया गया कि हिंन्दी भाषी प्रांतों में स्थित सभी राज्य विपणन कार्यालयों में हिंन्दी संबंधी कार्यों की प्रगति देखने के लिए राज्य विपणन प्रबंधक अथवा कनिष्ठ प्रबंधक (का. एवं प्रशा.) को इसका भार सौंपा जाए। प्रबंध निदेशक ने आदेश दिया कि समस्त राज्य विपणन कार्यालयों को अपनी हिंन्दी संबंधी प्रगति रिपोर्ट तिमाही के प्रथम सप्ताह में ही सुनिश्चित रूप से भेज देनी चाहिए।

निर्णय लिया कि हिंन्दी अनुभाग के लिए एक द्विभाषी इलक्ट्रोनिक टाइपराइटर की व्यवस्था की जाए। निदेशक (राजभाषा) ने सुझाव दिया कि नेटवर्क का टाइपराइटर खरीदा जाए। क्योंकि यह अच्छा काम करता है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने अपनी सहमति व्यक्त की।

समिति ने सुझाव दिया कि विपणन कार्यालयों में हिंन्दी की प्रगति की समीक्षा के लिए मासिक बैठकों में अन्य मदों के साथ-साथ हिंन्दी के प्रगामी प्रयोग पर भी चर्चा की जाए और हिंन्दी अधिकारी को इन बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा जाए। राज्य विपणन कार्यालय अपनी प्रगति दर्शन वाली रिपोर्ट में राजभाषा हिंन्दी की प्रगति का भी उल्लेख अवश्य करें। समिति ने पुनः सुझाव दिया कि हिंन्दी भाषी राज्यों में स्थित सभी विपणन कार्यालयों को सलाह दी जाए कि वे अपने क्षेत्र की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता तुरंत ग्रहण करें और उनकी कार्रवाईयों से मुख्यालय को अवगत कराएं।

हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा

समिति ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया। निदेशक (राजभाषा) डॉ. गुप्त ने बताया कि कार्यालय से जारी किए जाने वाले पत्रों की संख्या का तिमाही प्रगति रिपोर्ट के उल्लेख न होने से हिंन्दी की प्रगति का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। निर्णय लिया गया कि प्रबंधक (का. एवं. प्रशा.) प्रेषण अनुभाग से जारी होने वाले पत्रों की संख्या निर्धारित करने के लिए उचित कार्रवाई करें।

हिन्दी टाइपिंग और स्टैनोग्राफी के प्रशिक्षण की प्रगति

अध्यक्ष महोदय का कहना था कि कार्यालय के सभी अंग्रेजी टाइपिस्टों और स्टनोग्राफरों को दो वर्ष की अवधि में हिंन्दी टाइपिंग और स्टनोग्राफी की परीक्षा पास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

आगामी तिमाही में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सुझाव

श्री एन. के. गौड ने समिति को बताया कि हमारे यहां नियुक्ति पत्र द्विभाषी जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं, परीक्षाओं में द्विभाषी प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए। समिति ने इस पर संतोष व्यक्त किया और सुझाव दिया कि भरती, पदोन्नति आदि तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्मिक कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट में इस बात की भी सूचना दी जाए कि कितनी फाइलें और रजिस्टर केवल हिंदी में रखे जा रहे हैं।

कार्यालय की आंतरिक बैठकों की कार्यसूची तथा बैठकों की कार्यवाही हिंदी में जारी करने के प्रयास किए जायें।

सभी ड्राईवरों को निर्देश दिया जाएं कि वह अपनी लॉग-बुक हिंदी में ही भरें।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि 11.5.88 को होने वाली वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राजभाषा नियमों की जानकारी देने के लिए राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के सचिव, या सयुक्त सचिव को आमंत्रित किया जाए।

भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली

ब्यूरो में दिनांक 28-3-1988 को होने वाली बैठक के विवरण तथा महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय शाखा कार्यालयों में हिन्दी प्रशिक्षण संबंधी अद्यतन रोस्टर तैयार करना – मुख्यालय और शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों का रोस्टर तैयार हो चुका है। मुख्यालय में केवल 8 अधिकारी/कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है। इन अधिकारियों ने पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण पाने के लिए फार्म भरे हैं। दो अधिकारी जो प्राज्ञ का प्रशिक्षण लेंगे उन्हें एमएमटीसी के हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र में जाने का निदेश दिया गया है।

हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपिक का प्रशिक्षण

समिति को बताया कि इस समय मुख्यालय में हिन्दी आशुलिपिक और हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण चल रहा है जिसमें 12 आशुलिपिक और 13 टाइपिस्ट प्रशिक्षण पा रहे हैं। पिछले सत्र के 12 टाइपिंग प्रशिक्षार्थियों ने और हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन 5 हिन्दी आशुलिपिकों ने परीक्षा दी है। तथा केन्द्रीय प्रयोगशाला के एक जूनियर आशुलिपिक ने सीजीओ काम्पलेक्स लोदी रोड से गहन प्रशिक्षण के अधीन हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास की है।

2. भारतीय मानकों का अनुवाद

हिन्दी में प्रकाशित भारतीय मानकों की 31 दिसम्बर 1987 को समेकित रिपोर्ट।

चुने गए कुल मानक—347

अनूदित कुल मानक—252

अनुमोदित कुल मानक—130

प्रेस में भेजे गए कुल मानक—34

3. हिन्दी मानक मसौदा तैयार करने की मार्गदर्शिका— समिति को बताया गया कि पिछले दिनों विभाग में एक दम स्टाफ की कमी हो जाने के कारण इस पर कार्यवाही कुछ धीमी रही। मार्गदर्शिका का दूसरा भाग जिसे अलग से तैयार किया जाना है कार्रवाई की जा रही है और दूसरे भाग की प्रेस प्रति बनाई जा रही है।

4. मानकों की बिक्री– समिति को बताया गया कि हिंदी में प्रकाशित मानकों की सूची विज्ञान प्रगति, और राजभाषा भारती पत्रिकाओं में प्रकाशित की गई हैं और अब इस संबंध में खेती पत्रिका के लिये विशेष लेख सामग्री जुटाई जा रही है। हिन्दी में मानकों की बिक्री के लिए पम्पलैट तैयार कर लिया गया है और प्रकाशन विभाग को प्रकाशित करने के लिये भेज दिया गया है। जब ब्यूरो के क्षेत्रीय सम्मेलन/गोष्ठियां होंगी तो उनमें एक व्याख्यान राजभाषा नीति और भा मा ब्यूरो की हिन्दी गतिविधियों पर शामिल करने पर कार्रवाई की जा सकेगी।

अनुबन्ध—3

5. भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में 31-12-87 को हिन्दी के प्रगामी प्रयोग सम्बन्धी स्थिति

'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के अधीन आने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार के कार्यालय और 'क' क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों आदि को हिन्दी में पत्र भेजने में हुई प्रगति का विवरण

(30 सितम्बर—31 दिसम्बर 87 को समाप्त तिमाही की तुलनात्मक स्थिति)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	'क' व 'ख' क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों और 'क' क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों आदि को जारी किए गए पत्रों की संख्या					
		कुल		हिन्दी में		अंग्रेजी में	
		सित. 87	दिस. 87	सित. 87	दिस. 87	सित. 87	दिस. 87
'क' क्षेत्र							
1.	मुख्यालय नई दिल्ली	161375	139876	36625	34979	124649	104907
2.	भोपाल	35	शून्य	35	शून्य	—	शून्य
3.	जयपुर	2965	2253	390	540	2575	1713
4.	कानपुर	2916	2930	209	74	2707	2856
5.	पटना *	2234	*	—	*	2196	*
6.	केन्द्रीय प्रयोगशाला साहिबाबाद		शून्य		शून्य		शून्य
'ख' क्षेत्र							
7.	प० क्षेत्र बम्बई	—	6198	—	67	—	6131
8.	उ०क्षेत्र चंडीगढ़	—	2235	—	35	—	2200
9.	अहमदाबाद	280	3344	8	8	272	3366

*रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई

राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियां

अर्थव्यवस्था, विज्ञान, शोध और प्रौद्योगिकी से भाषा के सरोकार की तलाश

भिलाई की 15 प्रोफेशनल बाडीज (यथा इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैटल्स, इंजीनियर्स फोरम, इंस्टीट्यूशन आफ फाउन्ड्रीमैन, कम्प्यूटर सोसायटी आफ इंडिया, इंडियन सिरेमिक सोसायटी, इंस्टीट्यूट आफ मैटेरियल्स हैंडलिंग, इंस्टीट्यूट आफ कैमिकल इंजीनियर्स, इंडियन सोसायटी आफ ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेंट, इंडियन कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंसी, भिलई मैनेजमेंट असोसिएशन, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पर्सोनेल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट आफ मैटेरियल मैनेजमेंट, इंडियन मैडिकल एसोसिएशन भिलई, फैडरेशन आफ आब्स्ट्रेट्रिक्स एण्ड गायनाकोलाजी सोसायटी आफ इंडिया के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र के हिन्दी अनुभाग ने 23 मई, 1988 को इस्पात भवन के सभागार में "निर्माण तकनीक के विकास" पर एक सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में निर्माण तकनीकी के विभिन्न पहलुओं को स्पर्श करते हुए 6 आलेख पढ़े गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सभी आलेख राजभाषा हिन्दी में थे और पूरे कार्यक्रम का संचालन भी हिन्दी में किया गया था। इस तरह भिलाई में एक तकनीकी विषय पर राजभाषा हिन्दी में आयोजित यह अपने ढंग का पहला सेमिनार था। इस सेमिनार में प्रोफेशनल बाडीज के प्रतिनिधियों के अलावा मैकन, एच एस सी एल तथा संयंत्र के अनेक आमंत्रित अतिथि उपस्थित थे।

श्री योगेन्द्र कुमार रस्तोगी, अधीक्षक (ई.डी.पी.) का आलेख "निर्माण तकनीकी के विकास में कम्प्यूटर का योगदान" विषय पर था। कम्प्यूटर की सहायता से विकसित की गई पर्ट, पी.सी.एम., क्रांतिक पथ आदि विधियों द्वारा परियोजना की प्रगति का सभी पहलुओं से सतत मूल्यांकन होते रहने के साथ भौतिक और वित्तीय विकास को एक दूसरे से संबंधित करने में बहुत मदद मिली है। कम्प्यूटर के उपयोग का दूसरा बड़ा लाभ उन्होंने यह बताया कि किसी भी पैरामीटर को बदलने से अन्य दूसरे पैरामीटर्स पर उसके प्रभाव का आकलन प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

श्री ओंकार सहाय, अभियांत्रिकी प्रबन्धक (मेकन) के आलेख का सार यह था कि 'औद्योगीकरण" की सफलता का मूल कारण केवल तकनीकी जानकारी ही नहीं, वरन निर्माण तकनीकी विकास का भी योगदान है।" एस.ई. आर.सी. ( ) ने अनुसंधान का विकास के तहत कई प्रयोगात्मक निर्माण को बढ़ावा दिया है। इस सन्दर्भ में उन्होंने वफल शेल्स, हाइपर बोलाइड्स, प्रीकास्ट प्रीस्ट्रेस्ड शेल्स, प्री-स्ट्रेस्ड कांक्रीट ट्रस, फोल्डेड प्लेट, लिफ्ट स्लैब कन्स्ट्रक्शन आदि के कतिपय उदाहरणों का उल्लेख किया जिनका भारत में पहली बार निर्माण किया गया है। अपने आलेख में हमारे देश में किए गए विभिन्न नौतीपूर्ण परियोजनाओं के साथ-साथ विदेशों में नवीनतम चुतकनीक से बनाई गई 7 ऐसी परियोजनाओं का उल्लेख किया

श्री त्रिलोकीनाथ क्षत्रिय, अधीक्षण अभियन्ता (निर्माण विभाग) का आलेख मुख्य रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण के दौरान निर्माण तकनीकी के विकास पर केन्द्रित था। "सिविल अभियांत्रिकी विकास" और 'स्ट्रक्चरल कार्य में तकनीक विकास" उप शीर्षकों में उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण के विभिन्न चरणों में अपनाई गई निर्माण तकनीक के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला।

श्री एच. बी. अग्रवाल, प्रबन्धक (भिलाई तकनीकी संस्थान) का आलेख विद्युत स्थापनाओं (इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन्स) के बारे में था। उन्होंने बताया कि "प्रमुखत: दो विशिष्ट कारणों से विद्युत स्थापना की पारम्परिक कार्य प्रणाली में परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। प्रथमत : देशज उपकरणों एवं उनके पुर्जों का उपयोग एवं दूसरा अधिकांश विद्युत परिपथ में तांबे की जगह अल्यूमिनियम का उपयोग"। इसके अतिरिक्त "नए-नए इलेक्ट्रानिकी सिद्धांतों के प्रयोग से पुराने एवं पारम्परिक सहायक यंत्रों का स्थान ट्रान्जिस्टर, थाइरिस्टर एवं इसी श्रेणी के अन्य उपकरणों ने लिया"।

श्री राजेन्द्र जोशी, संभागीय अभियन्ता (निर्माण विभाग) का आलेख भिलाई इस्पात संयंत्र को केन्द्र में रखकर लिखा गया था। श्री जोशी के कोक ओवन बैटरी-9 तथा धमन भट्टी-7 के निर्माण की विशेषताओं को रेखांकित किया।

श्री गंगा प्रसाद सिंह के आलेख में प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक अन्तरिक्ष युग तक निर्माण तकनीक के विकास का संक्षिप्त सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। आलेख के निष्कर्ष में उन्होंने अपनेदेश के संदर्भ में कुछ प्रश्न भी उठाए,यथा –

(1) "जब कभी हम दक्षिण कोरिया जैसे देशों से अपना तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब पाते हैं कि प्रविधि की विविधता, व्यापकता, स्वदेशीकरण आदि के बावजूद उत्पादकता और गुणवत्ता की दृष्टि से हम पीछे चल रहे हैं। इसी तरह की कई और बातें हैं जिनका समाधान निर्माण इंजीनियर को ढूंढना है"।

(2) "प्राचीन काल और मध्य युगों में हमारी स्थापत्य कला में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं, जिन पर हम सगर्व कहा करते हैं कि यह हमारे अपने देश की है। आज प्रविधि के मामले में हम अधिकतर अनुसरण ही कर रहे हैं। हम किसी ऐसी प्रविधि को सामने नहीं ला पाए हैं जो हमारे देश के नाम के साथ या उसके आविष्कर्ता इंजीनियर के नाम से अपनी अलग पहचान बनाती हो"।

(3) "यह पिछाहट तब और स्पष्ट हो जाती है जब हम यह देखते हैं कि प्रविधि संबंधी अधिकांश पुस्तकें, जिनमें निर्माण तकनीक से संबंधित पुस्तकें भी शामिल हैं, मुख्य रूप से विदेशों में लिखी हुई हैं और हम उनका आयात करके संतोष कर लेते हैं"।

प्रश्नोत्तर सत्र में कई जीवन्त प्रश्न उठाए गए। उदाहरण के लिए श्री जुगल किशोर साहू - उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक (औद्योगिक संबंध व कल्याण) का प्रश्न कि 'निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मशीनरी, सामान और कार्मिकों के विस्थापन की समस्या को किस तरह हल किया जाय'। यह सचमुच एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अलग से सेमिनार आयोजित किया जाना चाहिए।

तकनीकी एवं रचनात्मक लेखन, आई.आई.टी., कानपुर के अध्यक्ष एवं देश के सुप्रसिद्ध कथाकार श्री गिरिराज किशोर इस सेमिनार हेतु विशेष रूप से आमंत्रित थे। उन्होंने कहा कि आज हम राजभाषा हिन्दी में सेमिनार कर रहे हैं वह हिन्दी का होते हुए भी समस्त भारतीय भाषाओं की स्वायत्ता से संबंधित सेमिनार है। उन्होंने कहा कि इतिहास साक्षी है कि हम सत्ता अथवा राजाओं के साथ जुड़ते आए हैं, संवेदना के स्तर पर नहीं। आज भी विज्ञान सत्तामूलक या प्रतिष्ठानमूलक अधिक है। उन्होंने टिप्पणी दी कि "हम भारतीय भाषा से हटकर किसी बाहरी भाषा में वांछित ढंग से अपने को व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में भाषा अब संवेदना का विषय बनती जा रही है।" वे इस पक्ष में थे कि विज्ञान को मानवीय संवेदना के साथ जोड़ने के लिए लोगों की मातृभाषा के ही माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए।

श्री गिरिराज किशोर ने गंगाप्रसाद सिंह के आलेख में उठाए गए "भारतीय विधि" के प्रश्न को स्पर्श करते हुए कहा कि विज्ञान के भारतीयकरण को लोग "पुनरुत्थानवादी" नजरिया मानकर चलते हैं जो कि गलत है। दरअसल भाषा का प्रश्न केवल भाषा का नहीं, हमारी समूची अर्थव्यवस्था, विज्ञान, शोध और प्रौद्योगिकी का प्रश्न है। उन्होंने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित निर्माण तकनीक की जांच-परख और उनका वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि देशज दक्षता का निर्माण कार्यों के लिए भरपूर उपयोग किया जा सके। "भारतीय वास्तुशास्त्र और प्रासंगिकता" पर आधारित अपने विद्वत्तापूर्ण आलेख में उन्होंने भारतीय मनीषियों के अनेक निष्कर्षों एवं सूत्रों का उल्लेख किया।

सेमिनार का प्रारंभ "सेल" निगमित कार्यालय के वरिष्ठ प्रबन्धक (हिन्दी) श्री मनमोहन चन्द्र मिश्र के परिचय भाषण से हुआ। उन्होंने श्री गिरिराज किशोर के तकनीकी लेखन और साहित्यिक लेखन की उपलब्धियों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी सदन को दी। श्री गिरिराज किशोर द्वारा सम्पादित पुस्तक 'भाषा और प्रौद्योगिकी' का भी उन्होंने जिक्र किया जिसका विमोचन हाल ही में भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। श्री मिश्र इस सेमिनार में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

राजभाषा अधिकारी श्री मोहन अग्रवाल ने उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए इस आयोजन ले लक्ष्य के बारे में बताया। निर्माण तकनीक के विकास पर चर्चा करने के अतिरिक्त संयंत्र के हिन्दी अनुभाग द्वारा आयोजित इस सेमिनार का एक लक्ष्य यह भी था कि भिलाई की प्रोफेशनल बॉडीज अपने स्तर पर जो सेमिनार आयोजित करती हैं उनमें राजभाषा हिन्दी का प्रवेश कराने के लिए आधार तैयार किया जा सके।

श्री गोपाल कृष्ण मेहता, उप महाप्रबंधक (अनुरक्षण) ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि राजभाषा हिन्दी में तकनीकी विषयों पर आलेख प्रस्तुत करना बड़े साहस और जोखिम का काम है। इसका एक पक्ष यह भी प्रमाणित करना है कि विज्ञान, तकनीक व प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों पर हिन्दी में पूरी तौर से बहस की जा सकती है और संभवत: अधिक प्रवाहमयता के साथ भी। संयंत्र के हिन्दी अधिकारी डा. मनराखन लाल साहू ने सेमिनार का संचालन किया।

इस अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा प्रकाशित तकनीकी पुस्तक/पुस्तिकाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। विशेषकर भिलाई के हिन्दी अनुभाग द्वारा तैयार किए गए विभागीय शब्दकोश प्रमुख आकर्षण का केन्द्र रहे। इसके अतिरिक्त सुरक्षा, प्रचालन तथा प्रशिक्षण से संबंधित अनेक छोटे-बड़े प्रकाशनों ने प्रतिभागियों व अतिथियों का ध्यान आकृष्ट किया।

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की

वैज्ञानिक व्याख्यान माला

प्रस्तुति : डॉ नटवर दवे

दिनांक 18 मार्च 1988 को केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की रुड़की शाखा के रजत जयन्ती समारोह के शुभावसर पर संस्थान के निदेशक डा. भण्डारी ने परिषद् के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संस्थान के कर्मचारियों ने परिषद द्वारा आयोजित अनेक अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किये है। संस्थान द्वारा अब तक नई अखिल भारतीय स्तर की वैज्ञानिक एवं तकनीकी गोष्ठियों का आयोजन हो चुका है। डा. भण्डारी ने हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया।

संस्थान के उप निदेशक एवं परिषद शाखा के अध्यक्ष डा. नटवर दवे ने विषय परिचय कराते हुए कहा कि हिन्दी को राजभाषा बनाने का श्रेय अनेक महापुरुषों को है, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी, विशेषकर बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, सुब्रहमण्यम भारती आदि। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद का उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग कराना है। उन्होंने परिषद शाखा को 25 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला तथा भविष्य की योजनाओं का वर्णन किया।

समारोह के मुख्य अतिथि, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अतिरिक्त महा निदेशक डा. राम कृ. आयंगर ने हिन्दी में अपना भाषण दिया, जिसका उपस्थित जन समुदाय ने तालियों से स्वागत किया। उन्होंने "वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् एवं ग्रामीण भारत" विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ग्रामवासी अंग्रेजी नहीं समझते है, अतः यह जरूरी है कि उन्हें उन्हीं की भाषा में वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यों की जानकारी दी जाये, तभी अनुसंधान परिषद् का उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिन्दी हमारी राजभाषा है और ग्रामवासियों तक पहुंचने का इससे सशक्त कोई अन्य माध्यम नहीं है। डा. आयंगर ने ग्राम विकास में सी.एस.आई.आर. ने क्या किया है और क्या किया जाना चाहिए? इस पर विस्तार से बताया। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि ग्रामीणों तक सही तकनीक ही पहुंचनी चाहिए अन्यथा विज्ञान की बदनामी होती है।

रुड़की विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति डा. भरत सिंह ने परिषद के रजत जयन्ती समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में उल्लेख किया कि हिन्दी के उत्थान में अहिन्दीभाषियों का विशेष योगदान रहा है। परन्तु स्वतंत्रता के बाद वातावरण कुछ बदल सा रहा है। हिन्दी को राजभाषा बनाये जाने पर भी उसे उचित स्थान अभी नहीं मिला है। आज भी टेलीविजन पर बच्चों तक के अनेकों कार्यक्रमों में अधिकतर अंग्रेजी कायक्रम ही दिखाये जाते हैं, जबकि इस क्षेत्र में 5 प्रतिशत ही अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति होंगे।

अंत में संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक, श्री त्रिभुवन पति शर्मा ने डा. राजेन्द्र भण्डारी, डा. राम कृ. आयंगर, डा. भरत सिंह, डा. शंकर प्रसाद शर्मा, पत्रकारों एवं उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद किया।

□

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की में स्थित केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, रुड़की शाखा के रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर रजत जयन्ती वैज्ञानिक व्याख्यान श्रृंखला के अन्तर्गत 5 अप्रैल 1988 को दूसरा भाषण, समारोह के मुख्य अतिथि प्रो. दिनेश मोहन (भूतपूर्व निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की) का **"हमारी सिंचाई योजनाएं और पर्यावरण"** पर हुआ। प्रो० दिनेश मोहन भारत सरकार द्वारा गठित सिंचाई योजना के अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर उन्होंने बांध बनाने तथा उनके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का सविस्तार वर्णन किया तथा इस दिशा में अपने महत्वपूर्ण सुझावों से अवगत कराया। बांधों के बनने से पर्यावरण के प्रभावित होने पर फसलों, वन्य प्राणियों, जंगलों के विनाश, भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव तथा मनुष्यों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के फलस्वरूप आपने जहां होने वाली हानियों पर प्रकाश डाला, वहीं दूसरी ओर इनसे होने वाले लाभ का भी वर्णन किया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में संस्थान के अतिरिक्त निदेशक, श्री रमेश चन्द मंगल ने बताया कि प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरी की शिक्षा देने में मुख्य बाधा लोगों के रोजगार की है। चूंकि संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य नियोक्ता अंग्रेजी पढ़े लोगों को चाहते हैं तथा साक्षात्कार में भी अंग्रेजी माध्यम का उपयोग होता है, अतएव इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी यदि हिन्दी में पढ़ें तो उनका किस प्रकार उपयोग हो सकता है। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकारी आदेशों के द्वारा तकनीकी बैठकों का माध्यम हिन्दी रखा जाये, कार्य विवरण आदि हिन्दी में बनाने एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देने के काम हिन्दी में किये जायें। निविदायें, नक्शे आदि बनाने का काम हिन्दी परिषद द्वारा हिन्दी में करके दिखाया जा चुका है और इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई।

विषय प्रवेश के समय संस्थान के उप निदेशक, डा. नटवर दवे ने बताया कि हिन्दी इतनी समृद्ध भाषा है, उतनी शायद ही संसार की कोई अन्य भाषा हो। उपसर्गों एवं प्रत्ययों का उपयोग करके एक एक मूल से 80-85 तक शब्द बनाये जा सकते हैं, जिनके अर्थों में सूक्ष्म अन्तर हो

सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की वाहिका बनने में हिन्दी की सामर्थ्य असंदिग्ध है। हिन्दी परिषद् की रुड़की शाखा ने 1978 एवं 1984 में दो अखिल भारतीय संगोष्ठियां आयोजित कीं, जिनमें अत्यन्त गूढ़ वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों पर शोध स्तर के लेख हिन्दी माध्यम से लिखे गये और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। यह रजत जयन्ती वैज्ञानिक व्याख्यान श्रृंखला हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि के लिये आयोजित की गयी है।

अन्त में संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक, श्री त्रिभुवन पति शर्मा ने मुख्य अतिथि प्रो. दिनेश मोहन, समारोह के अध्यक्ष श्री रमेश चन्द्र मंगल, पत्रकारों एवं उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद किया।

□

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की में स्थित केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, रुड़की शाखा के रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर रजत जयन्ती वैज्ञानिक भाषण श्रृंकला के अन्तर्गत दिनांक 15 अप्रैल 1988 को तीसरा भाषण, समारोह के मुख्य अतिथि, श्री बी.पी० सिंहल, महानिदेशक (नागरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का "जीवन का उद्देश्य" विषय पर हुआ। श्री सिंहल ने अपने सारगर्भित भाषण में जीवन के उद्देश्यों पर सविस्तार प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, मनुष्य की परिभाषा क्या है, मनुष्य कौन है, पहले यह समझना आवश्यक है तथा मनुष्य की संरचना पर भी प्रकाश डालना। होगा मनुष्य को जो भी कुछ करना हो, उसे मन से करना चाहिए। आपने बताया कि जो व्यक्ति संसार में आया है, वह एक विशेष कारण से आया है तथा विशेष उद्देश्य से आया है। प्रकृति द्वारा दिये गये अधिकारों से उद्देश्य निर्मित होता है। प्रकृति ने मनुष्य को 10 अधिकार दिये हैं, जो संसार के अन्य किसी प्राणी को नहीं दिये हैं, इन अधिकारों का सविस्तार वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने विवेक पर चलना चाहिए तथा अहंकार को इसमें आड़े नहीं आने देना चाहिए, तभी व्यक्ति सन्मार्ग की ओर अग्रसर होकर उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। आपने अपने इन विचारों को वैज्ञानिक परिभाषा द्वारा ही सिद्ध करके बताया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में संस्थान के निदेशक, डा. राजेन्द्र भण्डारी ने बताया कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। जब तक हमें अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का ज्ञान नहीं होगा, हम पहुंचना कहीं चाहेंगे, परन्तु पहुंच कहीं और जायेंगे। उन्होंने श्री सिंहल के पधारने पर आभार प्रकट किया तथा उनके विचारों की सराहना की। आपने उनसे पुनः आग्रह किया कि वे भविष्य में फिर कभी समय निकाल कर संस्थान के कर्मचारियों को अपने उच्च एवं सशक्त विचारों से लाभान्वित कर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। □

लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला, नई दिल्ली

'राजभाषा हिन्दी' : एक दिवसीय संगोष्ठी

प्रस्तुतिः ज. प्र. निगम

लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला, नई दिल्ली में लघु उद्योग विकास संगठन की 'हिन्दी प्रगति योजना' के अधीन 'राजभाषा हिन्दी' विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डा. रत्नाकर पाण्डेय, सांसद (राज्य सभा) ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया और श्री मदन गुप्त, निदेशक विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली ने अध्यक्षता की। सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. प्रभाकर माचवे, भूतपूर्व सचिव, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली विशिष्ट अतिथि थे।

श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली ने संगोष्ठी में आए प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए संस्थान की हिन्दी गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय दिया। तत्पश्चात पुरस्कार वितरण समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डा. रत्नाकर पाण्डेय, सांसद (राज्य सभा) ने वर्ष 1987-88 के दौरान संस्थान में आयोजित हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को और हिन्दी कार्यशाला के प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्रों से सम्मानित किया, जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

मूल हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रोत्साहन प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार	श्री मनोज कुमार, अ.श्रे.लि.
प्रथम पुरस्कार	श्री मनोज शर्मा, अ.श्रे.लि.
द्वितीय पुरस्कार	श्रीमती कृष्णा कुमारी, उ.श्रे.लि.
द्वितीय पुरस्कार	श्रीमती ममता मरवाह, उ.श्रे.लि.
द्वितीय पुरस्कार	श्रीमती उमा रावत, उ.श्रे.लि.

सीडो की हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार श्री हुलासी राम, उ.श्रे.लि.

सान्त्वना पुरस्कार : 'क' क्षेत्र में

श्री एस.सी. कुमार, उपनिदेशक (अहिन्दी भाषी)

हिन्दी कार्यशाला प्रमाण पत्र वितरण

संस्थान में 15 फरवरी 18 फरवरी 1988 तक चार दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस में लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली और क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के कुल 26 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के प्रतिभागियों को ढ़ाने का कार्य केन्द्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली केन्द्र ने किया। प्रतियोगिता को हिन्दी कार्य शाला के प्रमाण पत्रों द्वारा सम्मानित किया गया

कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति लगाव और उनमें प्रतियोगिता की भावना पैदा करने के उद्देश्य से संस्थान में 7 सितम्बर, 1987 को हिंदी निबंध प्रतियोगिता और हिंदी वाक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इन प्रतियोगिताओं के प्रथम तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है:—

हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार: श्री एस. के. अग्रवाल
लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी

द्वितीय पुरस्कार : श्री मनोज कुमार अ०श्र०लि०

तृतीय पुरस्कार: श्री सुरेश चन्द्र शर्मा
लघु उद्योग संवर्द्धनअधिकारी

हिन्दी वाक् प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार कु. एम. जी. मेरी, आशुलिपिक

द्वितीय पुरस्कार श्री एस. पी. पांडेय, उ० श्रे० लि०

तृतीय पुरस्कार श्री गिरीश चन्दोला, अन्वेषक

पुरस्कार वितरण के बाद डॉ० रत्नाकर पांडेय ने कहा कि यह, हिन्दी के एक अकेले ट्रान्सलेटर या हिन्दी अधिकारी का जिम्मा नहीं है वह सारे कार्यालय की विविध प्रकार की नोटिंग और ड्राफ्टिंग अकेले हासिल कर ले। यह आप सबका कार्य है।

डॉ. माणिक गोविन्द चतुर्वेदी, प्रोफेसर एवं प्रभारी, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केन्द्र ने कहा कि यह गौरव का विषय है कि राजभाषा हिंदी को सार्वजनिक भाषा के रूप में सुचारित और प्रसारित करने का हमने जो संकल्प लिया था, वह धीरे-धीरे पूरा हो रहा है।

डॉ. सूरजभान सिंह, अध्यक्ष वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, आयोग, नई दिल्ली ने पारिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डाला। उन्होंने शब्द व पारिभाषिक शब्द में अन्तर, शब्दावली विकास की प्रतिक्रिया, हिंदी में तकनीकी शब्दावली निर्माणका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और शब्दावली निर्माण के मूलभूत सिद्धांत और युक्तियों पर अपने विचार प्रकट किए।

डॉ महेश चन्द्र गुप्त,, निदेशक (अनुसंधान) राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने अनेक कार्यालयों में हिंदी के व्यावहारिक प्रयोग के उदाहरण देते हुए राजभाषा हिंदी की स्थिति और भविष्य के बारे में सविस्तार प्रकाश डाला।

डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी, रीडर, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केन्द्र ने "सामाजिक संस्कृति की प्रतीक: हिंदी" विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हिंदी एक सशक्त संपन्न और समृद्ध भाषा है। यह भारत की जनभाषा है, संपर्क भाषा है और संसर्ग भाषा है।

डॉ परमानन्द पांचाल, निदेशक, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ने अपने व्याख्यान में कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के रास्ते में कोई बाधा नहीं है।

जहां तक लघु उद्योग सेवा संस्थान का संबंध है, वहां का कार्य बहुत आसान और आवश्यक भी है, क्योंकि छोटे-छोटे उद्योगों में जो लोग काम करते हैं, उनके साथ हिंदी पत्राचार करना उनके लिए अधिक हितकर होगा। यहां इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मशीनों और यंत्रों आदि के जो नाम प्रचलित हैं और आसानी से समझे जाते हैं वे चाहे अंग्रेजी में हों, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस व्यावहारिक भाषा को ही यहां के कर्मचारी आसानी से समझ सकेंगे।

अन्त में विशिष्ट अतिथि डा. प्रभाकर माचवे ने हिंदी के अपने दीर्घकालीन अनुभव से अपनी विनोदपूर्ण शैली में सबका ज्ञानवर्धन करते हुए राजभाषा हिंदी का मार्ग प्रशस्त किया।

संगोष्ठी का मंच-संचालन श्री ज. प्र. निगम, उपनिदेशक (हिंदी) ने किया और संगोष्ठी के आयोजक थे संस्थान के हिंदी अनुवादक श्री चन्द्र मोहन मधरा।

□

अखिल भारतीय बैंक राजभाषा सम्मेलन; कलकत्ता

प्रस्तुति : विजय कुमार शर्मा 'शौकी

भारत की स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 20-21 मई, 1988 को कलकत्ता में एक "अखिल भारतीय बैंक राजभाषा सम्मेलन" का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों व वित्तीय संस्था-प्रमुखों ने भाग लिया।

सम्मेलन का उद्घाटन श्री चिन्तामणि पाणिग्रही, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री तथा समापन श्री नारायण दत्त तिवारी, वित्त एवं वाणिज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा संपन्न हुआ। उदघाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रियरंजन दास मुंशी तथा समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्री आर. एन. मल्होत्रा, गर्वनर, भारतीय रिजर्व बैंक थे।

सम्मेलन का उदघाटन करते हुए श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने कहा कि हिंदी जब भारत की राजभाषा हो गई है, तो इसका प्रयोग सभी क्षेत्रों में जोर-शोर से होना चाहिए। हिंदी के साथ-साथ देश के पन्द्रह भाषाओं का विकास भी, साथ-साथ चलना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि बैंकों का काम-काज अब हिंदी में होने लगा है।

केन्द्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री श्री प्रियरंजन दास मुंशी का कहना था कि हिंदी को देश के 40% लोग बोलते हैं तथा जब यह राजभाषा के पद पर आसीन हो गयी है तो इसका विस्तार जरूरी है। संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य एवं सासद श्री विजय कुमार यादव ने कहा कि पिछले 40 वर्षों में हिंदी की प्रगति अवश्य हुई है किंतु अब हमें इस कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। संसदीय राजभाषा समिति के ही सदस्य सांसद श्री बालकवि बैरागी ने राजभाषा के प्रचार-प्रसार कार्य में तीव्रता लाने की बात कही। डा. रत्नाकर पांडेय का कहना था कि प्रश्न उठ सकता है कि यह सम्मेलन कलकत्ता में ही क्यों। जबकि भारत के भाषायी वर्गीकरण के अनुसार कलकत्ता "ग" क्षेत्र अर्थात अहिंदी भाषी क्षेत्र में आता है। उन्होंने इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि आधुनिक हिंदी के स्वरूप, निर्माण एवं प्रचार-प्रसार में बंगाल के विद्वानों की विशेष भूमिका रही है। सन 1799 ई. में मार्किस वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की तथा सदल मिश्र, लल्लू लाल जीऔर इंशा अल्ला खां जैसे विद्वानों को हिंदी का प्राध्यापक नियुक्त कर हिंदी का उच्चतर अध्ययन-अध्यापन प्रारंभ करवाया। कालांतर में नलिनीमोहन सान्याल एक बंगाली भाषी ने सर्वप्रथम हिंदी में एम. ए. की डिग्री प्राप्त की। बंगाल की धरती से ही जॉन गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। 1826 में कलकत्ता से प्रथम हिंदी का समाचार पत्र "उदन्तमार्तण्ड" निकाला। यहीं से राजाराम मोहन राय, केशव चन्द्र सेन, श्याम सुन्दर सेन, तारामहन मित्र जैसे राष्ट्र प्रेमियों ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। बंगाल की धरती से ही देवनागरी लिपि, राष्ट्रलिपि तथा हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने की पहली आवाज उठी। चतुर्दिक पुनर्जागरण के प्रथम आलोक से आलोकित बंगभूमि आधुनिक हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप, निर्माण एवं प्रचार प्रसार में भी अपनी प्रथम पहल के लिए हिंदी तथा हिन्दी भाषा-भाषियों की सहज श्रद्धा एवं कृतज्ञता पाने की अधिकारिणी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से हम राष्ट्रभाषा हिंदी के विविध आयामों पर अपनी कमियों और उपलब्धियों को खुलकर विचार-विमर्श कर सकेंगे।

समारोह की अध्यक्षता यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री के. डी. नैयर ने की। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों में हिंदी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है तथा हमारा यह प्रयास है कि बैंकों का अधिकतम काम-काज हिंदी में हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज हिंदी में कार्य करने के लिए सबसे बड़ी बात हृदय परिवर्तन करने की है।

दो दिन के सम्मेलन में भारत सरकार की राजभाषा नीति, हिन्दी शिक्षण योजना एवं राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विषयों पर आलेखों द्वारा सुक्ष्मता से विचार-विमर्श किया गया तथा इस दो दिन के सम्मेलन के निचोड़ के रूप में कुल 13 प्रस्ताव पारित किए गये जो कि इस प्रकार है:

(1) भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कार्य को बैंक अपनी वार्षिक कार्य योजना का आवश्यक अंग बनाएं।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित तथा भारतीय बैंक संघ एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग द्वारा अनुमोदित हिंदी में न्यूनतम पदों के सृजन में संबंधित सिफारिश को वर्ष 1988-89 तक हर स्तर पर लागू किया जाए।

(3) बैंकिंग उद्योग के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसार पदों की भरती पर यह प्रतिबंध है कि वे अपने कर्मचारियों की कुल संख्या का 1 प्रतिशत या 1.5 प्रतिशत से अधिक भरती नहीं कर सकते अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण राज-

भाषा नीति का समुचित अनुपालन नहीं हो पाता है। अतः सम्मेलन का यह प्रस्ताव है कि रिक्त पद भरे जाएं और ये पद उक्त फारमूला के अतिरिक्त हों।

(4) लेजर पोस्टिंग मशीनों, हिंदी और नागरी लिपि में कंप्यूटर तथा हिंदी के साफ्टवेयर का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अतः हिंदी और नागरी लिपि के साफ्टवेयर अविलंब उपलब्ध कराए जाएं। रोमन के साफ्टवेयर को द्विभाषी बनाया जाए।

(5) वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए हिंदी टाइपराइटरों की खरीद के लक्ष्य को पुरा किया जाए। यथा आवश्यक द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेजी) इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर खरीदे जाएं। हिंदी-अंग्रेजी में काम करने वाले वाले टाइपिस्ट उपलब्ध कराएं जाए ताकि टाइपराइटरों और टाइपिस्टों का अनुपात बना रहे।

(6) हिंदी में प्रवीणता प्राप्ति के लिए प्राज्ञ परीक्षा के बाद कोई सुनिश्चित कार्यक्रम निर्धारित किया जाए तथा इसके लिए बैंकों के अंतर्गत ही विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

(7) देश के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रत्येक प्रशिक्षण की पाठ्य सामग्री द्विभाषिक रूप में उपलब्ध कराई जाए। हिंदी माध्यम से चलाए जाने वाले पाठ्य-क्रमों की प्रशिक्षण सामग्री केवल हिंदी में उपलब्ध कराई जाए।

(8) भारतीय रिजर्व बैंक की प्रशिक्षण रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को अविलंब पुरी तरह से लागू किया जाए।

(9) राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हिंदी प्रशिक्षण के लक्ष्य को निर्धारित अवधि में पूरा कर लिया जाए।

(10) अंग्रेजी टाइपिस्टों को हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण देने हेतु बैंक आंतरिक व्यवस्था करें। एक माह का क्रेश कोर्स बनाएं। प्रशिक्षण के पश्चात परीक्षा की व्यवस्था राजभाषा विभाग अथवा क्षेत्रीय बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों की सहायता से की जाए।

(11) "ग" क्षेत्र की प्रत्येक शाखा तथा प्रशासनिक कार्य-लय के विभिन्न विभागों में एक या दो कर्मचारियों को एक वर्ष के भीतर हिंदी में प्रवीणता दिलाने का प्रयास किया जाए ताकि उन शाखाओं में वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा सके तथा धारा 3(3) की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य किया जा सके।

(12) कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन के समय उनकी अन्य प्रकार की उपलब्धियों के साथ-साथ राजभाषा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों का भी मूल्यांकन किया जाए।

(13) हिंदी अधिकारियों के लिए पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उसी संवर्ग में उपलब्ध कराए जाएं जिससे कि हिंदी के कार्य में लगे हुए व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में न जाएं।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए केन्द्रीय वित्त एवं वाणिज्य मंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र को आम जनता के लिए हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ, जापान एवं चीन जैसे समाजवादी देशों ने अपने यहां कंप्यूटरों का प्रयोग आज से 8 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था अतः भारत में भी नई और पुरानी प्रणाली का मिश्रित उपयोग होना चाहिए।

श्री तिवारी ने आगे कहा कि आज राष्ट्रीयकृत बैंकों की 35,000 शाखाएं देश के गांवों में अपनी सेवाएं प्रदान कर ही हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि देश के सुदूर गांवों में अपना प्रसार करें। उनका कहना था कि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में जो भूमिका बैंक अदा कर सकते है वे कोई अन्य नहीं कर सकता। क्योंकि अपने देश की भाषा में जो काम हो सकता है वे एक विदेशी भाषा में कदापि नहीं। इससे देश की एकता एवं अखंडता को बल मिलेगा। दिन प्रतिदिन कार्य में हिंदी के प्रयोग के लिए ट्रेड यनियन के नेताओं का भी सहयोग लेना चाहिए तथा हिंदी को प्रेम और प्यार से आगे बढ़ाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर श्री आर. एन. मल्होत्रा ने कहा कि सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व है जो इतने विशाल पैमाने पर पहली बार संभव हुआ है। हिंदी के प्रचार-प्रसार में बैंक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं तथा अपनी ओर से भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग का आश्वासन दिया। डा. रत्नाकर पांडेय, सम्मेलन के मानद अध्यक्ष का कहना था कि पश्चिम बंगाल की महान भूमि पर यज्ञ हो रहा है।

राजभाषा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जिसका उदघाटन केन्द्रीय वाणिज्य राज्यमंत्री श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने किया। उत्कृष्ट प्रदर्शनी हेतु राजभाषा शील्ड एवं अन्य श्रेष्ठता प्रमाण पत्र के पुरस्कार भी रखे गए। □

बैंक आफ् बड़ौदा वाराणसी में राजभाषा गोष्ठी

बैंक ऑफ बड़ौदा एवं केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में रामकटोरा (लहराबीर) शाखा परिसर में राजभाषा गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी की अध्यक्षता क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अनिरुद्ध पांडेय ने की।

शाखा प्रबंधक श्री राजकुमर मेहरा ने कहा कि यह हमारा संवैधानिक कर्त्तव्य है कि अधिकतम कार्य हिंदी में करें। विषय की स्थापना करते हुए प्रबंधक श्री नरेन्द्र नाथ मिश्र ने कहा राजभाषा प्रयोग में कुछ समस्याएं आती हैं, उनका हल ढूंढना आसान है, परन्तु कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो राजभाषा प्रयोग के पहले ही आ जाती हैं, जैसे अंग्रेजी की मानसिकता। आज आवश्यकता है इस गुलामी की मानसिकता बदलने की, तभी राजभाषा का सुचारु प्रयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

जीवन बीमा निगम, वाराणसी के श्री जगदीश नारायण राय ने कहा कि राजभाषा प्रयोग की समस्याएं हमें अपने आप में ढूंढनी हैं, और इसका निवारण हर व्यक्ति को करना है; तभी राजभाषा स्थापित हो सकेगी।

बैंक आफ बड़ौदा, सुलतानपुर के मुख्य प्रबंधक श्री निरंजन कुमार दूबे ने कहा कि हमें विदेशी भाषा के मोह से मुक्त होकर यह व्रत लेना चाहिये कि हम अपने सभी संभव कार्य हिंदी में करेंगे, यही समस्या का निवारण है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब हिंदी का प्रयोग न करने पर दंड का प्रावधान बना दिया जायगा।

श्री कृष्ण तिवारी ने कहा कि जब तक हमारी अपनी एक भाषा नहीं होगी, तब तक हम एकता कायम नहीं कर सकते।

वाराणसी पत्रकार संघ के महामंत्री श्री राजेंद्र दुबे ने कहा कि यदि हमें हिंदी में कार्य करना है तो कथनी और करनी का अन्तर हटाना ही होगा। इस गोष्ठी की सार्थकता तभी होगी जब यहां मौजूद सभी लोग संकल्प लें कि हम अपने सभी कार्य आज से हिंदी में ही करेंगे। उन्होंने कहा कि खेद की बात है कि आज भी हमारी कोई पहचान नहीं है, अपनी कोई भाषा नहीं है।

अन्य वक्ताओं में श्री वी. एन. झा, प्रबंधक (राजभाषा), मुहम्मद मिनहाजुद्दीन सिद्दीकी तथा हरिमोहन शाह आदि प्रमुख थे।

मुख्य अतिथि शिक्षाशास्त्री सुश्री डा. सरोजिनी वार्ष्णेय ने कहा कि अधिकर जनसंख्या द्वारा बोले जाने के कारण ही हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, अतः कोई कारण नहीं कि हम अने दैनिक क्रियाकलापों में हिंदी का प्रयोग न कर सकें। बैंक जनसाधारण का कार्य करती है, अतः वहां सभी कार्य हिंदी में ही होना चाहिये। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले अंग्रेजी माध्यम से नवोदित विद्यालयों पर रोक लगानी चाहिए।

अध्यक्ष क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी राजभाषा के प्रति अपूर्व निष्ठा रखते हैं। हमें विश्वास है कि निकट भविष्य में हमारे क्षेत्र में शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में होने लगेगा।

पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली

राजभाषा अधिकारी सामूहिक सम्मेलन, 1988

प्रस्तुति : महेन्द्र कुमार शर्मा

राजभाषा नीति के अनुपालन की समीक्षा करने तथा कार्य-योजना बनाने के उद्देश्य से पंजाब नेशनल बैंक वर्ष 1982 से नियमित रूप से राजभाषा अधिकारी सम्मेलन आयोजित करता आ रहा है। वर्ष 1987 से मार्च अथवा अप्रैल में राजभाषा से सम्बद्ध सभी अधिकारियों का सामूहिक सम्मेलन आयोजित करने की परिपाटी आरम्भ की गई है।

वर्ष 1988 का राजभाषा अधिकारी सामूहिक सम्मेलन 4 से 6 अप्रैल, 1988 तक अंचल प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें राजभाषा कार्य से सम्बद्ध लगभग 90 अधिकारियों ने भाग लिया। श्री आर.वी. शास्त्री, उप महाप्रबन्धक ने सभी उपस्थित राजभाषा अधिकारियों / प्रबन्धकों का स्वागत किया। महाप्रबन्धक श्री इन्द्रभान बंसल ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

श्री बंसल ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि वर्ष 1987 बैंक के लिए बहुत ही अच्छा रहा है और बैंक ने, राजभाषा सहित, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसकी मान्यता स्वरूप बैंक को वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 12 पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्होंने सभी अधिकारियों का आह्वान किया कि वे राजभाषा के प्रयोग में सक्रिय सहयोग दें

तत्पश्चात् श्री शम्भुदयाल, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने अधिकारियों द्वारा उठाए गए अनेक प्रश्नों का समाधान किया। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की प्रशंसा करते हुए कहा कि कुछ बैंक ऐसे हैं जो समस्याओं का स्वयं समाधान खोज लेते हैं और कुछ बैंक ऐसे हैं जो समस्याओं को राजभाषा विभाग अथवा बैंकिंग प्रभाग को भेज देते हैं। उनके अनुसार पंजाब नेशनल बैंक पहली कोटि के बैंकों में आता है जो हिन्दी के प्रयोग में आने वाली समस्याओं का अपने ही स्तर पर निदान कर लेता है। श्री दयाल ने वर्ष 1988-89 के लिए राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को प्रमुख मदों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पंजाब नेशनल बैंक में इस कार्यक्रम पर अभी इसी सम्मेलन में विचार कर लिया गया है।

श्री जगदीश सेठ, उप निदेशक (राजभाषा), बैंकिंग प्रभाग ने संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण तथा

तिमाही रिपोर्ट के प्रोफार्मे में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में चर्चा की तथा डा. के.के. गुप्ता ने "संशोधित देवनागरी व हिन्दी की मानक वर्तनी" विषय पर व्याख्यान दिया।

सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया :—

- ☐ पिछले सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों पर की गई कारवाई की समीक्षा।
- ☐ 1987 की प्रगति की पुर्णरूपेण समीक्षा।
- ☐ 1988-89 का वार्षिक कार्यक्रम।
- ☐ संशोधित देवनागरी व हिन्दी की मानक वर्तनी।
- ☐ नए राजभाषा अधिकारियों द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में प्रगति का प्रस्तुतीकरण।

सम्मेलन के समापन सत्र में उप महाप्रबन्धक श्री आर. वी. शास्त्री ने सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर लिए गए निर्णयों की समीक्षा की और समस्याओं तथा दिए गए सुझावों पर विचार किया। श्री शास्त्री ने कहा कि राजभाषा अधिकारियों को अधिक से अधिक शाखाओं में जाकर कार्य की समीक्षा करनी चाहिए और हिन्दी में कार्य करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी 1988-89 के वार्षिक कार्यक्रम का अच्छी तरह अध्ययन करके अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उस पर विचार करें।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर

मंडल कार्यालय जोधपुर में राजभाषा संगोष्ठी

दिनांक 8-6-88 को राजभाषा अधिनियम, 1963 की रजत जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय "राष्ट्रीय लक्ष्य की सिद्धि में राजभाषा हिन्दी ही सहायक हो सकती है" पर जोधपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ उपाचार्य, सह उपाचार्य व हिन्दी विभाग के डा. महेन्द्र कुमार जैन, डा. मदनराज मेहता, डा. नन्दलाल कल्ला, डा. कृष्णा मनोत व मोहनलाल पुरोहित आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी विद्वानों का एक ही मत था कि राष्ट्र के निर्माण व समृद्धि में भावात्मकव एकता की प्रबल आवश्यकता है यह भावात्मक एकता हिन्दी की प्रतिष्ठा द्वारा ही संभव हो सकती है। जिसकी सामाजिक आवश्यकता है। हिन्दी ही सारे देश की सर्वमान्य व एकमात्र भाषा है जो न केवल हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापिस दिलाकर हमें विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकती है। हिन्दी विश्व की सभी भाषाओं में सरल व वैज्ञानिक भाषा है।

बैंक के सहायक महाप्रबन्धक, गौरीशंकर दास ने अतिथियों का स्वागत किया। क्षेत्रीय प्रबन्धक, महाबीरसिंह ने धन्यवाद ज्ञापित व हस्तीमल जैन ने संगोष्ठी का संयोजन किया।

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र कल्पाक्कम (तमिलनाडु) में तकनीकी संगोष्ठी हिन्दी माध्यम में

इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में "हिन्दी के प्रगामी प्रयोग: नाभिकीय शक्ति के विकास" पर इस तरह की पहली एक दिवसीय बैठक का आयोजन 18 अप्रैल, 1988 को किया गया था। इस बैठक का आयोजन कल्पाक्कम स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की सभी इकायोंइों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा किया गया। इस बैठक का उद्घाटन इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक श्री सी.वी. सुन्दरम के द्वारा किया गया। इस अवसर की स्मृति में निकाली गई स्मारिका का विमोचन मद्रास परमाणु बिजली घर के मुख्य अधीक्षक श्री वी. रंगराजन ने किया। नई दिल्ली स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग शाखा सचिवालय के निदेशक श्री शैलेन्द्र पाण्डेय ने समारोह की अध्यक्षता की। न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई निदेशक (संचालन) श्री के. एस. एन. मूर्ति मुख्य अतिथि थे। कल्पाक्कम स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग के विभिन्न इकाइयों से करीब 150 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। दो तकनीकी सत्रों में आयोजित बैठक के दौरान कुल 24 लेख प्रस्तुत किये गये।

बैठक में संपूर्ण नाभिकीय ईंधन चक्र को समाविष्ट करते हुए नाभिकीय शक्ति के विकास पर प्रकाश डाला गया। बैठक की विलक्षणता यह थी कि तकनीकी स्वभाव के होते हुए पूरे लेख हिन्दी में तैयार की गई गया। बखक की विलक्षयता यह थी कि नकनीकी स्लाइडों की सहायता से हिन्दी में प्रस्तुत किए गए। सदस्यों के बीच उत्पन्न अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग भी की गई। ☐

हिंदी के बढ़ते चरण

संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन द्वारा हिन्दी के विकास, प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में उपलब्धियां 1987-88

1. भारत सरकार के मंत्रालय/विभागों या राज्यों, संघ शासित प्रदेशों अथवा भारत सरकार के उपक्रमों, प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त हिन्दी पत्रों के जवाब एवं अन्य उपायों के तहत हिन्दी में ही दिए जाते हैं।

2. हिन्दी भाषी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों एवं भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा भारत सरकार के उपक्रमों आदि के साथ 10 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में ही प्रशासन के हिन्दी अनुभाग द्वारा किया जाता है।

3. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन करते हुए लगभग सभी अधिसूचनाएं, संकल्प, प्रैस नोट, सामान्य आदेश, भर्ती नियम आदि अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में एक साथ वर्ष 1982 से 1985 तक जारी किये जा रहे हैं । इस समय प्रशासन ने एक सरकारी मुद्रणालय सिलवासा में स्थापित किया है । परन्तु मुद्रणालय में हिन्दी जानने वाला स्टाफ नहीं है । इस कारण यहां पर सरकारी राजपत्र केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित किये जा रहे हैं, हिन्दी में नहीं।

4. प्रशासन की ओर से जारी किये जाने वाले सभी निमंत्रण पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये जाते हैं ।

5. प्रशासन ने सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पहचान पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में जारी किये गए हैं ।

6. फार्म द्विभाषिक रूप में जारी करना

1. भविष्य निधि अग्रिम फाम;

2. साइकिल पेशगी अग्रिम फार्म;

3. दिपावली महोत्सव अग्रिम फार्म;

4. अर्जित अवकाश के आवेदन पत्र फार्म आदि को द्विभाषिक हिन्दी एवं अंग्रेजी में छपवा कर जारी किया गया है ।

5. प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों जैसे ड्राइवर, पुलिस रक्षक दल एवं वन रक्षक दल, उत्पाद शुल्क विभाग के दल अथवा चिकित्सा विभाग के टैक्नीकल स्टाफ आदि के चैस्ट नाम पट हिन्दी में बनवाये गये हैं । और कैप बैज, शोलडर बैज आदि पुलिस कन्स्टेबल, फोरेस्ट गार्ड, एक्साईज कन्स्टेबल एवं ड्राईवरों के चैस्ट पर लगाये जाने वाले बिल्ले आदि स्टील के आकार में हिन्दी भाषा में ही बनवाये गये हैं ।

6. प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के टे नाम पट्ट एवं कार्यालयों के साईन बोर्ड आदि को द्विभा हिन्दी एवं अंग्रेजी अथवा गुजराती में बनवाया गया है

7. प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों की रबड़ म एवं अधिकारियों की राऊन्ड शील्ड आदि को हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में बनवा लिया गया है ।

8. प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी के कार्य में प्रगति लाने हेतु 50 शेट हिन्दी साहित्य की पुस्तकें केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, दिल्ली से खरीद कर दिये गये हैं ।

(7) फाईलों पर हिन्दी टिप्पण

हिन्दी में काम करने वाले इच्छुक प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सहायक साहित्य उपलब्ध कराया गया है, ताकि हिन्दी लिखते समय उनको कोई कठिनाई न हो । इसके अतिरिक्त हिन्दी अनुभाग भी हिन्दी में टिप्पणी और मसौदा लिखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हर-संभव सहायता के लिये सदा तत्पर रहता है ।

(8) हिन्दी शिक्षण योजना

प्रशासन ने हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982 से 1987 तक जिन लिपिकीय वर्ग को हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि में प्रशिक्षित किया है ।

हिन्दी टंकण	हिन्दी आशुलिपि
80	7

उपरोक्त सभी कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा हिन्दी टंकण की परीक्षा पास करने पर एक वर्ष हेतु एक वेतन वृद्धि मंजूर की गई ।

9. हिन्दी सप्ताह का आयोजन

प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया जाता है । उस सप्ताह के अन्तर्गत प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी एवं लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी नीचे लिखी निम्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं ।

(1) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, (2) हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, (3) हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, (4) हिन्दी वाक प्रतियोगिता, (5) हिन्दी कविता प्रतियोगिता, (6) सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता, और (7) हिन्दी एकांकी प्रतियोगिता ।

10. प्रत्येक शुक्रवार को आपसी बातचीत हिन्दी में

प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक शुक्रवार को सभी कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में आपसी बातचीत हिन्दी में करें और उस दिन कार्य भी हिन्दी में किया जाये।

11. हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

प्रशासन द्वारा हिन्दी के विकास एवं प्रचार व प्रसार को अधिक बढ़ावा देने हेतु अथवा कर्मचारियों को फाइलों पर हिन्दी में टिप्पण एवं प्रारूप लेखन की झिझक को दूर करने हेतु प्रत्येक वर्ष प्रशासन द्वारा दो हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है । जिसमें नीचे लिखी कार्यशालाओं का विवरण इस प्रकार है ।

1. कर्मचारी वर्ग	6-1-86 से 10-1-86	48 तृतीय श्रेणी
2. कर्मचारी वर्ग	16-6-86 से 20-6-86	46 ,, ,,
3. अधिकारी वर्ग	21-4-87 से 25-4-87	47 अधिकारी
4. कर्मचारी वर्ग	1-2-88 से 5-2-88	18 कर्मचारी

उपरोक्त अधिकारियों एवं लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को कार्यशालाओं के समापन समारोह में माननीय समाहर्ता के द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाते हैं ।

12. शील्ड योजना

राजभाषा विभाग की शील्ड योजना के अन्तर्गत ही प्रशासन ने भी एक चल शील्ड योजना वर्ष 1986 से प्रारम्भ की है । प्रशासन का कोई भी अधीनस्थ कार्यालय जो वर्ष भर में सरकारी कामकाज के लिये सब से अधिक पत्राचार का प्रयोग करेगा । उस कार्यालय को चल शील्ड दी जाती है । और द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में आने वाले विभाग को स्टील कप ट्रोफी आदि हिन्दी दिवस के दिन समाहर्ता द्वारा प्रदान की जाती है ।

1. सांख्यिकीय विभाग--प्रथम--चल शील्ड दादरा एवं नगर हवेली सिलवासा		
2. पुलिस विभाग दादरा नगर हवेली सिलवासा	द्वितीय	ट्रोफी
3. पशु पालन एवं संवर्धन विभाग दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा	तृतीय	स्टील कप

13. हिन्दी टाईप मशीनों की व्यवस्था

प्रशासन ने अपनी सभी अधीनस्थ कार्यालयों के लिये 15 हिन्दी टाइप मशीन खरीद कर वितरित की है । जिनमें से पांच हिन्दी टाईप मशीन हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिये जाने में प्रयोग किये जा रहे हैं।

हिन्दी टाईप मशीन--15

प्रशासन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक तीन मास के बाद नियमित हुआ करती है । उन बैठकों के दौरान प्रशासन द्वारा की गई हिन्दी प्रगति की रिपोर्ट अध्यक्ष के समक्ष रखी जाती है और उसका समाधान निकाला जाता है । और उसे सम्पूर्ण प्रशासन में कार्यान्वीत कराने हेतु प्रयत्न किये जाते हैं । यह जो भी हिन्दी प्रगति हुई है वह राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के बाद ही हुई हैं ।

14. हिन्दी के कार्यान्वयन हेतु कार्यालयों का निरीक्षण हेतु निरीक्षण समिति का वर्ष 1986 में गठन

1. परियोजना निदेशक--अध्यक्ष
2. सतर्कता अधिकारी--उप-अध्यक्ष
3. दन्त चिकित्सक--सचिव
4. तीन सदस्य कर्मचारी--सदस्य

निरीक्षण समिति प्रत्येक मास के अंतिम सप्ताह में विभिन्न विभागों का निरीक्षण करती है कि उनके विभागों में हिन्दी के विकास हेतु क्या-क्या प्रगति की है और उन विभागों को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिये गये अध्यक्ष द्वारा निर्णयों का कहा तक अमलीकरण किया जा रहा है । निरीक्षण समिति उन विभागों को हिन्दी के विकास हेतु बढ़ावा देने और उनके द्वारा किये गये कार्यों पर उन्हें प्रोत्साहित एवं सही मार्गदर्शन भी देती है । अतः अपनी जांच रिपोर्ट प्रत्येक तीन मास के बाद होने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करती है । यह काफी सफल सिद्ध भी हुई है।

आर्डनैन्स फैक्टरी, भण्डारा (महाराष्ट्र) में हिन्दी के बढ़ते चरण

1. पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग

एक परिपत्र संख्या: रा.भा./वा.स/19/भं.फै. दिनांक 24-11-87 जारी करके सभी अनुभाग प्रमुखों/अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे हिन्दी सप्ताह के दौरान सभी पत्रों/पत्राचारों पर हिन्दी में ही हस्ताक्षर करें और हिन्दी में ही अपनी टिप्पणियां लिखें, सभी परिपत्र, आदेश, नोटिस/सूचना, हाजिरी और छुट्टियों से सम्बन्धित पत्राचार (कॉरसपांडेंस) हिन्दी में ही करें। इतना ही नहीं उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे जहां तक सम्भव हो सभी कार्य हिन्दी में ही करें और अपने अधीन कार्य करने वाले अन्य लोगों को भी हिन्दी में कार्य करने के लिए उत्साहित करें। इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए पूरा-पूरा प्रयास किया गया और अधिकतम कार्य हिन्दी में किया गया।

2. राजभाषा प्रदर्शनी का आयोजन

प्रशिक्षण अनुभाग के व्याख्यान कक्ष में एक छोटी सी राजभाषा प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में हिन्दी में प्रकाशित कार्यालयीन विषयों से सम्बन्धित पुस्तकों, शब्दावलियों, पत्रिकाओं, द्विभाषी यांत्रिक इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जानकारी से सम्बन्धित चार्टों, कार्यालयों में प्रयोग होनेवाले नोटिंग चार्टों हिन्दी में हुए या हो रहे कामकाज के नमूनों, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प 1968 तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए राजभाषा नीति से सम्बन्धित अनुदेशों, हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी सीखने पर मिलने वाले विभिन्न पुरस्कारों/प्रोत्साहनों से सम्बन्धित पोस्टरों/चार्टों आदि का प्रदर्शन किया गया। इससे हिन्दी में काम करने वाले लोगों को हिन्दी में उपलब्ध सुविधाओं का पता चल सका।

3. हिन्दी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की कक्षाओं का गठन

हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत चलने वाली हिन्दी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ की कक्षाओं का गठन किया गया। ये कक्षाए दिनांक 20-01-88 से आरम्भ की गई और अब नियमित रूप से कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

4. हिन्दी संगोष्ठि का आयोजन

2.1 हिन्दी सप्ताह "21-12-87 से 26-12-87" के प्रथम दिन प्रशिक्षण अनुभाग के व्याख्यान कक्ष में एक हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सगोष्ठी में आर्डनैन्स फैक्टरी भण्डारा और सम्बद्ध संस्थापनों में "हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विशेष उपाय" विषय पर विचार विमर्श किया गया। डॉ वी.एन. सिंह, उप महा प्रबन्धक श्री ए.के. गांगुली, कार्यशाला प्रबन्धक, श्री डी. आर. महाजन, अध्यापक और श्री आर.बी. पाण्डे, हिन्दी अनुवादक एवं अनुभाग प्रमुख/राजभाषा ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। उनके विचार बहुमूल्य एवं उपयोगी रहे। उपस्थित जन समुदाय ने राजभाषा हिन्दी के उपयोग की आवश्यकता को अनुभव किया और आशा बंधाई कि वे राजभाषा हिन्दी को कामकाज की भाषा बनाने में पूरा-पूरा योगदान देंगे। डॉ वी.एन. सिंह ने भी लोगों को आवश्वासन दिया कि वे हिन्दी के प्रयोग में आने वाली उनकी हर कठिनाइयों को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। तदनन्तर राजभाषा प्रतियोगिता आरम्भ की गई।

5. राजभाषा प्रतियोगिता का श्रीगणेश

इस निर्माणी और सम्बद्ध संस्थापनों में हिन्दी के प्रति और अधिक उत्साह बढ़ाने तथा हर क्षेत्र में राजभाषा का उपयोग बढ़ाने के लिए आर्डनेंस फैक्टरी भण्डारा में 21 दिसम्बर, से 26 दिसम्बर, 1987 तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:—

क. हिन्दी कविता पाठ, ख. हिन्दी निबन्ध लेखन, ग. हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, घ. हिन्दी नारा, च. वैयक्तिक पुरस्कार, छ. चल वैजयन्ती विजयश्री (रोलिंग ट्राफी), ज. पारिभाषिक शब्दावली, झ. हिन्दी टंकण और ट. हिन्दी वाद विवाद प्रतियोगिता।

हिन्दी कविता पाठ, हिन्दी निबन्ध लेखन और हिन्दी वाद विवाद प्रतियोगिताएं हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी दोनों ही प्रतियोगियों के लिए आयोजित की गई।

इस प्रकार विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में उपर्युक्त सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगियों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। हिन्दी में किए जाने वाले हर कार्य के लिए उचित प्रोत्साहन दिया गया। समारोह में उपस्थित श्रोतागणों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की।

6. वैयक्तिक पुरस्कार प्रतियोगिता और चल वैजयंती विजयश्री (रोलिंग-ट्राफी) प्रतियोगिता के अलावा अन्य प्रतियोगिताओं में सम्बद्ध संस्थापनों के कर्मचारियों/अधिकारियों ने भी भाग लिया। प्रतियोगिताएं प्रशिक्षण अनुभाग के व्याख्यान कक्ष में सम्पन्न की गई। दिनांक 21-12-87 को हिन्दी कविता पाठ 22-12-87 को हिन्दी निबन्ध लेखन, 23-12-87 को हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, हिन्दी नारा, वैयक्तिक पुरस्कार और चल वैजयन्ती विजयश्री (रोलिंग-ट्राफी) 24-12-87 को पारिभाषिक शब्दावली व हिन्दी टंकण और 26-12-87 को हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता के समय प्रशिक्षण अनुभाग का व्याख्यान कक्ष दर्शकों से खचाखच भरा था। दर्शकों ने प्रतियोगियों के उत्साह-वर्धन के लिए आनन्द विभोर होकर करतल ध्वनियों द्वारा उनका स्वागत किया। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद पुरस्कारों की घोषणा की गई। हर प्रतियोगिता के हर वर्गों के लिए चार-चार पुरस्कार रखे गए। इस प्रकार 60.00 रु., 40.00 रु., 30.00 रु. और सांत्वना पुरस्कार के रूप में हिन्दी पुस्तकों, के कुल 45 पुरस्कार घोषित किए गए।

कार्यान्वयन समिति श्री बी.एम. लाल, उप महाप्रबन्धक एवं सचिव राजभाषा कार्यान्वयन समिति डॉ. वी.एन. सिंह और इस निर्माणी तथा सम्बद्ध संस्थापनों के लगभग सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। "क" वर्ग के विद्वानों ने "भारतीय विविधता में एकता की झलक" और "ख" वर्ग के विद्वानों ने "राष्ट्रीय एकता में त्योहारों का महत्व" विषय पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए। कविता पाठ में रुचि रखने वाले गायकों ने अपने सुमधुर कंठ से कविता गाकर सारे वातावरण को संगीतमय बना दिया। तदनन्तर प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू किया गया।

मुख्य अतिथि श्री एम.एल. दत्त, महा प्रबन्धक ने अपने भाषण में कहा कि हमें अपने रोजमर्रा के कार्यों में हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह हमें एकता के सूत्र में बांधती है और एक दूसरे को समझने में मदद करती है। उन्होंने हिन्दी सप्ताह मनाए जाने के मकसदों एवं उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि "हिन्दी सप्ताह समारोह में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर जो उत्साह आप सब ने दिखाया है उससे मुझे पूर्ण आशा है कि आप सब राजभाषा हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार में आगे भी पूर्ण योगदान देते रहेंगे"। "उन्होंने डॉ.वी.एन. सिंह, उप महाप्रबन्धक, श्री आर.बी. पाण्डे हिन्दी अनुवादक एवं अनुभाग प्रमुख/राजभाषा तथा उनके सहयोगियों द्वारा हिन्दी के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए किए गए कार्यों एवं प्रयासों की सराहना की।

डॉ. वी.एन. सिंह, उप महाप्रबन्धक एवं सचिव रा. भा.का.सं. ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और लोगों को राजभाषा हिन्दी की प्रगति से अवगत कराया।

हिन्दी वार्षिक समारोह, 1987–88 का आयोजन

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 1988 के दिन एक भव्य वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। महाप्रबन्धक ने अपने भाषण हिन्दी में दिए। विविधता में एकता स्थापित करने वाली राजभाषा हिन्दी में दिया गया भाषण लोगों ने बड़े उत्साह एवं चाव से सुना। समारोह में इस निर्माणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के अलावा सम्बद्ध संस्थापनों के कर्मचारी/अधिकारी भी उपस्थित थे। समारोह में उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिन्हें पुरस्कार दिया जाना था। इसके अलावा एक भारी तादाद में, जिसमें फैक्टरी एवं सम्बद्ध संस्थापनों के अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित थे, उपस्थित होकर लोगों ने समारोह की शोभा बढ़ाई।

इस समारोह में पुरस्कार वितरित किए गए। पुरस्कार को वितरित करने से सम्बन्धित एवं अन्य सभी घोषणाएं हिन्दी में की गईं।

चल वैजयंती विजयश्री (रोलिंग ट्राफी) प्रदान करना

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आर्डनेन्स फैक्टरी भण्डारा ने यह निर्णय लिया था कि जो अनुभाग वर्ष, 1986-87 के दौरान अपना सर्वाधिक कार्य हिन्दी में किए हैं, उन्हें हिन्दी समारोह 1987-88 के पावन पर्व पर "चल वैजयंती विजयश्री" प्रदान की जाये। समिति के निर्णय का स्वागत करते हुए वर्ष, 1986-87 की यह विजय चिन्ह इस निर्माणी के "अग्निशमन सेवा अनुभाग" (फायर ब्रिगेड सेक्शन) को प्रदान किया गया। गणतन्त्र दिवस/वार्षिक समारोह 1987-88 के पावन पर्व पर इस विजय चिन्ह को अपने कर कमलों द्वारा अग्निशमन सेवा अनुभाग को प्रदान करते हुए महाप्रबन्धक महोदय ने अपनी शुभ कामनाएं व्यक्त कीं कि अन्य अनुभाग भी इस विजय चिन्ह को प्राप्त करने के लिए समर्थ हों।

इंडियन आयल कार्पोरेशन और राजभाषा हिन्दी

प्रस्तुति : के.प्रसाद

इंडियन आयल कारपोरेशन भारत का एक बहुत बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। जिसके कार्यालय और इकाईयां देश के कोने-कोने में फैली हुई हैं। इसका पत्रव्यवहार अपने कार्यालयों, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों के अलावा देशभर में फैले डोलरवर्ग और जनता के साथ भी काफी मात्रा में होता है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार हमारे यहां न केवल राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में निर्दिष्ट दस्तावेज द्विभाषिक रूप में जारी किये जा रहे हैं, बल्कि मूल पत्राचार में भी हिंदी का प्रयोग जारी है और विशेष प्रयासों द्वारा—जिसमें हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भी शामिल है—हिंदी पत्रव्यवार की मात्रा बढ़ाई जा रही है।

हिंदी में मूल पत्रव्यवहार बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कारपोरेशन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रयोग किये जा रहे मानकपत्र काफी बड़ी संख्या में द्विभाषिक रूप में तैयार किये जा चुके हैं। इनमें से कुछ सामान्य किस्म के मानिक-पत्रों को हमने संग्रह "हिंदी पत्राचार गाईड" नामक पुस्तक में तैयार किया है जिनका पर्याप्त प्रयोग "क" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालय/इकाईयां कर रही हैं।

राजभाषा नीति के क्रियान्वयन को सक्रिय बनाने की दृष्टि से भारत सरकार गृह मंत्रालय का मार्गदर्शन और देख रेख में निरंतर जारी है। हिंदी विभाग इस संबंध में नीति-निर्माण और कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है तथा समय-समय पर आवश्यक आदेश/निर्देश निकालती है। इसी तारतम्य में "हिंदी कार्यान्वयन संबंधी आदेशों का सारसंग्रह" नामक पुस्तक जांच बिंदु हेतु तैयार की गई है। हिंदी के प्रयोग में प्रतिस्पर्धा जागृत करने के लिये एवं श्रेष्ठ कार्य करने वाली इकाई को डायरेक्टर-मारकेटिंग की ट्राफी व प्रमाण-पत्र की वार्षिक योजना कार्यरत है।

इंडियन आयल कारपो. उत्तरी क्षेत्र और हिन्दी का प्रयोग

नियमित स्तर पर हमारे मुख्य महाप्रबंधक व चीफ पर-सनल मैनेजर, कारपो. में भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने हेतु विशेष रुचि लेते हैं। हिंदी कार्यान्वयन हेतु वार्षिक-कार्यक्रम तैयार किया जाता है।

प्रत्येक कार्यालय इकाई स्तर पर एक अत्यन्त प्रभावी "हिंदी कार्यान्वयन समिति" कार्यरत है। यह समिति स्थानप्रमुख की अध्यक्षता में कार्य करती है व प्रत्येक सैक्शन के इंचार्ज इसके सदस्य होते हैं। स्थानप्रमुख अध्यक्ष की हैसियत से समिति की तिमाही बैठक करता है जिसमें हिंदी कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है तथा इस बैठक का कार्यवृत्त अलग से अंकित किया जाता है। "तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट" अलग से प्रत्येक इकाई सचिव—हिंदी कार्यान्वयन समिति को भेजती है।

हिंदी के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये व दफ्तरी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कारपोरेशन ने "हिंदी शब्दावली" नामक पुस्तक छपाकर उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त कई तकनीकी पुस्तकें व शब्दकोष भी उपलब्ध हैं।

कारपो. की गृहपत्रिका "इंडियन आयल समाचार" तथा "गृह समाचार" हिंदी में प्रकाशित होते हैं। कर्मचारियों व अधिकारियों की हिंदी संबंधी प्रतिभा को निखारने में इन पत्रिकाओं का बहुत अच्छा योगदान है।

प्रशिक्षण—हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में जितने भी प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किये जाते हैं उनमें हिंदी माध्यम से ही प्रशिक्षण दिया जाता है।

सुरक्षा-सप्ताह—गत दिवस दिनांक 13 से 18 अप्रैल 87 को सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है जिसके तहत जितना भी कार्य हुआ वह हिंदी में किया गया यथा—"सुरक्षाक्विज", "सुरक्षा परिपत्र", "सुरक्षा-फिल्म", "सुरक्षा पर पर्चे", उद्घोष, "सुरक्षा विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता" आदि।

राज भाषा समितियों द्वारा इकाई की हिन्दी प्रगति का वार्षिक निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति व पेट्रोलियम मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति प्रत्येक इकाई की वार्षिक निरीक्षण/समीक्षा करता हैं

प्रचार सामग्री : राजभाषा सूत्र वाक्यों के लिए हिन्दी में पोस्टर जारी किये गये हैं। डायरी व कैलेंडर हिन्दी में छपाये जाते हैं।

राजभाषा नियमों का पालन तथा मूल पत्राचार

पूरा पालन किया जाता है इसके अतिरिक्त :—

1. मूल पत्राचार अधिकाधिक हिंदी में किया जा रहा है। अनुस्मारक अनिवार्य रूप से हिंदी में जारी किया जाता है।

2. हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिया जाता है।

3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत जारी कागजात दोनों भाषाओं में जारी किये जाते हैं।

4. लिफाफों पर पते हिंदी में लिखे जाते हैं।

5. सभी कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने की छूट है। हिंदी में प्राप्त उनके आवेदनों/अभिवेदनों आदि पर हिंदी में कार्यवाही की जाती है।

6 साईनबोर्ड, नामपट्ट, सूचनापट्ट, रबर की मोहर, स्टेशनरी की मदें, दस्तावेज, प्रचार सामग्री, द्विभाषिक रूप में या केवल हिंदी में उपलब्ध है/तैयार की गई हैं।

7. इसके अतिरिक्त उपस्थित-पंजिका में सारे कर्मचारियों व अधिकारियों के नाम हिंदी में अंकित और वे अनिवार्य रूप से हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं।

8. सभी फाईलों, फोल्डरों, रजिस्टरों पर उनके विषय के नाम द्विभाषी लिखे गये हैं तथा इंडियन आयल लोगों (मोनोग्राम) केवल हिंदी में हैं और वही मान्य हैं।

9. हमारे स्टोरेज टैंकों व टैंकरों पर इंडियन आयल शब्द हिंदी में अनिवार्य रूप से लिखा जाता है।

10. इंडियन आयल के सारे पेट्रोल पम्पों पर उनके उत्पाद का नाम अर्थात पेट्रोल व डीजल अनिवार्य रूप से हिंदी में लिखा जाता है तथा डीलरों व वितरकों द्वारा जारी कैशमीमों केवल हिंदी में या द्विभाषी होते हैं।

11. पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ सारा पत्र व्यवहार अनिवार्य रूप से केवल हिंदी में किया जाता है।

12. फायर फाईटिंग चार्ट तथा आपरेशनल निर्देश हिंदी में साईनबोर्ड पर लिखे हुये हैं, जिन्हें सारे कर्मचारियों को समय-समय पर हिंदी में समझाया जाता है।

13. सुरक्षा के दृष्टिकोण से दीपावली पर हिंदी में जनता से अपील नामक पर्चे निकाले जाते हैं जिन्हें डिपों के इर्दगिर्द जनता में बंटवाया जाता है।

कार्पोरेशन बैंक, आंचलिक कार्यालय बम्बई में हिन्दी के बढ़ते चरण

प्रस्तुति : जयन्ती प्रसाद नौटियाल

कार्पोरेशन बैंक (प्रधान कार्यालय मंगलूर) के आंचलिक कार्यालय बंबई में राजभाषा कार्यान्वयन को बड़ी तेजी से लागू किया जा रहा है। अंचल के अन्तर्गत राजभाषा कार्यान्वयन संक्षेप में निम्नवत् प्रस्तुत है :—

संघ की राजभाषा नीति हेतु वर्ष 1986-87 के वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

पत्राचार में हिन्दी का उपयोग: हिन्दी पत्रलेखन (पत्राचार) आरंभ कर दिया है। यद्यपि प्रगति जरा धीमी जरूर है पर पूर्ण रूप से स्थायी है। सितम्बर 87 की तिमाही के अन्त तक हिन्दी पत्राचार 1% से बढ़ाकर 29% कर लिया गया है।

यह भी उल्लेख योग्य हैं कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जाते हैं। हिन्दी में लिखे या हस्ताक्षरित चैकों/दस्तावेजों को किसी औपचारिकता के बिना ही स्वीकार किए जाते हैं।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग: राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967) के उपबन्ध 3(3) के अधीन कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों का उपयोग अनिवार्य है। उक्त व्यवस्था का पूरी तरह अनुपालन हो रहा है। निम्नलिखित मदों को द्विभाषिक करवा लिया गया है:—

1. मैन्युवल तथा कोडों व अन्य प्रक्रियागत साहित्य को हिन्दी व अंग्रेजी में मुद्रित करवा लिया है।
2. समस्त फार्म तथा रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषिक रूप में छपवा लिए हैं।
3. सभी नामपट्ट, साइनबोर्ड, पत्रशीर्ष, लिफाफों का मुद्रण तथा लेखन सामग्री की अन्य मदों को भी हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपवा लिया है।
4. रबड़ की समस्त मुहरें द्विभाषिक हैं।

2. हिन्दी पुस्तकों की खरीद: आंचलिक कार्यालय द्वारा हिन्दी पुस्तकों की खरीद हेतु स्वीकृत राशि का पूण उपयोग किया गया।

3. जांच बिन्दुओं की स्थापना: जांच हिन्दुओं की स्थापना की जा चुकी है। राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में ये बहुत प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं।

4. पासबुक में प्रविष्टियां: बंबई से बाहर की शाखाओं ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन आनेवाले ग्राहकों की पासबुकों में हिन्दी में प्रविष्टियां करना आरंभ कर दिया है।

5. अनुवाद: समस्त मैन्युअल द्विभाषिक करवा लिए गए हैं।

6. संदभ साहित्य/सहायक साहित्य: आंचलिक कार्यालय के राजभाषा कक्ष ने निम्नलिखित संदर्भ साहित्य/सहायक साहित्य तैयार किया :—

क. कार्यशाला सामग्री

ख. हिन्दी दिवस स्मारिका

ग. बैंकिंग उन्मुख हिन्दी दिग्दर्शिका

घ. विभाग नाम शब्दावली

च. कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र बंबई हेतु हिन्दी सामान्य बैंकिंग सामग्री

छ. हिन्दी सम्पर्क अधिकारियों/सहायकों हेतु राजभाषा कार्यान्वयन पर विशिष्ट सामग्री, आंचलिक कार्यालय के कर्मचारियों के लिए एक हिन्दी समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भी मंगाई जाती है।

7. हिन्दी पुस्तकालय: कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान में वृद्धि करने हेतु हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना की गई है जिसमें बैंकिंग एवं सामान्य रूचि की उच्चस्तरीय पुस्तकें विद्यमान हैं।

8. तार के पतों का देवनागरी लिपि में पंजीकरण: डाक तार विभाग के पास अपने बैंक के तार के पतों का देवनागरी लिपि में पंजीकरण करवा लिया गया है।

9. हिन्दी में सामान्य बैंकिंग प्रशिक्षण: आंचलिक कार्यालय के राजभाषा कक्ष ने एवं कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र बंबई ने वर्ष 1986 में "परिचय" पाठ्यक्रम (उप-कर्मचारियों हेतु सामान्य बैंकिंग प्रशिक्षण) पूर्णतः हिन्दी में आयोजित किया।

2054 HA/88—15

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड : नई दिल्ली मुख्य कार्यालय

राजभाषा कार्यान्वयन : कार्यक्रम, प्रयास और प्रगति

एस टी सी के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को आरम्भ करने और बढ़ाने के प्रयासों का सूत्रपात सन् 1976 में किया गया। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए, प्रोत्साहन योजनाएं बनाई गई और अन्य आकर्षक कार्यक्रम किए गए। इन सबकी संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत है :—

1. हिन्दी भाषा, हिन्दी स्टेनोग्राफी और हिन्दी टाइपिंग सीखने की सुविधाएं—मुख्य तथा शाखा कार्यालयों आगरा, कोचीन, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, गांधीधाम और बंगलूर में उपलब्ध कराई गई हैं।

2. मुख्य कार्यालय में हिन्दी का ज्ञान सभी को है और राजभाषा नियम 10(2) के अंतर्गत इसे राजपत्र में अधिसूचित करा दिया गया है। हिन्दी आशुलिपि और टंकण के प्रशिक्षण अब तक क्रमशः 50 और 40 कर्मचारियों को दिए जा चुके हैं।

3. अपने काम-काज में 6 महीनों के दौरान हिन्दी के शब्दों की एक निश्चित संख्या पूरी कर लेने पर 250/- रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रत्येक भाषा वर्ग के लिए शब्दों की संख्या भिन्न है।

4. इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी स्टेनोग्राफी और टाइपिंग का काम करने पर क्रमशः 50 रुपये और 30 रुपये मासिक दिए जाते हैं।

5. वर्ष के श्रेष्ठ हिन्दी कार्यकर्ताओं को 500/- रुपये के विशेष पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

6. वर्ष में दो बार हिन्दी स्टेनोग्राफी और टाइपिंग भी क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति पर प्रवीणता परीक्षाएं होती हैं, जिनमें उत्तीर्ण हो जाने पर एक वर्ष के लिए 1/2 वेतन वृद्धियां दी जाती हैं। इस प्रकार तीन बार लगातार वेतन वृद्धियां प्राप्त कर लेने पर वे स्थायी तौर पर मिल जाती हैं।

7. इस समय मुख्य कार्यालय में देवनागरी के 21 टाइपराइटर हैं। सभी प्रमुख शाखाओं में भी देवनागरी के एक-एक टाइपराइटर हैं।

8. अपने काम को हिन्दी में करने का प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य तथा शाखा कार्यालयों में 5–15 दिन तक की हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अब तक मुख्य कार्यालय में 18, आगरा में 6, बम्बई में 7, कलकत्ता में 3, कोचीन में 3, मद्रास में 3 और गांधीधाम में 1 कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है।

9. अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देते रहने के लिए हर वर्ष राजभाषा संगोष्ठी/सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब तक ऐसे 5 संगोष्ठियों का आयोजन किया जा चुका है।

10. राजभाषा सप्ताह की परिकल्पना का श्रेय हमारे बेंगलूर शाखा कार्यालय को जाता है जिसने आज से 9 साल पहले इसे आरंभ किया था। बाद में ये कार्यक्रम हमारे सभी कार्यालयों में वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है और अब तो यह भारत सरकार के अनेक कार्यालयों में हो रहा है। इसके अन्तर्गत हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे—निबंध लेखन, भाषण, वाद-विवाद, नोटिंग-ड्राफ्टिंग, हिन्दी भाषा और साहित्य ज्ञान, कविता पाठ आदि आयोजित की जाती हैं। अहिन्दी भाषी कार्यालयों जैसे—कलकत्ता, मद्रास, कोचीन और बेंगलूर में कर्मचारियों के बच्चों के लिए दो-दो प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं।

11. वर्ष 1987 में एक ओर शुरुआत की गई, हिन्दी में चैक तैयार करने की। अभी लगभग 25% चैक हिन्दी में तैयार किए जा रहे हैं। इस वर्ष यह प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

12. भर्ती तथा पदोन्नति की परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प 1987 से दे दिया गया है। नये आए स्टेनो और टाइपिस्टों को प्रोबेशन की अवधि में हिन्दी स्टेनोग्राफी/टाइपिंग सीखनी अनिवार्य कर दी गई है।

13. विदेशों में 16 कार्यालय हैं। उनके साईनबोर्ड, नेम-प्लेट स्थानीय/अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी में भी बनवाकर भिजवाई गई हैं।

14. देश और विदेशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में एसटीसी भाग लेता ही रहता है। इनमें प्रचार सामग्री/पैनल आदि हिन्दी में भी रहते हैं। कुछ विदेशी प्रदर्शनियों में भी हिन्दी का सीमित प्रयोग रहता है।

15. एसटीसी की त्रैमासिक गृह-पत्रिका "एसटीसी समाचार" का प्रकाशन पिछले तीन वर्षों से चल रहा है जिसके हिन्दी और अंग्रेजी के दो स्वतंत्र खण्ड होते हैं। इसमें संक्षिप्त समाचारों के अलावा कर्मचारियों द्वारा लिखी हिन्दी और अंग्रेजी की रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। 1987 से हिन्दी खण्ड को पहले ले आया गया है।

16. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन मुख्य कार्यालय में लगभग शत-प्रतिशत हो रहा है। कमी इसमें यह रह जाती है कि विदेशों के साथ किए गए करार/संविदाएं द्विभाषी रूप में नहीं हो पाती हैं। फिर भी उनके अनुवाद बाद में कराकर रखने की व्यवस्था की गई है।

17. पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। इस वर्ष अर्थात् 1988 में रोजाना औसत 6 पत्र हिन्दी में लिखे जा रहे हैं। ये हिन्दी में प्राप्त पत्रों के हिन्दी में दिए गए उत्तरों के अलावा होते हैं।

18. सर्विस बुक में प्रविष्टियां हिन्दी में की जा रही हैं, वेतन-निर्धारण के आदेश, सतर्कता सूचना, ग्रेड-1 के साथ पत्राचार केवल हिन्दी में किया जा रहा है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वर्ष 1987 के दौरान हिन्दी के बढ़ते कदम

राजभाषा अधिनियम 1963 के अधीन बनाए गए राजभाषा नियम-1976 के उपबन्धों को सरकारी कामकाज में कारगर ढंग से लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था :—

महानिदेशालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु एक हिन्दी अधिकारी, एक हिन्दी अनुवादक ग्रेड-1 एक हिन्दी अनुवादक ग्रेड-2 तथा 3 हिन्दी टाइपिस्ट की व्यवस्था है। पांचों पुलिस महानिरीक्षक कार्यालयों (नई दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, शिलांग और चंडीगढ़), आंतरिक सुरक्षा अकादमी, माउंट आबू तथा 18 ग्रुप केन्द्रों में एक-एक हिन्दी अनुवादक ग्रेड-2 की व्यवस्था है।

2. पत्र व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग (राजभाषा नियम—3, 4,5 और 7) :—

महानिदेशालय का अधिकतर पत्र-व्यवहार गृह मंत्रालय और इसके विभागों तथा विभिन्न राज्यों में स्थित अपने अधीनस्थ यूनिटों के साथ होता है। "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित राज्यों और संघ शासित सरकार तथा वहां की जनता के साथ इस बल का पत्र व्यवहार यद्यपि बहुत ही कम होता है, फिर भी अधिकांश पत्र हिन्दी में ही भेजने का प्रयास किया गया है। हिन्दी पत्रों के उत्तर 100% हिन्दी में जारी किए गए तथा "क" और "ख", क्षेत्रों में स्थित अपने अधीनस्थ कार्यालयों के साथ भी पिछली तिमाही में हिन्दी में पत्र व्यवहार की मात्रा में वृद्धि हुई है। कुछ पत्रों का जवाब सिगनल से भेजना पड़ा जो अंग्रेजी में ही भेजे गए थे, क्यों कि सिगनल प्रणाली अभी अंग्रेजी में ही है।

3. राजभाषा अधिनियम – 1963 (नियम—6) के अनुभाग 3 (3) :—

राजभाषा अधिनियम-1963 की धारा 3(3) के अधीन सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प, परिपत्र, संविदा, संसद को प्रस्तुत कागजात तथा प्रेस को जाने वाली सभी सामग्री दोनों भाषाओं (हिन्दी अंग्रेजी) में साथ-साथ जारी करना आवश्यक है। इस मुख्यालय में एक वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक है जो कार्यान्वयन, प्रशिक्षण साहित्य एवं शाखाओं के करीब 37% सामान्य आदेशों का हिन्दी अनुवाद कर पाते हैं। शेष काम द्विभाषी जारी करने के लिए 4 हिन्दी अनुवादक के पद सृजित करने का मामला अगस्त, 1983 से सरकार के विचाराधीन है।

4. राजभाषा नियम—1976 के नियम 10(4) को लागू करना :—

के.रि.पु. बल में छोटे-बड़े सभी कार्यालय कुल मिलाकर 138 हैं। अधिकतर यूनिटों में 80% से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। अब तक 127 यूनिटों को जिनमें 80% से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, गजट में अधिसूचित किया जा चुका है। महानिदेशालय को दिनांक 6-7-79 से गजट में अधिसूचित किया जा चुका है, शेष यूनिटों को अधिसूचित करने के लिए पुनः समीक्षा की जा रही है।

5. प्रशिक्षण साहित्य तथा मैनुअलों का हिन्दीकरण :—

बल में प्रशिक्षण साहित्य तथा मैनुअलों की कुल सं. 47 है। इन पुस्तकों में से 21 पुस्तकों के

अनुवाद को अंतिम रूप दिया जा चुका है। शीघ्र ही शेष पुस्तकों के अनुवाद को अंतिम रूप देकर अगले वर्ष के अंत तक छपवाने की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी।

महानिदेशालय के अधीन 6 प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है जिनमें राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा रंगरूट प्रशिक्षण सहित उच्च स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रम और गोष्ठी करने की व्यवस्था है।

प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम से संबंधित पाठों को "रंगरूट ट्रेनिंग गाईड" के रूप में संकलित किया गया था। अब इन्हें प्रशिक्षणार्थियों के लिए सरल हिन्दी में अनुवाद कराकर प्रिंट करा ली गई हैं।

6. फार्म, मोहरें, बोर्ड, गाड़ियों पर नाम तथा अन्य शीर्ष आदि को द्विभाषी रूप में तैयार करना (राजभाषा नियम-11)

इस मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग में आने वाले विभिन्न फार्मों जिनकी कुल सं. 267 थी उनका अनुवाद करके छपवाया गया या साइक्लोस्टाइल कराया गया। सभी नामपट्ट मोहरें, बोर्ड तथा पत्र शीर्षों का हिन्दी अनुवाद कर आवश्यकतानुसार हिन्दी या हिन्दी-अंग्रेजी में बनवाया गया। लगभग सभी गाड़ियों पर कार्यालयों के नाम द्विभाषी लिखवाए गए। इस संबंध में सारे बल में कार्रवाई पूरी कर लेने के लिए यूनिटों को आदेश जारी किए गए तथा समय सीमा निर्धारित की गई थी। सभी यूनिटों/सैक्टर कार्यालयों ने इस संबंध में कार्रवाई पूरी कर लेने की पुष्टि की।

7. राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन :

के.रि.पु. बल की सभी यूनिटों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन हो चुका है जिनकी बैठकें नियमित रूप से हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं। मुख्यालय में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हो चुका है, जिसकी बैठकों का आयोजन हर तिमाही उप-निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में किया जाता है।

8. लाइब्रेरी के लिए नियमित पत्र-पत्रिकाओं की खरीद :—

हिन्दी के पक्ष में उचित वातावरण बनाने हेतु निम्नलिखित हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की नियमित रूप से खरीद की जाती है :—

(क) पत्रिकाएं :—

1. धर्मयुग, 2. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 3. कादम्बनी, 4. सर्वोत्कृष्ट डाइजेस्ट, 5. माधुरी 6. आजकल 7 मनोरमा 8. सारिका, 9. दिनमान

(ख) समाचार पत्र :

1. नवभारत टाइम्स, 2. हिन्दुस्तान, 3. जनसत्ता

पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त विभिन्न विषयों से संबन्धित हिन्दी की पुस्तकें लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं।

9. विभागीय पत्रिका के माध्यम से बल के क्रिया-कलापों का प्रचार-प्रसार।

मुख्यालय से सी आर पीएफ समाचार नामक पत्रिका का नियमित रूप से हिन्दी व अंग्रेजी में अलग-अलग प्रकाशन किया जाता है जिसमें बल के क्रिया-कलापों से संबन्धित सामग्री दर्शाई जाती है। हिन्दी में लेखकों को उत्साहित करने तथा हिन्दी अंक के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के लिए प्रति लेख आवश्यक पारिश्रमिक देने तथा पत्रिका का कम मूल्य रखने की व्यवस्था की गई है।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित अन्य ब्यौरे :—

भविष्य में निम्नलिखित कदम उठाने के लिए प्रयत्नशील हैं:—

(क) कर्मचारियों की सुविधा के लिए बल के कामकाज से संबन्धित एक "राजभाषा निर्देशिका" नामक पुस्तक छपवाई जा रही है तथा शीघ्र ही सभी कार्यालयों को उपलब्ध कर दी जाएगी।

(ख) महानिदेशालय, पुलिस महानिरीक्षक, उ.पू. सेक्टर, शिलांग, ग्रुप केन्द्र भुवनेश्वर, दुर्गापुर, अजमेर, गांधीनगर, आवडी, मोकामाघाट, नीमच में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। सभी ग्रुप केन्द्र, दीमापुर तथा नागपुर के सिवाय सभी ग्रुप केन्द्रों तथा 65, 29, 84, 14, 49 60 वीं बटा. द्वारा बल आदेश हिन्दी में जारी किए जा रहे हैं।

(ग) पुलिस महानिरीक्षक, द.सै. हैदराबाद में 13-7-87 को हिन्दी सम्मेलन किया गया जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

1. नए भर्ती किए गए लिपिकों को बेसिक प्रशिक्षण के साथ ही हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग का अभ्यास कराना।

2. कैंटीन फंड से अतिरिक्त देवनागरी टाइपराइटर की व्यवस्था करना।

3. हिन्दी टाइपिंग के प्रशिक्षण के लिए विभागीय व्यवस्था।

4. हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित कर्मचारियों के ज्ञान का उपयोग करना।

5. हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर विभाग की ओर से प्रोत्साहन देना।

6. सामान्य आदेश/बल-आदेश द्विभाषी/हिन्दी में जारी करना।

7. कार्यालय में हिन्दी व अहिन्दीभाषी कर्मचारियों की नफरी में संतुलन बनाए रखना।

8. हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करना।

9. सरकारी कामकाज में मूल नोटिंग/ड्राफ्टिंग के लिए प्रोत्साहन योजना।

(घ) वर्ष 1986–87 की गृह मंत्रालय की पुरस्कार योजना में बल के करीब 62 कर्मचारियों ने भाग लिया।

(च) 14,58,54,66,73 व एसडीजी वटा. में विभाग की ओर से हिन्दी प्रगति का जायजा लिया तथा राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का पालन सुनिश्चित किया गया। 11-2-87 को गृह मंत्रालय के उप-सचिव (प्रशा.) ने ग्रुप केन्द्र, गांधीनगर में हिन्दी प्रगति का जायजा लिया जिसमें महानिदेशालय के हिन्दी अधिकारी भी उपस्थित रहे।

बालको में हिन्दी की उल्लेखनीय प्रगति

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड में राजभाषा अधिनियम, नियमों और आदेशों का कहां तक कार्यान्वयन हुआ है और राजभाषा के प्रयोग में कितनी प्रगति हुई है इसका अनुमान केवल इसी बात से सहज रूप में लगाया जा सकता है कि उसने पिछले 3 वर्षों के दौरान लगातार तीन राजभाषा शील्ड प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त किया है। 1984-85 के दौरान खान विभाग के सभी उपक्रमों और संगठनों में बालको में हिन्दी का कार्य सर्वोत्कृष्ट माना गया और इसी उपलक्ष्य में उस समय की राज्य मंत्री, माननीया श्रीमती राम दुलारी सिन्हा ने बालकों के अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक, श्री पी.एस. राव को राजभाषा शील्ड प्रदान की। मंत्री महोदया ने कहा था—"मैं भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड को प्रथम पुरस्कार के रूप में "राजभाषा शील्ड" प्राप्त करने पर उन्हें विशेषतौर पर बधाई देती हूं क्योंकि इस कम्पनी के अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक और प्रमुख राजभाषा अधिकारी दोनों ही दक्षिण भाषा-भाषी हैं और फिर भी उनके कार्यालय में हिन्दी में अधिक काम हो रहा है। बालको के हिन्दी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए धन्यवाद।"

1985-86 वर्ष के दौरान समस्त उत्तर क्षेत्र के उपक्रमों में बालको में हिन्दी की प्रगति सर्वश्रेष्ठ आंकी गई और उसके उपलक्ष्य में जम्मू में आयोजित एक सम्मेलन में दिनांक 6-10-87 को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल, श्री जगमोहन ने बालको के अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक श्री पी.एस. राव को, "राजभाषा ट्राफी" के पुरस्कार से सम्मानित किया।

1986-87 में "क" क्षेत्र के राज्यों में बालको द्वारा हिन्दी में किए गए विशिष्ट कार्य के लिए भारत के महामहिम उप-राष्ट्रपति, डा. शंकर दयाल शर्मा ने बालको को "राजभाषा शील्ड" और उसके अध्यक्ष श्री पी.एस. राव को "राजभाषा पुरस्कार" से सम्मानित किया।

इन उपलब्धियों का रहस्य बताते हुए श्री पी.एस. राव ने कहा कि हम अपनी कम्पनी की उत्पादन तथा वाणिज्यिक गतिविधियों में जितनी सक्रियता से गतिशील हैं देश की राजभाषा हिन्दी को कम्पनी के कामकाज में संविधानसम्मत स्थान दिलाने के लिए भी उतना ही सचेष्ट होकर प्रयास कर रहे हैं। कम्पनी का प्रबन्धक-वर्ग राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करने में अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है और उनमें अपने देश की भाषा के स्थान पर अंग्रेजी के ज्ञान पर गर्व करने की हीनभावना नहीं।

कम्पनी में हिन्दी का प्रयोग कहा तक बढ़ा है उसके लिए किन-किन साधनों और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और क्या-क्या प्रोत्साहक उपाय किए हैं उनकी जानकारी संक्षेप में इस प्रकार है:

मुख्यालय तथा कोरबा दोनों ही कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां 1977 में ही बना ली गई थीं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कोरबा में वहां के प्रमुख अधिकारी अर्थात् महाप्रबन्धक हैं और मुख्यालय में अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक स्वयं हैं। दोनों ही कार्यालयों में 80% से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है और वे राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित हैं। कोरबा कार्यालय में कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए कम्पनी ने अपना एक हिन्दी प्रशिक्षक और टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि सिखाने के लिए एक आशुलिपि प्रशिक्षक नियुक्त किया हुआ है। ये दोनों प्रशिक्षण नियमित रूप से चल रहे हैं। जहां तक पत्राचार का संबन्ध है हिन्दी में प्राप्त पत्रों के सभी उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं और मूल पत्राचार में इस समय लगभग 50% पत्र हिन्दी में भेजे जा रहे हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। कम्पनी की तिमाही संस्था-पत्रिका "बालको समाचार" में अब लगभग 80% स्थान हिन्दी का रहता है और पाक्षिक हिन्दी समाचार बुलेटिन "बालको वार्ता" केवल हिन्दी में प्रकाशित होता है। हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग को बढ़ावा

देने के लिए एक तिमाही नकद पुरस्कार योजना चलाई है जो 1 जनवरी, 1982 से चल रही है। एक तिमाही में निर्धारित मात्रा में हिन्दी में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को पहले 100 रुपये का पुरस्कार दिया जाता था और अब 150 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। 1982 से अब तक 404 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार हिन्दी में चैक तैयार करने वाले कर्मचारियों को भी पुरस्कार दिया जाता है। अधिकांश चैक हिन्दी में तैयार होते हैं। पुस्तकालय में हिन्दी के रोचक साहित्य की 450 पुस्तकें हैं और कर्मचारी उनका भरपूर उपयोग करते हैं।

आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग (वर्ष 1987-88)

आकाशवाणी के माध्यम से देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार होता रहता है परन्तु सरकारी कामकाज में भी राजभाषा हिन्दी का सम्यक प्रयोग किया जा रहा है। इस तरफ भी आकाशवाणी ध्यान देता रहा है। अपने विभिन्न केन्द्रों/कार्यालयों को तो प्रेरित करता ही रहा है, अपनी तरफ से भी आकाशवाणी महानिदेशालय ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए अनेक प्रयास किए हैं। वर्ष 1987-88 में आकाशवाणी महानिदेशालय के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आकाशवाणी महानिदेशालय में हिन्दी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ावा देने के लिए लगभग 50 अनुभागों में से चार ऐसे अनुभागों को चुना गया जिनके यहां अत्यन्त संतोषप्रद काम दिखाई पड़ा और उन्हें अचल शील्ड देकर पारितोषित किया गया। ये अनुभाग इस प्रकार हैं:—

1. एस-1(ए), सतर्कता अनुभाग, दोनों ---प्रथम पुरस्कार
2. विकास (रख-रखाव और समन्वय) अनुभाग—द्वितीय पुरस्कार
3. सामान्य प्रशासन अनुभाग ——तृतीय पुरस्कार

आकाशवाणी महानिदेशालय के अधिकांश अनुभाग और अधिकारी हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग का काम कर रहे हैं। आकाशवाणी ने अपनी तरफ से निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया, जिन्होंने सरकारी कामकाज में टिप्पण और आलेखन या पत्राचार आदि में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग कर राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा दिया:

प्रथम पुरस्कार:

1. श्रीमती शशि प्रभा, उच्च श्रेणी लिपिक
2. श्री जयकृष्ण, सहायक

द्वितीय पुरस्कार:

1. श्री राधेश्याम उच्च श्रेणी लिपिक
2. श्री पी. टी. लाखे, मुख्य अभियन्ता, } संयुक्त रूप से
3. श्री डी. के. मित्तल, निदेशक, अभियांत्रिकी }
4. श्री पी. सी. जैन, उपनिदेशक, अभियांत्रिकी }
5. श्री वीरेन्द्र गोहिल, संपादक } संयुक्त रूप से
6. श्री सत्यप्रकाश गुप्त, निजी सहायक }
7. श्रीमती सावित्री कक्कड़, टेप लाइब्रेरियन }

तृतीय पुरस्कार:

1. श्रीमती राजेश्वरी भारद्वाज, उच्च श्रेणी लिपिक
2. श्री मदन लाल, महोल्ला, सहायक
3. श्री आर. पी. बांगा, सहायक

सांत्वना पुरस्कार

1. श्री श्यामसुन्दर भाटिया, सहायक
2. श्री श्याम लाल, सहायक
3. श्री सोहन लाल हरीश, सहायक
4. श्री जागीर सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक
5. श्रीमती रंजना विनायक, उच्च श्रेणी लिपिक
6. श्री डाल चंद, अवर श्रेणी लिपिक

हिन्दी निबंध/टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिताएं आकाशवाणी महानिदेशालय में 1984 से ही की जा रही है परन्तु 1987 में उक्त प्रतियोगिता में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार दो भागों में दिया गया—हिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों को और अहिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों को अलग-अलग रूप से:—

अहिंदी भाषी:

1. श्री अरुण कुमार, उपनिदेशक (कार्यक्रम)	प्रथम	पुरस्कार
2. श्रीमती सुजाता गोपालन, निजी सहायक,	द्वितीय	पुरस्कार
3. श्री मनोजीत डे, अनुभाग अधिकारी,	तृतीय	पुरस्कार
4. श्री तमाल घोष, अवर श्रेणी लिपिक	सांत्वना	पुरस्कार
5. श्री सी० रविन्द्रन, अवर श्रेणी लिपिक,	सांत्वना	पुरस्कार

हिंदी भाषी

1. श्री ए.एस.नेगी, सहायक — प्रथम पुरस्कार
2. श्री सत्येन्द्र सिंह ,रावत, अवर श्रेणी लिपिक, — द्वितीय पुरस्कार
3. श्रीमती नवनीत कौर सरीन, स्टैनो — तृतीय पुरस्कार
4. श्री सुरिन्दर कुमार, केयर टेकर — सांत्वना पुरस्कार
5. श्री हरदयाल सिंह, अनुभाग अधिकारी — सांत्वना पुरस्कार
6. श्री एस.एस. कपूर, उच्च श्रेणी लिपिक, — सांत्वना पुरस्कार
8. श्री उदित नारायण तिवारी, स्टेनो — सांत्वना पुरस्कार

आकाशवाणी महानिदेशालय ने वर्ष 1987 के दौरान विभिन्न कार्यशालाओं में लगभग 71 उन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त था। इसमें विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देकर और कार्यशाला में ही अभ्यास कराकर शिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर उन्हें अनेक उपयोगी साहित्य देकर प्रोत्साहित किया गया।

भारतीय बैंकर संस्थान द्वारा आयोजित सी.ए.आई.आई.बी. परीक्षा हिन्दी के बढ़ते चरण

मई 1987

	अंग्रेजी माध्यम				हिन्दी माध्यम			
	अभ्यर्थियों की संख्या	उत्तीर्ण	%	विशेष योग्यता	अभ्यर्थियों की संख्या	उत्तीर्ण	%	विशेष योग्यता
भाग–I								
1. प्रैक्टिस एण्ड लॉ आफ बैंकिंग—I	37,060	8879	23.95	शून्य	8831	1997	22.61	शून्य
2. एलीमेंट्स ऑफ इकोनामिक्स एण्ड स्ट्रक्चर आफ इंडियन इकोनोमी	30,199	8656	28.66	शून्य	7263	3006	41.38	शून्य
3. अंग्रेजी	35,705	9709	27.19	02	8626	1062	12.31	शून्य
4. बुक-कीपिंग	27,750	5155	18.57	89	3808	540	14.18	शून्य
5. ग्रामीण अर्थशास्त्र	33,337	7749	23.24	शून्य	8859	20.41	23.03	शून्य
भाग—II								
6. कमर्शियल लॉ	20,930	5581	26.66	शून्य	1098	383	34.88	शून्य
7. मानीटरी थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस	14,004	3921	27.99	शून्य	756	238	31.48	शून्य
8. प्रैक्टिस एण्ड लॉ आफ बैंकिंग	14,507	5337	36.78	शून्य	980	434	44.28	शून्य
9. मैनेजमैण्ट एकाउंटिन्ग	13,071	5280	40.39	35	721	241	31.25	शून्य
10. फिनान्स ऑफ फारेन ट्रेड एण्ड फारेन एक्सचेंज	14,642	6545	44.70	03	743	188	25.30	शून्य
11. इंडियन इकोनामिक प्राब्लम्स	17,058	4991	29.25	शून्य	628	299	47.61	शून्य

	अंग्रेजी माध्यम				हिन्दी माध्यम			
	अभ्यर्थियों की संख्या	उत्तीर्ण	%	विशेष योग्यता	अभ्यर्थियों की संख्या	उत्तीर्ण	%	विशेष योग्यता
भाग—I								
1. प्रैक्टिस एण्ड ला आफ बैंकिंग—I	28,619	6172	21.57	01	8331	1675	20.11	शून्य
2. एलीमेंटस ऑफ इकोनामिक्स एण्ड स्ट्रक्चर आफ इण्डियन इकानामी	21,995	4893	22.25	शून्य	5594	1763	31.52	शून्य
3. अंग्रेजी	33,398	12421	37.19	शून्य	7438	1971	26.50	शून्य
4. बुक कीपिंग	26,066	8418	32.29	340	4260	1221	28.66	शून्य
5. ग्रामीण अर्थशास्त्र	29,258	7644	26.13	शून्य	8257	2215	26.83	शून्य
भाग—II								
6. कमर्शियल लॉ	18,961	3690	19.46	शून्य	1352	422	31.21	शून्य
7. मानीटरी थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस	12,372	3750	30.31	शून्य	1295	757	58.46	शून्य
8. प्रैक्टिस एण्ड लॉ आफ बैंकिंग–II	14,182	4504	31.76	शून्य	1270	530	41.73	शून्य
9. मैनेजमैण्ट एकाउंटिंग	13,022	3694	28.37	01	1008	159	15.77	शून्य
10. फिनान्स आफ फारेन ट्रेड एण्ड फारेन एक्सचेंज	13,846	4606	33.27	01	1141	385	30.74	शून्य
11. इण्डियन इकोनोमिक प्राब्लम्स	15,994	4587	28.68	शून्य	1040	424	40.77	शून्य

हिंदी दिवस समारोह

स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर एवं सी०एस०आई०आर० मद्रास कॉम्प्लेक्स

स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर (एस. इ. आर. सी.) और सी. एस. आई. आर. मद्रास कॉम्प्लेक्स (सी. एम. सी.) ने संयुक्त रूप में 19 फरवरी 1988 को 'हिन्दी दिवस' मनाया गया।

इस समारोह में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :—

बच्चों के लिए हिंदी में निबंध लेखन प्रतियोगिता

यह प्रतियोगिता 13 फरवरी 1988 को सी. एल. आर. आई. के केन्द्रीय विद्यालय में आयोजित की गई। इसमें भाग लेने वाले बच्चे तीन समूहों में विभाजित किये गये और प्रत्येक समूह को तीन विषय दिये गये। प्रतियोगिता से कुछ समय पूर्व ही विषय घोषित किये गये और उनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया। प्रत्येक समूह और दिये गये विषय निम्नानुसार है :—

समूह I—कक्षा 1 से 5 तक

विषय—(1) दीवाली (2) महात्मा गांधी (3) रेल यात्रा।

समूह II—कक्षा 6 से 8 तक

विषय—(1) राष्ट्रभाषा हिन्दी (2) सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा (3) समाचार-पत्र।

समूह III—कक्षा 9 से 12 तक

विषय—(1) भारत की पंचवर्षीय योजनाएं (2) राष्ट्रीय एकता (3) भारत में विज्ञान का स्थान।

इस प्रतियोगिता के प्रति बच्चों द्वारा प्रकट की गयी प्रतिक्रिया बड़ी सराहनीय रही। इसमें कुल 61 बालक-बालिकाओं ने भाग लिया। (समूह I में 17, समूह II में 24 और समूह III में 20)। प्रथम और द्वितीय कक्षा के बच्चों ने निबंध लेखन में जो क्षमता प्रकट की वह सिर्फ बताने से विश्वास करने वाली बात नहीं है। उपर्युक्त सभी विषयों पर प्रत्येक बच्चे द्वारा निबंध लिखा गया।

इन निबन्धों के मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. किशोर वास्वानी थे।

कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता

यह प्रतियोगिता एस. इ. आर. सी. और सी. एस. आई. आर. मद्रास कॉम्प्लेक्स के अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए आयोजित की गयी। अपने विचारों को हिन्दी भाषा में प्रकट करने के लिए जो कठिनाई होगी, उसे ध्यान में रखते हुए उन्हें दो दिन पहले ही विषय दिय गये, जो कि निम्नवत् हैं :

1. भारत की नदियां
2. मेरा प्रिय वैज्ञानिक या मेरा प्रिय खिलाड़ी
3. विज्ञान और भाषा

कर्मचारियों ने प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा उपर्युक्त सभी विषयों पर किसी न किसी प्रतियोगी द्वारा निबंध लिखा गया। इन निबंधों का मल्यांकन भी डॉ. किशोर वासवानी ने ही किया।

पुरस्कार

संयुक्त समिति ने निर्णय किया था कि पुरस्कार स्वरूप हिन्दी पुस्तकें ही दी जायें। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार हिन्दी-अंग्रेजी कोश, व्याकरण, कविता, निबंध, नाटक और आत्म-कथा आदि किताबें दी गयीं। जिन प्रतियोगियों को पुरस्कार नहीं मिला उन सबको "हिन्दी व्याकरण" की एक प्रति सांत्वना पुरस्कार स्वरूप दी गई।

हिन्दी दिवस समारोह

सी. एस. आई. आर. कैंपस में 19 फरवरी 1988 को प्रार्थना गीत के साथ समारोह का शुभारम्भ हुआ। एस. इ. आर. सी. के निदेशक एवं सी. एस. आई. आर. के समन्वय-निदेशक डॉ. रमैया ने अपने स्वागत भाषण में मुख्य

अतिथि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष डॉ. आर. के. जैन और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. किशोर वास्वानी का स्वागत किया। उन्होंने सब व्यक्तियों से एक सामान्य भाषा के रूप में हिन्दी सीखने का अनुरोध किया तथा प्रशासनिक प्रयोग में हिन्दी को, सरल और स्वाभाविक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इसके पश्चात सी. एस. आई. आर., मद्रास कॉम्प्लेक्स की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष डॉ. एन. वी. पार्थसारथी ने कैंपस में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग तथा हिन्दी दिवस समारोह की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मुख्यातिथि डॉ. आर. के. जैन ने अपने भाषण में एक संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी की महत्ता पर जोर दिया और कहा कि विज्ञान-शिक्षा के कार्य कर रहे व्यक्ति भी हिन्दी भाषा में प्रवीण हो सकते हैं।

डॉ. किशोर वास्वानी ने अपने भाषण में निबंध लेखन कर्मचारियों ने जो उत्साह और क्षमता दिखाई उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि लगभग सभी निबंधों के उच्च स्तर के होने के कारण पुरस्कृत योग्य निबंधों में से सर्वश्रेष्ठ निश्चित करने से पहले उन्हें बार-बार कुछ निबन्धों को पढ़ना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न प्रान्तों के लोगों द्वारा एक ही शब्द को अलग-अलग रूप से प्रयुक्त करने के कारण हिन्दी भाषा की शब्दावली में शब्दों की खिचड़ी होने की भी संभावना है। उन्होंने अपने भाषण के अन्त में पुरस्कार विजेता और प्रतियोगियों को बधाई दी।

तदपश्चात् मुख्यातिथि डॉ. आर. के. जैन ने पुरस्कार विजेताओं में पुरस्कार और प्रमाण-पत्र वितरित किये।

श्री ए. जी. खडक्कर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय गीत के साथ समारोह संपन्न हुआ।

हिन्दी लेखन प्रतियोगिता

समूह–1 **9 से 12 कक्षा तक**

प्रथम पुरस्कार —— प्रिया नारायणन
द्वितीय पुरस्कार —— एस. विधा राव
तृतीय पुरस्कार —— एस. पद्मा
प्रोत्साहन पुरस्कार —— नन्दिनी अनिल
प्रोत्साहन पुरस्कार —— टी. जेयन्ती

समह—2 **6 से 8 कक्षा तक**

प्रथम पुरस्कार —— वी. संजय
द्वितीय पुरस्कार —— एम. सिन्धु
तृतीय पुरस्कार —— एस. लक्ष्मी
प्रोत्साहन पुरस्कार —— जी. प्रकाश
प्रोत्साहन पुरस्कार —— आर. अपर्णा

समूह—3 **1 से 5 कक्षा तक**

प्रथम पुरस्कार —— पि. स्वाती
द्वितीय पुरस्कार —— वि. जी. श्रीना
तृतीय पुरस्कार —— एस. लक्ष्मी देवी
प्रोत्साहन पुरस्कार —— जी. जेयश्री
प्रोत्साहन पुरस्कार —— नमीश राजमाने

कर्मचारियों के लिए

प्रथम पुरस्कार —— श्रीमती सावित्री अय्यर
द्वितीय पुरस्कार —— श्री एन. पी. राजमाने
तृतीय पुरस्कार —— श्री एम. आई. तामस, श्री टी. वी. के. दास
प्रोत्साहन पुरस्कार —— श्रीमती विजयलक्ष्मी रामकृष्णन
प्रोत्साहन पुरस्कार —— श्री के. वी. कुनहीरामन

दक्षिण पूर्व रेलवे, वालतेरू

वालतेरू मंडल में दिनांक 25-3-88 को "हिन्दी सप्ताह" मंडल रेल प्रबन्धक श्री आ. भीमाराव की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रो. कर्णराजशेषगिरि राव ने कहा कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और हिन्दी लिपि तथा अन्य प्रकार से इसके बहुत ही निकट है। दक्षिण की भाषाओं में भी संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में हैं और इसी आधार पर हिन्दी से भी इसकी निकटता है। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी सदैव से ही राष्ट्रीय एकता की कड़ी रही है। स्वतंत्रता आन्दोलन के दिनों में जन साधारण को राष्ट्र चेतना की मुख्य धारा में लाने के लिए हिन्दी ने अहम-भूमिका निभाई। और देश के मनीषियों विशेषतः महात्मा गांधी ने इसके प्रचार-प्रसार को कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल किया। 1918 में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की और यह संस्था आज भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार कार्य में संलग्न है। श्री वी. के. राय, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी ने मंडल में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंडल रेल प्रबन्धक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अपने विद्यार्थी जीवन के संस्मरण सुनाते हुए कहा कि उन दिनों दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के कार्यकर्ता पुस्तकालय, वाचनालय एवं क्लबों में लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके हिन्दी सिखाते थे और उन्हें विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उसका मार्ग दर्शन करते थे। उन्होंने आगे कहा कि

उन्होंने भी हिन्दी का ज्ञान उक्त कार्यकर्ताओं से प्राप्त किया था जिसमें कर्तव्य निष्ठा थी और जोर देकर कहा कि आवश्यकता है ऐसे ही समर्पित भावना से युक्त लोगों की जो हिन्दी के प्रचार-प्रसार को आगे बढ़ा सकें। "संस्कृत सब भाषाओं की जननी हैं" प्रो. कर्ण राजशेषगिरि राव। इस अवसर पर एक भव्य राजभाषा प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका उद्घाटन भी मंडल रेल प्रबन्धक ने किया। इसके अलावा एक कवि गोष्ठी भी आयोजित की गई थी। श्री आर. लक्ष्मणराव टिकट कलेक्टर/विशाखापट्टनम एवं उनके सहयोगियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

हिन्दी सप्ताह के दौरान मंडल के 7 विभिन्न स्टेशनों पर आयोजित हिन्दी वाक, निबन्ध, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन तथा हिन्दी टंकण में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 69 कर्मचारियों तथा वर्ष के दौरान हिन्दी में प्रशंसनीय कार्य करने वाले 30 कर्मचारियों/अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। सम्पूर्ण कार्यक्रम विशेषतः अहिन्दी भाषी कर्मचारियों द्वारा सम्पन्न किया गया।

दक्षिण मध्य रेलवे, हुबली मण्डल (कर्णाटक)

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस मंडल पर हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राजभाषा सप्ताह समारोह दिनांक 24-3-88 से 25-3-88 तक मनाया गया। इस अवसर पर रेल कर्मियों के लिए हिंदी निबंध, वाक् टिप्पण-प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं और माथन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गयी। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किये गये। वर्ष के दौरान इस मंडल पर हिंदी की जो प्रगति हुई है उससे संबंधित राजभाषा प्रदर्शनी भी लगायी गयी थी। इसी अवसर पर हिंदी फीचर फिल्म "मेरा हक" दिखायी गयी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

दिनांक 24 मार्च को श्री एस. के. मल्लिक, मंडल रेल प्रबंधक, हुबली ने मंडल राजभाषा सप्ताह का उद्घाटन विधिवत् किया। उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि, कार्यालयीन काम-काज में हिंदी का प्रयोग करना सीखें। अधिकारीगण भी फाइलों पर हिंदी में आदेश बिना संकोच जारी करें।

मंडल रेल प्रबंधक/हुबली ने राजभाषा प्रदर्शनी का विधिवत् उद्घाटन किया। राजभाषा प्रदर्शिनी में धारा 3(3), हिंदी प्रशिक्षण, टाइपिंग तथा आशुलिपिक प्रशिक्षण, कार्यान्वयन, हुबली मंडल के सभी पुस्तकालयों उप-समितियों, और हिंदी के प्रचार से संबंधित चार्टों और विविध भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख तथा फोटोग्राफ हुबली मंडल की "रेल भारती" त्रैमासिक पत्रिका के सभी अंकों का कलात्मक ढंग से प्रदर्शित किये गये। इस प्रदर्शनी को काफी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने देखा और इसकी प्रशंसा की है।

दिनांक 25-3-88 को समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक, हुबली, श्री एस. ए. मल्लिक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

मंडल कार्मिक अधिकारी एवं उप-मुख्य राजभाषा अधिकारी, श्री एस. के. खरंगटे ने वर्ष 1987-88 के दौरान इस मंडल की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

राजभाषा सप्ताह समारोह के अध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक, श्री एस. ए. मल्लिक ने बताया कि, हिंदी का प्रचार और प्रसार बिना झिझक होना चाहिए। हिंदी के विरोधी भी हिंदी में दूरदर्शन पर होनेवाले कार्यक्रम को तन-मन और प्यार से दे रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की विषमता और वैमनस्यता को छोड़कर देश की एकता के लिए राजभाषा हिंदी को अपनाना चाहिए तथा हम अपने राष्ट्र के प्रति सच्चे गौरव या कर्तव्य को निभा सकते हैं।

राजभाषा सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगिताओं, विभागीय हिंदी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हुए रेल अधिकारियों/कर्मचारियों, हिंदी में प्रशंसनीय कार्य करने वाले को गृह मंत्रालय श्रीमती निशांत मल्लिक, महिला संगठन, दक्षिण मध्य रेलवे, हुबली के कर-कमलों से प्रदान किए गए।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड अग्निगुण्डाला लेड प्रोजेक्ट, बन्डलमोट्टु (आंध्र प्रदेश)

प्रधान कार्यालय के सुझावानुसार अग्निगुण्डाला सीसा परियोजना में हिन्दी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ावा देने हेतु 8 से 14 सितम्बर, तक "हिन्दी सप्ताह" हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों का हिन्दी में कार्य करने की झिझक एवं हिचकिचाहट को दूर करने हेतु 11 सदस्यों से युक्त तीन महीने की अवधि की एक "हिन्दी कार्यशाला" का उद्घाटन दिनांक 8 सितम्बर, को खान अधीक्षक श्री के. एस. चौधरी ने किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में खान अधीक्षक ने हिन्दी कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही प्रतिभागियों से अपील की कि वे हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षित होकर सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दें। इस अवसर पर श्री एस. आर. जानी एवं श्री पी. एस. सोलंकी ने भी प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। इस अवसर पर उपस्थित विभागीय प्रधानों व प्रतिभागियों को राजभाषा अधिनियम,

1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 तथा वार्षिक कार्यक्रम से पुर्णतः अवगत करवाया गया है। धन्यवाद समर्पण के साथ समारोह समाप्त हुआ।

8 सितम्बर सायंकाल हिन्दी सप्ताह का विधिवत् उद्घाटन किया गया, इस संदर्भ में प्रेक्षकों को हिन्दी सप्ताह के महत्व से अवगत कराया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ हिन्दी सप्ताह का शुभारम्भ हुआ। उद्घाटन समारोह के पश्चात 8 से 14 सितम्बर, तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जो निम्नलिखित हैं:—

(1) सुलेख प्रतियोगिता (2) निबन्ध प्रतियोगिता (3) वाद-विवाद प्रतियोगिता (4) वाक् प्रतियोगिता (5) अंत्याक्षरी प्रतियोगिता (6) हिन्दी गीत प्रतियोगिता (7) प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (8) अनुवाद प्रतियोगिता। इन प्रतियोगिताओं में हिन्दी भाषी एवं अहिन्दी भाषी वर्ग के कई अधिकारी/कर्मचारी उनके परिवार के सदस्यों ने सोल्लास भाग लिया।

हिन्दी-तेलुगु कवि सम्मेलन

"हिन्दी सप्ताह" को स्मरणीय बनाने हेतु दिनांक 12 सितम्बर, 1987 को "हिन्दी तथा तेलुगु कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता इकाई प्रधान श्री के. एस. चौधरी ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने अभिव्यक्त किया कि ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से हिन्दी को आम जनता के करीब ले जाया जा सकता है। उक्त कवि सम्मेलन में दो हिन्दी कवि तथा एक तेलुगु कवि भाग लेकर उपस्थित श्रोताओं को अपनी कविताओं के माध्यम से सारोबोर किया। साथ ही परियोजना की ओर से श्री शशि रंजन जानी, श्री प्रेम सिन्ह सोलंकी एवं श्रीमती चंचला जानी ने अपनी कविताएं सुनाई हैं। आमंत्रित कविगण एवं इकाई प्रधान ने सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग हेतु गहन प्रचार एवं प्रसार पर जोर दिया। इसी संदर्भ में सुप्रसिद्ध हिन्दी कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा के देहांत के प्रति उनकी आत्मा को शान्ति मिलने हेतु एक मिनट का मौन रखा गया। कवि सम्मेलन में भाग लिए 3 अतिथि कवियों को मानदेय खान अधीक्षक के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया। धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कवि सम्मेलन सुसम्पन्न हुआ।

हिन्दी नाटकों का मंचन

कर्मचारी एवं जिला प्रजा परिषद हाई स्कूल/लुथरन अंग्रेजी माध्यम पाठशाला, बन्डल मोन्टु के विद्यार्थियों ने 3 हिन्दी नाटकों अर्थात् (1) अंधेरी नगरी (2) पैसों का पेड (3) हंसी का मसाला तथा तेलुगु के 2 नाटकों, अर्थात् (1) जागृति (2) "आंल आउट फॉर नो लास" का मंचन किया। इनमें से "जागृति" एकांकी "संघ की राजभाषा हिन्दी ही क्यों" विषय पर आधारित है। साथ ही चिरंजीव पिंकी चौधरी, नेहा सोलंकी एव शिल्पा जानी के राजस्थानी नृत्य किया, जिसने प्रेक्षकों का मन मोह लिया। धन्यवाद समर्पण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम सुसंपन्न हुए।

हिन्दी सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 14 सितम्बर 1987 को सायंकाल समापन समारोह का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता खान अधीक्षक श्री के. एस. चौधरी ने की। हिन्दी सप्ताह के ब्यौरेवार विवरण देते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में खान अधीक्षक ने हिन्दी की उपादेयता, आवश्यकता तथा राजभाषा नीति एवं हिन्दी दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही हिन्दी को अधिकाधिक तौर पर यथाशक्यशीघ्र सरकारी कामकाज में प्रयोग करने की अपील की। तदुपरान्त, श्रीमती गुन्नु चौधरी ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार वितरित किया। साथ ही इसी अवसर पर सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के प्रति विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। अंत में प्रबन्धक (अनुरक्षण) श्री प्रेम सिंह सोलन्की ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम वास्कोडगामा गोवा

एम. एम. टी. सी के क्षेत्रीय कार्यालय में दि. 29-3-88 को "हिंदी दिवस" का आयोजन प्रभागीय प्रबंधक श्री चन्द्रन डेनियल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे श्री अरविंद गाडगील, सर्वकार्यप्रभारी अधिकारी हिंदी शिक्षण योजना, वास्को केन्द्र। श्री एस. इ. राव, हिंदी अधिकारी, एम. पी. टी. श्री रोषैय्या हिंदी अधिकारी, गोवा शिपयार्ड लि. तथा श्री टी. एम. लावाडी, हिंदी प्राध्यापक, पणजी भी इस समारोह में उपस्थित थे। इस समरोह में कार्यालय के लगभग सभी अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर हिंदी टंकण प्रशिक्षण कक्षा का उदघाटन श्री चन्द्रन डेनियल द्वारा किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि एम. एम. टी. सी. अपने निजी प्रयास से हिंदी टंकण प्रशिक्षण की कक्षा का प्रारंभ कर राजभाषा के कार्यान्वियन के प्रगति की ओर एक और कदम बढ़ाया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कर्मचारी इस कक्षा का लाभ उठाएंगे।

समारोह के संचालक श्री जे. जे. पिटर्स, सहायक प्रभागीय प्रबंधक (हिंदी) द्वारा हाल ही में आयोजित की गई हिंदी निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम घोषित करने पर मुख्य अतिथि श्री गाडगिल द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

राइफल फैक्ट्री ईशापुर

राइफल फैक्ट्री, ईशापुर की राजभाषा कार्यान्वियन समिति के तत्वाधान में हिंदी-दिवस, समारोह संपन्न हुआ।

गणमान्य अतिथियों में प्रोफेसर (डा.) सुव्रतो लाहिड़ी, हिंदी विभाग, प्रेसीडेंसी कालेज, कलकत्ता, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह का सभापतित्व श्री बी. एन. मजुमदार, महाप्रबंधक, राइफल फैक्ट्री, ईशापुर ने किया। श्री के. के. मलिक, महाप्रबंधक, मेटल एंड स्टील फैक्ट्री, ईशापुर भी उपस्थित थे। पूर्व आयोजित हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं राजभाषा प्रयोग लेखन प्रतियोगिता के दस सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार एवं प्रशंसा-पत्र भी प्रदान किए गए।

श्री एम. जी. बुरडे, सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह की कार्यवाही का संचालन श्री गोपालजी सिन्हा, श्रम अधिकारी ने किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी-उर्दू की मिली-जुली काव्य-गोष्ठी का भी आयोजन किया गया।

स्वागत भाषण में श्री आर. पी. जौहरी, संयुक्त महाप्रबंधक, राइफल फैक्ट्री, ईशापुर एवम् अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने कहा कि राइफल फैक्ट्री, ईशापुर में कर्मचारियों के हर वर्ग का भरपूर स्नेह और सौहार्द के कारण राजभाषा को व्यवहार में लाने हेतु अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं और धीरे-धीरे हिंदी को अपनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि महाप्रबंधक, राइफल फैक्टरी, ईशापुर के हिंदी के प्रति विशेष प्रेम के कारण संस्थान में हिंदी अनुभाग का विधिवत् गठन हो चुका है तथा राजभाषा के काम में तेजी लाने हेतु तीन नये हिंदी टंकण मशीनें उपलब्ध कराई गई है।

राइफल फैक्टरी, ईशापुर के विभिन्न ट्रेड यूनियनों और एससियेशनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि हिंदी को लोकप्रिय रूप में प्रतिष्ठित करने के लिये यह जरूरी है कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिए भी हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ इस प्रकार के समारोह का आयोजन कारखाना के परिसर में ही हो ताकि और भी अधिक संख्या में कर्मचारीगण भाग ले सकें।

श्री के० के० मलिक, महाप्रबंधक, मेटल एंड स्टील फैक्टरी ने अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि हमें स्थानीय भाषा को भी स्नेह और श्रद्धा सहित स्वीकार करते हुये, सीखने की चेष्टा करनी चाहिये, तभी आपसी सद्भाव बढ़ेगा और लोग स्वेच्छा से हिंदी को स्वीकार करेंगे।

सभापति श्री बी. एन. मजुमदार, महाप्रबंधक, राइफल फैक्ट्री, इशापुर ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्य की सराहना करते हुए इस भव्य आयोजन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के सभी वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच हिंदी के प्रति अत्यधिक सद्भाव और स्नेह है। जिसके कारण राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। इस संबंध में श्रमिक वर्गों का एवम वर्क्स कमेटी की भूमिका अत्यन्त प्रशंसनीय रही है। फैक्टरी वर्क्स कमेटी के द्वारा गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के 125वीं जन्म जयन्ति के अवसर पर हिंदी में प्रबंध-लेखन प्रतियोगिता का आयोजन, हिंदी एकांकी नाटक का मंचन एवम हिन्दी ले के लिये प्रोत्साहन देना आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता।

बंगाल में आरम्भ काल से हिन्दी लोकप्रिय रही है और महान विभूतियों—राजा राममोहन राय, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, केशव चन्द्र सेन आदि ने इसे बहुत पहले ही अपनाया था और आज भी हिन्दी के प्रति बंगाल में कोई विरोध नहीं है।

—प्रो० सुव्रतो लाहिड़ी

मुख्य अतिथि डा. सुव्रतो लाहिड़ी ने अपने विद्वतापूर्ण एवं सारगर्भित अभिभाषण में हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किये जाने से संबंधित अनेक प्रश्नों पर प्रकाश डाला और कहा कि आजादी के पूर्व भाषा के नाम पर कोई समस्या नहीं थी वरन् उन दिनों हिंदी का प्रयोग सामाजिक उत्थान और राजनैतिक चेतना जागृत करने का माध्यम बनी हुई थी। पूरे देश में हिंदी को समान स्नेह और श्रद्धा प्राप्त थी। लेकिन आजादी मिलने के बाद भाषा एक राजनैतिक प्रश्न बन गया है यद्यपि पूरे भारत वर्ष में हिंदी को लोग आदरपूर्वक सीखते हैं। बंगाल में आरंभ काल से हिंदी लोकप्रिय रही है और महान विभूतियां राजा राम मोहन राय, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, केशव चन्द्र आदि ने इसे बहुत पहले अपनाया था और आज भी हिंदी के प्रति इस राज्य में कोई विरोध नहीं है।

भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, कलकत्ता

आई. आई. सी. बी. कलकत्ता में 16 मार्च 1988 को हिन्दी दिवस समारोह वर्तमान निदेशक डॉ. स. च. पाकड़ाशी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। भारतीय भाषा परिषद् के निदेशक, डॉ. पाण्डूरंग राव ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉ. पाकड़ाशी ने हिन्दी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सभी भारतीय भाषाओं का समान रूप से समादर करता हूं किन्तु हिन्दी एकमात्र ऐसी भाषा है जो संपूर्ण भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की अटूट कड़ी है, जिसे मजबूत बनाना हर भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य है।

समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. पाण्डूरंग राव ने बताया कि अपनी मातृभाषा के प्रति यदि प्रेम या निष्ठा न हो तो हम किसी अन्य भाषा से प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। हिन्दी अखिल भारतीय भाषा है तथा इस पर सब भाषा-भाषियों

का समान अधिकार है। अतः आज हम सब मिलकर यह संकल्प कर लें कि हिन्दी हम सबकी भाषा है तथा इसका वास्तविक उत्थान अहिन्दी भाषा-भाषियों के ऊपर ही है।

अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त अहिन्दी भाषा-भाषी कर्मचारियों के अन्दर हिन्दी भाषा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे—निबन्ध लेखन, वाद-विवाद तथा तात्कालिक भाषण का आयोजन किया गया। निबंधन लेखन प्रतियोगिता का विषय था—"समाज पर दूरदर्शन का प्रभाव"। निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार—डॉ. आर. जी. महाजन, द्वितीय पुरस्कार—श्रीमती रत्नावली अधिकारी एवं तृतीय पुरस्कार —डॉ. (श्रीमती) अंजना मजुमदार को प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य सात सदस्यों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। वाद-विवाद प्रतियोगिता का विषय था "क्या हम वास्तव में अपने पूर्वजों से ज्यादा सुखी हैं?" वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार—श्री सुभाष चन्द्र दत्त, द्वितीय पुरस्कार—श्री अशोक पुटाटुण्डा, तृतीय पुरस्कार—डॉ. प्रदीप कुमार दत्त एवं आठ सदस्यों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार—डॉ. प्रदीप कुमार दत्त, द्वितीय पुरस्कार—श्री तपन कुमार दे, तृतीय पुरस्कार—डॉ. (श्रीमती) अंजना मजुमदार एवं पांच सदस्यों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि डॉ. राव जी ने पुरस्कार वितरण किया तथा सिंह जी, मिश्र जी एवं देवज्ञ जी ने पुरस्कार विजेताओं को तथा कर्मचारियों को सक्रिय योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किए। कार्यक्रम की उद्घोषणा डॉ. (श्रीमती) सुमन खोवाला एवं संचालन श्री श्याम बहादुर सिंह ने किया। प्रशासनिक अधिकारी श्री पी. जी. घोष ने उपस्थित सहकर्मियों एवं अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। अन्त में हिन्दी कलात्मक फिल्म "उमराव जान" का प्रदर्शन हुआ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर के स्थानापन्न उप महानिरीक्षक श्री पी. वी. के. पिल्लैई, कमांडेंट (संयंत्र) की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि राजभाषा नीति के पालन से हिन्दी को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीय एकता को कायम रखने का कार्य केवल हिन्दी ही कर सकती है। अतः प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह अपना अधिक कार्य हिन्दी में ही करें। उन्होंने इस कार्यालय में हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर संतोष व्यक्त किया।

श्री उदय भान सिंह तेवतिया, कमांडेंट (प्रशासन) ने भी राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए कहा कि हमें हर प्रकार से इसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए।

"हिन्दी दिवस" के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं यथा "हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता", "हिन्दी वाक्र प्रतियोगिता" तथा "हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता" तथा कर्मचारियों के बच्चों के लिए आयोजित "हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता" आदि में हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी विजेता कर्मचारियों में कुल 1350/- रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

वर्ष 1987 में आयोजित "हिन्दी कार्यशाला" में प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र भी दिए गए।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र ताम्र उत्पादक संस्था/ हिन्दुस्तान कांपर लि. के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय का वार्षिक राजभाषा समारोह रामनवमी की पूर्व संध्या अर्थात् 25 मार्च, 1988 को विशेष हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ।

सभापति पद से अध्यक्ष श्री रामशंकर मिश्र ने कहा कि कोई भी देश अपनी सम्पदा या समृद्धि से महान नहीं होता। वह महान होता है, अपनी जनता के समुन्नत आचार-विचार और उसके स्वाभिमानी मनोबल से। व्यावसायिक बुद्धि ने हमें इस तरह अंधा कर दिया है कि हम अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए भी तब तक प्रेरित नहीं होते, जब तक हमें आर्थिक लाभ नहीं दीखता।

श्री मिश्र ने कहा कि यदि इस देश में लोकतंत्र को सार्थक और प्रभावी बनाना है तो राजभाषा के रूप में हिन्दी को शीघ्र से शीघ्र अपनाना होगा। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी नई दिशाओं के आविष्कार के लिए हमें विदेशी भाषा की बैसाखी नहीं, अपनी भाषा के पांवों का इस्तेमाल करना होगा जैसा कि रूस, जापान, चीन आदि देश करते हैं। इसी सोच को कार्य रूप में परिणत करने के लिए हमने देश में पहली बार खनन तकनीकी पर हिन्दी में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार किया था, जिसकी देश भर में चर्चा हुई और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों ने उससे प्रेरणा लेकर इस क्रम को आगे बढ़ाया।

17 मार्च, 1988 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में महामहिम उपराष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा द्वारा हिन्दुस्तान कापर को प्रदत्त राजभाषा शील्ड की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए हर्ष और गौरव की बात है कि भारत सरकार ने, राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार

के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रयासों को सराहते हुए इस वर्ष हमें "ग" क्षेत्र में स्थित उपक्रमों में प्रथम पुरस्कार के लिए चुना।

"हिन्दी के सिवाय कोई दूसरी भाषा इस देश में नहीं है जो 80 करोड़ भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ सके।"

—डॉ. प्रतापचन्द्र चन्दर

इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने भूतपूर्व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. प्रताप चंद्र चंदर की विशिष्ट हिन्दी -सेवा के लिए उनका अभिनंदन किया।

मुख्य अतिथि डॉ. चंदर ने राजभाषा के प्रयोग के क्षेत्र में हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि हिन्दी सदियों से आम भारतीयों की सम्पर्क भाषा रही है। हिन्दी के सिवाय दूसरी कोई भाषा इस देश में नहीं है, जो 80 करोड़ भारतीयों को एक दूसरे से जोड सके। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी को अधिक से -अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाए।

उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के बाद मैंने सबसे पहला अनुभव यही किया कि हिन्दी जाने बिना उत्तर और पश्चिम भारत के जन साधारण के हृदय में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसीलिए, भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई की सलाह से मैंने हिन्दी भाषा सीखनी शुरु की और बंगला-हिन्दी में काफी साम्य होने के कारण बहुत जल्द सीख भी ली। इससे मुझे काफी लाभ हुआ।

डॉ. चंदर ने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों, विशेष-कर तमिलनाडु में मैंने यह देखा कि सभी व्यापारी, चाहे वे छोटे हों या बड़े, हिन्दी जानते हैं, क्योंकि इसके बिना वे देश के शेष भागों से आये ग्राहकों से सम्पर्क नहीं कर सकते दक्षिण भारत में हिन्दी के विरोध को जो प्रचार नेताओं और अंग्रेजी अखबारों द्वारा किया जा रहा है, वह राजनीति-प्रेरित और अतिश्योक्तिपूर्ण है।

इस अवसर पर, विशेष अतिथि श्रीमती सोना मिश्र ने "राजभाषा सप्ताह" के दौरान आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों तथा हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनेवाले कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए।

प्रारंभ में श्री शिक्षायतन की छात्राओं द्वारा "वरदे वीणा-वादिनी वर दे" के समूहगान के पश्चात वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र ने अतिथियों का स्वागत किया और कम्पनी की सामान्य गतिविधियों तथा राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

अन्त में, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें पदमश्री गिरिजादेवी की शिष्या श्रीमती डालिया रावत ने ठुमरी, चैती, दादरा और भजन प्रस्तुत किए।।

इस्पात संयंत्र राउरकेला

राउरकेला इस्पात सयंत्र के "भाषा प्रकोष्ठ" द्वारा ई. डी.पी. केन्द्र में दिनांक 25 अप्रैल, 1988 को राजभाषा पखवाड़ा के दौरान वर्ष 1987 में आयोजित हिन्दी निबन्ध एवं वाक प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता तथा केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की 22 वीं अखिल भारतीय हिन्दी टिप्पण व प्रारूप लेखन प्रतियोगिता और हिन्दीतर भाषी कर्मचारियों के लिए हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल 59 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

संभागियों को संबोधित करते हुए राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री विपिन पंडा ने अपने संक्षिप्त अध्यक्षीय भाषण में कहा कि "ग" क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद राउरकेला इस्पात संयंत्र में हिन्दी बोलने समझने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत काफी अच्छा है। हम अहिन्दीभाषी कर्मचारियों को हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान दिलाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इस तरह के आयोजन से हमारे सभी कर्मचारियों के हृदय में हिन्दी में काम करने की रुचि जाग्रत होती है और राष्ट्रीय एकता के लिए एक सुन्दर वातावरण तैयार होता है। मुख्य अतिथि के करकमलों से हिन्दी निबन्ध तथा वाक प्रतियोगिताओं में विजयी 22 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार, कविता पाठ प्रतियोगिता में विजयी 11 प्रतियोगियों को पुस्तकें तथा शेष कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये गए।

कार्यक्रम के अन्त में संभागियों के अनुरोध पर श्री वेणुधर प्रधान तथा श्री राधु मिश्र ने उड़िया कविताएं और श्री मधुसूदन साहा ने हिन्दी कविताएं सुनाई

अन्त में राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्धक (प्रशासन) तथा सर्वकार्य हिन्दी प्रभारी अधिकारीश्री के.के. त्रिवेदी ने आगत संभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

मशीनी औजार आदिरूप फैक्टरी, अम्बरनाथ

फैक्टरी में दिनांक 21 मई, 1988 को वार्षिक राज-भाषा समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

हिन्दी को सच्चे मन से अपनी भाषा के रूप में स्वीकारें।

—वी. सुन्दरमूर्ति

कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री एस. एन. सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया और श्रीमती मंगई सुन्दरमूर्ति ने दीप जलाकर समारोह का उदघाटन किया। सचिव श्री आर. के. शर्मा ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर बोलते हुए हिन्दी विद्वान एवं साहित्यकार डा. शुभकार कपूर ने भाषा वैज्ञानिक आधार पर हिन्दी का अन्य भारतीय भाषाओं से निकट सम्बन्ध सिद्ध किया और इसे

भारतीय संस्कृति की वाहिका बताया। विशेष अतिथि के रूप में आयुध निर्माणी अंबरनाथ के महाप्रबंधक श्री ए. के. नियोगी ने राजभाषा हिन्दी के प्रसार और प्रचार के महत्व पर सरल व सहज शब्दों में प्रकाश डाला।

फैक्टरी के महाप्रबंधक श्री वी. सुन्दरमूर्ति ने अपने संक्षिप्त किंतु सुमधुर भाषण में कहा कि हिन्दी को सच्चे मन से अपनी भाषा के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि पूरे भारतवर्ष में हिंदी का वर्चस्व स्थापित हो सके। इस अवसर पर महिला कल्याण समिति की अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा नियोगी ने वर्ष 1987-88 के दौरान आयोजित विभिन्न राजभाषा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह के बाद एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें अनेक प्रतिष्ठित हिन्दी कवियों ने भाग लिया।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के मुख्य कार्यालय में हिन्दी सप्ताह आयोजित किया गया। सप्ताह का शुभ आरंभ दिनांक 25 अप्रैल, 1988 को कंपनी के वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त एवं समन्वय) श्री के. सम्पतकुमार ने किया। इस में अनेक कार्यक्रम एवं रोचक प्रतियोगिताओं का समावेश किया गया जैसे—टिप्पण, प्रारूपण, निबंध, सुलेखन, वाक आदि प्रतियोगिताएं। कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया एवं प्रमाणपत्र दिए गए।

प्रतियोगिता	हिन्दी भाषी	अन्य भाषी
उचित शब्द प्रतियोगिता	श्री जयंत गुप्ता (I) श्री सी. ओ. सोमलवार (II)	श्री एल. ए ड्रेझन (I) श्री बी. जी. वासुले (II)
नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता	श्री डी. डी. मुरकुटे (I) श्री नरसिंगराव (II)	श्री सी. यू. मालवी (I) कु. शर्ली मॅक्वान (II)
निबंध प्रतियोगिता	श्री के. गोपालकिष्णन (I) श्री नरसिंगराव (II)	श्री एल. ए. ड्रेझन (I) श्री सी. यू. मालवी (II)
लेखन प्रतियोगिता	श्री नरसिंगराव (I) श्री जयंत गुप्ता (II)	श्री दिलीप मुगले (I) श्री एल. ए. ड्रेझन (II)
वाद प्रतियोगिता	श्री जयंत गुप्ता (I) श्री नरसिंगराव (II)	श्री बी. जी. वसुले (I) कु. हेमा नायडू (II)
कवि सम्मेलन	श्री एम. एल. शर्मा (I) श्री वाई. बी. पाण्डे (II)	श्री श्रीनिवासन (I) श्री आर. ही. काले (II) कु. हेमा नायडू (II) डा० जे. के. लूथरा विशेष पुरस्कार

पत्राचार प्रतियोगिता :

विभाग	अधिकारी	कर्मचारी
1. कार्मिक	श्री के. एन. त्रिपाठी	श्री आर. एल. पटने
2. विक्रय	श्री एस. एन. बैनर्जी	श्रीमती आर. नायडू
3. प्रशिक्षण	श्री ए० एस. मल्होत्रा	—
4. वित्त	श्री श्रीनिवासन	श्री वाई. बी. पान्डे
5. तकनीकी	श्री डी. के. साहनी	श्री जी. वी. मेश्राम
6. चिकित्सा	डा. जे. के. ज्ञानकेश्वर	श्री पी. एम. राऊस
7. सामग्री	श्री एस. एल. सप्रे	श्रीमती अलका देशपांडे
8. सचिव	—	—

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री के. एल. लूथरा ने प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई दी तथा आश्वासन दिया कि हिन्दी की प्रगति ले लिए जो भी कठिनाइयां सामने आएंगी उनको दूर करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

खदानों एवं मुख्य कार्यालय में पत्राचार प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसमें "क" क्षेत्र की खदानों में सबसे अधिक मूलरूप से हिन्दी में काम करने के लिए बालाघाट खान को विजेता घोषित किया गया तथा "ख" क्षेत्र से बिखला खान को घोषित किया गया एवं शील्ड प्रदान की गई। बालाघाट खान के वरिष्ठ खान प्रबन्धक, श्री पी एम रेड्डी ने पुरस्कार प्राप्त किया तथा चिखला खान के खान प्रबन्धक श्री पी डी शर्मा ने पुरस्कार प्राप्त किया। मुख्य कार्यालय के कार्मिक विभाग में सबसे अधिक हिन्दी में कार्य किया जा रहा है। दूसरा स्थान चिकित्सा विभाग का था। कार्मिक विभाग ने स्वेच्छा से यह शील्ड चिकित्सा विभाग को देने की सिफारिश की और कहा कि चिकित्सा विभाग में हिन्दी में सराहनीय कार्य किया गया है। मुख्य कार्यालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डां. जे. के. मानकेश्वर ने अपने विभाग के लिए उपर्युक्त पुरस्कार प्राप्त किया। कंपनी के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी श्री एन. सी. संघी ने हिन्दी सप्ताह के दौरान सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट किया।

अनुसंधान एवं विकास केंद्र, रांची (स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया)

31 मार्च, 1988 को कार्यशाला का केन्द्र निदेशक डा. शैवाल कांति गुप्त द्वारा उद्घाटन किया गया। डा. गुप्त ने अपने वक्तव्य में कहा—हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना हमारा दायित्व है। निदेशक ने संस्थान में हिंदी प्रयोग की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्मिकों को इस दिशा में और अधिक सचेत एवं जागरूक रहने का संदेश दिया।

रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं सुप्रसिद्ध लेखक डा. सिद्धनाथ कुमार ने हिन्दी प्रयोग की सरलता की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा शुद्ध उच्चारण के साथ हिन्दी लेखन सर्वाधिक सरल है। हिन्दी भाषा बहुत उदार है, अनेक विदेशी शब्द हिन्दी के अंग बन चुके हैं। अतः ऐसी हिन्दी के प्रयोग में किसी प्रकार के संकोच का प्रश्न नहीं उठता है। सहज स्वाभाविक हिन्दी का प्रयोग बहुत आसान है। उपस्थित कार्मिकों से उन्होंने हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग का आग्रह किया।

कार्यपालक निदेशक श्री सी. आर. श्रीनिवासन ने हिन्दी प्रयोग की अनुशंसा करते हुए कहा जो भाषा हृदय के अन्दर से निकले, अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके वही वास्तविक भाषा है। अतः हिन्दी के प्रयोग के समय यदि किसी विदेशी शब्द का शुद्ध अनूदित रूप न मिले तो उसी रूप में उसे प्रयुक्त किया जा सकता है।

कार्यशाला में राजभाषा नीति, हिन्दी पत्राचार एवं टिप्पण प्रारूपण, अनुवाद कैसे करें आदि विषयों पर क्रमशः श्री उमेश शर्मा, डा. शालिग्राम ओझा एवं दूरदर्शन निर्देशक श्री रमाकान्त सिन्हा ने प्रकाश डाला।

डॉ. एल. के. सिंहल, उप महाप्रबंधक (एम-एम) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कार्यशाला का संचालन हिन्दी अधिकारी श्रीमती पुष्पा सक्सेना द्वारा किया गया था।

कार्यशाला से दो दिन पूर्व दिनांक 29 मार्च, 1988 को राजभाषा हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार हेतु आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिताओं में कहानी, कविता, व्यंग लेखन से लेकर निबंध, टिप्पण-प्रारूप लेखन वाक वक्तव्य, टंकण प्रतियोगिताएं सम्मिलित थीं। अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के लगभग 45 कार्मिकों ने पुरस्कार प्राप्त किए। पुरस्कारों की कुल संख्या 83 थी।

पुरस्कार वितरण समारोह के प्रारम्भ में केन्द्र की हिन्दी अधिकारी श्रीमती पुष्पा सक्सेना ने हिन्दी प्रयोग में वृद्धि संबंधी सूचनाएं दीं। हिन्दी में विशेष योगदान के लिए श्री एम. एन. चतुर्वेदी, सी. आर. एस. एम. तथा डा. शालिग्राम ओझा को महाप्रबंधक डा. वी. रामस्वामी द्वारा सम्मानित किया गया।

पूर्वोत्तर रेलवे का लखनऊ मण्डल

गत 7 और 8 जून को पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल द्वारा हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। हिन्दी सप्ताह के दौरान पुरस्कार वितरण, राजभाषा प्रदर्शनी, कवि सम्मेलन आदि आयोजन किए गए। मुख्य समारोह की अध्यक्षता करते हुए पत्रकार श्री शिव सिंह 'सरोज' ने कहा कि हिन्दी हमारी सामाजिक संस्कृति की संवाहिका और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिये उसकी एक भाषा का होना आवश्यक है। श्री 'सरोज' ने लखनऊ मण्डल द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी प्रयोग की भूरि-भूरि सराहना की।

रेल प्रबन्धक श्री अनिरुद्ध मित्तल ने आह्वान किया कि हिन्दी के प्रयोग को उस स्तर तक ले जाना आवश्यक है, जहां हिन्दी सप्ताह मनाये जाने की आवश्यकता ही न रहे। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि मण्डल के अधिकारी और कर्मचारी न केवल वर्तमान स्तर को बनाये रखेंगे बल्कि इसे और आगे बढ़ायेंगे।

इससे पूर्व अभ्यागतों का स्वागत करते हुए मंडल रेल प्रबन्धक एवं उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार सिंह ने विश्वास प्रकट किया कि अपने कामकाज में

हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने से न केवल राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगी अपितु देश और राष्ट्र का सम्मान भी बढ़ेगा।

हिन्दी की प्रगति की समीक्षा

राजभाषा अधिकारी श्री जगतपति शरण निगम ने लखनऊ मण्डल में राजभाषा प्रयोग के प्रगति को स्पष्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि मण्डल में 96% कार्य हिन्दी में ही किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि इसे शत प्रतिशत स्तर तक लाया जाए। उन्होंने बताया कि हिन्दी प्रशिक्षण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जो कुछ थोड़े से कर्मचारी प्रशिक्षण योग्य हैं वे परिचालन और लाइन कर्मचारी हैं। स्टेशन संचालन नियमों के द्विभाषीकरण का कार्य भी पूरा हो गया है। मण्डल में अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम के 8(4) का शत प्रतिशत अनुपालन हो रहा है। मण्डल में पत्राचार और नक्शों के कामों में शत प्रतिशत हिन्दी का प्रयोग हो रहा है।

राजभाषा प्रदर्शनी

हिन्दी सप्ताह समारोह का शुभारम्भ मण्डल ग्रंथालय में लगाई गई 'राजभाषा प्रदर्शनी' से हुआ जिसका उद्घाटन श्री शिव सिंह 'सरोज' ने किया। प्रदर्शनी में तकनीकी कार्यों तार, पत्राचार, टिप्पणी, स्टेशन के कार्यों में हिन्दी प्रयोग को बड़े आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया।

पुरस्कार वितरण

इस अवसर पर हिन्दी में सराहनीय कार्य करने के लिए 223 कर्मचारियों को रु. 17,950 के व्यक्तिगत तथा सामूहिक पुरस्कार दिये गये। इनमें सभी श्रेणी के कार्यालय तथा लाइन स्थित कर्मचारी जैसे गार्ड, स्टेशन मास्टर, इंजीनियरी तथा सामान्य कार्यालयों के कर्मचारी शामिल थे।

भारतीय रिजर्व बैंक शाखा, नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक की केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद शाखा, नई दिल्ली ने दिनांक 14 मई, 1988 को हिन्दी निबन्ध, हिन्दी वाक्, हिन्दी आशुचित्र लेख प्रतियोगिता तथा हिन्दी प्रश्न मंच कार्यक्रम व अखिल भारतीय हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि डा. महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। उन्होंने शाखा द्वारा प्रकाशित पत्रिका "जनभाषा संदेश" के तीसरे अंक का विमोचन भी किया। सभा की अध्यक्षता शाखा प्रधान श्री बी.एम.एल. सहगल, संयुक्त प्रबन्धक ने की। इस अवसर पर परिषद् के व्यवस्थापक तथा संपादक, 'हिन्दी' परिचय श्री रघुनन्दन प्रसाद शर्मा तथा संयोजक राजभाषा कार्य श्री जगन्नाथ व प्रचार मंत्री श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग उपस्थित थे। सभा का संचालन तथा शाखा की गतिविधियों का परिचय श्री भीमबली वर्मा, शाखा मंत्री ने ने दिया तथा सभी आगुन्तकों का धन्यवाद ज्ञापन श्री श्रीचन्द शाखा उप-प्रधान ने किया।

डॉ. महेश चन्द्र गुप्त ने कहा कि राजभाषा विभाग हिन्दी के प्रयोग के संबंध में विभिन्न आदेश निकाल चुके है तथा 1 अप्रैल, 1988 से हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों/अधिकारियों को "क" तथा "ख" क्षेत्र से संबंधित सभी पत्राचार हिन्दी में करने के आदेश दे दिये गये हैं। श्री रघुनन्दन प्रसाद शर्मा ने बताया कि अब तक 70% भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया जा चुका है। श्री जगन्नाथ ने बैंकों द्वारा हिन्दी में कामकाज करने को समय की मांग बताया। हिन्दी अधिकारी श्री रामेश्वर दयाल दहिया ने बैंक में हो रही हिन्दी की प्रगति की चर्चा की।

ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली

ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया में हिन्दी के लिए उचित वातावरण तैयार करने तथा इसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन 1977 में अथारिटी की स्थापना से लेकर पहली बार किया गया। 13 अप्रैल का दिन भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने वैशाखी के दिन 'हिन्दी दिवस' मनाने का निर्णय दिया।

13 अप्रैल, 1988 को प्रगति भवन के आडिटोरियम में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया जिसमें अथारिटी के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। समारोह का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष श्री मोहम्मद यूनुस ने 13 अप्रैल का स्वतन्त्रता संग्राम के साथ संबंध पर प्रकाश डाला एवं अन्य देशों में राजभाषा से संबंधित समस्याओं का उल्लेख करते हुए हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करके उसका सरलतम रूप में अधिक से अधिक प्रयोग करने की अपील की। स्वतन्त्रता से संबंधित तथा भारत सरकार की भाषा नीति का विस्तृत ब्यौरा देते हुए उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता सेनानियों—पं. जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी से संबंधित संस्मरण भी सुनाए जिससे उनकी समाज के प्रति समर्पित होने की भावना व्यक्त होती है तथा हमें देश प्रेम की प्रेरणा मिलती है।

उद्घाटन से पहले महाप्रबन्धक श्री वी. डी. एन. राव ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत करते हुए यह अनुरोध किया कि वे हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करें और 13 अप्रैल, को सभी कार्य हिन्दी में करें, तथा शुरूआत अपने हिन्दी हस्ताक्षर से करें।

हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करके उसका सरलतम रूप में प्रयोग करें —मोहम्मद युनूस

हिन्दी कार्यशाला

हिन्दी का कार्य मूल रूप में करने की प्रेरणा देने एवं इसमें हिचकिचाहट दूर करने के लिए 4 से 8 अप्रैल, 1988 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें अधिकारियों एवं स्टाफ ने भाग लिया। कायशाला का उद्घाटन 4-4-1988 को अथारिटी के मुख्य महाप्रबन्धक श्री के. वी. राजन् ने किया, जिन्होंने अधिकारियों से मूल रूप से हिन्दी में कार्य करने के लिए कहा। इससे पहले महाप्रबन्धक श्री वी. डी. एन. राव ने सभी अधिकारियों और कार्यशाला में भाग लेने वालों का स्वागत किया और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अथारिटी में प्रचार और प्रसार एवं प्रकाशनों में हिन्दी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हो रहा है। इसके साथ ही राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का तथा मूल टिप्पण एवं पत्राचार में हिन्दी में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके बाद अथारिटी में हिन्दी का काम देख रहे श्री अर्जुन देव तनेजा, उप प्रबन्धक ने अथारिटी में हिन्दी कार्य का विवरण देते हुए कहा कि प्रगति मैदान में प्रवेश टिकटें केवल हिन्दी में छापी जाती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिन्दी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हो रहा है तथा अंग्रेजी पत्रिकाओं के ग्राहकों के पतों के लिए भी हिन्दी में एम्बासिंग मशीन की व्यवस्था है। मेले के दौरान कर्मचारियों को नियुक्ति करते समय हिन्दी योग्यता को ध्यान में रखा जाता है। उचित मात्रा में टाइपराइटर हैं, प्रतिवर्ष 3000 रुपये की पुस्तकें पुस्तकालय के लिए खरीदी जाती हैं तथा अथारिटी द्वारा प्रकाशित की जा रही नियमित हिन्दी मासिक उद्योग व्यापार पत्रिका, तदर्थ प्रकाशनों जैसे आई आई टी एफ फेयर गाइड, आहार मेला संदर्शिका, दैनिक मेला समाचार एवं भारतीय अन्तर राष्ट्रीय व्यापार मेला से संबंधित अन्य साहित्य का हिन्दी में भी प्रकाशन का विस्तृत विवरण दिया। इस समारोह में भाग लेने वालों का आभार श्री बी. एम. सोनटक्के, संयुक्त प्रबन्धक ने व्यक्त किया। ○

श्रद्धांजलि

पंडित हरिहर प्रसाद वियोगी हरि

गांधीवादी चिंतक, संत पुरुष, हिन्दी के साहित्यकार श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जिला में सन् 1896 ई. में हुआ। वे छत्तरपुर नरेश की पत्नी युगल प्रिया को मां-तुल्य मानते थे। रानी—मां के देहान्त से दुखी होकर उन्होंने अपना नाम "वियोगी हरि" रख लिया।

बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न वियोगी हरि ने राष्ट्रपिता गांधी जी के आदेश पर हिन्दी के "हरिजन सेवक" तथा गुजराती के "हरिजन बन्धु" पत्रों का वर्षों तक सम्पादन भार वहन किया। जीवन-पर्यन्त वे 'हरिजन सेवक संघ' तथा 'साबरमती आश्रम' के अध्यक्ष पद पर रहकर दीन-हीन, दलितों की सेवा करते रहे।

वियोगी हरि जी ने यदि हरिजन सेवा का व्रत गांधी जी से लिया, तो राष्ट्रभाषा प्रचार-प्रसार की प्रेरणा उन्हें श्रद्धेय पुरुषोत्तम दास टण्डन से मिली। हिन्दी साहित्य सेवा के क्रम में उनकी शताधिक रचनाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं:—

काव्य :—प्रेम पीयूष, प्रेमांजलि, अनुराग वाटिका, मेवाड़ केसरी शुकदेव, वीर सतसई आदि

गद्य :—साहित्य विहार, अन्तर्नाद, ठण्डे छींटें

नाटक : वीर हरदौल, छद्मयोगिनी (नाटिका)

टीका : विनयपत्रिका ! पर "हरितोषिणी" नामक बृहत टीका. वियोगी हरि जी की 'कृति' वीर सतसई पर उन्हें साहित्य सम्मेलन का सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार "मंगल प्रसादा पारितोषिकी" मिला।

परम संत—साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार, गांधीवादी विचारक एवं दीन हीन-सेवक वियोगी हरि जी गत 9 मई को अपनी इहलीला समाप्त कर अमर ज्योति में विलीन हो गए।

राष्ट्रभाषा प्रेमी वियोगी हरिजी की पावन-स्मृति को "राजभाषा भारती" का शत शत नमन।

—गु.ब.

हिंदी कार्यशालाएं

प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद

प्रागा टूल्स लिमिटेड में अधिकारियों के लिए आयोजित पांच दिवसीय सातवीं हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन 14 जून, 1988 को श्री के. वी. सुब्बारायुडु, उप महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने किया। श्री के. वी. सुब्बारायुडु ने प्रागा टूल्स लिमिटेड में हिन्दी के भविष्य को उज्जवल बताते हुए सभी प्रतिभागी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने दैनिक काम-काज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करके राजभाषा से सम्बन्धित जो संवैधानिक आदेश हैं उनका पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने इस अवसर के लिए तैयार की गई "हिन्दी कार्यशाला" नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया।

अतिथि वक्ता श्री आद्यानाथ पाण्डेय, परीक्षा नियंत्रक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद बड़े ओजस्वी ढंग से हिन्दी कार्यशाला की सार्थकता बताते हुए कहा कि हम इस कार्यशाला के माध्यम से न केवल राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक स्थिति तथा कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बल्कि अपनी पहचान भी बना रहे हैं। इसके बाद उन्होंने भारत सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम आदि की जानकारी दी।

धन्यवाद ज्ञापन हिन्दी अधिकारी, श्रीमती एस. लक्ष्मी कुमारी ने किया।

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद

कारपोरेशन कार्यालय में दिनांक 22-04-1988 को एक दिवसीय राजभाषा कार्यशाला संपन्न हुई। श्री पी. उमाशंकर, वरिष्ठ प्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) ने उद्घाटन किया तथा श्री जी. सी. सक्सेना, वरिष्ठ प्रबन्धक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कारपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

डा. ललित पारिख, हिन्दी विभागाध्यक्ष, उस्मानिया विश्वविद्यालय ने राजभाषा अधिनियम के विविध उपबन्ध तथा सरकारी नीति पर व्याख्यान दिया। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के बारे में उन्होंने प्रतिभागियों को सलाह दी।

दूसरे सत्र में प्रमुख लेखिका श्रीमती अहिल्या मिश्र ने हिन्दी में टिप्पण व आलेखन के बारे में बताया। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के बारे में अभ्यास करवाया गया।

श्री ए. महादेव, विधि प्रबन्धक द्वारा पूरे कार्यक्रम का संचालन हुआ। हिन्दी अधिकारी श्री एन. नागेश्वर राव ने धन्यवाद दिया।

दक्षिण मध्य रेलवे, हुबली मण्डल

हुबली मंडल के मुख्यालय में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 17 अधिकारियों ने भाग लिया। श्री एस. ए. मल्लिक, मंडल रेल प्रबन्धक ने कहा कि हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों के लाभार्थ आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में हुबली मंडल पर यह तीसरी कार्यशाला है।

श्री प. कृ. भट, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबन्धक ने भी अधिकारियों को इस कार्यशाला के आयोजन के महत्व पर विशेष जोर दिया।

श्री एस. नरसिंह राजभाषा अधिकारी/हुबली ने कार्यशाला का लाभ उठाने का अनुरोध किया।

कार्यशाला के समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री सुदर्शन खन्ना, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/सिकंदराबाद ने अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि, आप जो कुछ इस कार्यशाला में सीख चुके हैं, उसे अपने कार्यालयीन काम-काज में प्रयोग करें। इससे आप का आत्म विश्वास

बढ़ेगा। साथ-साथ उन्होंने अधिकारियों का राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन करने के नियम-विनियम और उत्तरदायित्व से अवगत कराया।

रेडियो कश्मीर, जम्मू

केन्द्र में 13 जून से 18 जून 1988 तक एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर) गाजियाबाद, के उपनिदेशक श्री नाहर सिंह वर्मा ने किया। उन्होंने संघ की राजभाषा नीति, पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा हिन्दी को लोकप्रिय बनाने व रोजमर्रा के काम में हिन्दी के व्यवहार को बढ़ाने के अनेक तरीके सुझाए।

कार्यालय के 40 अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस कार्यशाला में सहर्ष भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों में हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर करना था।

समापन समारोह 18 जून को हुआ। उस दिन उच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता में कर्मचारियों को हिन्दी के उच्चारण के आधार पर अंक दिए गए। प्रतियोगिता में श्री सुभाष शर्मा (ड्यूटी आफिसर) ने प्रथम, श्री प्रद्युमन सिंह (कार्यक्रम निष्पादक) ने द्वितीय तथा कु. माधवी गुप्ता (उद्घोषिका) ने तृतीय स्थान प्राप्त किया जबकि सांत्वना पुरस्कार श्री रत्न कल्सी (लिपिक) को मिला।

मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा विभाग नई दिल्ली, के अवर सचिव श्री जगदीश हरिजन, समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे। कार्यशाला के प्रति कर्मचारियों के उत्साह तथा रेडियो कश्मीर, जम्मू में हो रहे हिन्दी कार्यों की श्री जगदीश हरिजन ने सराहना की।

कार्यशाला के उद्घाटन तथा समापन समारोह की अध्यक्षता कार्यालय के अधीक्षक अभियन्ता श्री के. के. मल्होत्रा ने की। श्री मल्होत्रा ने इस बात पर बल दिया कि कार्यालय में हिन्दी के प्रसार को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यशाला से कार्यालय में हिंदी का वातावरण पैदा करने में बहुत सहायता मिली है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि इस वातावरण को बनाए रखने के लिए प्रतियोगिताएं तथा हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित करते रहेंगे।

मुख्यालय पंजाब फ्रन्टियर, सीमा सुरक्षा बल जालन्धर छावनी

मुख्यालय पंजाब फ्रन्टियर सीमा सुरक्षा बल जालन्धर छावनी में दिनांक 5 जनवरी 1988 से 2 फरवरी 1988 तक 18 कार्य-दिवस का हिन्दी टाइपराइटिंग तथा हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रशिक्षण काडर आयोजित किया गया। इस काडर में पंजाब फ्रंटियर के सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न कार्यालयों के 45 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इतनी अल्पावधि में प्रशिक्षार्थियों ने अपने कठिन परिश्रम और लगन से प्रशिक्षण में सराहनीय प्रगति की। इस काडर की अन्तिम परीक्षा में 40 प्रशिक्षार्थी अच्छे अंक लेकर सफल घोषित हुए। श्री कालीचरण कपूर, सहायक निदेशक (रा. भा.) श्री राममूर्ति भारद्वाज, सहायक निदेशक (रा. भा.) श्री प्रेमचंद्र भट्ट (सभी बल मुख्यालय) और श्री एम. पी. गोसाई, हिन्दी अनुवादक मुख्यालय पंजाब फ्रंटियर, ने परिश्रम और निष्ठापूर्वक प्रशिक्षार्थियों को हिन्दी टाइप और हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण दिया।

दिनांक 2 फरवरी 1988 को काडर के समापन-समारोह में प्रशिक्षार्थियों को सम्बोधित करते हुए श्री प्रकाश सिंह, महानिरीक्षक ने काडर में भाग लेने वाले प्रशिक्षार्थियों को उनकी सफलता पर बधाई दी तथा हिन्दी टाइप और हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कार्मिकों को पुरस्कृत किया। महानिरीक्षक श्री प्रकाश सिंह ने प्रशिक्षार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वैसे तो हम सीमा सुरक्षा बल में अनेक प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं मगर यह जो हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी नोटिंग/ड्राफ्टिंग का काडर है इसका अपना अलग ही महत्व है। इस काडर को चलाने का हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी में सही रूप में और अधिक से अधिक काम हिन्दी में हो और साथ ही हम राजभाषा नियमों का भी पालन कर सकें।

सरकार ने हिन्दी को लागू करने के लिए कई योजनायें और कार्यक्रम भी बनाए हैं जिनमें कई पुरस्कार योजनाएं भी शामिल हैं। सरल और आम बोलचाल वाली हिन्दी का प्रयोग करने के लिए हिदायतें दी गई हैं। इसलिए हमें अपने कार्यालयों में सबसे पहले तो हिन्दी टाइपिस्टों और हिन्दी टाइपराइटर मशीनों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तभी वास्तविक रूप में हिन्दी में ज्यादा कामकाज हो सकता है। सरकारी कामकाज को दफ्तर में काम करने वाला हर एक कर्मचारी सरल हिन्दी में कर सकता है लेकिन सबसे बड़ी बात झिझक दूर करने की है। इसी मकसद से इस काडर को चलाया गया है। सभी लोगों को बेझिझक होकर हिन्दी में काम करने की आदत डालनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आप लोग अपने दफ्तरों में पूरा कामकाज हिन्दी में करें और अपने साथियों को भी हिन्दी में काम करने की प्रेरणा दें। उन्हें हिन्दी में काम करने पर मिलने वाले पुरस्कारों की जानकारी दें।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, चण्डीगढ़

पश्चिमोत्तर सर्कल में आयोजित होने वाली छठी कार्यशाला में निदेशक (उपस) और अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए श्रीमती सरोज डोगरा ने कहा कि पिछली

कार्यशालाओं में अब तक 68 अधिकारी/कर्मचारी भाग ले चुके हैं। तदुपरान्त श्री उबेराय को कार्यशाला के उद्घाटन करने के लिए अनुरोध किया गया—श्री उबेराय ने दीप जलाकर कार्यशाला का उद्घाटन किया।

श्रीमती सरोज डोगरा हिन्दी अनुवादक ने बताया कि 8 जून, 1987 को विशाल हिन्दी समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कर्मचारियों में विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी. बी. महाजन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे।

इसी वर्ष अम्बाला स्थित यूनिट सं. 42 पार्टी को "हिन्दी यूनिट" घोषित किया। वहां सब काम हिन्दी में ही किया जाता है। सब कार्यालयों में प्रत्येक सोमवार को "हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे दिन में हिन्दी में ही पत्राचार, टिप्पण-आलेखण व बातचीत के निदेश दिए गए हैं।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कुछ नक्शे हिन्दी में भी छापे गए हैं और कुछ और मानचित्र भी हिन्दी में छापने की योजना है। इस वर्ष में पश्चिमोत्तर सर्कल ने 6 मानचित्रों के हिन्दी-करण की परियोजना बनाई थी जिसमें से तीन मानचित्रों को पूरा करके मानचित्र प्रकाशन निदेशालय में भेज दिया गया है।

श्री उबेराय, निदेशक (उपस) श्री चन्द्र भान सिंह, उप अधीक्षक सर्वेक्षक (उपस), श्री बलबीर चन्द्र शर्मा, का. अधीक्षक (प्रशा.), श्री अमरनाथ गुप्ता, अधिकारी सर्वेक्षक (उपस), श्रीमती सरोज डोगरा, हिन्दी अनुवादक (उपस) श्री हकूमत राय लूथरा, उप निदेशक (उपस) श्री के. सेन शर्मा ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने विषयों पर व्याख्यान दिए।

कार्यशाला के समापन समारोह में निदेशक ने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों को प्रमाण-पत्र दिए।

नौसेना गोदीवाड़ा, बम्बई

नौसेना गोदीवाड़ा, बम्बई में आयोजित दूसरी हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन वाइस एडमिरल, जगत नारायण सुकुल अतिविशिष्ट सेवा मैडल, एडमिरल अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित करके किया।

इस अवसर पर कमोडोर अजय शर्मा, कमोडोर प्रमोद दाते, कमान्डर पी.सी. पुरोहित, कमान्डर के.वी. पाटनकर, लेफ्टिनेंट कमान्डर राकेश मिश्रा, श्री राममूर्ति सिंह एवं श्रीमती निर्मला द्विवेदी आदि अतिथि उपस्थित थे। वाइस एडमिरल सुकुल ने कहा कि अंग्रेजी की मानसिकता हिन्दी के विकास में बाधक है। इसे दूर करना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी की मानसिकता तोड़ने में हिन्दी कार्यशालाओं में दिया गया प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इसके पूर्व कमान्डर पी० सी० पुरोहित, सचिव राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने उपस्थित समूह का स्वागत करते हुए उन्होंने एडमिरल सुकुल के कार्यकाल में हुई हिन्दी के कार्य की प्रगति एवं प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने आगे बताया कि हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताओं की पारितोषिक राशि को पिछले वर्षों की तुलना में लगभग तिगुना कर दिया गया है।

वाइस एडमिरल सुकुल ने हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता-87 के विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए। हिन्दीभाषी वर्ग में प्रथम पुरस्कार श्री विनोद प्रकाश गुप्ता, द्वितीय पुरस्कार श्री त्रियुगी नारायण शर्मा तथा तृतीय पुरस्कार श्री राकेश चौबे को एवं अहिन्दी भाषी वर्ग में प्रथम पुरस्कार श्री सुखबीर सिंह बाजवा, द्वितीय पुरस्कार श्री अंथानी जैकसन तथा तृतीय पुरस्कार श्री बी. नारायणकर को प्राप्त हुआ।

कमोडोर अजय शर्मा ने समापन करते हुए कहा कि फ्रांस तथा रूस अपनी भाषा के बल पर आज विश्व के अग्रणी देशों में हैं। उन्हें अपनी भाषा पर पूरा स्वाभिमान है। हम भी अपने दैनिक कामकाज में अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग करके इसे पूर्ण रूप से राजभाषा की गरिमा प्रदान करें। उन्होंने सफल कर्मचारियों को उत्कर्ष प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

कमान्डर पी. सी. पुरोहित ने आभार व्यक्त किया।

केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, खड़कवासला, पुणे

अनुसंधान शाला में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन निदेशक, डा. जा. सो. तारापोर द्वारा किया गया। कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस आयोजन में उपस्थित थे। कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर सभी उपस्थितों का स्वागत अनुसंधानशाला के संयुक्त निदेशक डा. के. वि. रमण मूर्ति ने किया। उन्होंने कहा कि राजभाषा नीति का अनुपालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि यद्यपि राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में काफी काम हुआ है फिर भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। निदेशक डा. तारापोर ने कहा कि कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करते समय जो संकोच है उसे दूर करने हेतु प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व है कि वे इस प्रकार की कार्यशाला में उपस्थित रहें। डा. (श्रीमती) दुनाखे ने बताया कि सरकारी आदेशों के अनुसार साल में चार कार्यशालाएं आयोजित की जानी हैं ताकि कर्मचारी कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग आसानी से कर सकें।

कार्यशाला के समापन समारोह में वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी श्री एस. एल. जैन, की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। उन्होंने प्रशिक्षित कर्मचारियों/अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक करें। कार्यशाला में सम्मिलित 40 कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र वितरण करते हुए कार्यशाला का समापन हुआ।

मौसम विज्ञान विभाग, पुणे

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधीनस्थ पुणे स्थित मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान) के कार्यालय में सरकारी कामकाज में कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण और मसौदा आलेखन का प्रशिक्षण देने के लिए पांच दिवसीय आठवीं हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री एस. व्ही दातार, मौसम विज्ञान के उप महानिदेशक ने हिन्दी कार्यशाला के शुभारंभ पर प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने हिन्दी कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए सरकारी कामकाज सरल हिन्दी में करने हेतु अनुरोध किया। इस कार्यशाला में पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के सभी चारों कार्यालयों से कुल 5 अधिकारी और 16 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। हिन्दी कार्यशाला में मौसम कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने व्याख्यान दिए।

2. हिन्दी कार्यशाला के समापन दिवस को हिन्दी शिक्षण योजना के अधिकारी श्री आर. व्ही. गौतम ने राजभाषा हिन्दी संबंधी नीति पर व्याख्यान दिया। श्री एस. व्ही. दातार, उपमहानिदेशक ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने 1985 से अब तक हिन्दी कार्यशालाओं के सफल संचालन हेतु श्री राजेन्द्र प्रसाद, मौसम विज्ञानी श्रेणी I की प्रशंसा की।

यूको बैंक, औरंगाबाद
स्थल हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम

यूको बैंक की औरंगाबाद शाखा में अधिकारियों/कर्मचारियों को बैंक के आंतरिक काम काज में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में स्थल हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन मराठवाड़ा विद्यापीठ के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष श्री चन्द्रदेव कवड़े ने किया। इस अवसर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की राजभाषा अधिकारी श्रीमती शशि भारती गोस्वामी भी उपस्थित थीं।

उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता शाखा प्रबंधक श्री पी. एस. ठाकरे ने की और संचालन श्री के. सी. शाह ने किया। स्वागत/परिचय संबंधी औपचारिकताओं के बाद समारोह के आरंभ में अंचल कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री ब्रह्मपाल ने इस प्रशिक्षण के उद्देश्य से कर्मचारियों को अवगत कराते हुए कहा कि यह कार्यक्रम हिन्दी कार्यशाला जैसे प्रशिक्षण से भिन्न है। कार्यशाला में तो विभिन्न शाखाओं के कर्मचारी प्रशिक्षण पाते हैं, उसमें परस्पर समन्वय नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसका उद्देश्य सीमित हो जाता है। व्यावहारिक रूप की झलक उसमें नहीं आ पाती है। इस कार्यक्रम के दौरान एक ही कार्यालय के कर्मचारी प्रशिक्षण लेते हैं जिनमें एक दूसरे के कार्य के साथ तालमेल रहता है अर्थात् वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम के आयोजन की ओर ध्यान गया। पहले यह प्रशिक्षण पणजी-गोवा शाखा में किया गया था, जो अपने उद्देश्य में सफल रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को उसे आबंटित कार्य में हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता के बारे में स्थल पर ही जानकारी दी जाती है और वह जो कार्य करता है उसे हिन्दी में पूरा करने में उसका मार्गदर्शन और सहायता दी जाती है।

श्रीमती शशि भारती गोस्वामी, राजभाषा अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, औरंगाबाद ने कार्यशालाओं एवं ऐसे कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव बताते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण वास्तव में कर्मचारियों के लिए अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुए हैं। अधिकांश कर्मचारी तो ऐसे प्रशिक्षणों से लाभान्वित होकर यह संकल्प लेकर ही जाते हैं कि उन्हें हिन्दी में काम करना है, भले ही उन्हें कोई भी कठिनाई झेलनी हो। उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी। श्रीमती संध्या कुलकर्णी, प्रभारी अधिकारी (राजभाषा), मंडल कार्यालय, पुणे ने अपने मंडल में हिन्दी की प्रगति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तव में अब से एक वर्ष पहले जो स्थिति थी, उसमें काफी सुधार आया है। जहां तक औरंगाबाद शाखा में हिन्दी के प्रयोग का संबंध है, यहां के कर्मचारी काफी उत्साह और रुचि के साथ अपना अधिकांश कामकाज हिन्दी में निपटा रहे हैं।

मुख्य अतिथि श्री कवड़ेजी ने अपने संक्षिप्त अपितु ओजस्वी भाषण के दौरान इस बात पर अधिक जोर दिया कि ग्राहक जिसे बैंकर अपना आश्रयदाता मानते हैं उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करें, यह उनकी सूझबूझ पर निर्भर करता है। भाषा किसी लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम होती है, लक्ष्य नहीं। उस माध्यम में व्यापकता के साथ-साथ सरलता और मधुरता का समावेश आवश्यक होता है। बैंक के लिए ग्राहक चाहे निरक्षर हो, साक्षर हो अथवा लघु उद्यमी हो, उसके स्तर पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि उसके साथ शिष्ट और मधुर व्यवहार ही सराहनीय होगा। हमें प्रशिक्षण को व्यावहारिक रूप देना है, तकनीकी शब्दावली के झंझट में न पड़कर काम चलाने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए।

श्री ठाकरेजी ने अध्यक्षीय पद से बोलते हुए श्री कवड़ेजी के मार्गदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने इस प्रशिक्षण की आवश्यकता

को स्वीकारते हुए कहा कि सभी कर्मचारी/अधिकारी इस प्रशिक्षण का लाभ उठाएं और बैंक में अपने रोजाना के कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। उन्होंने अंचल/मंडल कार्यालय के इस प्रयास को हिन्दी की प्रगति के लिए एक सराहनीय कदम के रूप में निरूपित किया।

समारोह समापन की समाप्ति पर श्री जी. आर. जोशी ने मुख्य अतिथि और सभी आमंत्रितों के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री के.सी. शाह ने समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

आयकर विभाग, कानपुर

आयकर विभाग, कानपुर को इस वर्ष की चौथी हिन्दी कार्यशाला आयकर निरीक्षकों के लिए आयोजित की गई। पंच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य, श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय ने किया। श्री पाण्डेय ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए हिन्दी को मूल चिन्तन से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी में सोचते हैं और उसको हिन्दी में अनुवाद करते हैं, जिससे भाषा का सारा स्वरूप ही बदल जाता है, आवश्यकता मूल रूप से हिन्दी के प्रयोग करने की है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे हिन्दी का प्रयोग करें, तभी हिन्दी का विकास संभव है।

इस अवसर पर आयकर आयुक्त, श्री जी.सी. अग्रवाल, ने श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय के हिन्दी प्रेम की सराहना करते हुए आयकर विभाग के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आह्वान किया कि वे निःसंकोच भाव से सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करें। इस हिन्दी कार्यशाला में आयकर विभाग के 25 आयकर निरीक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में श्री वी.पी. गुप्त, आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) तथा अन्य वरिष्ठ सहायक आयकर आयुक्तों ने भाषण दिए। समारोह का संचालन श्री जयप्रकाश हिलौरी, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, (ओ.एस.डी.) ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री विश्वनाथ प्रसाद कैलखुरी हिन्दी अनुवादक, द्वारा किया गया।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंदौर

लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंदौर में पांच दिवसीय "हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार श्री विनय लाखे ने किया। संस्थान के निदेशक श्री रा.ब. पाण्डे ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों से हिन्दी में और अधिक काम किए जाने पर बल दिया।

श्री वी.सी. बवीशी, उप निदेशक (यांत्रिक) ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से हिन्दी का एक वातावरण बनाता है और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की झिझक दूर होती है।

श्री वि.वि. चांदोरकर, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने संस्थान की हिंदी संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी।

श्री लाखे ने अपने प्रेरणात्मक उद्बोधन में कहा कि अंग्रेजों ने 40 वर्षों में अंग्रेजी को ऐसा फैला दिया कि हम उसके जाल से मुक्त नहीं हो पाये। साथ ही, उन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि हमने अंग्रेजी से यह सबक क्यों नहीं लिया कि 20 वर्ष में हम हिन्दुस्तान को हिन्दीमय कर देंगे। यदि यह नियम बना दिया जाता कि शासकीय सेवा के लिए हिन्दी जानना जरूरी है तो कार्यालयों में हिन्दी का स्वरूप बदल चुका होता।

श्री वी.सी. बवीशी ने कार्यशाला का समापन करते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षणार्थियों ने जो कुछ इस दौरान लिखा है, उसका लाभ उन्हें अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में होगा और वे अधिक काम हिन्दी में कर पाएंगे।

अन्त में संस्थान के प्रभारी हिन्दी अधिकारी श्री प्रदीप कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया।

बैंक आफ इंडिया, मध्य प्रदेश अंचल

मध्य प्रदेश अंचल की वर्ष 1988 की पहली कार्यशाला आंचलिक कार्यालय द्वारा प्राथमिकता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल में आयोजित की गई। जिसमें लगभग 20 अधिकारी उपस्थित हुए। कार्यशाला का उद्घाटन श्री ए.एस. गाडगे, संयुक्त आंचलिक प्रबंधक द्वारा किया गया तथा समापन समारोह में श्री आर.बी. तिवारी, उपआंचलिक प्रबंधक ने उपस्थित होकर प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया। प्रशिक्षक के रूप में श्री तारादत जोशी तथा श्री विलासचन्द तिवारी तथा कार्यशाला का संयोजन मध्यप्रदेश अंचल, राजभाषा विभाग के उपमुख्य अधिकारी श्री सूर्यप्रकाश शर्मा द्वारा किया गया।

मध्य प्रदेश अंचल की वर्ष 1988 की दूसरी कार्यशाला क्षेत्रीय कार्यालय खण्डवा में लिपिक वर्ग के लिए आयोजित की गयी जिसमें 23 लिपिक उपस्थित हुए। कार्यशाला का उद्घाटन साहित्यकार कृष्णा अग्निहोत्री द्वारा किया गया तथा समापन समारोह में श्री श्रीकांत जोशी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया गया। प्रशिक्षक के रूप में सर्वश्री सूर्यप्रकाश शर्मा, विनोदकुमार शर्मा, तथा श्री तारादत जोशी, व विशेष सहायक के रूप में श्री शंभुपाठक रहे। कार्यशाला का संयोजन श्री विनोद कुमार शर्मा ने किया।

मध्य प्रदेश अंचल की वर्ष 1988 की तीसरी कार्यशाला क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर क्षेत्र द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधक, कार्यालय इन्दौर में 30 मई, से 1 जून तक आयोजित की गई। इसमें 23 लिपिक उपस्थित हुए। कार्यशाला का उद्घाटन श्री गोपाल व्यास संपादक-वीणा द्वारा किया गया तथा समापन समारोह में श्री सरोज कुमार ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया।

चित्र समाचार-II

भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्रबंधक श्री सुशील कुमार वर्मा (बाएं से प्रथम)

आकाशवाणी—विदेश प्रसारण प्रभाग में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में (बाएं से) सर्वश्री डॉ. नामवर सिंह, उमेश दीक्षित, डा० मधुकर गंगाधर तथा मोहन निराश

दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली मण्डल कार्यालय में आयोजित हिंदी कार्यशाला की एक झलक

आयकर प्रभार, कानपुर में आयोजित हिंदी कर्मशाला को संबोधित करते हुए श्री जय प्रकाश हिलोरी निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त

भारतीय रिजर्व बैंक शाखा नई दिल्ली में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि डा. महेशचन्द्र गुप्त

भारतीय औद्योगिक सुरक्षा बल, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में हिंदी दिवस का उद्घाटन करते हुए श्री पी० वी० के० पिल्लै

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की में आयोजित वैज्ञानिक व्याख्यान श्रृंखला की एक झलक

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए (बाए से प्रथम) डा. रत्नाकर पाण्डेय, सांसद

हिंदी सेवी डा. प्रतापचन्द्र चन्दर (पूर्व केन्द्रीय मंत्री) का अभिनन्दन करते हुए हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड कलकत्ता के अध्यक्ष श्री रामशंकर मिश्र

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर की बैठक की एक झलक

हैदराबाद में आयोजित कार्यशाला की एक झलक

हिंदी कार्यशाला की झलक।

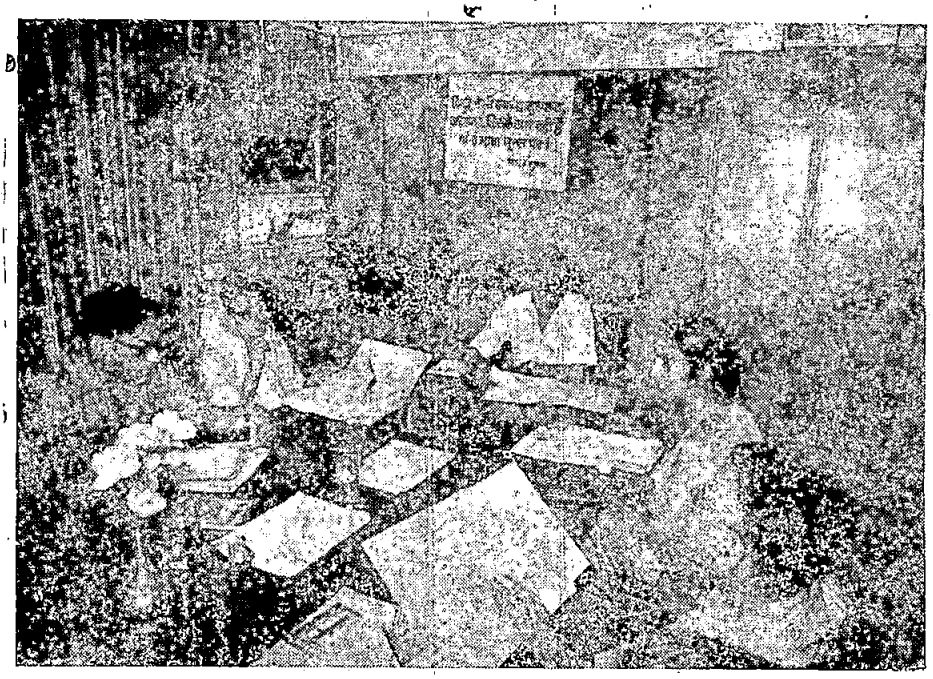

इंडियन आयल कार्पोरेशन, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी कार्यशाला की एक झलक

हिन्दी कार्यशाला का एक दृश्य

19 व 20 फरवरी, 1988 को हिन्दी लिपिक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बाड़मेर व जोधपुर जिले की शाखाओं के हिन्दी मानसेवी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्घाटन जोधपुर अंचल के सहायक महाप्रबंधक श्री गौरीशंकर दास ने किया और बताया कि बैंकों में ज्यादा से ज्यादा कार्य हिन्दी में होना चाहिए। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री इकबाल चन्द्र गुलाटी तथा प्रभारी अधिकारी, राजभाषा कक्ष, जोधपुर तथा जयपुर प्रधान कार्यालय से श्री अशोक कुमार जेठानी ने बैंकों में हिन्दी में कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, अंचल कार्यालय द्वारा दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन अजमेर में किया गया। जिसमें बैंक के अजमेर व नागौर जिले की शाखाओं के हिन्दी मानसेवी प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसका उद्घाटन अजमेर विश्वविद्यालय के अकादमी अधिष्ठाता और भाषाविद श्री भंवरलाल जोशी ने किया। उन्होंने हिन्दी का इतिहास बताते हुए ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में कार्य पर जोर दिया। कार्यशाला की अध्यक्षता शाखा प्रबन्धक, अजमेर स्टेशन रोड, श्री ओमप्रकाश भागवे ने की तथा कार्यशाला का संचालन श्री श्यामसुन्दर शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने अपनी कठिनाइयां बताई और इसके बावजूद उन्होंने यह संकल्प किया कि आगे से वे बैंक में ज्यादा से ज्यादा कार्य हिन्दी में करेंगे। सबको धन्यवाद देते हुए कार्यशाला का समापन श्री हस्तीमल जैन, राजभाषा अधिकारी अंचल कार्यालय, जोधपुर ने किया।

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली में "हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में यूको बैंक की दिल्ली/नई दिल्ली स्थित विभिन्न शाखाओं के 30 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य डा. रत्नाकर पाण्डेय ने किया। इस अवसर पर बैंक के महाप्रबन्धक, डा. ए.सी. पारीख, अंचल प्रबन्धक श्री सतीश गिरोत्रा, सामान्य प्रशासन विभाग प्रबंधक श्री तिलक राज दुआ और अंचल कार्यालय, चंडीगढ़ से आए राजभाषा अधिकारी, श्री रामकिशन गुप्त उपस्थित थे।

"संसद सदस्य डा. रत्नाकर पाण्डेय ने इस बात पर संतोष एवं हर्ष व्यक्त किया कि यूको बैंक, भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, अपने विभिन्न अंचलों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि राष्ट्रीयकृत बैंक हिन्दी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने का प्रशिक्षण प्रदान करने में सराहनीय कार्य किया है। बैंकों का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है, वे अपने ग्राहकों, कर्जा लेने वालों, बैंक की विभिन्न बचत एवं ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी चाहने वालों के सीधे संपर्क में आते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि उसी भाषा को माध्यम बनाया जाए जिसे अधिक से अधिक लोग बोलते और समझते हैं। भारत देश के हर प्रान्त, हर कोने में आसानी से समझ में आने वाली भाषा हिन्दी ही हो सकती है जो सभी राष्ट्रीय भाषाओं एवं क्षेत्रीय बोलियों से प्रचलित शब्दों को चुन कर आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। राजभाषा नीति का पालन करना अत्यावश्यक है। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में संकोच नहीं, गर्व का अनुभव होना चाहिए।

दो दिन की इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को संघ की राजभाषा नीति और उसकी अपेक्षाओं, राजभाषा अधिनियम में की गई व्यवस्थाओं, 1976 में बनाए गए राजभाषा नियमों की जानकारी देने के साथ-साथ, बैंकिंग शब्दावली, हिन्दी में पत्राचार, टिप्पण एवं आलेखन, हिन्दी वर्तनी, देवनागरी में तार, हिन्दी शिक्षण एवं प्रोत्साहन योजना, हिन्दी बर्तनी का मानकीकरण, तिमाही प्रगति रिपोर्ट आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं अभ्यास कराया गया। कार्यशाला का संचालन राजभाषा अधिकारी श्री भविष्य कुमार सिन्हा ने किया।

मथुरा रिफाइनरी

"हिन्दी का विकास सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।" यह उद्गार मथुरा रिफाइनरी राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मथुरा रिफाइनरी के महाप्रबंधक, श्री यशदेव पुरी ने व्यक्त किए। श्री पुरी ने कहा कि जहां हमारी रिफाइनरी एक ओर पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही है, वहीं राजभाषा के बहुमुखी विकास के लिए प्रयत्नशील है। इस कार्यशाला में रिफाइनरी के विभिन्न विभागों के 17 कर्मचारियों ने भाग लिया। श्री माणिक मृगेश, हिन्दी अधिकारी ने हिन्दी कार्यशाला की उपादेयता पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला की समाप्ति पर, प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित करते हुए रिफाइनरी के कार्मिक व प्रशासन प्रबंधक, श्री हीरो रामनाणी ने कहा कि राजभाषा अधिनियम के पहले जहां हम हिन्दी में बात करना भी पसन्द नहीं करते थे, वहीं आज हम अधिकांश कामकाज हिन्दी में ही कर रहे हैं। कार्यशाला की समाप्ति पर, सदस्य सचिव, श्री माणिक मृगेश ने आमंत्रित वक्ताओं, सभी प्रतिभागियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट किया।

रक्षा लेखा नियंत्रक, मेरठ

रक्षा लेखा नियंत्रक (अ.श्रे.) उत्तर, मेरठ छावनी की इस वर्ष की पहली हिन्दी प्रशिक्षण कार्यशाला मुख्यालय मेरठ में दिनांक 11-4-88 से 15-4-88 तक अंशकालिक चलाई

गई। ग्रुप "ग" के कर्मचारियों ने कार्यशाला में पूर्ण उत्साह एवं लगन के साथ भाग लिया। उद्घाटन रक्षा लेखा नियंत्रक श्री जी.एस. राजामनी ने किया।

कार्यशाला में सैद्धांतिक पक्ष के साथ-साथ व्यावहारिक अभ्यास कराया गया।

के०रि०पु० बल महानिदेशालय, नई दिल्ली

महानिदेशालय, के.रि.पु. बल में उपनिदेशक/सहायक निदेशक स्तर की प्रथम कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 22 फरवरी, 88 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक श्री सतीश दत्त पाण्डेय द्वारा किया गया। महानिदेशक महोदय ने अपने संबोधन में कार्यशाला की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उच्च अधिकारी इस दिशा में पहल करें व रुचि लें। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों को राजभाषा अधिनियमों व नियमों का पूरा-पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनको हिन्दी में काम करने के प्रति कितनी रुचि है। कार्यशाला इस दिशा में समुचित वातावरण स्थापित करने में एक "केटेलेटिक एजेंट" का काम करेगी।

उन्होंने खुशी जाहिर की कि कार्यशाला में उपस्थित सभी अधिकारियों को हिन्दी अधिकारी ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई समेकित प्रशासन शब्दावली (अंग्रेजी हिन्दी) की प्रतियां सुलभ कराई हैं। सभी अधिकारियों को इस शब्दावली का अध्ययन करना चाहिए और हिन्दी के नये से नये शब्दों को रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दी अधिकारी एक राजभाषा निदेशिका तैयार कर रहे हैं जो कि सभी पुलिस संगठनों से संबंधित दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्दों, वाक्यांश, कार्यालय के नाम पदनाम एवं राजभाषा नीति संबंधी महत्वपूर्ण आदेशों का संकलन होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कार्यशाला के सम्पन्न होने के पश्चात् सभी अधिकारी अपनी-अपनी शाखा में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में कारगर कदम उठाएंगे तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कार्मिकों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

इलैक्ट्रानिक विभाग, नई दिल्ली

राजभाषा हिन्दी से संबंधित तमाम अधिनियम/नियम/आदेश एक ही स्थान पर उपलब्ध न होने के कारण हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को कभी-कभी यह समझने में भी परेशानी होती है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के संबंध में क्या क्या अपेक्षाएं की गई हैं? उनकी उस कठिनाई को मद्दे नजर रखते हुए अप्रैल 1988 को राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शंभु दयाल जी को इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रभाग-प्रमुखों/ग्रुप-प्रमुखों की सुविधा के लिए कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

श्री शंभु दयाल जी ने इस कार्यशाला में निम्नलिखित मुद्दों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला :—

1. राजभाषा विभाग ने यह निर्णय किया है कि 1 अप्रैल, 1988 से हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी "क" तथा "ख" क्षेत्र (अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पंजाब, गुजरात तथा महाराष्ट्र और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र) में स्थित राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार के कार्यालयों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र हिन्दी में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही, "क" तथा "ख" क्षेत्रों में भेजे जाने वाले पत्रों के मसौदे भी मूल रूप से हिन्दी में तैयार करेंगे।

3. प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना, ये तीन सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के आधार स्तंभ हैं। हालांकि जैसे अन्य सरकारी आदेशों की अवहेलना को अनुशासनहीनता मानकर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है, हिन्दी के प्रयोग के संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। इसके मूल में यह दृढ़ विश्वास काम करता है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपना सरकारी कर्तव्य समझकर इसे खुद ही अपनाएंगे। इसीलिए प्रेरणा, सद्भावना और प्रोत्साहन को प्रमुख स्थान दिया गया है।

4. राजभाषा के नियमों का उल्लंघन दो कारणों से होता है—(1) व्यवस्था का अभाव तथा (2) जानकारी का अभाव।

यदि किसी मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा हिन्दी के प्रभारी राजभाषा अधिकारी इसमें व्यक्तिगत दिलचस्पी लें तो व्यवस्था का अभाव दूर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

जहां तक जानकारी के अभाव का सवाल है, ऐसी ही कार्यशालाओं के आयोजन के जरिए इसे दूर किया जा सकता है।

5. सभी राजपत्रित अधिकारियों को इस बात का सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके हस्ताक्षर से जारी होने वाले सभी सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी हों; यह नहीं कि हिन्दी रूपान्तर बाद में जारी किया जाएगा। यह जरूरी है कि उसके मौलिक स्वरूप पर ध्यान दिया जाए।

6. तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए इस बात का पता चलता है कि किसी विभाग/कार्यालय ने किस हद तक अपना काम हिन्दी में किया। इसलिए कितने पत्र जारी किए

गए इसका हिसाब-किताब रखना भी उतना ही जरूरी। इसके लिए बेहतर होगा कि हिन्दी पत्रों के लिए डायरी तथा प्रेषण रजिस्टर अलग से रखे जाएं। सभी अधिकारी अपने-अपने प्रभाग/अनुभाग में यदि इस बात का इत्मीनान कर लें तो एक ओर तो तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने में आने वाली अड़चनें दूर हो सकती हैं, तो दूसरी ओर विश्वसनीय आंकड़े भी प्राप्त हो सकते हैं।

7. अब "मूल पत्राचार" के स्थान पर केवल "पत्राचार" शब्द रखा गया है ताकि किसी भी तिमाही में यह पता लगाया जा सके कि अंग्रेजी पत्रों की तुलना में हिन्दी में कितने पत्र जारी किए गए। वर्ष 1988-89 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा विभाग द्वारा पत्राचार के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :—

(i) "क" क्षेत्र के केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से "क" और "ख" क्षेत्र के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रों का लक्ष्य 80% रखा गया है।

(ii) "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि के बीच तथा "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थित किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों, उसके कार्यालयों या किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रों का लक्ष्य 100% रखा गया है, जबकि "ग" क्षेत्र स्थित अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों को ऐसे कार्यालयों से भेजे जाने वाले पत्रों का लक्ष्य केवल 10% रखा गया है।

इस वर्ष सभी अधिकारियों को ये लक्ष्य हासिल करने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए।

8. **मानक मसौदे** : सभी अधिकारियों को अपने प्रभागों/अनुभागों में इस्तेमाल होने वाले मानक मसौदों का हिन्दी अनुवाद करा लेना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने का यह एक सबसे बढ़िया तरीका है। जिन मंत्रालयों/विभागों ने राजभाषा शील्डें प्राप्त की हैं,, उनमें से अधिकांश ने यही जरिया अपनाया है।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अधिकारियों की ओर से डॉ. विनय धर्माधिकारी ने जानना चाहा कि जहां-जहां हिन्दी में अपेक्षित स्तर प्राप्त किया गया है, उसके प्रमुख कारण क्या हैं और क्या हिन्दी में काम करने से स्टाफ मोटिवेशन और कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होती है? राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री दयाल ने कहा कि इसका अध्ययन किया जाएगा और परिणामों से अवगत कराया जाएगा।

सर्वश्री भा.ना. भागवत, सत्यनारायण जिन्दल और आर.के. चक्रवर्ती ने कहा कि इलेक्ट्रानिकी विभाग में अधिकांश काम लाइसेंसिंग का होता है और यह सारा काम-काज हिन्दी में हो सकता है, सशर्ते, औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (SIA) और संबद्ध संगठनों द्वारा निर्धारित फार्म और अन्य साहित्य हिन्दी में सुलभ कराए जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा अन्य संबद्ध विभागों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश फार्म और मानक-मसौदे औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (SIA), औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव महोदय से अनुरोध किया कि ऐसा होने पर न केवल इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में बल्कि लाइसेंसिंग कार्य से संबंधित अन्य विभागों में भी सारा कामकाज हिन्दी में होने लगेगा।

कुल मिलाकर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित यह कार्यशाला अपने उद्देश्य में काफी सफल रही है। यह कार्यशाला इस शृंखला की पहली कड़ी थी, इसकी सफलता से प्रेरित होकर आगे भी इसी प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित की जाती रहेंगी।

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली

संघ लोक सेवा आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 53वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पहली बार वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जो एक अभिनव प्रयोग था। इस कार्यशाला में उप सचिव तथा अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को ही शामिल किया गया। उद्देश्य यह था कि उच्च अधिकारियों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाया जाए ताकि नीचे के कर्मचारियों को हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने में प्रोत्साहन मिले।

आयोग के कार्यवाहक सचिव, श्री पूर्णचन्द होता ने इस कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि "टूटी-फूटी अंग्रेजी के स्थान पर टूटी-फूटी हिन्दी लिखनी बेहतर है।"

इस कार्यशाला में जहां एक ओर डा. परमानन्द पांचाल, निदेशक (राजभाषा) ने अधिकारियों को सरकार की राजभाषा नीति के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी वहीं दूसरी ओर आयोग के अपर सचिव, श्री चन्द्रधर त्रिपाठी ने प्रशिक्षणार्थियों से आग्रह किया कि वे स्वतन्त्र रूप से अपने विचार हिन्दी में ही व्यक्त करें। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजी का अक्षरशः अनुवाद नहीं करना चाहिए।

इस कार्यशाला के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश केडर के भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री निर्मल एन्ड्रयूज, संयुक्त सचिव (सेवाएं) ने बहुत रोचक ढंग से अधिकारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित किया और बताया कि किस प्रकार उन्होंने अहिन्दी भाषी होते हुए भी मध्य प्रदेश में अपना संपूर्ण और यहां तक कि विधिक कार्य भी केवल हिन्दी में ही किया।

कार्यशाला का चौथा और अन्तिम भाषण संयुक्त सचिव श्री सुबोध बिहारी लाल ने फाइलों पर सामान्यतः प्रयोग में आने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों और वाक्यांशों का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अभ्यास करवाया। इसी दिन कार्यशाला के दूसरे सत्र में समापन समारोह किया गया जिसमें मुख्य अतिथि आयोग के माननीय सदस्य श्री जगदीश राजन थे। समारोह की अध्यक्षता श्री पूर्णचन्द्र होता ने की तथा यह कार्यक्रम राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव, श्री शंभु दयाल एवं आयोग के अपर सचिव श्री चन्द्रधर त्रिपाठी के सान्निध्य में संपन्न हुआ। प्रेरणा के दो शब्द कहते हुए श्री शंभु दयाल ने कहा कि "हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि के तीन आधार हैं—"प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना"। उन्होंने कहा कि —"यह बड़े दुख और विडम्बना की बात है कि अपने ही देश में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता पड़ती है।"

अहिन्दी भाषी होते हुए भी मध्यप्रदेश में मैंने अपना संपूर्ण और यहां तक कि विधिक कार्य भी केवल हिन्दी में ही किया।

—निर्मल एण्ड्रयूज

प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पश्चात् श्री जगदीश राजन ने कहा कि—"हिन्दी देश की सम्पर्क भाषा है और देश की आत्मा की अभिव्यक्ति इसी भाषा में होती है। हमें अन्य भाषाओं के शब्दों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के जो शब्द हमारी भाषा में रच-पच गए हैं हमें उनको स्वीकार करना चाहिए।"

समारोह में अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्री पूर्णचन्द होता ने कहा कि आयोग के कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना तीनों ही मौजूद हैं। इस अवसर पर आयोग के उच्च अधिकारियों के अलावा राजभाषा विभाग के निदेशक डॉ. महेश गुप्त और भूतपूर्व राजभाषा निदेशक श्री मदन शर्मा भी उपस्थित थे।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली

बोर्ड में पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री रामचन्द्र गुप्ता (सचिव) ने किया। श्री गोविन्द दास बेलिया, उप-सचिव, राजभाषा विभाग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री गुप्ता ने अपने संदेश में कहा कि हमें राजभाषा हिन्दी को समुचित स्थान दिलाना है। कार्यशाला के आयोजन का मन्तव्य यह है कि हम राजभाषा अधिनियम, उसके अन्तर्गत बने नियमों, आदेशों व अनुदेशों का बोर्ड में अनुपालन करा सके।

श्री बेलिया, उप-सचिव, (राजभाषा) ने हिन्दी कार्यशाला की उपादेयता बताते हुए कार्यालयीन काम काज में हिन्दी में अधिक से अधिक टिप्पणी एवं पत्र-व्यवहार बढ़ाने की अपील की तथा राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला।

डा. पुष्पलता सिंह, हिन्दी अधिकारी ने सचिव, उप-सचिव राजभाषा विभाग तथा कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। श्री बेलिया ने "राजभाषा नीति" विषय पर व्याख्यान दिया।

दि मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि. नई दिल्ली

कारपोरेट कार्यालय में प्रभागीय प्रबन्धकों के लिए दो दिन की हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्घाटन करते हुए निगम के अध्यक्ष श्री सत्यकृष्ण अग्रवाल ने निगम में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के संबंध में संक्षिप्त परिचय दिया।

प्रारंभिक वक्ता, भूतपूर्व संसद सदस्य श्री लाडली मोहन निगम ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन की सर्वमान्य भाषा हिन्दी थी और अहिन्दी भाषी राष्ट्र नेताओं ने ही सर्वप्रथम हिन्दी की क्षमता और महत्ता को स्वीकार करते हुए इसे राष्ट्र-भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया।

निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, श्री शिवसागर मिश्र ने हिन्दी के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाषा का संबंध किसी धर्म या संप्रदाय से नहीं होता बल्कि इसका बुनियादी आधार सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थितियां होती हैं जो जनता की आशाओं-आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम होती हैं, इसीलिए आपसी भावात्मक तथा रागात्मक संबंध बनाए रखने में किसी देश की अपनी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी थे। उन्होंने अपने व्याख्यान में वाणिज्य मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों, विशेषकर एमएमटीसी में हिन्दी के प्रयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए इस प्रकार की हिन्दी कार्यशालाओं के संचालन की प्रशंसा की।

कवि डा. शेर जंग गर्ग ने "अनुवाद कला" पर अपना व्याख्यान दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष डा. विजयेन्द्र स्नातक ने अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त की।

दूसरे दिन प्रथम सत्र के वक्ता थे—रीडर (हिन्दी विभाग) दिल्ली विश्वविद्यालय के डा. भोला नाथ तिवारी। उन्होंने विभिन्न राज्यों द्वारा निर्मित हिन्दी की तकनीकी शब्दावली में एकरूपता लाने पर बल दिया।

भाषा विज्ञान के विद्वान डा. अशोक कालड़ा ने देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर अपना रोचक वक्तव्य दिया ।

संसद सदस्य तथा हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान डा. रत्नाकर पाण्डेय ने राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर बल दिया तथा अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं के प्रयोग को हर भारतीय का प्राथमिक कर्तव्य बताया । भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जब हमारा राष्ट्र चिह्न और राष्ट्र ध्वज अपना है तो अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हमारी राष्ट्रभाषा भी अपनी ही हो । भाषा किसी भी जनमानस की भावाभिव्यक्ति की माध्यम होती है और गुलामी की भाषा में न तो हम भावाभिव्यक्ति कर सकते हैं और न ही हमारा राष्ट्र। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी गति और भी तीव्र होगी । इस दिशा में उन्होंने निगम में अब तक किए गए कार्य की सराहना की । इस संबंध में उन्होंने एमएमटीसी समाचार का उदाहरण दिया और पत्रिका में हिन्दी का अंश अंग्रेजी से पहले रखने और हिन्दी लेखों के लिए अंग्रेजी के बराबर पृष्ठ निर्धारित करने के लिए एमएमटीसी की सराहना की। डा. रत्नाकर पाण्डेय ने प्रभागीय प्रबंधकों को प्रमाणपत्र प्रदान किए ।

कार्यक्रम का समापन हिन्दी के प्रतिष्ठित पत्रकार तथा नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक श्री राजेन्द्र माथुर के वक्तव्य से हुआ । उन्होंने कहा कि भाषा और जनता के बीच खाई पैदा करने का अतीत काल से ही प्रयास हुआ है, जो आज भी जारी है । यदि आज के अभिजन की भाषा अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी और भारतीय भाषाएं बन जाए तो आज का भारत एक नए भारत में परिवर्तित हो जाएगा । अंत में सुश्री सुनीता बुद्धिराजा, संयुक्त प्रभागीय प्रबंधक ने कार्यशाला में भाग लेने-वालों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

ई.टी. एण्ड टी., नई दिल्ली

हिन्दी के प्रयोग, प्रचार-प्रसार तथा उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम जरूरी है कि कर्मचारियों के मन में हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर किया जाए। इसी दृष्टि से ई.टी. एण्ड टी. में हर वर्ग के कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं लगायी जाती है । उप-महाप्रबंधक से लेकर प्रबंध-निदेशक के स्तर के उच्च अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

कार्यशाला का उद्घाटन राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शंभू दयाल द्वारा किया गया । इस अवसर पर उन्होंने भारत सरकार की राजभाषा नीति, अधिनियम तथा नियमावली के बारे में बहुत ही सूक्ष्मता से एक-एक पहलू पर चर्चा की । सभी अधिकारियों ने इस चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त किये । प्रबंध निदेशक श्री बिमल महान्ती ने मत व्यक्त किया कि हिन्दी का काम कनिष्ठ स्तर पर काफी मात्रा में किया जा रहा है तथा वरिष्ठ प्रशासक फाइलों पर छोटी बड़ी टिप्पणियां हिन्दी में करके अपना सहयोग दे सकते हैं, खासकर हिन्दी में हस्ताक्षर करके तथा हिन्दी में छोटे-बड़े आर्डर पास करके । इस थोड़े से प्रयास से अन्य श्रेणियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा । फाइल कवरों के अन्दर छपी हुई संक्षिप्त टिप्पणियों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया ।

अन्त में महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) श्री श्यामलेन्दु नियोगी ने श्री शंभु दयाल, श्री महान्ती तथा अन्य उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्री दयाल ने नियमों को इतने सुन्दर और सरल तरीके से बताया है कि वे हमेशा के लिए हम लोगों के मन में बने रहेंगे ।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला, नई दिल्ली

क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, नई दिल्ली और केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, दिल्ली केन्द्र के संयुक्त तत्सावधान में 4 दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

इस कार्यशाला में संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के संकोच को दूर करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया और इस प्रशिक्षण के दौरान कार्यालयी टिप्पणी, मसौदा-लेखन और पत्राचार आदि का अभ्यास करवाया गया । कार्यशाला में लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली और क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के 26 कर्मचारियों ने नियमित रूप से भाग लिया । प्रशिक्षण का यह सारा कार्यभार केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, दिल्ली केन्द्र के शिक्षकों पर था । उन्होंने अपने इस दायित्व को बड़े मनोयोग और निपुणता से निभाया ।

इस कार्यशाला का विधिवत् उद्घाटन डा. धर्मवीर, भारतीय प्रशासनिक सेवा, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान ने किया और इस सत्र की अध्यक्षता केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, दिल्ली केन्द्र के प्रभारी एवं प्रोफेसर मा.गो. चतुर्वेदी ने की तथा कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के निदेशक श्री ए. बन्धोपाध्याय ने किया ।

तत्पश्चात् संस्थान के उपनिदेशक श्री वी. डी. नारंग की अध्यक्षता में कार्यशाला का समापन समारोह सम्पन्न हुआ, और अन्त में इस चार दिवसीय हिन्दी कार्यशाला के संयोजक श्री चन्द्र मोहन मधरा ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार प्रकट किया । □

भारत सरकार

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

प्रवेश सूचना

नए भर्ती हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 1988 से 19 अप्रेल, 1989 के दौरान संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले पूर्ण दिवसीय गहन हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

राजभाषा विभाग के दिनांक 10-9-1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-18015/6/86-रा.भा.(ई) द्वारा सूचित किया जा चुका है कि केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्त संस्थानों, संगठनों एवं बैंकों आदि के नए भर्ती हुए या प्रोबेशन पर चल रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रबोध, हिन्दी प्रवीण तथा हिन्दी प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के पूर्णकालिक गहन हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है ।

2. यह देखा गया है कि नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों का हिन्दी का प्रशिक्षण नियत समय में पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा यह महसूस किया गया है कि नए भर्ती हुए कर्मचारियों को उनके प्रोबेशन के दौरान ही हिन्दी में प्रशिक्षित कर दिया जाए । अतः सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि नीचे लिखे पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित कर इस सुविधा का लाभ उठाएं । पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :—

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि (कार्य दिवस)	प्रशिक्षण की तिथि
1	2	3	4
1.	हिन्दी प्राज्ञ	15	9-9-1988 से 29-9-1988 तक
2.	हिन्दी प्रबोध	25	10-10-1988 से 17-11-1988 तक
3.	हिंदी प्राज्ञ	15	12-10-1988 से 4-11-1988 तक
4.	हिन्दी प्रवीण	20	18-11-1988 से 16-12-1988 तक
5.	हिन्दी प्राज्ञ	15	19-12-1988 से 06-1-1989 तक
6.	हिन्दी प्रबोध	25	16-1-1989 से 20-2-1989 तक
7.	हिन्दी प्राज्ञ	15	25-1-1989 से 15-2-1989 तक
8.	हिन्दी प्रवीण	20	21-2-1989 से 20-3-1989 तक
9.	हिन्दी प्राज्ञ	15	21-3-1989 से 10-4-1989 तक
10.	हिन्दी प्राज्ञ	15	26-4-1989 से 16-5-1989 तक

3. राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है और सरकार यथाशीघ्र इस प्रशिक्षण को पूरा कर लेना चाहती है । अतः अनुरोध है कि दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा अपने नियंत्रणाधीन निगमों/उपक्रमों/कम्पनियों, अभिकरणों, संगठनों, स्वायत्त संस्थानों आदि के प्रशिक्षण के पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम अधिक से अधिक संख्या में नामित करके केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल पर्यावरण भवन सी० जी० ओ० काम्प्लैक्स,

नई दिल्ली में पाठ्यक्रम के आरम्भ होने से कम से कम दस दिन पूर्व अवश्य भेज दें।

हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

संस्थान में अक्तूबर तथा दिसम्बर 1988 से प्रारम्भ होने वाले उपर्युक्त पाठयक्रमों में नए भर्ती हुए कर्मचारियों को, जिनका सरकारी नौकरी में प्रोबेशन चल रहा है, प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। परन्तु स्थान रिक्त होने पर पुराने कर्मचारियों को भी दाखिल किया जा सकता है।

संस्थान के पाठ्यक्रमों के लिए नामित दिल्ली से बाहर के कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित दर पर छात्रावास की सीमित सुविधा भी उपलब्ध है।

अगस्त 1988, अक्तूबर, 1988, तथा दिसम्बर, 1988 से आरम्भ होने वाले हिन्दी टाइपलेखन और हिन्दी आशुलिपि पाठ्यक्रमों का पूरा विवरण इस प्रकार है--

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण केन्द्र का स्थान
1.	हिन्दी टाइपिंग	40 कार्य दिवस	9-8-1988 से 6-10-1988 तक	2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-11
2.	हिन्दी टाइपिंग	40 कार्य दिवस	24-10-1988 से 21-12-1988 तक	--वही--
3.	हिन्दी टाइपिंग	40 कार्य दिवस	22-12-1988 से 16-2-1989 तक	--वही--
4.	हिन्दी आशुलिपि	80 कार्य दिवस	24-10-1988 से 16-2-1989 तक	--वही--

प्रवेश के लिए पात्रता, पाठ्यक्रम, उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परीक्षा शुल्क सम्बन्धी सूचनादि के लिए कृपया 'राजभाषा भारती' अंक 41 (जनवरी-मार्च 1988) का 'विविधा स्तम्भ देखें अथवा निदेशक, के. हि. प्र. संस्थान, 7वां तल, पर्यावरण भवन, सी जी ओ. काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली से सम्पर्क करें।

संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त पाठ्यक्रमों हेतु अपने कर्मचारियों के नाम प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से कम-से-कम दस दिन पहले अवश्य संस्थान को भेज दें तथा नामित कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दिन प्रातः 9-30 बजे संस्थान के 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली स्थित हिन्दी टाइपलेखन एवं आशुलिपि केन्द्र पर उपस्थित होने के लिए निदेश दें।

प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण का माध्यम

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार सरकार के नियंत्रण में चल रहे सभी प्रशिक्षण संस्थानों में दिनाक 1-1-1989 से प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी को भी बनाया जाना है। इसी सिलसिले में दिनाक 4-4-1988 को राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी. बी. महाजन की अध्यक्षता में देश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई का विकल्प बनाया जाए। यह जरूरत महसूस की गई कि संस्थानों के उन फैकल्टी सदस्यों को जो हिन्दी तो जानते हैं लेकिन पूरे विश्वास के साथ हिन्दी में अपना लेक्चर नहीं दे पा रहे हैं उन्हें हिन्दी का अभ्यास करवा दिया जाए।

कम हिन्दी जानने वाले ऐसे फैकल्टी मेम्बरों की इस जरूरत को महसूस करते हुए सचिव महोदय की महती प्रेरणा, सक्रिय सहयोग और आदेशों के फलस्वरूप दिनाक 11-7-1988 को राजभाषा विभाग के केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली ने भारत के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से आए 37 संकाय सदस्यों की एक 10 कार्य दिवसीय विशेष हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया था। सचिव (राजभाषा) श्री बी० बी० महाजन ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शंभु दयाल तथा निदेशक (तकनीकी) श्री कौशिक मुखर्जी भी उदघाटन के समय उपस्थित थे।

उद्घाटन से पूर्व राजभाषा विभाग के निदेशक (तकनीकी) श्री कौशिक मुखर्जी ने केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की बढ़ती हुई गतिविधियों का सम्यक परिचय दिया। निदेशक डा. धर्मवीर ने बताया कि यद्यपि राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना देश के सभी बड़े शहरों में पिछले 33 वर्षों से चल रही है किन्तु राजभाषा विभाग द्वारा यह अनुभव किया गया कि जितनी तेजी से हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए उतनी तेजी से यह काम नहीं हो पा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 21 अगस्त 1985 को नई दिल्ली में केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान की स्थापना करने का सबसे

बड़ा मकसद यह था कि भारत सरकार के नियमित पुराने अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ साथ नए भर्ती हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके प्रोबेशन काल के दौरान ही दूसरे विभागीय प्रशिक्षणों की तरह हिन्दी का गहन प्रशिक्षण इंटेंसिव ट्रेनिंग कोर्स भी दिया जाए ताकि अपनी नियमित सेवा में प्रवेश करते ही वे अपना सरकारी काम हिन्दी में कर सकें। संस्थान की अब तक की गतिविधियों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि संस्थान हिन्दी भाषा तथा हिन्दी टंकण/आशुलिपि के अनेक ट्रेनिंग कोर्सों और रिफ्रेशर कोर्सों के साथ-साथ हिन्दी कार्यशालाएं चला चुका है। कई कार्यशालाएं अवर सचिव, उप सचिव तथा निदेशक के स्तर की चल चुकी है। सचिवों, अपर सचिवों तथा संयुक्त सचिवों जैसे उच्च स्तर के अधिकारियों के सेमिनार का भी आयोजन हो चुका है। 1 जनवरी, 1985 से आज तक गहन हिन्दी प्रशिक्षण के 60 पाठ्यक्रम चलाए गए। इनमें 1158 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अक्तूबर 1986 से आज तक हिन्दी टाईपिंग के आठ सत्र चले। इनमें 257 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आशुलिपि में सितम्बर 1987 से आज तक पाँच सत्र चले। इनमें 73 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज की इस कार्यशाला से हमारे पाठ्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ रही है।"

. . .

सचिव (राजभाषा) श्री बी. बी. महाजन ने 37 फैकल्टी सदस्यों की इस कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हर क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को धीरे धीरे बढ़ाना राजभाषा विभाग की नीति रही है। राजभाषा विभाग के दिनांक 11 नवम्बर 1987 के कार्यालय ज्ञापन की ओर निर्देश करते हुए उन्होंने हिन्दी में प्रशिक्षण आरम्भ करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्णय से प्रतिभागियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में अब तक अंग्रेजी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। सरकार के उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में ही इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अगले वर्ष के आरम्भ से आपके प्रशिक्षण केन्द्रों पर हिन्दी को भी प्रशिक्षण का माध्यम बनाया जा सके और प्रशिक्षण देते समय आप अपनी बात हिन्दी में कह सकें और दूसरों की बात हिन्दी में समझ सकें इसी का अभ्यास करवाने के लिए आपको इस कार्यशाला में बुलवाया गया है। प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए श्री महाजन ने स्पष्ट किया कि हिन्दी के मामले में किसी प्रकार की जोर-जबरदस्ती सरकार की नीति नहीं है। इसके साथ जो लोग हिन्दी जानते हैं और अपना काम हिन्दी में कर सकते हैं कानून में उन्हें हिन्दी में काम करने का अवसर है। अब उन्हें हिन्दी में काम करने की सुविधाएं भी जुटानी हैं। अब तक अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाने के अभ्यस्त फैकल्टी सदस्यों को विभागीय प्रशिक्षण हिन्दी में देने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हें अपने भाषणों में मिली जुली भाषा का ही प्रयोग करना है। सरकार की नीति भी यही है। आप निःसंकोच अपने विषय से संबंधित अंग्रेजी के टेक्नीकल शब्दों का प्रयोग अपने भाषण में करें। केवल उन शब्दों को क्रिया और व्याकरण हिन्दी का दे दें। यही राजभाषा हिन्दी होगी। अभ्यास की कमी के कारण हिन्दी लिखने बोलने में जो झिझक आप महसूस करते हैं उस संकोच को दूर करने के लिए ही इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। प्रतिभागियों से सचिव महोदय का कहना था कि यदि वे इस प्रशिक्षण के दौरान कभी पाएं या कहीं संतुष्ट न हों तो अपनी बात निःसंकोच संस्थान के पदाधिकारियों को बताएं। इस प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आपके सुझावों का स्वागत किया जाएगा।"

. . .

संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री शंभुदयाल ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकार की राजभाषा नीति मिली जुली भाषा की है। यही सही हिन्दी है। ऐसी हिन्दी बोलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। यदि आवश्यक समझे तो प्रशिक्षण की पाठ्य सामग्री का अनुवाद भी करवाया जा सकता है। पच्चीस कर्मचारियों पर एक अनुवादक की नियुक्ति की जा सकती है। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाए कि जनवरी 1989 से आपके ट्रेनिंग कोर्सों की सामग्री द्विभाषिक होनी चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने वालों को विकल्प दिया जाए। जैसा कि सचिव महोदय ने कहा था कि लिखते समय शायद आपको अंग्रेजी शब्द का हिन्दी पर्याय खोजना पड़ सकता है पे-ईन स्लिप और सिक्योरिटी चैक लिखने में तो दिक्कत हो सकती है। किन्तु भाषण के दौरान बोलते समय इन्हे इसी रूप में बोलें। उस समय पर्यायवाची खोजने के लिए अपने दिमाग पर बोझ न डालें। ऐसा करने से आपका भाषा प्रवाह बना रहेगा। श्री दयाल ने आगे कहा कि मिली जुली हिन्दी से आपको अधिक लाभ होगा। इस कार्यशाला में प्रतिभागी भी भाषणों में भाग लें। सभी को अवसर दिया जाए। प्रतिभागी यह समझें कि वे अपनी क्लास को संबोधित कर रहे हैं। हिन्दी में प्रश्नोत्तर हो। इससे भाषा पर अधिकार बढ़ता है। सभी को एक दूसरे के विभाग और विषय का ज्ञान हो जाता है। अपना स्वयं का अनुभव सुनाते हुए संयुक्त सचिव महोदय ने बताया कि हाल ही में उन्होंने अपने आई. ए. एस. के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के दौरान इसी मिश्रित हिन्दी का प्रयोग किया है। मिश्रित हिन्दी का प्रयोग कितना सरल है, इसके लिए उन्होंने सचिव महोदय का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि हमारे सचिव महोदय ने कभी हिन्दी नहीं पढ़ी। वे अहिन्दी भाषी हैं। किन्तु बहुत थोड़े समय में वे बहुत अच्छी हिन्दी बोलने लगे हैं। राजभाषा हिन्दी का बहुत अच्छा उदाहरण उनके भाषण में आप लोगों ने अभी देखा है। वे अपनी बात बड़ी आसानी से आपके सामने रख पाए हैं। मैं समझता हूं कि हिन्दी के इसी मिले-जुले रूप को अपनाने पर आपको भी किसी किस्म

की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजभाषा विभाग को इस कार्यशाला के सम्बन्ध में आपके सुझावों की प्रतिक्षा रहेगी।

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

नए अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो का शुभारंभ

पहली जुलाई, 1988 से केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के दिल्ली, बम्बई, बैंगलूर तथा कलकत्ता स्थित अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के नए सत्रों का शुभारंभ किया गया। इससे पूर्व 30 जून 1988 को पिछले सत्रों के समापन समारोह आयोजित किए गए। सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र, रजत तथा कांस्य पदक प्रदान किए गए।

दिल्ली प्रशिक्षण केन्द्र

दिल्ली केन्द्र में 43 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हुए। रजत पदक श्री आर. एन. प्रसाद तथा कांस्य पदक श्रीमती सविता छाबड़ा ने प्राप्त किए।

मुख्य अतिथि के रूप में राजभाषा विभाग के सचिव, श्री श्री बी. बी. महाजन ने सफल प्रशिक्षणार्थियों को पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान किए और उन्हें संबोधित करते हुए भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा प्रशिक्षणार्थियों के इस संदर्भ में दायित्व पर बहुत ही प्रभावकारी विचार प्रकट किए। श्री महाजन ने कहा कि निश्चित रूप से हिन्दी भारत संघ की राजभाषा है और सरकार इस सांविधानिक दायित्व से जुड़ी हुई है। भारत सरकार का यह दायित्व है कि उस के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा उपक्रमों आदि का कामकाज राजभाषा में किया जाए। श्री महाजन ने कहा कि यदि हमें किसी अंग्रेजी भाषा के तकनीकी अथवा विशिष्ट शब्द का हिन्दी पर्याय उपलब्ध न हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसे में हमें अंग्रेजी के मूल शब्द को ही देवनागरी लिपि में लिखकर अपनी बात को अभिव्यक्त कर देना चाहिए।

समापन के प्रारंभ में कार्यकारी निदेशक, श्री विनोद कुमार बजाज ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और समापन की समाप्ति पर उपनिदेशक, डा. कृष्ण कुमार गुप्त ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

बम्बई प्रशिक्षण केन्द्र

बम्बई स्थित अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र के 14वें सत्र का समापन समारोह भी 30 जून, 1988 को नवभारत टाइम्स के समाचार संपादक श्री सरयू प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस सत्र में 28 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से रजत पदक श्री खगेश्वर प्रसाद यादव तथा कांस्य पदक श्री पी. बी. सिंह ने प्राप्त किए। कुल 6 प्रशिक्षणार्थी उत्कृष्ट, 14 बहुत अच्छा और 8 अच्छा के वर्ग में रहे। श्री पाण्डेय ने अपने भाषण में इस केन्द्र के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की उपयोगिता की सराहना की और कहा कि इस केन्द्र में प्राप्त प्रशिक्षण के उपरान्त विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के कार्य की गति को बल मिलेगा और कार्य के स्तर में भी निश्चित रूप से सुधार होगा।

बैंगलूर प्रशिक्षण केन्द्र

बैंगलूर अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र के 11वें सत्र का समापन समारोह 29 जून 1988 को सम्पन्न हुआ। कार्पोरेशन बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार धर इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को पदक तथा प्रमाणपत्र वितरित किए। कुल 32 प्रशिक्षणार्थियों ने इस सत्र में भाग लिया जिनमें से 17 उत्कृष्ट, 9 बहुत अच्छा और 6 अच्छा की श्रेणी में रखे गए। प्रथम स्थान क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के हिन्दी अधिकारी, श्री विनय शर्मा ने और दूसरा स्थान आकाशवाणी, धारवाड के हिन्दी अनुवादक श्री हर्ष सिंह ने प्राप्त किया। उन्हें क्रमश रजत और कांस्य पदक प्रदान किए गए।

मुख्य अतिथि श्री धर ने प्रशिक्षणार्थियों के उत्साह की सराहना की और अनुरोध किया कि वे अपने अपने कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिन्दी का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयत्न करें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केन्द्र अपने उद्देश्य में जिस तत्परता से लगा हुआ है उसके अच्छे परिणाम अवश्य सामने आएंगे।

कलकत्ता प्रशिक्षण केन्द्र

कलकत्ता स्थित अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र के तीसरे सत्र का समापन 30 जून, 1988 को चौरंगी 8 प्लेस स्थित आयकर भवन में मुख्य कार्यकारी आयुक्त, श्रीमती एस. सुब्रह्मण्यन की अध्यक्षता में हुआ, 26 प्रशिक्षणार्थी सत्र में सम्मिलित हुए थे। रजत पदक श्री संजय मिश्र तथा कांस्य पदक श्री प्रभाकर पाण्डेय ने प्राप्त किए। आयोजन के प्रारम्भ में केन्द्र की प्रशिक्षणार्थी पुष्पा ज्वान और रीता मुखर्जी ने मुख्य अतिथि और अध्यक्षा श्रीमती एस सुब्रह्मण्यन को माल्यार्पण किया। श्रीमती सुब्रह्मण्यन ने हिन्दी कार्यान्वयन समिति की बाध्यता और इसके लिए कारगर उपायों पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर जोर दिया कि अनुवाद में सरल एवं सबकी समझ में आने वाली हिन्दी का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है।

विदेश प्रसारण प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली

2 मई 1988 को राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉ. नामवर सिंह, अध्यक्ष, हिन्दी भाषा विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने की। प्रभाग में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को डॉ. नामवर सिंह ने पुरस्कार प्रदान किए।

हिन्दी में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत

रक्षा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु) को राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग व बढ़ावा देने पर वर्ग 'ख' में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके लिए रक्षामंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पंत से निदेशालय की तरफ से डॉ. एस. ए. हुसैनी, निदेशक ने ट्राफी प्राप्त की।

रेडियो कश्मीर, जम्मू

रेडियो कश्मीर, जम्मू की ओर से एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस में जम्मू स्थित केन्द्रीय कार्यालयों, बैंक तथा निगमों के कर्मचारयों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता आरम्भ होने से 10 मिनट पहले विषयों की घोषणा की गई थी।

प्रथम पुरस्कार रेडियो कश्मीर, जम्मू के श्री सुभाष शर्मा को, दूसरा राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक के श्री मनोज शर्मा को तथा तृतीय पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक के श्री त्रिलोक सिंह को और सांत्वना पुरस्कार रेडियो कश्मीर, जम्मू के श्री सौजन्य शर्मा को मिला।

इस अवसर पर जम्मू प्रान्त के शिक्षा निदेशक प्रो. जी. पी. सिंह ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने रेडियो कश्मीर, जम्मू की प्रशंसा करते हुए कहा कि राष्ट्र भाषा को गति प्रदान करने में आकाशवाणी और दूरदर्शन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेडियो कश्मीर, जम्मू "ग" क्षेत्र में स्थित है। जहाँ पर 10% कार्य हिन्दी में करके भी काम चलाया जा सकता है परन्तु, रेडियो द्वारा हिन्दी में हो रहे कार्य की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर हिन्दी में कई गुणा कार्य हो रहा है यह खुशी की बात है। इससे अन्य कार्यालय भी प्रेरणा ले सकते हैं।

अधीक्षक अभियन्ता श्री के. के. मल्होत्रा ने कहा कि कार्यालय में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने पिछले वर्ष हुए हिन्दी कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया तथा आगामी वर्षों में हिन्दी प्रयोग में वृद्धि के लिए कई योजनाओं की घोषणा की।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का स्वर्णजयन्ती समारोह

समिति द्वारा 30 दिसम्बर, 1987 से 2 जनवरी, 1988 तक स्वर्ण जयन्ती समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिन्दी की चतुर्मुखी प्रगति का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के लिए समिति द्वारा एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पीताम्बर पब्लीशिंग कम्पनी नई दिल्ली, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, विनोद पुस्तक भण्डार, आगरा आदि ने भाग लिया।

इस अवसर पर डाक-तार विभाग ने समिति परिसर में हिन्दी टेलीप्रिंटर की प्रदर्शनी लगाई। रेल प्रशासन ने अपने कार्य संचालन में 90 प्रतिशत से अधिक राजभाषा हिन्दी का प्रयोग प्रारम्भ प्रमाण स्वरूप प्रभूत सामग्री का प्रदर्शन किया।

सरकार को हिन्दी के प्रयोग की अधिकाधिक आवश्यकता का आभास कराने की दृष्टि से अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। जनमानस में हिन्दी का प्रभाव उत्पन्न कराने की दृष्टि से नए-नए कदम उठाने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ के अध्यक्ष, श्री गंगाशरण सिंह, समिति के अध्यक्ष श्री मधुराव चौधरी, महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा मंत्री श्री राममेघे, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री मानवन्त सिंह कीर, गुजरात विद्यापीठ के कुलपति श्री रामलाल भाई पारीख, उप समिति के जेष्ठ प्रचारक एवं गुजरात प्रदेश के मंत्री-संचालन श्री जेठालाल जोशी का उद्बोधन प्रभावी रहा।

राजभाषा हिन्दी की उल्लेखनीय सेवा करने के उपलक्ष्य में हिन्दीतर भाषी विद्वान् श्री पाण्डराम शास्त्री को 5001/- रुपये का नकद और ताम्र-पत्र पुरस्कृत करने की घोषणा की गई।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का स्तुत्य प्रयास

एकता ज्योति-प्रबोधन यात्रा

हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के द्वारा ही भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाया जा सकता है। यह सर्वमान्य है कि हिन्दी का विकास भारतीय भाषाओं के विकास से ही होगा। सभी भारतीय भाषाओं को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए। यह देश के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। जब तक भारतीय भाषाओं के समृद्ध तथा विभिन्न प्रकार के साहित्य को एक माध्यम से अभिव्यक्त करने के लिए कोई एक भाषा यदि जनता नहीं अपनाती है तब तक सांस्कृतिक एकता और समन्वय लाना असम्भव है। हिन्दी का प्रश्न केवल भाषा से ही नहीं की देश की अखण्डता से जुड़ा प्रश्न है। हिन्दी के साथ साथ देश की अस्मिता एवं जनता के साथ जुड़ने का प्रश्न भी जुड़ा है।

भाषा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उपादान है और भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति के जीवन का सामूहिक जीवन में और सामूहिक जीवन का व्यक्ति के जीवन में निष्पादन होता है। भारतीय संस्कृति में जो विभिन्नता दिखाई देती है वह मुख्यतः भाषागत विभिन्नता ही है। इस भाषागत विभिन्नता को हिन्दी भाषा के द्वारा ध्वनित किया जा सकता है। इस तथ्य को महात्मा गांधी ने पहचाना। गांधी जी की प्रेरणा में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना हुई। मद्रास सभा के कार्य विस्तार के साथ दक्षिण के चारों प्रदेशों में मद्रास सभा की प्रादेशिक शाखाएं स्थापित हुई तथा मद्रास सभा के अतिरिक्त दक्षिण के प्रदेशों में अन्य हिन्दी प्रचार संस्थाएं भी स्थापित हुई। देश के अन्य हिन्दीतर भाषी प्रदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के लिए 1936 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई। इन संस्थाओं द्वारा अब तक 3 करोड़ से अधिक लोगों को हिन्दी सिखाई गई है। आज इन संस्थाओं के 55 हजार हिन्दी प्रचारक/प्रचारिकाएं इस कार्य में योगदान दे रहे हैं।

आज की परिस्थिति में हिन्दी एवं प्रादेशिक भाषाओं के द्वारा राष्ट्रीय एकता और उसकी अखण्डता को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा के द्वारा देश की गरिमा, संस्कृति तथा ऐतिहासिक परम्परा को अक्षुण्ण नहीं बनाया जा सकता। भारतीय संस्कृति को भारतीय भाषाओं के द्वारा ही विकसित और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। यदि भाषा की उपेक्षा होगी, उसका अवमूल्यन होगा तो हमारी संस्कृति भी विकृत होगी। भारतीय आदर्शों और मानव मूल्यों को जिन्हें शताब्दियों से निर्मित किया गया है, संवारा गया है, वे नष्ट हो जाएंगे। अतः अपनी सारस्वत संस्कृति को विकसित करने के लिए अपनी भाषा की नितान्त आवश्यकता है।

भारतीय भाषाएं समृद्ध हैं। उनकी शब्द सामर्थ्य शक्ति अंग्रेजी भाषा से कहीं अधिक है। हिन्दी अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण कर और अधिक विकसित होती जा रही है। हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं की उपयुक्तता, श्रेष्ठता, व्यापक राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की शक्ति आदि गुणों के होने पर भी कोई हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं की उपेक्षा करता है तो यह समझना चाहिए कि वह पूर्वाग्रह से ग्रसित है।

आज इस ज्योति के माध्यम से जनता में प्रबोधन का कार्य करने का जो कार्यक्रम बनाया गया है वह स्तुत्य है। यह ज्योति जनता को एक बार पुनः राष्ट्रभाषा के काम में प्रोत्साहन देने का कार्य करेगी।

एकता ज्योति अभिनन्दन समारोह

कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) श्री कुलानन्द भारतीय ने कहा कि "हिन्दी एकता की ज्योति के रूप में सारे देश को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए महत्वपूर्ण योगदान देती आई है, हमें हिन्दी के प्रति आस्था के साथ जुड़कर उसके प्रचार और प्रसार की दिशा में एकजुट होकर कार्य करना चाहिए।" श्री भारतीय, हिन्दी अकादमी दिल्ली द्वारा आयोजित एकता ज्योति अभिनन्दन समारोह में सान्निध्य भाषण दे रहे थे।

यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा अपनी स्वर्ण-जयन्ती के उपलक्ष्य में पूरे देश में एकता ज्योति प्रबोधन यात्रा आयोजित की गई है। यह ज्योति देश के विभिन्न राज्यों से होते हुए दिल्ली में पहुंची और 6 जुलाई तक यहां रही। समारोह के प्रारम्भ में एकता ज्योति का स्वागत करते हुए, हिन्दी अकादमी के सचिव डा. नारायणदत्त पालीवाल ने कहा कि "इस एकता ज्योति के मंगलमय प्रकाश से भाषाई सौमनस्य तथा भावनात्मक एकता का पोषण होगा और हमें इस प्रकाश से हिन्दी के प्रचार और प्रसार की दिशा में अपनी आस्था पूरी तरह से समर्पित करने की प्रेरणा मिलेगी। अपने संबोधन में श्रीमती राजलक्ष्मी राघवन ने हिन्दी की मशाल जन-जन तक पहुंचाने और सभी भारतीय भाषाओं में मेल-मिलाप की आकांक्षा प्रकट की। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर ने एकता ज्योति प्रबोधन यात्रा के आयोजन की प्रशंसा करते हुए भाषाई तालमेल और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए लेखकों, साहित्यकारों और हिन्दी सेवकों का आह्वान किया। प्रो. विजयेन्द्र स्नातक ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के इस प्रयास को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि "हमें हिन्दी की इस ज्योति को अपने मन में जाग्रत करना चाहिए जिससे अंग्रेजी का अंधेरा छंटे।" अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ के अध्यक्ष बाबू गंगाशरण सिंह ने अपने संदेश में इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि इससे भारतीय भाषाओं के प्रति हमारे मन में प्रेम बढ़ेगा। इस अवसर पर हिन्दी व्यवहार संगठन के श्री हरिबाबू-कंसल, भारत सरकार के राजभाषा विभाग के निदेशक श्री महेश चन्द्र गुप्त, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ के महासचिव श्री जगदीश चन्द्र शर्मा, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी-परिषद के श्री दर्शन सिंह एवं हिन्दी अकादमी की सहायक सचिव श्रीमती स्नेहलता ने भी एकता ज्योति का अभिनन्दन किया। हिन्दी अकादमी के कार्यक्रम अधिकारी श्री नरेन्द्र गुप्ता ने अतिथियों, वक्ताओं तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया।

इस अवसर पर श्रीमती नामगिरी राजगोपालन के प्रतिनिधित्व में दिल्ली प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा हिन्दी गीत प्रस्तुत करके राष्ट्रभाषा हिन्दी की वन्दना की गई। हिन्दी अकादमी द्वारा इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसमें हिन्दी अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तथा अन्य साहित्य के साथ-साथ हिन्दीतर भाषी लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया।

पुरस्कार योजनाएं

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
पटियाला हाउस, नई दिल्ली

जन-संचार (मुख्य रूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित विषयों यथा प्रकाशन, दूरदर्शन, प्रसारण, विज्ञापन, पत्रकारिता, फिल्में आदि) पर हिन्दी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए "भारतेन्दु हरिश्चन्द्र" पुरस्कार संबंधी नियम :—

1. सभी भारतीय लेखक इसमें भाग ले सकते हैं ।
2. कुल तीन पुरस्कार होंगे—प्रथम नकद पुरस्कार 10,000 रुपए, द्वितीय नकद पुरस्कार 7,000 रुपए तथा तृतीय नकद पुरस्कार 5,000 रुपए ।
3. केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था या संगठन के साथ संविदा के अनुसरण में या किसी स्कीम के अधीन लिखी गई या अनुवाद की गई पुस्तकें पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगी ।
4. पुरस्कृत पुस्तकों के सर्वाधिकार लेखक अथवा प्रकाशक के ही अधीन रहेंगे ।
5. पुरस्कार के लिए प्रविष्टि निर्धारित प्रपत्र में पुस्तक पाण्डुलिपि की छः प्रतियों के साथ निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए ।
6. प्रविष्टियां सरकार द्वारा नियुक्त एक मूल्यांकन समिति द्वारा आंकी जाएंगी। इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।
7. यदि पुरस्कृत पुस्तक/पाण्डुलिपि के लेखक एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो पुरस्कार की राशि विभिन्न लेखकों में एक समान वितरित की जाएगी ।
8. जिन पुस्तकों/पाण्डुलिपियों पर एक बार विचार हो चुकेगा उनको पुनः इस योजना में प्रविष्टि नहीं मिल सकेगी ।
9. यदि कोई लेखक एक बार पुरस्कृत किया गया है तो वह अगले दो वर्षों तक पुरस्कार योजना में भाग लेने का पात्र नहीं होगा।
10. ऐसी किसी पुस्तक अथवा पाण्डुलिपि को विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसकी पृष्ठ संख्या क्रमशः 80 अथवा 120 से कम हों ।
11. विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र प्राप्ति आदि के लिए कृपया, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पटियाला हाऊस नई दिल्ली से सम्पर्क करें ।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार

भारतेन्दु हरिचन्द्र पुरस्कार की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सुझाव पर वर्ष 1983 में की गई थी। इस पुरस्कार योजना के अन्तर्गत जन-संचार के विषयों यथा आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्रकारिता, विज्ञापन, प्रसारण और फिल्म आदि प्रसार माध्यमों पर हिन्दी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक वर्ष भारतीय लेखकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है।

वर्ष 1986 के लिए निम्नलिखित लेखकों को सम्मानित किया गया :—

पुरस्कार की श्रेणी (राशि रु. में)	पाण्डुलिपि का शीर्षक	लेखक का नाम
1. प्रथम (10,000)	भारत में जन संवाद : सिद्धांत एवं व्यवहार	डा. महावीर सिंह भोपाल, मध्य प्रदेश
2. द्वितीय (7,000)	पटकथा एक कला-विद्या	डा. रामसिंह बघेल जबलपुर, मध्य प्रदेश
3. तृतीय (5,000)	भारतीय विज्ञापन एवं नैतिकता	सुश्री मधु भट्ट राजस्थान, उदयपुर

पुरस्कारों का निर्णय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सिफारिशों पर गठित एक मूलांकन समिति करती है, जिसमें निदेशक, प्रकाशन विभाग पदेन सदस्य होते हैं । इस समिति के सदस्य जन-संचार के क्षेत्र में लब्ध-प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं ।

देश में हिन्दी के प्रचार प्रसार और जनसंचार के क्षेत्र में "भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार" एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। इ पुरस्कार योजना के तहत अब तक 9 लेखकों को सम्मानित किया जा चुका है।

वर्ष 1986 के भारतेन्दु हरिचन्द्र पुरस्कार का वितरण केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री एवं सूचना और प्रसारण मंत्री श्री हरकिशन लाल भगत द्वारा 29 अप्रैल, 1988 को किया गया।

संसदीय कार्य मंत्रालय

संसदीय कार्य मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक योजना प्रारंभ करने का निश्चय किया है।

इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार निम्नलिखित हैं :

प्रथम पुरस्कार	10,000/- रुपये (दस हजार रुपये)
द्वितीय पुरस्कार	5,000/- रुपये (पांच हजार रुपये)

1. पुरस्कार सन् 1988 से प्रारम्भ होंगे और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में एक बार दिए जाएंगे।

2. (क) लेखकों से यह अपेक्षित होगा कि वे अपने आवेदन पत्र के साथ प्रकाशित पुस्तक की 10 प्रतियां/पाण्डुलिपि की 5 प्रतियां सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजें। इस प्रका प्रस्तुत पुस्तक/पाण्डुलिपि की प्रतियां लौटायी नहीं जाएंगी।

(ख) पुरस्कार के लिए प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तक पुरस्कार वर्ष के दौरान प्रकाशित की जानी चाहिए/लिखी जानी चाहिए।

(ग) आवेदन पत्र विज्ञापन/नोटिस में निर्दिष्ट तारीख तक ही स्वीकार किए जाएंगे।

(घ) जिन लेखकों की पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार दिया जाएगा उनका अपनी पुस्तकों पर कापी-राईट अधिकार बना रहेगा।

3. पुरस्कारों के लिए निर्धारित विषय नीचे दिए गए हैं :—

(1) प्रजातन्त्र में सरकार का संसदीय कार्य (विधायी और अन्य कार्य) आयोजन, समन्वय और निष्पादन।

(2) भारतीय प्रजातन्त्र में सचेतक की भूमिका।

(3) परामर्शदात्री समितियां—उद्भव, विकास, महत्व और वर्तमान स्थिति।

(4) ससंसदीय प्रणाली में समिति पद्धति—उद्भव, विकास, महत्व, कार्यचालन और वर्तमान स्थिति।

(5) संसद और विधान मण्डल के सदस्यों के स्वत्व, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां।

(6) "युवा संसद"—योजना। इसका महत्व तथा आयोजन।

(7) संसद और विधान मण्डलों में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन और उनका कार्यान्वयन।

4. पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए पात्रता :—

(क) इस योजना में केवल भारतीय नागरिक भाग ले सकेंगे।

(ख) इस योजना में प्रकाशित पुस्तकों और पाण्डुलिपियों दोनों पर विचार किया जाएगा।

(ग) योजना में केवल उन पुस्तकों/पाण्डुलिपियों को स्वीकार किया जाएगा। जो मूल रूप में हिन्दी में लिखी गयी हैं।

(घ) जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा किसी योजना के अधीन पुरस्कार दिया जा चुका है, उन पुस्तकों को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(ङ) मूल्यांकन समिति का कोई भी सदस्य अथवा उनके सगे-संबंधी इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

5. विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया श्री देवराज तिवारी अवर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से सम्पर्क करें।

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा

स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव एकता वर्ष 1988

अखिल भारतीय विविध स्पर्धाएं

राजष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की स्थापना महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से सन् 1936 में हुई थी। इस समिति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में स्वर्ण-जयन्ती के अन्तर्गत यह वर्ष 'राष्ट्रभाषा एकता वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। इस निमित्त अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। सभी रचनाएं प्रधान मंत्री राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिन्दी नगर वर्धा-442003 के पते पर 2 अक्टूबर 1988 से पहले पहुंच जानी चाहिए।

विभाग—1 11वीं और 12वीं कक्षा या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के राष्ट्रभाषा रत्न या अन्य संस्थाओं के इनके समकक्ष परीक्षार्थियों या प्रशिक्षणार्थियों के लिए।

काव्य रचना—विषय : रचना किसी भी विषय पर हो सकती है ।

पुरस्कार: प्रथम रु. 101/- द्वितीय रु. 75/- तृतीय रु. 51/-

विभाग–2 **महाविद्यालय** (स्नातक स्तर तक) या राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति वर्धा आचार्य या अन्य संस्थाओं के उनके समकक्ष परीक्षार्थियों के लिए।

1. **एकांकी लेखन**—विषय : आओ मिलकर भारत जोड़ें ।

पुरस्कार: प्रथम रु. 1001/- द्वितीय रु. 501/- तृतीय रु. 251/-

2. **काव्य रचना**–विषय : सभी ओर से नदियां आएं बढ़ें मिलें सागर हो जाएं।

पुरस्कार: प्रथम रु. 251/- द्वितीय रु. 151/- तृतीय रु. 101/-

विभाग–3 स्नातकोत्तर राष्ट्रभाषा प्रचारक प्रशिक्षणार्थी या उपर्युक्त विभागों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए।

1. **एकांकी लेखन**—विषय : आओ मिलकर भारत जोड़ें ।

पुरस्कार: प्रथम रु. 1001/- द्वितीय रु. 501/-

2. **काव्य रचना**—विषय : सभी ओर से नदियां आएं बढ़ें मिलें सागर हो जाएं।

पुरस्कार : प्रथम रु. 251/- द्वितीय रु. 151/- तृतीय रु. रु. 101/-

---

नियम—1. ये स्पर्धाएं केवल उनके लिए हैं जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है ।

2. सभी प्रतियोगिताएं हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में ही होंगी।

3. पुरस्कृत रचनाओं के संशोधन सम्पादन व प्रकाशन का पूरा अधिकार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा को रहेगा।

4. रचनाएं कागज के एक ओर सुवाच्य अक्षरों में लिखित अथवा टंकित होनी चाहिए।

5. प्रतियोगी अपना नाम, उम्र, मातृभाषा, विभाग कक्षा (अपनी संस्था के प्रमुख अधिकारी द्वारा प्रमाणित) पूरा पता, अपनी रचना के साथ एक कोरे कागज पर अलग से लिखकर संलग्न कर दें।

द्वारकादास वेद प्रधान-मंत्री

पुस्तक समीक्षा

अनुवाद भाषा . समस्याएं

लेखक एन.ई. विश्वनाथ अय्यर

प्रकाशक स्वाति प्रकाशन, 26/2035, कालेज लेन तिरुअनन्तपुरम मूल्य 100/- रुपये

डा. अय्यर द्वारा लिखित अनुवाद-भाषा : समस्याएं पुस्तक भारतीय भाषाओं में विशेषतः तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिन्दी भाषाओं में परस्पर अनुवाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है । संस्कृति व परम्पराओं को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों का सांगोपांग विवेचन किया गया है । भारतीय भाषाओं के बीच अनेक मामलों में निकटता का भी दर्शन उक्त पुस्तक के पढ़ने से होता है। सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद की समस्याओं का भी पुस्तक में विवेचन हुआ है । व्याकरण के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर, अनेक समस्याओं का व्यावहारिक हल सुझाया गया है । पुस्तक के अंत में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के ग्रन्थों की ऐसी सूची दी गई है जिनका हिन्दी भाषा में अनुवाद हुआ है ।

स्थान-स्थान पर दक्षिण भारत की भाषाओं के लिए 'द्राविड़ भाषा' प्रयोग कुछ अखरता है क्योंकि विद्वानों के अनुसार द्राविड़ भाषा जैसा शब्द अंग्रेजी के द्वारा विशेष रूप से गढ़ा गया है जिससे आर्य भाषा और द्राविड़ भाषा का भेद दिखाकर दूरी बढ़ाई जा सके।

कुल मिलाकर डा. अय्यर की पुस्तक हिन्दी भाषा-साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय पुस्तक है और विद्वानों के लिए और अनुवाद कार्य में लगे हुए लोगों के लिए उत्तम पुस्तक है।

डॉ. महेशचन्द्र गुप्त

उच्चस्तरीय अंग्रेजी-हिन्दी अभिव्यक्ति पुस्तक

संपादक : श्री सीता राम शास्त्री

तथा

श्रीमती वशिनी शास्त्री

प्रकाशक : केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

मूल्य : 17 रुपए पृष्ठ : 180

वर्तमान युग में विश्व में तेजी से हो रहे चतुर्मुखी विकास में विचारों के आदान-प्रदान का महत्व और उसकी उपादेयता बहुत बढ़ गई है । 'उच्चस्तरीय अंग्रेजी-हिन्दी अभिव्यक्ति पुस्तक को दो भागों में बांटा गया है। (1) वाक्य प्रयोग और (2) अंग्रेजी-हिन्दी शब्द सूची। पुस्तक का प्रथम भाग अत्यन्त उपयोगी है । उसमें दैनिक प्रयोग में आने वाले वाक्यों, उपबन्ध वाक्यों और पदबन्धों का समावेश किया गया है । इससे पूर्व केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय नई दिल्ली द्वारा अंग्रेजी-हिन्दी द्विभाषी वार्तालाप पुस्तिका प्रकाशित की जा चुकी है। व्यक्तिगत स्तर पर इस दिशा में यह प्रथम प्रयास है। पुस्तक में अंग्रेजी वाक्यांशों के हिन्दी वाक्यों के साथ-साथ हिन्दी-वाक्यों के रोमन में लिप्यंतरण दिया गया है, जिससे हिन्दी न जानने वाले व्यक्ति आसानी से हिन्दी वाक्यांशों का उच्चारण कर सकते हैं । पुस्तक पर्यटकों, विद्यार्थियों और हिन्दी सीखने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है।

सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा

आदेश-अनुदेश
राजभाषा नीति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 19-7-87 के का. ज्ञापन सं. 13017/3/87—रा.भा. (ग) की प्रतिलिपि

विषय :—भारत सरकार के जिन कार्यालयों में हिन्दी के कार्य के लिए कर्मचारी नहीं हैं वहां अनुवाद का कार्य मानदेय आधार पर करवाना।

इस विभाग के 21 फरवरी, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II-13017/13/75-रा.भा. (ग) में ये निदेश दिए गए थे कि जिन कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी या हिन्दी अनुवादक का कोई पद नहीं है, वहां जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद का कार्य कार्यालय के किसी योग्य व्यक्ति से मानदेय (Honararium) देकर करा लिया जाए। इस कार्य के लिए प्रति एक हजार शब्द के अनुवाद पर 5 रुपए मानदेय निर्धारित किया गया था। 16-10-79 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20013/2/77-रा. भा. (ग) में मानदेय की यह दर 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति एक हजार शब्द कर दी गई थी।

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से अब यह तय किया गया है कि हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में सामान्य प्रकार की सामग्री के अनुवाद के लिए 15 रुपये प्रति एक हजार शब्द तथा तकनीकी प्रकार की सामग्री के लिए जिसमें मैनुअल, कोड आदि सम्मिलित हैं 20 रुपये प्रति एक हजार शब्द की दर से मानदेय दिया जाए मानदेय के संबंध में इस विभाग के 21 फरवरी, 1976 कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तें वही रहेंगी। इस प्रकार का अनुवाद ऊपर लिखी मानदेय की दरों पर संबंधित कार्यालय के अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों से भी कराया जा सकता है परन्तु गैर सरकारी व्यक्तियों से न कराया जाए।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

4. यह कार्यालय ज्ञापन कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की 21 जून, 1988 की अ.टि.सं. 17013/3/86-स्था. (भत्ता) में दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है।

□

राजभाषा विभाग के दिनांक 12 जुलाई, 1988 के का. ज्ञापन सं. 13035/4/88—रा. भा (ग) की प्रतिलिपि

विषय :—राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पदों का सृजन।

सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 10(4)-ई (समान्वय)/85 दिनांक 8 जून, 1988 की ओर दिलाया जाता है। इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध में क्रम सं. 8 के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिये पदों की मंजूरी के प्रस्तावों को प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव अपने वित्त सलाहकारों के परामर्श से, वित्त मंत्रालय की सलाह से राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में तैयार और जारी किये गये मार्ग-निर्देशों के अनुसार मंजूर कर सकते हैं।

2. इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिनमें वित्त मंत्रालय की सलाह से इस बारे में मार्ग-निर्देश जारी किये गये थे—

1. कार्यालय ज्ञापन सं. 13035/3/80-रा.भा. (ग) दिनांक 27 अप्रैल, 1981—न्यूनतम हिन्दी पदों के सृजन के बारे में।

2. कार्यालय ज्ञापन सं. 13017/1/81-रा.भा. (ग) दिनांक 13-4-1987—अनुवादकों और पुनरीक्षकों के पद के बारे में मानक।

3. कार्यालय ज्ञापन सं. 11034/9/74-रा.भा. (एकक) दिनांक 10-1-1975 —हिन्दी टाइपिस्टों और टाइप की गई सामग्री के मिलान के लिए मानक।

3. सुविधा के लिए उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों की एक-एक प्रति संलग्न हैं।

□

राजभाषा विभाग के दिनांक 20.6.1988 के का. ज्ञापन सं. 1/14034/6/88 रा. भा. (क 1) की प्रतिलिपि

विषय :—"क" क्षेत्र में स्थित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि की बैठकों की कार्यसूचियां तथा कार्यवृत्तों को केवल हिन्दी में जारी करना।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14011/10/77-रा.भा.(क-1) दिनांक 3-1-78(हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन तृतीय संस्करण क्रम सं. 48) में यह निर्देश दिए गए थे कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और उनके नियंत्रण में या स्वामित्व में काम करने वाली कंपनियों तथा निगमों की अंतर्विभागीय तथा विभागीय बैठकों की कार्यसूची, कार्यसूची की टिप्पणियां और कार्यवाहियां हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी की जायें।

2. 2 फरवरी, 1988 को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित जम्मू क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया कि हिन्दी से संबंधित बैठकों का कार्यवृत्त "क" क्षेत्र में केवल हिन्दी में ही जारी किया जाना चाहिए।

3. राजभाषा विभाग द्वारा उपर्युक्त सुझाव पर विचार किया गया है। "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में अब अधिकांश अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का ज्ञान रखते हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों आदि को विभागीय और अंतर्विभागीय बैठकों की कार्यसूचियां, उन पर टिप्पणियां और कार्यवृत्त संबंधी कार्यालय/उपक्रम आदि चाहें तो केवल हिन्दी में जारी कर सकते हैं, बशर्ते कि उनका परिचालन केवल "क" क्षेत्र में किया जाना हो।

4. केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्देशों को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कम्पनियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में ला दें।

5. इस संबंध में दिए गए निर्देशों की प्रति राजभाषा विभाग को भी सूचनार्थ भेज दें।

□

राजभाषा विभाग के दिनांक 20/6/88 को का ज्ञापन स. 1/21012/1/87 रा. भा. (क 1) की प्रतिलिपि

विषय :—राजभाषा अधिनियम, 1964 की धारा 5(2) में किए गए प्रावधान के बारे में।

उपर्युक्त विषय पर मुझे इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-2-88 (प्रतिलिपि संलग्न) का हवाला देते हुए यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा पढ़ा जाए :—

"3. केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को यह विदित है कि सरकारी विधेयक तथा किसी विधेयक में सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी संशोधन के अंग्रेजी पाठ और उसके हिन्दी अनुवाद तैयार करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार के विधि मंत्रालय के विधायी विभाग का है। जैसे ही विधायी विभाग के अंग्रेजी पक्ष में उसका अंग्रेजी में पाठ तैयार होता है, वैसे ही वह विधायी विभाग के राजभाषा खंड को हिन्दी अनुवाद के लिए भेज दिया जाता है। इसके उपरान्त विधायी विभाग हिन्दी और अंग्रेजी दोनों पाठों की प्रूफ प्रतियां समुचित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात् संबंधित सदन को भेज देता है। इन्हें छपवाने का उत्तरदायित्व संबंधित सदन का होता है। अतः संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सरकारी विधेयकों और किसी विधेयक में सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी संशोधन की अंग्रेजी और हिन्दी में छपी प्रतियां संबंधित सदन के सचिवालय से प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित मंत्री से हस्ताक्षर और प्राधिकृत करवाने की कार्रवाई की जाती है। यह प्रथा 1976 से चल रही है।

4. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों के ध्यान में ला दें।"

□

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 जून 88 के का. ज्ञा. सं. 13017 2 88—रा. भा. (ग) की प्रतिलिपि

विषय :— केन्द्रीय सरकार की विधिक सामग्री के अनुवाद की व्यवस्था।

गृह मंत्रालय के 16 सितम्बर, 1972 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 11021/2/72—रा. भा. (एकक) में सभी मंत्रालयों तथा विभागों को बताया गया था कि केन्द्रीय सरकार की सभी संविधियों, सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों, जिनमें उनसे संबंधित फार्म भी शामिल हैं, का अनुवाद विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के कार्य क्षेत्र में आता है। यह कार्य उस विभाग के राजभाषा खंड द्वारा किया जाता है।

2. 7 जनवरी, 1988 को सचिवों के एक सेमिनार में यह विचार व्यक्त किया गया है कि उन विधिक नियमों की एक सूची बनाई जाए जो इस समय लागू हैं और जिनका अभी अनुवाद नहीं हुआ है। इस सेमिनार में यह भी सिफारिश की गई है कि ऐसे विधिक नियमों को हिन्दी में अनुवाद के लिए विधि मंत्रालय के राजभाषा खंड को तुरन्त भेज दिया जाए।

3. केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों से अनुरोध है कि वे अपने मंत्रालय/विभाग के ऐसे विधिक नियमों की सूची बना लें जो इस समय लागू हैं और जिनका अभी हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ है। ऐसी सूची की एक प्रति नियमों की अद्यतन प्रति सहित विधायी विभाग के राजभाषा खंड को अनुवाद के लिए तुरन्त भिजवाने की कृपा करें। इस विषय में की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए ऐसे विधिक नियमों की एक सूची अधोहस्ताक्षरी को भी भेजने की कृपा करें।

2054 HA/88—20

राजभाषा विभाग के दिनांक 8-6-88 के का ज्ञापन सं. 13017-4-88—रा. भा. (ग) की प्रतिलिपि

विषय : हिन्दी अधिकारियों के कर्त्तव्य निर्धारित करना

इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/13019/75-रा. भा. (ग) दिनांक 31-12-1975 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 13016/1/80-रा. भा. (ग) दिनांक 6-12-1980 (हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन, द्वितीय संस्करण क्र. सं. 139, 140) के द्वारा क्रमशः हिन्दी अधिकारियों तथा हिन्दी अनुवादकों के कर्त्तव्य निर्धारित किये गये थे।

2. राजभाषा विभाग के ध्यान में समय समय पर यह बात लायी जाती रही है कि हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध स्टाफ से हिन्दी से संबंधित कार्य न कराकर उन्हें अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है जिससे राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमावली के अनुसार अपेक्षित कार्य सम्पादित करने में दिक्कत उत्पन्न होती है। दो फरवरी, 1988 को जम्मू में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में भी यह बात उठायी गई थी।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि यथासम्भव हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों से केवल अनुवाद तथा राजभाषा के कार्यान्वयन का ही काम लिया जाए जिसके लिए ये पद स्वीकृत किये गए हैं। यदि किसी कार्यालय में हिन्दी का निर्धारित काम पूरी तरह कार्यक्रम के वार्षिक लक्ष्य अनुसार कर लिया जाता है, उसके बाद भी यदि हिन्दी पदों पर लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को समय मिले तब ही उन्हें हिन्दी अनुवाद तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य दिया जाए।

4. समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे कृपया उपरोक्त अनुदेश को अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि को सूचना में आवश्यक अनुपालन हेतु ला दें। इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत कराएं।

□

वित्त मंत्रालय भारत सरकार के दिनांक 8 जून, 88 के का. ज्ञापन सं. 10 (4)—संस्था (सम)/85 की प्रतिलिपि

विषय : मंत्रालयों/विभागों को वर्धित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को वर्धित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का विषय पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। अब यह निर्णय लिया गया है कि कुछ क्षेत्रों में मंत्रालयों/विभागों की वित्तीय शक्तियां इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध में दी गई सीमा तक बढ़ाई जाएं। इस अनुबंध में कुछ ऐसी मदें भी निहित हैं जिनके संबंध में मौजूदा अनुदेशों आदि में छूट दी गई है।

शक्तियों का उपर्युक्त प्रत्यायोजन बजट प्रावधानों की उपलब्धता की सामान्य शर्तों तथा अनुवर्ती वर्ष के लिए वचनबद्धता को पूरा करने की शर्त के अधीन होगा चाहे अनुवर्ती वर्ष में प्रावधानों का स्तर पूर्ववत ही रखा गया हो। एकीकृत वित्तीय सलाहकार प्रणाली के अंतर्गत प्रशासनिक मंत्रालयों की शक्तियों का प्रयोग वित्तीय सलाहकारों के परामर्श से किया जाता है। वर्धित वित्तीय शक्तियों के मामले में वही प्रावधान लागू होता रहेगा। वर्धित प्रत्यायोजन के साथ यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी जुड़ी हुई है कि सभी अपेक्षित मानदंड पूर्णतः पूरे किए जाते हैं। इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेवारी होगी कि निर्धारित मानदंड का अनुपालन किया जाता है।

2. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली आदि में आवश्यक संशोधन/आशोधन, जहां भी आवश्यक होंगे, अलग से जारी किए जाएंगे।

3. इस कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वर्धित शक्तियों का प्रत्यायोजन तत्काल से प्रभावी होगा।

ह./—

आर. आर. गुप्ता, सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को प्रत्यायोजन वर्धित शक्तियां (आंशिक)

क्रम सं.	शक्ति का स्वरूप
1—7 8.	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पदों की मंजूरी के प्रस्ताव
	वर्धित शक्तियां
	प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव अपने वित्त सलाहकारों के परामर्श से, वित्त मंत्रालय की सलाह से राजभाषा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में तैयार और जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार, शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

□

राजभाषा विभाग के दिनांक 30-5-1988 के का. ज्ञापन सं. 1/14/34/3/88—रा. भा. (क-1) की प्रतिलिपि

विषय :— सामान्य आदेश द्विभाषी रूप में जारी करना।

मुझे गृह मंत्रालय के दिनांक 26 मई, 1972 के कार्यालय ज्ञापन सं. ई-11015/26/72-रा. भा. (प्रतिलिपि संलग्न) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी किये जायें।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन में "सामान्य आदेश" की परिभाषा के बारे में गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/57/71-रा. भा. दिनांक 31-12-71 का संदर्भ किया गया है। "सामान्य आदेश" की परिभाषा का संशोधन कर दिया गया है जिसे अब राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14013/2/78-रा. भा. (क-1) दिनांक 19-6-78 में देखा जा सकता है। उक्त कार्यालय ज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न है।

3. केन्द्रीय सरकार के सचिवों आदि को 7 जनवरी, 1988 को आयोजित सेमिनार में यह पुनः बल दिया गया कि सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी किये जायें।

4. यदि किसी अपरिहार्य कारण से कोई सामान्य आदेश पहले केवल अंग्रेजी में जारी करना आवश्यक हो जाए तो उसके लिए संयुक्त सचिव स्तर के किसी निर्धारित अधिकारी से आज्ञा ले ली जाए और उसके बाद हिन्दी अनुवाद तीन दिन के अंदर जारी कर दिया जाए।

5. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों को अनुपालन हेतु सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में ला दें तथा इस संबंध में दिये गए निदेशों की प्रति इस विभाग को सूचनार्थ भेज दें।

□

राजभाषा विभाग के दिनांक 7-4-88 के का. ज्ञापन सं. 13017/1/88—रा. भा. (त. क.) की प्रतिलिपि

विषय :—केन्द्रीय सरकार के अनुवादकों द्वारा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करते समय सरल व सुबोध हिन्दी का प्रयोग।

इस विभाग के 17 मार्च, 1976 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/13034/23/75-रा. भा. (ग) द्वारा ये अनुदेश दिए गए थे कि नोट या पत्र लिखते समय सरल हिन्दी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उसे सभी आसानी से समझ सकें। सरकारी काम में प्रचलित शब्दों का ही अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए और लिखते समय दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जहां कहीं भी ऐसा लगे कि पढ़ने वाले को हिन्दी में लिखे किसी तकनीकी शब्द या पदनाम को समझने में कठिनाई हो सकती है वहां उस शब्द के पदनाम के सामने अंग्रेजी रूपान्तर भी लिख देना उपयोगी होगा। कार्यालय ज्ञापन की प्रति हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों के तृतीय संस्करण के क्रम संख्या 127 पर प्रकाशित की गई है।

2. केन्द्रीय हिन्दी समिति की 2 दिसम्बर, 1987 की बैठक में कुछ सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि हिन्दी में किए गए अनुवाद में सरल और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसा उपरोक्त 17 मार्च, 1976 के कार्यालय ज्ञापन से विदित है केन्द्रीय सरकार की शुरू से ही ये नीति रही है कि सरकारी कामकाज में सरल और सुबोध हिन्दी का प्रयोग किया जाए। इसलिए सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि केन्द्रीय हिन्दी समिति में दिए उपरोक्त सुझाव के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को ये आदेश दिए जाएं कि अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद के समय सरल तथा सुबोध हिन्दी का प्रयोग किया जाए जिससे वो व्यक्ति भी जिन्हें कम हिन्दी आती है, इसे आसानी से समझ सकें। अनुवाद में न केवल सरल और सुबोध शब्द प्रयोग किए जाने चाहिए बल्कि जहां तक हो सके वाक्य भी छोटे छोटे बनाए जाएं और प्रत्येक शब्द का अनुवाद करने की बजाय वाक्य या उसके अंश के भाव को हिन्दी भाषा की शैली में लिख दिया जाए। अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों के कठिन हिन्दी प्रर्याय इस्तेमाल करने की बजाय उन शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। संक्षेप में ये प्रयत्न करना चाहिए कि अनुवाद की भाषा ऐसी हो जो आम व्यक्ति की आसानी से समझ में आ जाए।

□

राजभाषा विभाग के दिनांक 6-4-88 के का. ज्ञापन सं. 17/5/88—रा. भा. (सेवा) की प्रतिलिपि

विषय : प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 2-12-1987 को हुई केन्द्रीय हिन्दी समिति की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त—मदसंख्या 5.5(2) पर कार्यवाही।

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 2-12-87 को हुई केन्द्रीय हिन्दी समिति की 21वीं बैठक में "हिन्दी अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति की सुविधा" विषय पर विचार किया गया था। इस संबंध में बैठक के कार्यवृत्त के संबंधित उद्धरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं :—

"श्री वे. राधा कृष्णमूर्ति ने हिन्दी अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर बाकी कर्मचारियों/अधिकारियों की अपेक्षा कम होने का जिक्र किया। इस बारे में उन्होंने रेल मंत्रालय का उदाहरण दिया जिसमें हिन्दी अधिकारी को बाकी अधिकारियों की अपेक्षा उन्नति के बहुत कम अवसर हैं। डा. सरगुकृष्णमूर्ति ने भी विभिन्न विभागों में हिन्दी अधिकारियों की पदोन्नति के बहुत कम अवसर की बात कही, जिससे उनका कार्य में मनोबल गिरता है। सचिव, राजभाषा ने बताया कि कुछ मंत्रालयों/विभागों को छोड़कर जो इस सेवा में शामिल नहीं हुए हैं, सभी मंत्रालय/विभागों में हिन्दी के पदों के लिए केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा बना दी गई है। जिसमें अधिकारियों को पदोन्नति के समुचित अवसर हैं और उनके अनुसार पदोन्नतियां भी दी गई हैं। सदस्यों ने सुझाव प्रकट किया कि जो विभाग इस सेवा में शामिल नहीं हुए और सभी विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों/कर्मचारियों के पदोन्नति के पर्याप्त

2054 HA/88—21

अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे वे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का काम पूरी दिलचस्पी से कर सकें।"

2. कुछ मंत्रालयों/विभागों को छोड़कर केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों के हिन्दी पद शामिल है। सेवा में शामिल हिन्दी पद निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, वरिष्ठ अनुवादक तथा कनिष्ठ अनुवादक के श्रेणियों में वर्गीकृत हैं। प्रत्येक श्रेणी के पदों की पर्याप्त संख्या होने के कारण सेवा के सदस्यों के लिए पदोन्नति में समुचित अवसर उपलब्ध हैं। राजभाषा विभाग के ध्यान में लाया गया है कि ऐसी स्थिति अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के कार्य से संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। अधीनस्थ कार्यालयों के हिन्दी पदों के लिए केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा के समान सेवा बनाना संचालन संबंधी कारणों से संभव नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ कार्यालय भारत के प्रत्येक राज्य में दूर-दूर जगहों पर फैले हुए हैं। किसी ऐसे संवर्ग का गठन प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं हैं।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों के बारे में जांच करें और यदि ये अवसर अपर्याप्त हैं तो उन्हें बढ़ाने के उपाय करें जिससे हिन्दी पदों पर कार्यरत व्यक्ति राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का काम पूरी लगन व निष्ठा से कर सकें। जो विभाग/मंत्रालय/संबद्ध कार्यालय केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल नहीं है वे भी इस प्रकार की जांच अपने-अपने कार्यालयों में हिन्दी पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में कर लें।

4. वित्त मंत्रालय आदि से यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त पैरा-3 में दिए गए सुझाव के संबंध में की गई कार्यवाही से राजभाषा विभाग को भी अवगत कराया जाए।

□

राजभाषा विभाग के दिनांक 22-2-88 के का. ज्ञापन सं. 12020/1/88—रा. भा. (ख-1) की प्रतिलिपि

विषय :—केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं उसके अधीनस्थ व सम्बद्ध कार्यालयों, उपक्रमों आदि में केवल द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर/टैलेक्स लगाना।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/12/84—रा. भा. (त. क.) दिनांक 31 अगस्त, 87 द्वारा ये अनुदेश दिए गए थे कि सभी मंत्रालय/विभाग एवं उनके अधीनस्थ व सम्बद्ध कार्यालय, सरकारी उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, सभी प्रकार के इलैक्ट्रानिक उपकरण केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) ही प्रयोग में लाएं। उस समय द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर उपलब्ध नहीं थे इसलिए यह कहा गया था कि इनके खरीद के बारे में निदेश बाद में इनके उपलब्ध होने पर दिए जाएंगे।

2. दूरसंचार विभाग ने अब सूचित किया है कि मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स द्वारा अब द्विभाषिक इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर बनाने आरम्भ कर दिए गए हैं। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स को अब इनके खरीद के आर्डर दिए जा सकते हैं और दूरसंचार विभाग से इन्हें लीज पर भी लिया जा सकता है।

3. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों से ये अनुरोध है कि वे भविष्य में अब केवल द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) टेलीप्रिंटर/टैलेक्स ही खरीदें या लीज पर लें। जिन कार्यालयों में इस समय रोमन टेलीप्रिंटर/टैलेक्स लीज पर लिए हुए हैं वो दूरसंचार विभाग को तुरंत इनके बदले द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर/टैलेक्स लगाने के लिए अनुरोध करें।

4. जिन कार्यालयों में केवल देवनागरी इलैक्ट्रो मैकेनिकल टेलीप्रिंटर लगे हुए हैं, वो इन द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों के साथ संदेशों के आदान-प्रदान का काम नहीं कर सकेंगे। यदि इन टेलीप्रिंटरों द्वारा द्विभाषिक इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों को संदेश दिए जाते हैं या उनसे संदेश प्राप्त किए जाते हैं तो इन देवनागरी इलैक्ट्रो मैकेनिकल टेलीप्रिंटरों को भी, यदि ये लीज पर लिए गए हैं, तो, द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों से बदलने के लिए दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया जाए।

5. जहां तक पहले से खरीदे गए रोमन टेलीप्रिंटर या देवनागरी इलैक्ट्रो-मैकेनिकल टेलीप्रिंटर का संबंध है, इनके बदले में द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर उपलब्ध कराने के मामले पर मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स द्वारा विचार किया जा रहा है। इसलिए उन्हें द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों से बदलने के बारे में अनुदेश बाद में दिए जाएंगे।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वह ये अनुदेश अपने सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और अपने स्वामित्व या नियंत्रणाधीन उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में लाएं और इनका पालन सुनिश्चित करें।

□

राजभाषा विभाग के दिनांक 22. 2. 88 के का. ज्ञापन सं. 12029/1/88-रा. भा. (ख 1) की प्रतिलिपि

विषय :— राजभाषा अधिनियम/नियम तथा अन्य आदेशों का पालन करने में दृढ़ता बरती जाने संबंधी केन्द्रीय हिन्दी समिति का निर्णय।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक जो कि 2 दिसम्बर, 1987 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी, में राजभाषा संबंधी प्रावधानों के अनुपालन पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों के विचार सुनने के बाद अध्यक्ष ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये:—

"हिन्दी को सरकारी कामकाज में प्रेरणा और प्रोत्साहन से बढ़ाया जाना चाहिए पर साथ ही नियमों और आदेशों आदि के अनुपालन में दृढ़ता बरती जाये।"

2. उपर्युक्त निर्णय की सूचना सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इस अनुरोध से भेजी जा रही है कि वे इस निर्णय का अनुपालन अपने मंत्रालय/विभाग तथा सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालय/सरकारी उपक्रम आदि में सुनिश्चित करवायें। मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए उच्चस्तर पर अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/सरकारी उपक्रमों आदि का वर्ष में एक बार निरीक्षण करें ताकि राजभाषा अधिनियम/नियम/आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित कराया जा सके।

3. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त विषय पर की गयी कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी अवगत कराया जाये।

राजभाषा विभाग के दिनांक 24-8-87 के का ज्ञापन सं. 20014 5 78—रा. भा. (ख-2) की प्रतिलिपि

विषय :- राजभाषा से संबंधित पदों के सृजन के संबंध में केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति की 16वीं बैठक में दिनांक 27-5-87 को लिए गए निर्णय।

राजभाषा से संबंधित पदों के सृजन के प्रश्न पर चर्चा के दौरान केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति की 16वीं बैठक जोकि दिनांक 27-5-87 को सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में हुई, निम्नलिखित स्पष्टीकरण/निर्णय लिए गए:—

(1) सभी मंत्रालय/विभाग अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को विशेषरूप से यह सूचित करेंगे कि हिन्दी में काम के बारे में विधिक उपबन्धों का पालन करने के लिए वांछित पदों के सृजन पर कोई रोक नहीं है।

(2) टंकक, आशुलिपिक व अन्य सपोर्टिंग स्टाफ, हिन्दी अनुभाग में उसी आधार पर दिया जाना चाहिए जिस आधार पर यह बाकी अनुभागों के लिए मंजूर किया जाता है। इसी कारण राजभाषा विभाग से जब न्यूनतम पदों के सृजन के बारे में मंत्रालयों/विभागों से संबंधित आदेश जारी किए गए थे उसमें टंककों और आशुलिपिकों का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(3) जिन मंत्रालयों में 25 से कम कर्मचारी/अधिकारी हैं और जिनमें हिन्दी संबंधी कोई भी पद सृजित करने के आदेश नहीं है उन कार्यालयों में अनिवार्य कार्य के लिए हिन्दी में प्रशिक्षित किसी भी कर्मचारी की सेवाओं का उपयोगमानदेय के आधार पर अनुवाद के लिए किया जा सकता है। अगर हिन्दी का कार्य अधिक समझा जाता है तो उसके लिए अलग से सुझाव भेज करके और पूरा औचित्य देकर पद के सृजन के लिए प्रयास करना चाहिए।

(4) हिन्दी से संबंधित पदों के सृजन के लिए जो मानक भर्ती नियम परिचालित किए गए हैं, सभी मंत्रालय/विभाग उनको अपने अधीनस्थ कार्यालयों आदि में लागू करें ताकि पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग से उम्मीदवार आसानी से मिल सके। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मानक भर्ती लागू करने पर उनके वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के पदों से कम है तो उसके बराबर करने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

2. उपर्युक्त स्पष्टीकरण/निर्णय बैठक के कार्यवृत्त में शामिल कर दिये गये थे। और कार्यवृत सभी मंत्रालयों/विभागों के राजभाषा अधिकारियों को नाम से राजभाषा विभाग के संख्या 20014/5/87-रा.भा. (ख-2) दिनांक 17-6-87 द्वारा भेज दिया गया था।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे बैठक में लिए गए निर्णय, जोकि ऊपर लिखे गए हैं, का अनुपालन कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई, अगर अभी तक नहीं की गई है तो तुरन्त प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में करवायें। राजभाषा विभाग के अधिकारी निरीक्षण के समय इन विषयों आदि पर विशेषरूप से ध्यान देंगे और अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में इसके अनुपालन की स्थिति पर टिप्पणी करेंगे।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

पत्रांक: पी आर ओ/88/4777 दिनांक 3-6-88

परिपत्र

विश्वविद्यालय के कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने, राष्ट्रभाषा हिन्दी को यथोचित गरिमा प्रदान करने, राष्ट्रभाषा के प्रति सुप्त स्वाभिमान जगाने और अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त करने की दृष्टि से समस्त अशैक्षणिक एवं शैक्षणिक विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने यहां समस्त कार्य हिन्दी में करने एवं कराने के लिए कृत संकल्प हों।
इस संबंध में लेख है कि:—

1. सभी नामपट्टों तथा सूचना पट्टों में हिन्दी का प्रयोग किया जावे। यदि कुछ बोर्डों में अंग्रेजी का प्रयोग आवश्यक हो तो उसमें हिन्दी पहले अथवा ऊपर रहे।

2. फाइलों पर अधिकाधिक टिप्पणियां हिन्दी में ही अंकित की जावें।

3. सभी प्रकार के साइक्लोस्टाइल अथवा छपे हुए फार्म पत्र, प्रपत्र, कार्यालय के समस्त कागजातों के शीर्ष हिन्दी में ही हों तथा उनमें हिन्दी प्रयोग अनिवार्य रूप से हो।

4. स्वागत कक्ष द्वारा दिए जाने वाले प्रवेश पत्र, सभी प्रकार के रजिस्टरों के शीर्षक, रसीदें, पाठ्यक्रम तथा मोहरें आदि भी हिन्दी में ही हों।

5. सभी प्रकार की स्टेशनरी के पत्र शीर्ष आदि हिन्दी में ही छपवाये जायें।

6. न केवल हिन्दी भाषी राज्यों को अपितु अन्य भाषी-भाषी राज्यों तथा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा यूनियन टेरीटरी चण्डीगढ़, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह को जाने वाले मूल पत्र भी हिन्दी में भेजे जायें।

7. अपने तार हिन्दी में ही भिजवायें/हिन्दी में दिये गये तार अंग्रेजी तारों की अपेक्षा सस्ते भी पड़ते हैं।

8. अपने यहां से दिए जाने वाले विज्ञापन हिन्दी समाचार पत्रों में दें।

9. जब भी आवश्यक हो अपने कार्यालय/विभागों में हिन्दी टाइपिस्टों-टंकण मशीनों व हिन्दी आशुलिपिकों की बढ़ोतरी/नियुक्ति पर अधिक ध्यान दिया जाए।

कृपया इस ओर समुचित ध्यान दें।

ह./-

कुलसचिव

भारतीय डाक विभाग

पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, महाराष्ट्र सर्किल, बम्बई-400001

राजभाषा निरीक्षण के दौरान प्रायः ऐसा देखने में आया है कि हिन्दी में भरी गई डाक वस्तुओं की बुकिंग करते समय कर्मचारी रसीदें अंग्रेजी में काटते हैं। राजभाषा नियमों के अनुसार ऐसा करना गलत है। हिन्दी में भरकर प्रस्तुत की जाने वाली डाक वस्तुओं (मनीआर्डर्स, रजिस्टर्ड-पत्र, बीमा-पत्र, पार्सल आदि) की रसीदें हिन्दी में ही काटी जानी चाहिए। अतः अपने अधीनस्थ सभी छोटे बड़े डाकघरों को सूचित करें कि वे निर्धारित नियमों के अनुसार काम करें। समय-समय पर जारी किए जाने वाले राजभाषा संबंधी नियमों की लिखित जानकारी भी उन्हें देते रहें। छोटे डाकघरों को जब राजभाषा नियमों के अनुसार काम करने को कहा जाता है तो वे उनसे अनभिज्ञता प्रकट करते हुए काम केवल अंग्रेजी में जारी रखते हैं और इस तरह कदम-कदम पर राजभाषा नियमों की उल्लंघना करते हैं। राजभाषा नियमों की उल्लंघना के लिए कार्यालय प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को ज्ञात करायें।

ह./-

प्रलय कुमार बागची, अपर पोस्टमास्टर जनरल

बम्बई-400001

लंदन में आयोजित प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए
श्री दिनेश सिंह (अब केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री)

कलकत्ता में भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान में आयोजित हिंदी दिवस समारोह की एक झलक

र०नं० 32456/77

जरा सोचिए....

हस्ताक्षर हिन्दी में करने में हमें क्या कठिनाई है ?

जब हिन्दी में पता लिखे हमारे व्यक्तिगत पत्र भारत के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में पहुंच जाते हैं तो कार्यालय के पत्रों पर हिन्दी में पता लिखने में हमें क्या कठिनाई है ?

जब हम कार्यालय में बातचीत हिन्दी में कर सकते हैं तो सरकारी काम हिन्दी में करने में क्या कठिनाई है ?

जब लेखन सामग्रियों का व्यय सरकार वहन करती है तथा फार्मों का द्विभाषी रूप उपलब्ध हो तो इसे द्विभाषी रूप में छपवाने में हमें क्या कठिनाई है ?

जब कार्यलय में सभी सुविधाएं उपलब्ध हों तो हमें हिन्दी पत्रों का जवाब हिन्दी में देने में क्या कठिनाई है।

जब हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारें अपना सारा राजकीय कार्य हिन्दी में करती हैं तो उनके साथ पत्र व्यवहार हिन्दी में करने में हमें क्या कठिनाई है ?

जब राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) को लागू करना आवश्यक है तथा इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं है तो सभी सुविधाएं होने के बावजूद ऐसा करने में हमें क्या कठिनाई हैं।

जब सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण के लिए सरकार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है तथा उत्तीर्ण होने पर कई पुरस्कार प्रदान करती तो इसे अपनाने में हमें क्या कठिनाई है।

जब हिन्दी में तार भेजने से पैसा तथा समय दोनों की बचत होती है तो देवनागरी में तार भेजने में हमें क्या कठिनाई है ?

कार्यालय की अन्य सभी रिपोर्ट जब मुख्यालय में समय से भेजी जाती हैं तो राजभाषा संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजने में हमें क्या कठिनाई है ?

राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में राजभाषा के योगदान को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ?

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए डा० गुरुदयाल बजाज द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्किट नई दिल्ली 110003 से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

1988